छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **त्रयोदश सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022

(फाल्गुन 20, शक सम्वत् 1943)

[अंक 05]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022

(फाल्गुन 20, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस पिछले हफ्ते शुरूआत में आप पूरे colourful लग रहे थे, आज एकदम सफेद-सफेद किसलिए है?

अध्यक्ष महोदय :- आज शुक्रवार है, इसलिए सफेदी की झंकार होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप colourful रहते हो तो ठीक लगते हो।

श्री यू.डी. मिंज :- आपको क्या दिक्कत है? अजय भैय्या, आप लोगों को शांत करने के लिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी शून्यकाल में संसदीय सचिव में आउंगा। मैं शून्यकाल में संसदीय सचिव में आ रहा हूं। आप चिंता मत करना।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप डराते क्यों हैं? आप हर किसी को जबर्दस्ती का डराते हो?

अध्यक्ष महोदय :- ट्रेजरी बेंचेस आज खाली दिख रहा है। कारण ?

नालों को पाटा जाना

[जल संसाधन]

1. (*क्र. 650) श्री नारायण चंदेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में जिंदा नालों की संख्या कितनी है? इनमें से कितने नालों क उद्योगों व अन्य संस्थाओं के द्वारा निजी उपयोग हेतु पाटा गया है ? **(ख)** क्या जिंदा नाले को पाटने का प्रावधान है ? यदि नहीं तो जिन उद्योगों व अन्य संस्थाओं के द्वारा निजी उपयोग हेतु नाले को पाटा गया है उस पर क्या कार्यवाही की गई और की जा रही है? **(ग)** क्या उक्त नाले को पाटे जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई जांच की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब की गई है व किसके द्वारा की गई है? यदि नहीं, तो कब की जायेगी? किस स्तर के अधिकारियों के द्वारा जांच की जायेगी? **(घ)** छ.ग. सरकार केड्रीम प्राजेक्ट में से एक "नरवा" में नाले के अस्तित्व को समाप्त करने व किसानों के सिंचाई

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के साधन को रोकने/समाप्त करने हेतु कौन दोषी है ? दोषियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ? कृपया नालें सहित जानकारी देवें ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में जिंदा नालों की संख्या 69 है। इनमें से किसी भी नालों को उद्योगों व अन्य संस्थाओं के द्वारा निजी उपयोग हेतु नहीं पाटा गया है। **(ख)** जिंदा नाले को पाटने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्नांश 'क' के उत्तर के संदर्भ में कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में जानकारी निरंक है। **(घ)** प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि आज आपने पहले नंबर पर प्रश्न दिया है और पहले नंबर पर ही जांजगीर पर ध्यानाकर्षण दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैंने नहीं दिया है, यह उसकी किस्मत है। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- यह लोक महत्व का विषय है।

श्री सौरभ सिंह :- लोक महत्व का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय जल संसाधन एवं कृषि मंत्री से जानना चाहा था। मेरा जो मूल प्रश्न है, वह उद्योगपतियों द्वारा जो नाले हैं, उसको पाटने के संबंध में है। छत्तीसगढ़ सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी और लगातार सिर्फ जांजगीर-चांपा जिला नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योगपतियों द्वारा जो जिंदा नाले हैं, जो बहते हुए नाले हैं, उसको लगातार पाटा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पहले जानना चाहता हूं कि एक तो आप जिंदा नाले को परिभाषित कर दें और जो नाले अस्तित्व में नहीं हैं, उसको बता दें। आपने कहा है कि जांजगीर-चांपा जिले में जिंदा नालों की संख्या 69 है। तो ऐसे कितने नाले हैं, जो अस्तित्व से मिट गये हैं। जो सरस्वती नदी की तरह विलुप्त हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा मंत्रिमंडल का समूह गायब है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आते ही सवाल कर लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अवसाद से निकालिए। चुनाव में हार जीत लगी रहती है और सबको छत्तीसगढ़ बुलाइए। यहां बुलाइए। कोई कुछ नहीं कहेगा। हम लोग विपक्ष में स्वागत कर देंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिन मंत्री को जवाब देना है, वह मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री संतराम नेताम :- चन्द्राकर जी, पंजाब में आप की स्थिति देख लिये। आप 2 सीट हैं । पंजाब में मोदी जी का जादू क्यों नहीं चला? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, सदन में ऐसी स्थिति देखना अच्छा नहीं लगता। हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप सबको अंदर बुला लीजिए।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री शिवरतन शर्मा :- उमेश जी, आप सामने आ ही जाओ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उन्होंने जिंदा नालों की बात कही है तो उनके प्रश्न का आशय हम लोगों ने यही लिया कि जो जिंदा नाला है, जो रनिंग में है, जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, उसी को आपने जिंदा नालों में लिया है और उसी के हिसाब से उत्तर दिया गया है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बहते हुए पानी को कोई रोक नहीं सकता । यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। माननीय न्यायालय का आदेश है। उसके बाद भी लगातार जांजगीर-चांपा जिला उद्योगों से प्रधान जिला है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने प्रभावशाली उद्योगपति हैं, वे नालों को पाट देते हैं। अपने उपयोग के लिए उद्योगों की तरफ मोड़ देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसे आपको पास कोई उदाहरण हैं तो स्पष्ट करिए, जिसमें कुछ कार्यवाही किया जा सके।

श्री नारायण चंदेल :- जी, मैं उदाहरण बता देता हूं। हमारे जिले में Nuvoco Vistas उद्योग है, जो पहले Lafarge था। उसमें एक घटना बताता हूं। पिछली बार जो अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आया, उसमें समीत सिंह करके वहीं के कॉलोनी का निवासी नौजवान लड़का जो है, वह नाला जब उफान में आ गया, क्योंकि नाला पट गया था, पूरे गांव में बाढ़ आ गया था तो उस बाढ़ में उसकी मृत्यु हुई थी और नाला पट जाने के कारण कॉलोनी के घरों में पानी घूस गया। गांव में पानी घूस गया। केवल एक उद्योगपति के कारण। मैं आपको ऐसे नालों का नाम गिना देता हूं, जो हमारे जिले में है। आप उसे नोट कर लें - छेरकानाला मुड़पार गांव में, यह भी जांजगीर-चांपा से लगा हुआ है । कंजीनाला, ज़िंदा नाला है, अध्यक्ष जी को मालूम है, जांजगीर और अकलतरा के बीच में है, चौतड़िया नाला यह परसदा बलौदा के पास है, छाता जंगल के पास में चौतड़िया नाला है, रक्सा नाला जो जांजगीर और अकलतरा के बीच में है, वहां पर भी उद्योगपतियों ने उसको पाट दिया है और उसकी दिशा बदल दी है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इन नालों का सीमांकन कराएंगे ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसकी जांच कराई है और 69 नालों की जांच कराई है, सभी जगह अभी नाले कहीं पर पटे नहीं हैं । माननीय सदस्य प्रस्तुत कर रहे हैं । अगर ऐसी कोई बात होगी, जिन जिन नालों का उन्होंने उल्लेख किया है, मैं चीफ़ इंजीनियर को माननीय सदस्य के साथ भेज देता हूं और वे जाकर देख लेंगे । अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो उस पर कार्रवाई भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आपकी सरकार का थीम वाक्य है - नरवा, गरवा, घुरवा, बारी । ये नरवा का प्रश्न है, माननीय सदस्य उसी की बात कर रहे हैं । इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- हो तो गया, मैंने निर्देश दे दिया ।

श्री नारायण चंदेल :- नरवा, गरवा, घुरवा, बारी वास्तव में शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है । इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ही सारे उद्योगपति रौंद रहे हैं और शासन उस पर गंभीर नहीं है । मदनपुर में जो मड़वा प्रोजेक्ट है, वहां पर मड़वा के लोगों ने मदनपुर नाले में अतिक्रमण कर लिया है । उसमें पूरा वेस्टेज मटेरियल बहता है और वह नाला पट गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें कार्रवाई की जाएगी । मैंने कह दिया है, कार्रवाई होगी, जिसने भी अतिक्रमण किया हो ।

श्री नारायण चंदेल :- मेरा कहना था कि राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति में और हम लोगों की उपस्थिति में, क्या उसका सीमांकन कराएंगे ? कब कराएंगे कोई समय सीमा ?

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय मंत्री जी ने बोल तो दिया ना और अध्यक्ष जी ने भी बोल दिया, अब इससे ज्यादा और कया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अमितेश जी अभी आपका शपथ लेना शेष है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भी विधान सभा क्षेत्र में डोलोमाइट खदान वाले दो नाले, भोथिया से अकलसरा वाले नाले को बंद कर दिया है, डायवर्ट कर दिया गया है । दूसरा, खम्हरिया से भोथिया नाले दोनों को पाटकर अवरोध कर दिया गया है । पानी नहीं बह रहा है, जांच करवाएंगे तो कृपया उसको भी सम्मिलित कर लें और हमारी उपस्थिति में जांच करवा दें ।

अध्यक्ष महोदय :- जितने भी नालों में वहां अतिक्रमण किया गया है, आप इन विधायकों की उपस्थिति में जांच करवा दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, उसकी समय सीमा तय हो जाए कि कब तक करा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो ये भार-साधक हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भार-साधक जब जांच की घोषणा करवा सकते हैं तो समय सीमा भी बता सकते हैं, जो मंत्री उत्तर दे रहा है वह सक्षम है । यशस्वी पिता की यशस्वी संतान हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी का प्रश्न आने दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- समय सीमा तय कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- 2 महीने का हिसाब दे रहे हैं, दो महीने में परीक्षण कर लिया जाएगा ।

श्री नारायण चंदेल :- वे इशारा कहां कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- कर रहे हैं, बोल दीजिए दो महीना ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी करवा लेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- समय दे दो, इशारा मत किया करो ।

श्री उमेश पटेल :- बहुत जल्दी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये राजनीतिक भाषण हम लोगों ने 15 साल बहुत बोला है ।

श्री नारायण चंदेल :- समय सीमा बताइए ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- 3 वर्ष पहले बिलासपुर जिले में भी गोकने नाले में इसी तरह का अतिक्रमण हो चुका है । गोकने नाला बिलासपुर में भी ऐसे ही विलोपित हो रहा है, 3 वर्ष पूर्व वहां भी अतिक्रमण हो चुका है, वर्तमान का नहीं है।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- अध्यक्ष जी, अजय जी ने कहा कि 15 साल तक हम लोग यही बोलते रहे, यही करते रहे । इनसे थोड़ा 15 साल का हिसाब लीजिए और क्या-क्या किया ।

<u>बोधघाट सिंचाई परियोजना हेतु निविदा प्रक्रिया</u>

[जल संसाधन]

2. (*क्र. 555) डॉ. रमन सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बोधघाट सिंचाई परियोजना हेतु विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) हेतु निविदा जारी की गई है, यदि हां तो इस हेतु कुल कितनी कंपनियों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था और किस कंपनी को कार्यादेश दिया गया है? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में उपरोक्त परियोजना का डी.पी.आर. बनाने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं डी.पी.आर. बनाने का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बोधघाट सिंचाई परियोजना हेतु विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए निविदा जारी नहीं की गई है। परियोजना के सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार के उपक्रम वाप्कोस लिमिटेड, गुडगांव को सौंपा गया है। **(ख)** परियोजना का सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. बनाने हेतु रू. 4154.38 लाख की राशि स्वीकृत की गई है एवं डी.पी.आर. बनाने निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर मेरा प्रश्न है । बोधघाट परियोजना को भी सरकार ने अपनी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में, मुख्यमंत्री जी यहां आधा घंटे तक चर्चा करते रहे और यह बताते रहे कि 22 हजार करोड़ की योजना, 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, बस्तर के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विधायकों की बैठक हो गई । बस्तर में बड़े-बड़े पोस्टर छप गए कि मुख्यमंत्री जी बोधघाट परियोजना को वापस ला रहे हैं । जब ये सारी बातें हो गईं, उस दिन मैंने इसी विधान सभा में यहीं खड़े होकर कहा था कि महाराज यह hypothetical बात मत करिये, परिकल्पना की बात मत करिये। आने वाले तीन-चार साल में इसका डी.पी.आर. नहीं बना पाओगे, एक ईंट, एक पत्थर नहीं रख पाओगे। बस्तर के विधायकों को भ्रम में और झुनझुना फैला कर, बस्तर के लोगों से वोट लेने की साजिश अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हो, आज वही हालत हुआ है। इस प्रश्न का जवाब यही बता रहा है कि सरकार इसमें न तो गंभीर है और न ही बोधघाट परियोजना पूरी होगी। आज इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना और इस महत्ववपूर्ण योजना में आज इन्होंने सीधा-सीधा इनकार कर दिया कि परियोजना के सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. हेतु राशि स्वीकृत किये हैं। डी.पी.आर. का समय-सीमा बताना संभव नहीं है। यानि अभी तक डी.पी.आर. का काम शुरू नहीं हुआ है। तो फिर क्या काम शुरू हो रहा है? इन्होंने तो कहा है कि अभी तो सीधा-सीधा परियोजना का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए सर्वे हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि सर्वे भी होता है और उसकी Detail report भी आती है तो तीन component होते हैं। इसमें पर्यावरण की स्वीकृति होना आवश्यक होता है, इसमें जन-सुनवाई आवश्यक होता है, इसमें सिंचाई और बाकी लोगों के राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अनुमति आवश्यक होता है। सबका उत्तर निरंक आया है। यथा समय ली जायेगी, यथा समय ली जायेगी। जब आज की स्थिति में यथा स्थिति यह है कि राज्य सरकार की अनुमति नहीं है, केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं है, पर्यावरण का कोई clearance नहीं है, राज्य सरकार और किसी की अनुमति नहीं मिली है, इसका जनसुनवाई नहीं हुआ है। तो यहां आप विधानसभा में बड़ी-बड़ी बात करके, आधा घंटा भाषण दे करके कहते हैं कि हम 22 हजार करोड़ पूरे-पूरे बस्तर में 57 प्रतिशत इरीगेशन ला देंगे। उसी दिन हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे सभी सदस्यों ने कहा था कि hypothetical परियोजना को यहां पर समय न ले। मैं यही जानना चाहता हूं कि उसके सर्वे के बाद डी.पी.आर. बनाने की प्रक्रिया कितने समय में शुरू कर सकते हैं और कब तक की जायेगी? क्या कोई ऐसी कार्ययोजना सरकार की है? या सरकार इस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दी है कि जैसे थी, वैसी रहेगी? इसके लिए अब कम-से-कम बोधघाट के बारे में बात करना बंद करें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री उमेश पटेल :- सर, प्रश्न क्या था? एक बार फिर बता दीजिए। Actual प्रश्न क्या था?

अध्यक्ष महोदय :- मूल प्रश्न बता दीजिए।

डॉ. रमन सिंह :- इसका सर्वे का प्राथमिक रिपोर्ट में क्या-क्या component और क्या-क्या चीजों की कमी बताई गई है?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वाप्कोस लिमिटेड जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसको हमारे भारत सरकार का मिनी रत्न कहा जाता है। उसके द्वारा इस परियोजना की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। अभी इसमें सर्वे का लगभग 70 परसेंट काम किया गया है। इसकी समय-सीमा फरवरी, 2022 तक की गई थी, जिसका अभी Extention किया गया है। आगे इसमें समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वे में परसेंट आ गया, 70 परसेंट। जबकि जो मुख्य component है, उसको मैंने पहले ही बता दिया है, सर्वे करने की दृष्टि से कि राज्य की अनुमति, केन्द्र की अनुमति, जनसुनवाई, पर्यावरण स्वीकृति। इन सभी में यथा समय की जायेगी, यथा समय की जायेगी। तो आज शुरू क्या हुआ है? या कोई चुना डाल दिया 10 रूपये लेकर, वही सर्वे हो गया। आज कौन से कंपनी है, जिसको आपने सर्वे के लिए काम दिया है? डिटेल सर्वे के लिए किस कंपनी को आपने काम दिया है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, इसमें आपकी जानकारी है?

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को थोड़ा ऐसा कर दे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री जी अस्वस्थ है तो मैं यह नहीं चाहता कि नये मंत्री को को मैं परेशान करूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए।

डॉ. रमन सिंह :- वे जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक यह नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें आधे घंटे की चर्चा ले ली जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

डॉ. रमन सिंह :- धन्यवाद सर। धन्यवाद।

<u>विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर अंतर्गत झालरौंदा नहर निर्माण</u>

[जल संसाधन]

3. (*क्र. 660) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के झालरौंदा माईनर निर्माण हेतु कब स्वीकृति मिली है, स्वीकृति दिनांक, वर्ष सहित बतायें ? **(ख)** क्या उपरोक्त नहर निर्माण में वन विभाग की भूमि आ रही है? यदि हां तो क्या वन विभाग से एन. ओ. सी. ली गई है? **(ग)** नहर निर्माण को कब तक पूर्ण किया जायेगा?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के झालरौंदा वितरक नहर निर्माण हेतु स्वीकृति बांगो परियोजना फेज-4 को प्रदाय प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 30.06.1990 में सम्मिलित है। **(ख)** जी हाँ। उपरोक्त नहर निर्माण में वन विभाग की भूमि आ रही हैं। वन विभाग से एन.ओ.सी.

प्राप्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** वन विभाग से वन प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही नहर का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। झालरौंदा वितरक नहर निर्माण हेतु स्वीकृति में माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया है कि प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 30.06.1990 को मिला है जो मात्र अभी 32 साल हुआ है। वन विभाग से एन.ओ.सी. नहीं मिला है। एन.ओ.सी. नहीं मिलने के कारण नहर का निर्माण नहीं हुआ है और 6-7 गांव सिंचाई से वंचित हैं। पूर्व में भी मैंने प्रश्न लगाया था, जिसमें मंत्री जी ने मुझको आवश्वासन दिये थी कि चीफ इंजीनियर को भेज कर मौके का निरीक्षण करवायेंगे, यथाशीघ्र एन.ओ.सी. लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं भोपाल तक गया था। वे बताये कि भोपाल में एन.ओ.सी. मिलेगा तो मैं भोपाल तक एन.ओ.सी. लेने गया। विभाग कहीं प्रक्रिया को बताता नहीं है कि कहां से एन.ओ.सी. मिलेगा। क्योंकि विभाग के अधिकारियों का तो कुछ आना-जाना नहीं है। इससे सिंचाई हमारा अवरोध हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आवश्वासन चाहता हूं कि यह नहर चाहे वन विभाग से एन.ओ.सी. लेने की बात हो या पूरा करने की बात हो या कोई वित्तीय बात हो, कब तक इस नहर को बनाकर के इससे सिंचित होने वाले गांव को आप पानी देंगे?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम रूका हुआ है वह वन विभाग से एन.ओ.सी. के कारण रूका हुआ है, यह बात सत्य है और इसमें जो डीले होने का मेन कारण यह था कि दो बार इसको चेंज किया गया क्योंकि नागपुर जो रिजनल ऑफिस है, उन्होंने पहले ही इसमें कहा कि इसको 9.6 हेक्टेयर के लिए बनाइये और फिर उसको चेंज करके वापस 6.2 हेक्टेयर का करने के लिए कहा जबकि शुरू में इसको 6.2 हेक्टेयर के लिए हमने प्रोसेस किया था। लेकिन बाद में उन्होंने चेंज किया और अभी 16.12.2020 को हमने फिर से सबमिट किया है तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी हमको इसका परमिशन इसका एन.ओ.सी. मिल जाएगा और लगभग काम चालू हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- एन.ओ.सी. तो केंद्र सरकार देती है न? आपको एन.ओ.सी. केंद्र सरकार देगी?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी हां, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपने वहां भेज दिया है? आपको कुछ कहना है?

श्री उमेश पटेल :- जी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी दो जो हैं अटका हुआ है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो यह बात बता रहे हैं वह हमको मालूम है और केंद्र सरकार की बात नहीं है। राज्य सरकार ही इसकी एन.ओ.सी. देगी। ये लोग मेरे को भटका करके भोपाल भेज दिये। आप वहां जाइये तो आपको वहां मिल जाएगा। (हंसी) एन.ओ.सी. कौने देगा, नहीं देगा, यह अलग बात है। 32 साल, सन् 1990 से है और 32 साल हो गये और 32 साल

तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी और यथाशीघ्र बोलेंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि 8-10 गांव के लोग पानी से वंचित हो रहे हैं कृपया आप समय-सीमा बता दीजिए। जब तक आप समय में नहीं बांधेंगे, आपके अधिकारी कोई काम नहीं करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें केंद्र सरकार को एन.ओ.सी. देना है इसलिए हम लोग इसमें समय-सीमा नहीं बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष महोदय :- चलिये, रजनीश कुमार सिंह।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आएंगे तो मैं खुद आपको लेकर बैठूंगा। यह मेरे जिले का ही मामला है। हम बात करेंगे। रजनीश कुमार सिंह जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मेरे विधानसभा का भी मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ठीक है। आप लिखकर दीजिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मामला है। मैं दो मिनट बोलना चाहूंगा, मेरे राजिम विधानसभा क्षेत्र में पीपरचेरी, कनेसर, गनियारी बहुत-सी ऐसी आज से 20 साल पहले जो लंबित योजनाएं थीं, जिनको कलेक्टर से एन.ओ.सी. मिली या नहीं मिला, उसको जरा यह चेक करा लें। वह बहुत इंपोरटेंट चीज है। कलेक्टर का पहले एन.ओ.सी. मिलगी, वही से पूरा बेस स्टार्ट होता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, रजनीश बाबू। जल्दी।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मंत्री बनोगे तो उसको चेक करवाना।

<u>रेडी-टू-ईट वितरण व व्यवस्था</u>

[महिला एवं बाल विकास]

4. (*क्र. 842) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रदेश में रेडी-टू-ईट की वितरण व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं व इसका कैबिनेट में निर्णय किया गया है ? यदि हां तो इसके संबंध में क्या निर्देश दिए गए हैं और यह व्यवस्था कब से लागू की जाएगी ? (ख) बीज निगम के साथ अनुबंध कब किया गया है? अनुबंध की प्रति उपलब्ध करावें ? क्या बीज निगम का अपना प्लांट है और वह प्लांट कहां कार्यरत है ? इस प्रक्रिया में कितनी महिला समूह का कार्य छीना जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :(क) जी हां, मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.11.2021 में निर्णय लिया गया है।छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट फूड निर्माण एवं वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों के स्थान पर अब कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य

बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित यूनिट के माध्यम से किये जाने का निर्देश दियेगए है। यह व्यवस्था प्रदेश में 01 अप्रैल 2022 से लागू की जायेगी। (ख) प्रश्नांश 'ख ' अंतर्गत अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी हॉ, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का अपना प्लांट है जो रायगढ़ जिले में कार्यरत है। नवीन व्यवस्था प्रक्रियाधीन होने के कारण महिला स्व सहायता समूहों की नियत संख्या बताया जाना संभव नहीं है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो आज का प्रश्न रेडी टू ईट के ऊपर है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने जो 20 हजार लगभग महिला स्व-सहायता समूह को रोजगार दिया था और यह सरकार जो छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करती है 127 करोड़ गोधन न्याय योजना की बड़ी-बड़ी प्रचार करती है। लगभग 20 हजार महिला स्व-सहायता समूह के 1 हजार करोड़ के प्रति वर्ष जो इनको रोजगार और उनके परिवार को काम मिला हुआ था, उसको छोड़कर के इसको बीज निगम और उद्योगपति को देने के क्या कारण हैं? क्या इसके लिए महिला स्व-सहायता समूह सक्षम नहीं थे? उसमें कोई कमी पाई गई थी या उसके कोई और कारण हैं?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें परिवर्तन करने का कारण है कि भारत शासन के पत्रानुसार 24 फरवरी, 2009, मई, 2012, मई, 2013 में पोषण और भोजन मापदण्ड में संशोधन तथानुसार पूरक पोषण आहार व्यवस्था में टेक होम राशन अंतर्गत रेडी टू ईट एवं आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म पका हुआ भोजन प्रदाय करने का निर्देश था और मई, 2012 में संचालित मशीन से निर्मित मानव स्पर्श रहित माइक्रोन्यूट्रेसक युक्त फोर्टिफाइड निर्धारित मानक आर.डी.ए. की पूर्ति एवं संक्रमण रहित रेडी टू ईट का निर्माण महिला मण्डल, महिला समूह, ग्राम समुदाय या उत्पादनकर्ता जो उपरोक्तानुसार मानकों की पूर्ति करने में सक्षम और वर्ष 2013 में दिये थे, फूड सेफ्टी एवं हाईजनिक के संबंध में पूरक पोषण आहार निर्माण में साफ-सफाई व स्वच्छता आदि निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। हम लोगों ने महिला समूह का कार्य कहीं नहीं छीना है। गरम भोजन में अभी भी हमारे महिला समूह ही दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पोषण आहार में भी अभी भी हमारे महिला समूह के ही द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्ष 2013-2009 के संदर्भ का माननीय मंत्री जी यहां पर उदाहरण दे रही हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ सेक्रेटरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2006, 2010 और 2019 में महिला स्व-सहायता समूह को ही काम देने का कोई निर्देश प्राप्त है या नहीं?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश है । आप कहेंगे तो मैं दिखा देती हूं या पटल में रख देती हूं ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें क्या दिया है और उस आदेश में क्या है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मानवरहित बच्चों को देना है, यह बात मैंने आपको बतायी थी । पोषण आहार स्वचलित मशीन से निर्मित मानव स्पर्श रहित माइक्रो न्यूट्रिशियन युक्त 45 निर्धारित मानक आर.डी.ए. की पूर्ति एवं संक्रमण रहित रेडी टू ईट फूड का निर्माण करना है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि ग्राम पंचायत के ही महिला स्व सहायता समूह को इस तरह के काम दिए जाएंगे और दूसरा, यदि आप सबको सहयोग कर सकती हैं तो जो मशीनरी की बात आ रही है, जिसके कारण आप यह काम छीन रही हैं तो क्या महिला स्व सहायता समूह को हम पैसा देकर उनको यह सिस्टम उपलब्ध नहीं करवा सकते कि यह काम उन्हीं के पास रहे । क्या उनको ऋण उपलब्ध कराकर यह काम नहीं किया जा सकता? माननीय अध्यक्ष महोदय, 52 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र के 24 लाख रेडी टू ईट में काम करने वाले कर्मचारी हैं, 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, यह आप बता रही हैं । क्या आप जिम्मेदारी से बता सकती हैं कि 1 अप्रैल से बीज निगम और उद्योगपति के पार्टनरशिप में जो काम चालू होने वाला है, वह फर्म चालू हो जाएगा?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल । हमारा प्रयास है कि हम इसको 1 अप्रैल से चालू करवा लेंगे ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता रही हैं कि 1 अप्रैल से सप्लाई चालू हो जाएगा । रायगढ़ संयंत्र जहां का उत्पादन होगा, उस संयंत्र का निर्माण केन्द्र सरकार व कोर्ट के मापदण्ड के अनुसार कितना खर्च हुआ है, कौन खर्च किया है, क्या यह पूरी तरह मापदण्ड के लिए तैयार है ? आप बोल रही हैं कि यह 1 अप्रैल को यह चालू हो जाएगा तो क्या आप पूरी जवाबदारी से बोल रही हैं ? क्योंकि अभी जो जानकारी है, उसके अनुसार कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आप इस संबंध में उत्तर बताईए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल । बीज निगम तैयार है, जो उनकी एजेंसी है, वह तैयार है और हमें विश्वास है कि वह 1 अप्रैल तक चालू हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी प्रश्न करें ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, बाकी लोग पूछ लेंगे । आप बाकी सदस्यों के लिए क्या छोड़ रहे हैं ?

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कम्पनी को आपने का दिया है, उस कम्पनी का मालिक कौन है और वह कहां की कम्पनी है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वह बाद में बताएंगी । चन्द्राकर जी प्रश्न पूछें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे दो मिनट संरक्षण चाहूंगा । उत्तर (ख) में कहा गया है कि नवीन व्यवस्था प्रक्रियाधीन होने के कारण महिला स्व सहायता समूहों की नियत संख्या बताया जाना संभव नहीं है । हम लोगों ने जो प्रश्न किया है, उसमें मेरे प्रश्न के उत्तर में उसकी संख्या बतायी गई है । माने अधिकारी या मंत्री तैयारी से आते हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता। मुझे जो संख्या बतायी गई है, भले ही वह इस प्रश्न से उद्भूत हो रही है तो वह संख्या कितनी है और आपने इस प्रश्न में वह संख्या क्यों नहीं बतायी ? यह बताईए । शिवरतन शर्मा जी के प्रश्न के उत्तर में आपने संख्या बतायी है । माननीय अध्यक्ष जी, फिर मैं एक प्रश्न पूछने की अनुमति और चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में प्रश्न कर लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में आप देखेंगे कि पी.बी.एस. फूड प्राईवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ कृषि बीज विकास निगम ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या बताएं जरा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी प्रश्न संख्या परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 606) है ।

अध्यक्ष महोदय :- अतारांकित प्रश्न संख्या-13 ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उसमें पी.बी.एस. फूड प्राईवेट लिमिटेड और कृषि बीज विकास निगम के बीच संयुक्त उपक्रम एग्रो फूड लिमिटेड कारपोरेशन का गठन किया गया है । उसमें दो संचालक कृषि बीज विकास निगम के छोटे-छोटे कर्मचारी हैं और पी.बी.एस. फूट लिमिटेड की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसमें एक शिशिर रावत, नई दिल्ली और दूसरा सुरेन्द्र सिंह, हरियाणा का है, जो रायगढ़ में मिसारी-कोरासी क्या नाम है, इसमें लिखा है । माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि बीज विकास निगम ने उसको संचालित कर लिया है और उसके उपक्रम तैयार हैं । आपने संख्या क्यों नहीं बतायी, वह मैंने पूछा । आपने कहा कि इस संस्थान् को 1 अप्रैल से शुरू करेंगे, लेकिन तीन महीने से रेडी टू ईट बंद है । क्या इस संस्थान का मेरी उपस्थिति में या किसी भी कांग्रेस सदस्य की उपस्थिति में रायगढ़ में आप निरीक्षण करवाएंगी कि वह संस्थान् चालू है या बंद है और कब तक चालू होगा, उसके लिए रायगढ़ में आप निरीक्षण करवाएंगे क्या ? अभी सरकार बैठी है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कैसे कह दिया कि रेडी टू ईट बंद है । कहां बंद है । रेडी टू ईट समूह के द्वारा वितरण हो रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा चालू होगा। आपने शिवरतन जी के प्रश्न में जो उत्तर दिया।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- उन्होंने क्या कहा था कि सब मशीन के द्वारा संचालित होगा। लेकिन इसमें काफी महिला समूह काम कर रही थीं, उनका काम बंद होकर इसमें होगा। परन्तु ऐसा नहीं बोली हूं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि उनका काम छीना जायेगा। परन्तु महिलाओं का समूह संचालित होगा तो हम वितरण का काम महिला समूह से करायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महादय, मैं आपसे सरंक्षण चाहता हूं। हालांकि मेरा प्रश्न नहीं है। लेकिन बीज विकास निगम के पास रायगढ़ में एक ही संस्थान है। चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ चलेंगे क्या ? आपके साथ महिला बाल विकास मंत्री जी के साथ जायेंगी क्या ? माननीय अध्यक्ष महोदय, 74 प्रतिशत की हिस्सेदारी में छत्तीसगढ़ के एक बड़े आदमी को हिस्सेदार बनाकर भ्रष्टाचार किया किया गया है, यह मेरा आरोप है और वह संस्थान बंद है। छत्तीसगढ़ के बच्चों को कुपोषित करने का यह षड़यंत्र है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि ..।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपका 7वें नंबर पर प्रश्न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो पूरक प्रश्न कर रहा हूं। 22.11.2021 को केबिनेट के निर्णय के बाद बीज निगम को देने का निर्णय हुआ, मंत्री जी बता रही हैं। मंत्री जी ने इस निर्णय के पीछे 3 पत्रों का उल्लेख किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ को बेच दो।

अध्यक्ष महोदय :- आपका पूरक प्रश्न थोड़ा छोटा होना चाहिए। प्लीज, आप छोटा करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी ने उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका 7वां नंबर प्रश्न नहीं आयेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- भारत शासन का वर्ष 2009, 2012 एवं 2013 का पत्र है, उन पत्रों का उल्लेख किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2013 के पत्र पर 2022 पर कार्यवाही हो रही है। शासन को 9 साल बाद कार्यवाही करने का कैसे सूझा ? यह पहला कारण बता दें ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण, जब दिनांक 22.11. को केबिनेट ने निर्णय लिया तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कापी मेरे पास भी है, इसमें स्पष्ट निर्देश है कि इसका केन्द्रीयकरण नहीं होना, विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए। पंचायत या पंचायत के छोटे समूह को देने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या केबिनेट को इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी दी गई थी या नहीं दी गई थी ? आप यह बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- वह यहां पर केबिनेट के निर्णय को कैसे बतायेंगी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी सरकार ने भी प्रयास किया था, परन्तु आप लोगों ने डर के कारण चालू नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश से कुपोषण जितना जल्दी हो, खत्म हो जाये। इसलिए हम लोग इस योजना को संचालित करने का प्रयास किया है। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम पश्न। आपको भारत शासन ने जो 3 पत्र भेजा है, जिनका आपने उल्लेख किया है, उसकी कापी उपलब्ध करा देंगे क्या ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको भारत शासन ने जो 3 पत्र दिया है, जिसका आपने उत्तर में उल्लेख किया है, अभी आपने पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया है, उसकी कॉपी उपलब्ध करा देंगे क्या ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिलकुल उपलब्ध करा देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी दिलवा दीजिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह जो भारत शासन के पत्र का हवाला दे रही हैं। सन् 2013 के पत्र के अनुसार यह रेडी टू इट को बेचने का काम कर रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रदेश को बेचने का काम।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी एक तरफ छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जनता ने बता दिया है, यहां घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों को 2 सीट में सिमटाई है। यह जनता है। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- पंजाब में आपकी मात्र 2 सीट है। वहां क्यों नहीं चला ?

श्री अजय चन्द्राकर :- 2 अरब में 2 सीट।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप लोगों में उत्तेजना मत दिलाईये। आप प्रश्नकाल में उत्तेजना मत दिलाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात मोहन मरकाम जी ने शुरू की, मैंने शुरू नहीं की।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीनियर हैं, आप उत्तेजना मत फैलाईये। प्रश्नकाल को छोड़ दीजिये। शून्यकाल में उत्तेजित होईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वह रोज उत्तेजना की दवा खाते हैं, लगता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न है। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी आ गये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अजय जी, अब मुख्यमंत्री जी आ गये हैं, अब बताईये न।

श्री धरमल लाल कौशिक :- मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि बीज विकास निगम और पी.बी.एस. फुड्स की जो ज्वाइंट वेंचर है, इसमें किसकी कितने प्रतिशत की भागीदारी है, आप तो यह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एक बता दें ? दूसरी बात, आप 2013 के पत्र की बात कर रहे हैं तो जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या लिखा है, जिसके कारण महिलायें चला रही थी, किसी को देना नहीं पड़ा । उन्होंने नोट शीट में क्या टीप लिखा है, दो बातों का प्रश्न पूछ रहा हूँ, दोनों का आप उल्लेख करें ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी का बंक मैं प्रस्तुत कर दूंगी । बीज निगम का 26 प्रतिशत है और बी.पी.एस. फुड प्रायवेट लिमिटेड का 74 प्रतिशत

हिस्सेदारी है, जिसकी लागत 7 करोड़ है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं वह नहीं पूछ रहा हूँ । ज्वाईंट वेंचर में भागीदारी परशेंट कितना है । बीज निगम का कितना है, 400 में कितना है ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- वही तो बता रही हूँ सर ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 400 में नहीं जा रहा हूँ, परशेंट में उसको बता दो ।

अध्यक्ष महोदय :- परशेंट बता रही है, परशेंट ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- एग्रो फुड कार्पोरेशन लिमिटेड बीज निगम की 26 प्रतिशत है, बी.पी.एस.फड प्रायवेट लिमिटेड का 74 प्रतिशत है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ को बेचने का काम हो रहा है । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा:- आप देश को बेचोगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट बैठिये, प्लीज । व्यवधान आप लोग बैठिये प्लीज । सुनिये । आप सुन तो लीजिए । आप बैठ जाईये । आपने परशेंटेज पूछा, उन्होंने परशेंटेज बता दिया । अब क्या तकलीफ हुई । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उसमें जांच की बात कर रहा हूँ । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री धनेन्द्र साहू जी । मैंने अगले प्रश्न के लिए धनेन्द्र साहू को बुला लिया है । आप बैठिये । प्लीज । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- नोएडा की कंपनी है ...। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ का मामला है और छत्तीसगढ़ के ...(व्यवधान)

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग देश में डाका डलवा रहे हैं, डाका। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह बड़ा मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- किसकी जांच करायेंगे । जब उन्होंने बता दिया ...(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- 1000 करोड़ का मामला है, महिलाओं का हक छीना जा रहा है । (व्यवधान)

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- सब बैंक के पैसे को लेकर भगवा दिया । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, लेनदेन की क्या जांच करायेंगे ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उतनी महिलायें...(व्यवधान) ....अंबानी ..(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप संपूर्ण मामले की जांच करा दें । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- खुला भ्रष्टाचार है । ओपन भ्रष्टाचार । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :-चलिये, चलिये ।

एक माननीय सदस्य :- न्याय व्यवस्था लागू कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग क्या चाहते हैं ..व्यवधान देखिये सदस्यगण । माननीय मंत्री जी पूरी सक्षमता के साथ उत्तर दे रही है, आपको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है । वह सक्षम है । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय....व्यवधान संरक्षण का मतलब यह थोडी है कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं आप बैठ जाईये । (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डेय :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं ..(व्यवधान) मंत्री जी जवाब दे रही हैं, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- सुनने दीजिए । आप क्या चाहते हैं ? प्लीज ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- हम लोग सुन रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है ..व्यवधान मंत्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है । यह गलत बात है । माननीय सदस्य अच्छे से प्रश्न करेंगे तो जवाब मिलेगा । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नही आया है, मैंने दो पार्ट में पूछा है । उस समय तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने जो पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद में यह रेडी टू ईट का जो काम है, महिलायें करती रहीं । सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, वह महिलाओं के पक्ष में है । किसी एक व्यक्ति को ठेका में देने का नहीं है । आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी देख लीजिए । चीफ सेक्रेटरी का जो पत्र है उस पत्र के कारण में जो नोटशीट लिखा, उनके हाथ से नहीं छीना गया, महिलाओं के हाथ में रही। इसलिए मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट नहीं आया है। इसलिए इसकी संपूर्ण जांच करा लें, पंजीरी फैक्टरी की जांच करा लें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जांच करा लें और उसके बाद में चीफ सेकेटरी के पत्र की जांच करा लें। यह सारी चीजों की जांच करायेंगे तो जो 20 हजार महिलाओं के हाथ से रोजी रोटी छीनने का काम केवल भ्रष्टाचार करने के लिए यह सरकार कर रही है। यह 20 हजार महिलायें बच जायेंगी, उनका काम उनके हाथ में रहेगा। यह 1000 करोड़ रुपये का मामला है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन बातों की जांच होनी चाहिए, जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपने जिन बातों का उल्लेख किया है, उनने बता दिया कि चीफ सेकेटरी का पत्र भी उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी उनके पास में है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्र में लिखा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- वह बता देंगी न। उसको पटल पर रख देंगी आप उसको पढ़ते रहियेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बतायेंगी तभी तो स्पष्ट होगा, इसीलिए मैं जांच की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उनने कहा कि मैं रख दूंगी। क्या चीफ सेकेटरी का पत्र आपके पास है ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी का परीक्षण करके ही यह निर्णय लिया गया है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में जो affidavit दिये हैं, उसकी बात हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत प्रश्न हो गया। धनेन्द्र साहू जी।

<u>महानदी पर राजिम से लोमश ऋषि आश्रम तक निर्माणाधीन आर्चब्रीज निर्माण</u>

[जल संसाधन]

5. (*क्र. 500) श्री धनेन्द्र साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महानदी पर राजिम से लोमश ऋषि आश्रम तक निर्माणाधीन आर्च ब्रिज (लक्ष्मण झुला) के निर्माण कार्य के ठेकेदार का नाम, अनुबंधित लागत राशि ,कार्य पूरा करने की समय अवधि कितनी थी तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? जानकारी देवें । **(ख)** उक्त ब्रिज के निर्माण में क्या-क्या तकनीकी त्रुटि पाई गई है तथा इन तकनीकी त्रुटियों के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य के भुगतान पूर्व निरीक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी थी, एवं त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए दोषी अधिकारियों पर शासन के द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है? उक्त ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक पूरी होगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) महानदी पर राजिम से लोमश ऋषि आश्रम तक निर्माणाधीन आर्च ब्रिज (लक्ष्मण झूला) का निर्माण ठेकेदार एक्वाटिक पम्पस इन्डस्ट्रीज, इंदौर (म.प्र.) द्वारा किया जा रहा है। कार्य की अनुबंधित लागत राशि रू. 3581.99 लाख है तथा कार्य पूर्ण करने की मूल अवधि दिनांक 06.04.2019 थी, जो समयवृद्धि सहित दिनांक 30.03.2022 तक है। दिनांक 20.02.2022 तक निर्माण कार्य में कुल रू. 3337.72 लाख का भुगतान किया गया है। **(ख)** उक्त ब्रिज

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के निर्माण में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं पायी गई है। उक्त ब्रिज का निर्माण कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण हो जायेगा। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी निरंक है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस राजिम के आर्च ब्रिज के बारे में प्रश्न किया था, वह निर्माण कार्य पूरा हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन हो गया, उसके लिए मैं शासन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार शर्मा जी। आपने किसको धन्यवाद दे दिया ?

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार को धन्यवाद दे दिया। लेकिन इसमें एक निवेदन था, मैंने तकनीकी त्रुटि के बारे में प्रश्न पूछा कि जिसके कारण आर्क ब्रिज को उतारा गया था। उस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि उसमें कोई तकनीकी त्रुटि नहीं पाई गई। यदि तकनीकी त्रुटि नहीं पाई थी तो आर्क ब्रिज को उतारा क्यों गया था ? उसको निर्माण कार्य पूरा करके फिर उसको पुन: स्थापित किया गया तो जो तकनीकी त्रुटि पाई गई थी उसके लिए क्या किसी अधिकारी के ऊपर में जिम्मेदारी तय करेंगे ? आखिर वहां जो तकनीकी त्रुटि पाई गई थी जिसके कारण आर्क ब्रिज को उतारकर कई महीनों तक ठीक करना पड़ा और उस बीच उसका उनको भुगतान भी हो गया था। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम पूरा हो गया है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि काम पूरा हो गया है और इस आर्क ब्रिज का उद्घाटन भी गया है।

अध्यक्ष महोदय :- उसका आपको धन्यवाद मिल गया। उसको बाद में यह बताया है कि तकनीकी त्रुटि भी नहीं पाई गई जो जिसने उस पर इतने दिन की आपत्ति लगाई क्या आप उस पर कुछ कार्यवाई करेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, काम करने के दौरान उसमें जो भी त्रुटि थी उसको उसी समय ठीक कर लिया गया और काम करते-करते जो भी परेशानी है उसी समय देख लिया गया। तो उसको काम करते-करते ठीक भी कर लिया गया तो उसमें और कोई कार्यवाही नहीं बनती है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, इस आर्च ब्रिज का काम लगभग साल भर तक बंद था और तकनीकी त्रुटि रही या जो भी कारण से आर्च ब्रिज को बनने के बाद में पूरा नीचे उतारा गया था और उस बीच में उसका पूरा भुगतान भी हो गया था। लेकिन उसको पुन: नीचे उतार करके ठीक कराया गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि ठीक नहीं हुआ, वह ठीक हो गया है। इस बीच में जो तकनीकी त्रुटि हुई तो उसके लिए क्या किसी अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी तय करेंगे ? जब त्रुटिपूर्ण था तो उसका भुगतान क्यों किया गया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह काम बन रहा था तो जो दायें हिस्सा है वह बायें हिस्सा से थोड़ा सा अलग बन गया था और यह कार्य के दौरान हुआ था जिसको identify कर लिया गया है और identify करके उसको ठीक भी करा लिया गया था। तो फिर काम के दौरान यह हुआ और इसको ठीक भी करा लिया गया, चूंकि अब काम पूरा हो गया है, उसमें मूल्यांकन के बाद भुगतान हुआ है तो मुझे इसमें और किसी के ऊपर कोई कार्यवाही करने का लगता नहीं है।

श्री अमितेश शुक्ल :- लक्ष्मण झूला चालू हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुलेश्वर महादेव में..।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, प्लीज, वह आपके सामने प्रश्न कर रहे हैं। उनकी आवाज आने दीजिए। हॉ बताईये।

<u>बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सालय</u>

[पशुधन विकास]

6. (*क्र. 234) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने पशु चिकित्सालय कहाँ-कहाँ और कब-कब से संचालित हैं ? कितने स्वयं के भवन व कितने किराये के भवन में संचालित हैं ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संचालित चिकित्सालय हेतु किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत व रिक्त है, पदनाम सहित जानकारी देवें। **(ग)** संचालित चिकित्सालयों में पशुओं की कौन-कौन से बीमारी की ईलाज की सुविधा एवं दवाइयां उपलब्ध हैं ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 05 पशु चिकित्सालय संचालित है। पशु चिकित्सालय हथबंद वर्ष 1976, पशु चिकित्सालय नवापारा वर्ष 1976, पशु चिकित्सालय बलौदाबाजार वर्ष 1907, पशु चिकित्सालय अर्जुनी वर्ष 1976 तथा पशु चिकित्सालय तिल्दा वर्ष 1968 से संचालित है। समस्त 05 पशु चिकित्सालय स्वयं के भवन में संचालित है, कोई भी पशु चिकित्सालय किराये के भवन में संचालित नहीं है। **(ख)** प्रश्नांक ''ख'' की जानकारी [1]**संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांक ''ग'' की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलौदाबाजार जिले में पशु चिकित्सालय में 49 पशु चिकित्सक सहायक की कमी है और छोटे जानवरों के काटने की दवाई की भी कमी है। बलौदाबाजार जिले में पशु टीकाकरण करने की बहुत ही कमी है। यह छोटी सी समस्या है और माननीय

[1] परिशिष्ट- "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पटेल जी हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं। आपका कार्य बहुत अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है, आप आश्वासन दे दीजिए कि काम पूरा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आश्वासन दे दीजिए।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी कमी है उसको अतिशीघ्र पूरा किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। शिवरतन शर्मा जी।

महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट निर्माण तथा वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

7. (*क्र. 761) श्री शिवरतन शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कितने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा रेडी-टू-ईट के माध्यम से पोषण आहार का निर्माण एवं वितरण किया जा रहा है, जिलेवार जानकारी प्रदान करें? उक्त समूहों में जिलेवार कितनी महिलाओं की भागीदारी है? (ख) क्या राज्य शासन द्वारा पोषण आहार निर्माण तथा विक्रय का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है? यदि हॉ तो किस प्रकार से उक्त कार्य को किया जावेगा, कार्ययोजना क्या है ? (ग) राज्य शासन द्वारा उक्त निर्णय लेने के क्या कारण है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री(श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट[2] अनुसार है। (ख) जी हॉ। भारत शासन, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.02.2009, 09.05.2012 एवं 24.12.2013 में निहित निर्देशों एवं मापदण्डों के अनुसार उक्त कार्य करने की योजना है। (ग) भारत शासन, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.02.2009, 09.05.2012 एवं 24.12.2013 के निर्देशों का पालन हेतु उक्त निर्णय लिया गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले तो आग्रह करूंगा कि मेरा जो 7 नंबर का प्रश्न है, उसमें मैंने एक प्रश्न किया है कि प्रदेश में कितनी महिला स्व सहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट के माध्यम से पोषण आहार का निर्माण एवं वितरण कार्य किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें आधा प्रश्न तो हो चुका है, आधा ही बचा है, उसको करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, सरकार कैसे उत्तर देती है, आपके सामने उसका एक उदाहरण रख रहा हूं। प्रश्न क्र. 04 में रजनीश जी ने पूछा है कि कितने महिला स्व सहायता

---

[2] परिशिष्ट-''दो''

समूह का कार्य छीन लिया जायेगा ? इसमें लिखा जाता है कि बता पाना संभव नहीं है। मेरे प्रश्न के उत्तर में बता रहे हैं कि इतने रेडी टू ईट के समूह काम कर रहे हैं, तो जितने समूह काम कर रहे हैं, उन सब का काम छीना जाएगा। इसमें 1605 समूह काम कर रहे हैं और 16655 महिलाएं इसमें शामिल है। एक प्रश्न के उत्तर में बोल रहे हैं कि इतने लोग इसमें काम कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न के उत्तर में बता पाना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने उसमें लिखा है कि छीन लिया जाएगा, उसमें काम छीन कहां रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- छीन रहे हैं, पूरा काम छीन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कहां छीन रहे हैं ?

आप, आपके प्रश्न से जो उद्धृत हो रहा है, वह प्रश्न पूछिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, जब पूरा काम ही बीज निगम को दे दिया जाएगा। अगर पूरा काम ही बीज निगम को दिया जा रहा है तो मैं आपको यही प्रेषित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपके प्रश्न से जो उद्धृत हो रहा है, वह पूछिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने मेरे प्रश्न में जो मुझे उत्तर दिया है कि 1605 समूह काम कर रहे हैं, और इसमें 16655 महिलाएं काम कर रही है। बीज निगम को काम देने से यह सारे समूहों का, रेडी टू ईट का काम बन्द होगा कि नहीं होगा ? यह आप बता दो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसमें सारा काम मानव-रहित होना चाहिये, इसलिये..।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने यह प्रश्न किया है कि यह बन्द होगा कि नहीं होगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- महिलाओं को वितरण का काम दिया जाएगा, बन्द नहीं होगा, सिर्फ बनाने का काम बंद होगा क्योंकि..।

श्री शिवरतन शर्मा :- जिस कार्य में छत्तीसगढ़ की 16655 महिलाएं लगी है, यह सरकार उनका काम छीनने का काम कर रही है, और मानवरहित, मानवरहित कर रही है। अच्छा, मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर लेता हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- कोई काम छीनने का काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग जबर्दस्ती आरोप लगा रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल के समूह हैं, इनका कमीशन बंद हो रहा हैं।

अध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह जो 1605 समूह रेडी टू ईट का निर्माण का और वितरण का काम कर रहे हैं। क्या इनमें से क्या किसी ने बिना मशीन लगाये काम कर लिया ? जरा इसकी जानकारी दे दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इन समूह को काम देने से पहले सरकार ने समूह को काम देने का मापदण्ड क्या निर्धारित किया था कि कितनी मशीनें लगानी पड़ेगी ? उस मापदण्ड के अनुसार इन समूहों का कार्य का आबंटन हुआ कि नहीं हुआ ? यह बता दे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप समूहों को हटाने की बात करते रहते हैं, समूह अनुबंध के साथ-साथ खत्म होते रहता है, मतलब आते रहते हैं, जाते रहते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने पूछा कि इसके लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसके लिये क्या मापदण्ड निर्धारित है, उसके लिये मैं आपको पूरी जानकारी निकाल कर दे दूंगी और उसमें खाने की सामाग्री में कभी-कभी भुनने में ज्यादा भुन गया तो उसमें सभी प्रोटीन, विटामिन खत्म हो गया, उन सभी खाद्य साम्रगी का। इसलिये इस कार्य को स्व-संचालित मशीनों से ही कराना उचित है। जिससे हमारे बच्चों को हाईजैनिक खाद्य साम्रगी मिलेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- सीधा-सीधा प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने सीधा-सीधा प्रश्न किया था कि 1605 समूहों को काम दिया गया, यह काम देने के लिये क्या शासन ने कोई मापदण्ड निर्धारित किया था ? क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया था, वह मापदण्ड बता दें। उनमें कुछ मशीनें लगाने की अनिवार्यता थी, तो उन समूहों ने सारी मशीनों को लगायी है, कर्ज लेकर लगायी है। तो इसका मापदण्ड बता दीजिये और कितने समूह मापदण्ड के विपरित काम करते हुये, अनियमितता से काम करते हुये पाये गये, आप यह जानकारी दे दो, जिसके चलते आपको हटाने का निर्णय लेना पड़ा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ऐसे बहुत से समूहों की रिपोर्ट में आया था कि जो मापदण्ड निर्धारित है, हमका उस मापदण्ड के हिसाब से बच्चों को सामान देना रहता था। मैं आपको पूरा मापदण्ड निकलवा कर दे देती हू।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको कॉपी दे देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देंगे, यह टालने वाला काम है। यह सीधा-सीधा टालने का काम है, भई आप सीधे मापदण्ड की कॉपी दे दो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हमने इतने सालों से महिला समूहों के माध्यम से जो काम किया जा रहा था (व्यवधान)। इसलिये इस तरह का कदम उठाने की जरूरत पड़ी है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने तो आपसे कहा कि आपके मापदण्ड की कॉपी आपको दे दी जायेगी, प्रश्नकाल के बाद उपलब्ध करा दी जायेगी।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता रही है, आप लोग बार-बार उसी-उसी चीज को घूमा क्यों रहे हो ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो 1605 समूह काम कर रहे हैं। इनमें भी बैंक से लोन लेकर के बहुत-सी मशीनें लगायी है।

अध्यक्ष महोदय :- यह संभव है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हर समूह कर्जदार है और इन समूहों से काम छीन करके, यह सरकार इन सारे लोगों को कर्ज के बोझ में ढकेलने का काम कर रही है। सेठ लोगों को उत्कृत कर रही है। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को उत्कृत करने का काम कर रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के बाहर सैकड़ों करोड़ रूपये का लेन-देन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री किश्मतलाल जी नंद, बहुत हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपने निवेदन किया था, वह तीन पत्र, जिसका आपने उल्लेख किया था। 9,12 और 13 (व्यवधान) की कॉपी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी, आपके निर्णय की कॉपी आप उपलब्ध करवा दीजिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल, मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि सुप्रीम कोर्ट की कॉपी हम आपको व्यवस्था करके दे देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो 6 पत्र कहा है, पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। यह सरकार उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम कर रही है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल, 6 पत्र नहीं है। 2009, 2012 और 2013, हम बिल्कुल उपलब्ध करवा देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- 6 पत्र है, उत्तर में 6 पत्र है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, किस्मत लाल जी नंद।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। इसमें सीधा-सीधा छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिना निविदा बुलाये हुआ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिना निविदा बुलाये हुआ। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना निविदा बुलाये कंपनी को काम दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्यों उत्तेजना में आ रहे हो?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- (व्यवधान) 12 करोड़ माफ किये हैं, उसको क्यों?.।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दसवीं बार कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- किस्मतलाल नंद, उनका पहला प्रश्न आया है।

श्री सौरभ सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बिना निविदा बुलाये, कंपनी को काम दे रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- किस्मतलाल नंद जी आप प्रश्न करिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे नियमों को ताक में रखकर किया गया। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 74 प्रतिशत की भागीदारी है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यदि व्यवस्था ठीक चल रही थी तो भारत सरकार ने क्यों परिवर्तित किया। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आड़ लिया जा रहा है। आप संवेदनशील आदमी हैं। आप किसी के भी सामने उस संयंत्र की जांच करा लीजिए। 74 प्रतिशत की इसकी भागीदारी है। आज के समय में वह काम नहीं कर रही है। यह बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें एडवांस लिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की 16 हजार महिलाओं की कीमत पर, इसलिए जांच करवानी जरूरी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- किस्मतलाल नंद जी आप प्रश्न करिये। (व्यवधान)

श्री रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश की महिलाओं के साथ अन्याय है। (व्यवधान) हम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं सहेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझता हूँ...। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खुली लूट है।

श्री नारायण चंदेल :- यह ऐतिहासिक है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप लोग शांत हो जाईये। आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं के साथ अन्याय है। हम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। एक मिनट, आप लोग बैठ जाईये। मैं खड़ा हूँ। वैसे संसदीय प्रक्रिया है जब अध्यक्ष खड़ा हो जाता है तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिए। नये विधायकों को सीखाने की जरूरत है, पुरानों को नहीं होनी चाहिए। एक तो माननीय चन्द्राकर जी घर से उत्तेजना में आते हैं (हंसी) और आप सब लोग खड़े होकर, उनको और उत्तेजित करते हैं। यह उचित नहीं है। चूंकि इस प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक 04 भी आया, प्रश्न क्रमांक 07 भी आया, इसमें पर्याप्त उत्तर जानकारी मिल गई फिर भी मैं माननीय नेता जी को अंतिम प्रश्न के लिए निर्देशित करता हूँ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी के स्वास्थ्य के जांच का आदेश भी दे दीजिए।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी खड़े होते हैं ये चारों-पांचों हमेशा बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सीट बदल दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे तो सब चुप बैठे थे। आज मुख्यमंत्री जी हैं तो सब अपना सी.आर. बढ़ाने के लिए खड़े हो गये हैं। कल सब चुप ही रहे। बाद में यहां-वहां घूम रहे थे, कल चुपचाप बैठे थे।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अजय चन्द्राकर जी नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहे हैं, वह नहीं बन पाये। ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं।

श्री सौरभ सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सब गायब थे और आज अपना सी.आर. बढा़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब आना चाहिए कि यह गोल-गोल घूमकर क्या कर रहे थे?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी, आप प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और उस आदेश के बाद में उसको कैबिनेट में रखा गया, नहीं रखा गया। पंजरी प्लांट के संदर्भ में फिजिकल वेरीफिकेशन और इसलिये मैंने इन बातों को कहा है कि यह स्पष्ट रूप से आ जाये । क्योंकि जो सुप्रीमकोर्ट का आदेश है और उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी ने जो हलफनामा दिया है उसमें महिलाओं का रोजगार सुरक्षित है, उसमें महिलाओं को रोजगार दिया गया। यह जो वर्ष 2013 की केन्द्र सरकार की पत्र की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, वह फरवरी 2019 का है। फरवरी, 2019 का जो निर्णय है, मुंबई हाईकोर्ट का जो फैसला दिया गया था, वर्ष 2006 के पहले और उसके बाद का है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने एबालिश किया और उसके बाद जो निर्णय आया जिसमें महिलाओं के अधिकार को रेडी टू ईट में संरक्षित किया गया है। इसलिए जब तक वह पत्र यहां पर नहीं आएंगे और उसकी जानकारी मंत्री जी नहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा कि 1 अप्रैल से जो लागू करने की बात है, इसके पहले अभी आज या तो इसको बढ़ा दिया जाए और नहीं तो सारे पत्रों का परीक्षण हो जाए। उसमें जो निर्णय दिया गया है वह महिलाओं के पक्ष में है। इसलिए रेडी टू ईट का काम महिलाओं से न छीना जाए। इन सारे पत्रों का अवलोकन किया जाए और अवलोकन करके निर्णय करने के बाद में ही उसको दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपको कुछ कहना है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- मैं उत्तर देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। माननीय नेता जी ने अभी कहा कि बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एबालिश कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, जरा बता दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, बाम्बे हाईकोर्ट का जो निर्णय वर्ष 2006 में कुछ मामले को लेकर आया था। लोगों ने जो पिटीशन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जिसमें हमारे तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने हलफनामा दिया था। उसके बाद उसमें महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है जिसके कारण आज तक महिलाएं चला रही है। यह हवाला दिया जाता है कि वर्ष 2013 में केन्द्र सरकार का जो पत्र आया और इसके कारण हमको जो देना है, यह बहाना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फरवरी 2019 में आया है, आपका जो पत्र केन्द्र सरकार से जारी हुआ है, वह वर्ष 2013 का है। इसलिए मैंने सारी बातों का उल्लेख किया है कि जब तक यह पत्र नहीं देंगे और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। उसके अनुसार से महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है। वर्ष 2013 के केन्द्र सरकार के पत्र का यह बहाना न करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार से महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की नशबंदी कांड में हत्या करवाने वाली सरकार महिलाओं की आज परवाह कर रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, किस्मत लाल नंद जी। आपका पहला प्रश्न आया है। आप भी नहीं पूछ रहे हो।

श्री किस्मत लाल नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि वर्ष 2020 एवं 2021 में ....।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एबालिश किया। मेरी जानकारी के हिसाब से एबालिश नाम का न्यायालयीन प्रक्रिया में कोई शब्द नहीं है। मैं वह समझ नहीं पा रहा हूं, उसको थोड़ा क्लीयर करो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, उसको छोड़िए। किस्मत लाल नंद जी, उनको किस्मत बनाने दीजिए। चलिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता जी के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- बात खत्म हो गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विषय है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री) श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में संयंत्र ...।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, 16,555 महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। उस पर उत्तर नहीं दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब वह खड़ी हो गयी हैं तो आप सुन नहीं रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कहां सुन रहे हो, वह तो खड़ी है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं बता रही हूं न। बम्बई के साम्राज्य से कोई संबंधित नहीं है। यह आपको बता देती हूं, बम्बई का जो केश है, उसको राज्य नहीं मानती। वर्तमान में संयंत्र क्रियाशील है, सभी चीजों का परीक्षण करा करके पूरे ....। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- क्रियाशील है, तो जांच करवाईए न, चलिए न।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जांच कराने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से क्यों जांच करायेंगे ? (व्यवधान) जांच कराने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) आप देखे होंगे, हमारा विभाग भी देखकर आया है। सब देखकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं देखकर आया हूं। (व्यवधान) च्च

श्री शैलेश पाण्डे :- पूरे प्रदेश में चौथाई का 50 हजार महिलाओं का रोजगार छीन लिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, 16,555 महिलाओं की भविष्य का सवाल है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जबर्दस्ती का हल्ला कर रहे हो। कोई महिलाओं का अधिकार असुरक्षित नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- सब आपका ही किया कर्म है। यह गलत बात है। (व्यवधान) अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- छत्तीसगढ़ की 16,555 महिलाओं की भविष्य का सवाल है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- 16 हजार महिलाओं का सवाल है, आप जांच कराईए। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एडवांस ले चुके हैं। इसलिए जांच कराईए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- किस्मत लाल नंद जी। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बोलना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारे लगाए गए।)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- अजय जी, एक मिनट।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब दे रहे हैं, उसको भी देने नहीं दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, बार-बार सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है तो उस बारे में माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाह रही हैं। एक मिनट, बोलिए।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उनके आदेशों का पालन करते हुए इसे संचालित किया जा रहा है इसमें आप लोगों के कहने से हमारी कोई जांच नहीं होगी । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 16 हजार परिवारों का मामला है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें जांच कराईये । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं । (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गये हैं । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- क्या भारतीय जनता पार्टी हर काम को अपने नियम के अनुसार करेगी ? क्या कोर्ट का कहना नहीं मानेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईजीनिक उपलब्ध करवायें । उन्होंने यह नहीं कहा है कि महिलाओं से आप छीन लें। आप मुझे जरा ऑर्डर बता दें, मैंने ऑर्डर पढ़ा है कि बच्चों को हाईजीनिक फूड्स उपलब्ध कराना चाहिए और हाईजीनिक फूड्स के लिये हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को लोन देकर घर-घर में यह छोटी-छोटी फैक्ट्रीज लगवायी गयीं और उनके द्वारा यह रेडी टू ईट बनाकर सप्लाई किया जा रहा था और उसको बंद करके मध्यप्रदेश में अभी घोषणा हुई है कि महिला स्वसहायता समूह बनायेंगे । अभी 3 दिन पहले महिला दिवस के दिन विधानसभा में घोषणा हुई है । जब मध्यप्रदेश कर सकता है जो कि हमसे 4 गुना बड़ा है तो हमको इसे करने में क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यहां एडवांस ले लिये हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- चंद्राकर जी, पिछली सरकार में जो एडवांस दिये हैं उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल 16 हजार महिलाओं का सवाल नहीं है । 16 हजार परिवार और उन परिवारों से आश्रित लोग लगभग इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जो चलती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो सामान खरीदते थे उसको करते थे । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- रायगढ़ का कारखाना बंद है उसकी जांच करवा लीजिये । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेश पाण्डे :- सारे समूह आपके कार्यकाल के थे, सारे आपके कार्यकाल के समूह हैं । कोई समूह नहीं बदला है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोड़िए । अग्रवाल जी आप विलम्ब से आये हैं । एक मिनट बैठ जाईये । इस प्रश्न पर चौथे नंबर पर चर्चा हो चुकी है, अभी माननीय का प्रश्न सातवें नंबर पर है उस पर चर्चा हो रही थी । माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन परिवारों को बेदखल नहीं किया जा रहा है, उनसे ही काम लिया जायेगा । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों के साथ में महिलाओं का जो ममत्व होता है उस ममत्व को आप समाप्त कर रहे हैं । अगर महिलायें बनायेंगी तो उनका प्रेम भी उसमें होगा और उनका ममत्व होगा, उनके साथ में प्रेम होगा । आप उन लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उनको कोई बेरोजगार नहीं कर रहा है । उनको ही काम दे देंगे । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कहां से व्यवस्था होगी ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से निर्देशित करें कि इनको काम दिया जाये । हम आपसे आग्रह कर रहे हैं । आप आसंदी से निर्देशित कर दें । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन शर्मा जी, आप तो वकील हैं । सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं लगाते हो ? (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील नहीं करते हो ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी सरकार को यूटर्न लेना पड़ा था, इस मामले में भी यूटर्न लेना पड़ेगा । यह सरकार महिलाओं के अधिकारों को छीन रही है, ग्रामीण महिलायें जो छोटे-छोटे उद्योग लगाना सीख रही थीं उनका अधिकार छीनना...|

श्री अजय चंद्राकर :- उनके अधिकार को छीन लिया गया है । (व्यवधान) उनका कर्जा माफ करें । (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेड़िया :- अभी तो किया है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सबसे लोन लिया, लोन लेकर उन्होंने छोटी-छोटी मशीनें लगायीं । उसमें उनका पूरा परिवार लगता है और उस परिवार के लगने के कारण उनको रोजगार मिलता है उनका रोजगार छीनकर हम किसी उद्योगपति को दें । आप मुझे यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि महिलाओं से न करायें और उद्योगपति को दिया जाये ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईजीनिक उपलब्ध करवायें और इसी आदेश के कारण महिलाओं को उसको बनाने की जिम्मेदारी दी गयी थी और यह उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री किस्मत लाल नंद जी का प्रश्न है और वे प्रश्न पूछ चुके हैं । उनका जवाब नहीं आ रहा है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इधर देखिये न । हम इधर बोल रहे हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश की महिलाओं का मामला है । आसंदी से निर्देश होना चाहिए और मंत्री जी को जांच की घोषणा करनी चाहिए और कल तक इसको रोककर रखना चाहिए । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी बनवा दें ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12.00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

समय :
12.01 बजे **गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंध नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

भारतीय जनता पार्टी

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. डॉ. रमन सिंह
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री अजय चन्द्राकर
5. श्री नारायण चंदेल
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
8. श्री सौरभ सिंह
9. श्री डमरूधर पुजारी
10. श्री रजनीश कुमार सिंह
11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.02 से 12.16 बजे तक सभा की कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12.16 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

श्री बृहस्पत सिंह :- आज तो बहुत जोरदार जंच रहे हो उपाध्यक्ष जी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अच्छा (हंसी) ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी से बचकर रहिएगा ।

<u>निलम्बन समाप्ति की घोषणा</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, ये निलंबन के बाद भी नहीं सुधरे हैं और न ही सुधरेंगे ।

<u>पृच्छा</u>

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है । आपको एक प्रतिवेदन दिखा रहा हूं । इस सदन में संसदीय सचिव के बारे में बहुत चर्चा हुई है । इस प्रतिवेदन में लिखा है श्री विकास उपाध्याय, माननीय संसदीय सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग । श्री चिंतामणि महाराज, माननीय संसदीय सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग । मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय सचिवों को विभाग बांटे गए हैं ? इस संबंध में बहुत चर्चा हुई और यदि नहीं बांटे गए हैं तो फिर ये फोटो कैसे छपा और फिर एक अन्य प्रतिवेदन में भी राजकुमारी महोदया, सिंहदेव मैडम का फोटो छपा है । ये आखिर है क्या ? छत्तीसगढ़ शासन ने क्या व्यवस्था की, क्योंकि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है । आप बताइए कि यह क्या है ? यह मेरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व्यवस्था का प्रश्न है कि संसदीय सचिव को क्या अधिकार हैं और क्या उनको विभाग बांटा गया है, ये लेटेस्ट है, पहले इसको तय कर लें फिर आगे चर्चा करेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस छत्तीसगढ़ की विधान सभा का अपमान है । इसी विधान सभा में व्यवस्था आई कि विधान सभा में संसदीय सचिव विभाग का जवाब नहीं दे सकता, वह बोल नहीं सकता, हाई कोर्ट का निर्णय है । उसके बाद भी पुस्तिकाओं में नाम और विभाग सहित संसदीय सचिव का फोटो छपना । यह प्रतिवेदन विधान सभा के लिए होता है और विधान सभा में चर्चा के लिए होता है । उसके बाद उनका फोटो छापा जाना, कौन सा न्यायसंगत है । हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, विधान सभा के निर्णय के बाद इस प्रकार की फोटो छापना छत्तीसगढ़ की विधान सभा का अपमान है । माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय दिया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनके अधिकार, कर्तव्य के बारे में व्यवस्था सुरक्षित है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 3 बार माननीय अध्यक्ष जी ने इस सदन में निर्णय दिया कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं । इसके बारे में सरकार की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए परंतु आज तक शासन का कोई वक्तव्य नहीं आया है । इसलिए इस प्रकार की जो पुस्तिकाएं छपी हैं, उनको निरस्त किया जाये। जिन लोगों ने छापा है, उनके खिलाफ में कार्रवाई किये जाये। यह विधानसभा का अपमान है, इस बात का आपसे आग्रह है। इसके बारे में आप निर्णय दे। मुझे लगता है कि संसदीय इतिहास में बहुत से राज्यों ने तो संसदीय सचिव बनाना बंद कर दिया है। परंतु छत्तीसगढ़ में लोगों को उपकृत करने के लिए..।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन साहब, शुरूआत तो आपने ही किया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और आज संसदीय संचिव अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। वह यहां पर बोल नहीं सकते, यहां पर प्रश्न नहीं पूछ सकते और इतना अपमानित कि वे हम लोगों के पास बार-बार आते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं? हमारे कर्तव्य क्या है? यह हमको बताया जाये और आज पुस्तिका में छाप दिया गया। तो विधान सभा का निर्णय होने के बाद, हाई केार्ट का निर्णय होने के बाद ये पुस्तिका में कैसे छाप सकते हैं? विधान सभा में इसको वितरित किया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- विधानसभा के अंदर। यह बुक मैं रखा हूं। और दिखा देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और ये विधानसभा में इसको हमारे खाने में डाला गया है। जब विधानसभा में उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई कर्तव्य नहीं है, वे बोल नहीं सकते, वे जवाब नहीं दे सकते तो फिर विधानसभा में इसको कार्रवाई में शामिल कैसे कर लिया गया?

श्री अजय चंद्राकर :- क्या उनका विभाग वितरण किया गया है?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय सचिव माननीय मंत्रीगणों के सहायता के लिए हैं, यह विधान सभा में घोषित किया गया। दूसरी बात यह है कि जिस किताबों या प्रतिवेदन का आप उल्लेख कर रहे हैं। एक मिनट चंद्राकर जी मेरी बात सुन लीजिए। उस प्रतिवेदन में चूंकि, संसदीय सचिव माननीय मंत्रियों की सहायता करते हैं। तो यदि उसमें फोटो छपी है तो क्या आपत्ति है? उसमें तो बहुत से अधिकारियों का भी फोटो हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप। तो खाली फोटो रह जाने से कोई आपत्तिजनक या नियम विरूद्ध हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। फोटो छप सकती है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे व्यवस्था चाहे थे। आप देखिये इसमें विभाग छपा है। बृजमोहन जी, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें विभाग छपा है। दोनों का ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पुस्तिका है।

श्री मोहम्मद अकबर :- कहां लिखा है कि नहीं छप सकता है?

श्री अजय चंद्राकर :- कहां लिखा है कि संसदीय सचिव को विभाग भी दिया जाना है।

श्री मोहम्मद अकबर :- बिल्कुल छप सकता है। अधिकारियों का भी फोटो छपा है। एक नहीं दसों फोटो छपे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बृजस्पत सिंह :- चंद्राकर जी की मेडिकल चेकअप कराया जाये। वे बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। वे उत्तेजना का दवा खाए हैं। उनका मेडिकल चेकअप करवाईये।

श्री अजय चंद्राकर :- आप संसदीय सचिवों को विभाग बांट सकते हैं क्या? आप यह बताईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक मिनट। आप विभाग के बारे में बोल रहे हैं। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं। माननीय मंत्रीगणों के लिए संसदीय सचिव नियुक्त हैं। तो मंत्रीगण का विभाग तो है न। बिना विभाग के मंत्री है क्या?

श्री अजय चंद्राकर :- हम तो संसदीय सचिव की बात कर रहे हैं, आप मंत्री जी की बात मत करिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप मेरी बात सुन तो लीजिए। संसदीय सचिव मंत्रिगणों के सहायता के लिए होती है तो जो मंत्री का जो विभाग होगा, वे उस विभाग का ही तो संसदीय सचिव कहलायेगा। उसमें आपत्ति वाली क्या बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- यह फिर आपत्तिजनक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, चूंकि यह दस्तावेज विधानसभा की कार्यवाही का पार्ट बन गया है। यह हम लोगों को वितरित किया गया है और विधान सभा की कार्यवाही का पार्ट बनने के कारण जब संसदीय सचिवों को विधान सभा में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है तो ऐसी स्थिति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में उनकी फोटो छापकर और विधान सभा की कार्यवाही का पार्ट बनाना और हमें वितरित होना क्या यह विधान सभा का अपमान नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर उसमें संसदीय सचिवों का फोटो छप गया और उनका सम्मानित हो गया तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या बिगड़ गया?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पूर्व में भी आसंदी के द्वारा इसके बारे में निर्णय दिये गये और कहा गया कि शासन के द्वारा संसदीय सचिवों के बारे में अधिकार की जानकारी शासन उपलब्ध करायें। परंतु उसके बाद भी जब उपलब्ध नहीं करवाया गया तो क्या यह सदन का अपमान नहीं है? जब सदन में संसदीय सचिवों को कोई अधिकार नहीं है। वे मंत्रियों की सहायता के लिए हैं। तो जब सदन में पुस्तिका बांटी गई है तो यह हमको कैसे वितरित की गई? उनका फोटो कैसे छापा गया?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, मैं इसमें व्यवस्था देता हूं। अग्रवाल जी बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग तो संसदीय सचिवों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है। वे जवाब नहीं दे सकते, वे प्रश्न नहीं पूछ सकते। हम तो चाहते हैं कि सरकार आदेश जारी कि उनको को भी बोलने का अधिकार है। सरकार आदेश जारी करें कि उनको भी सदन में बोलने का अधिकार है।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, अग्रवाल जी बोल-बोल कर अपमानित कर रहे हैं। आप बोल-बोल कर संसदीय सचिवों को अपमानित न करें। अगर उनके सम्मान में फोटो छापी गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार आ भी गई और हाई कोर्ट के आदेश जारी होने के बाद कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- सदन में संसदीय सचिवों के दायित्वों के संबंध में व्यवस्था दी गई है। माननीय विधि मंत्री जी के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अत: मैं व्यवस्था के प्रश्न को अमान्य करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न को अमान्य करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि क्या कानून सम्मत स्थिति यह विधिमंत्री जी ने स्पष्ट की है ? कानून सम्मत बताइये। विधानसभा में महत्व है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शून्यकाल।

श्री अमितेश शुक्ल :- व्यवस्था देने के भी यह क्या बात कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- विधिसम्मत बताइये न। विधि सम्मत। हर व्यवस्था में विधि मंत्री ने कहा है कि कानून नहीं है। विधि मंत्री ने कहा है कि वह कानून नहीं है। इन्होंने कहा वह कानून नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय विधिमंत्री जी ने जो कहा है उन्होंने किसी बात को स्पष्ट नहीं किया है। हम आपसे चाहते हैं कि संसदीय सचिव इस सदन के विधायक हैं और इसलिए उनके अधिकार,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कर्त्तव्यों के बारे में सदन में चर्चा के लिए लाना चाहिए। इसलिए हम चौथी बार इस बात को कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, व्यवस्था दी गई है। अब नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा। श्री नारायण चंदेल जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये तो कानून के विपरीत चले गये।

श्री अमितेश शुक्ल :- ये विधानसभा की व्यवस्था की बात फिर बोले जा रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में निर्णय आना चाहिए। माननीय विधि मंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हमने जिन बातों को उठाया है उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आया हो। माननीय संससदीय...।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ भी नहीं आया। मंत्री सहायता करते हैं। यह किस अधिकार के तहत वह सहायता देंगे, बताइये। किस अधिकार के तहत होता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आदरणीय आप लोग बैठिये। चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- किस अधिकार के तहत मंत्री जी सहायता करते हैं ?

श्री संतराम नेताम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब व्यवस्था आ गया है तो उसके बाद कैसे हो सकता है ? आपने एक बार जिसे व्यवस्था दे दिया, फिर उसमें कैसे व्यवस्था आएगा ? आपने व्यवस्था दे दिया उसे मानना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, आपने हमारे व्यवस्था के प्रश्न को अमान्य कर दिया, परंतु हम चाहते हैं कि संसदीय सचिव इस सदन के सदस्य हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधिमान्य तरीके से।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके जो दायित्व हैं, उनके कर्त्तव्य हैं, उनके अधिकार हैं, वह इस विधानसभा में परिभाषित होने चाहिए और पूर्व में भी जो इस बारे में चर्चा हुई है उसको आप निकाल ले और और निकाल कर...।

श्री अजय चन्द्राकर :- चाहे पटल में रखवा दीजिए या पटल में रखवा दीजिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी व्यवस्था की बात को मत सुनिये। जब आप व्यवस्था दिये हैं तो यह किस बात के लिए बोल रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस विधानसभा में कानून बनाते हैं। यह लेजिस्लेटिव असेम्बली है। सदन के पटल पर नियम रखे जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि उन नियमों को कि संसदीय सचिवों को क्या अधिकार है क्या कर्त्तव्य है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री का कथन।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर इस सदन में कानून बनाने वाली संस्था में अगर अधिकारों की परिभाषित कर के सदन के पटल पर नहीं रखा जाएगा। हमें उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा तो हम कैसे संसदीय सचिवों को जो सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है इस सदन के सदस्यों को तो हमारा आपसे आग्रह है कि भले आप इस मामले में बाद में व्यवस्था दे दें, परंतु हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर में यह परिभाषित होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी बात।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन के पटल पर आना चाहिए। माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी माननीय सी.एम. के द्वारा व्यवस्था देने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, आप फिर बोल लीजिए। मैंने मंत्री से आग्रह किया है। एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय विधिमंत्री जी ने कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता केलिए रखे गये हैं। इसलिए उनका फोटो छपना कोई आपत्तिजनक नहीं है। इस विषय में बहुत बहस हो चुकी है। ठीक है कि आपने व्यवस्था दी है उसका विरोध नहीं है तो इतने विद्वान, मैं हमेशा उनकी विद्वता की प्रशंसा करता हूं। विधि सम्मत जो न्यायालय के फैसले आये हैं जो विभिन्न राज्यों की नियम-प्रक्रिया हैं उसके तहत छत्तीसगढ़ में विधि सचिव की कानूनी स्थिति क्या है ? अधिकार-कर्त्तव्य क्या हैं ? उसको माननीय विधिमंत्री जी पटल में रख दें और हम लोग उसे देख लेंगे। जब विधिमंत्री कथन पर आपने व्यवस्था दी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये। वह बोल रहे हैं, आप बैठिये।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में सारे अधिकारों के संदर्भ मैंने पढ़कर सुनाया है। आपकी उपस्थिति में, जो आप अब उठा रहे हैं। अब वह विधानसभा के रिकॉर्ड में है। आप कॉपी ले लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं, आप राइटिंग में जारी करिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको विधानसभा के रिकॉर्ड पर आपको भरोसा नहीं है। मैंने हैं अधिकारों के बारे में सारी बातें पढ़कर सुनाई । आप विधानसभा के रिकॉर्ड से उसको निकाल लीजिए। आप सबकी उपस्थिति में मैंने उसको पढ़कर सुनाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने विधि मंत्री के कथन पर नियम-कानून के तहत व्यवस्था दी है। विधानसभा की नियम-प्रक्रिया के तहत व्यवस्था नहीं आई है। विधानसभा की नियम-प्रक्रिया के तहत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय सचिव नाम का कोई चीज नहीं होता। श्री मोहम्मद अकबर :- रिकॉर्ड में है। मैंने पढ़कर सुनाया है। आप उसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हमको आये हैं परंतु शासन लिखित में कोई आदेश जारी करने के लिए क्या मुंह से कानून हो जाता है क्या मुंह से बोलना नियम हो जाता है ? आखिर सरकार लिखित में नियम कोई क्यों जारी नहीं कर सकती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मौखिक बयान में नहीं चलेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहते हैं कि हमारे इस सदन के सदस्य संसदीय सचिव उनको सम्मान को बढ़ाने के लिए लिखित में कोई आदेश नियम सरकार जारी करे और इस सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना यह केयर का दायित्व है तो आपकी ओर से निर्देश जारी हों कि शासन इसमें नियम जारी करें कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं ? वे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, चूंकि व्यवस्था दी जा चुकी है और उसके बाद उनका बयान सदन में आ चुका है । उसी संदर्भ में व्यवस्था दी गई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, आपने विधि मंत्री के कथन पर व्यवस्था दी है । हम चाहते हैं कि नियम प्रक्रिया के तहत आप व्यवस्था दें, संविधान के तहत व्यवस्था आनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं ध्यानाकर्षण के लिए चंदेल जी का नाम पुकार रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधि मंत्री के कथन पर विधान सभा नहीं चलेगी, विधान सभा नियम-प्रक्रिया के तहत चलेगी । यह बात नियम प्रक्रिया में नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सदन नियम प्रक्रिया और परम्पराओं से चलता है और जो नियम है, वह हमारे संविधान के विरूद्ध बने हों तो उसको निरस्त भी किया जाता है । संसदीय सचिवों के मामले में इस सदन में माननीय आसंदी ने निर्देश दिये थे कि शासन इसके बारे में नियम जारी करे, परन्तु शासन ने नियम जारी नहीं किये । हम यही चाहते हैं कि आसंदी से निर्देश जारी हो कि शासन संसदीय सचिवों के अधिकार कर्तव्यों के बारे में नियम जारी करे । अभी आप हैं, हम चाहेंगे कि आसंदी के माध्यम से इसकी व्यवस्था आ जाए और नियम जारी करने के निर्देश हो जाएं तो मुझे लगता है कि इस सदन का सम्मान बढ़ेगा, संसदीय सचिवों का सम्मान बढ़ेगा ।

श्री शैलेश पांडे :- लिखित में पूछा जाये तो लिखित में जवाब दिया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, व्यवस्था किसी मंत्री के कथन पर नहीं आती । संसदीय सचिव के संबंध में बहुत बहस हुई है । विधान सभा के नियम प्रक्रिया, भारत के संविधान कॉल एवं शकधर, विभिन्न राज्यों के उदाहरण के तहत यह परिभाषित होना चाहिए । व्यवस्था मंत्री के कथन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर नहीं आती, विधान सभा की व्यवस्था नियम के अनुरूप के तहत आती है । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसके तहत उनकी बातों को परिभाषित कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आसंदी से निर्देश जारी कर दें न । जो बात वे मौखिक में बोल रहे हैं, वे लिखित में जारी कर दें, बात खतम हो जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- इस संबंध में आपको भी पता है, सदन को भी पता है कि इस पर बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है और विधि मंत्री के द्वारा पूरा कथन कहा गया है और संसदीय सचिव के अधिकार के बारे में बताया गया है । आप सबको पता है कि न्यायालय का निर्णय है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारों के बारे में आपकी उपस्थिति में मैं सदन में पूरा पढ़कर सुना चुका हूं । वह विधान सभा के रिकार्ड में है, उसकी प्रति आप प्राप्त कर लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, आप यह बताईए कि मंत्री के कथन पर व्यवस्था आती है क्या ? नियम प्रक्रिया के तहत व्यवस्था आती है या मंत्री के कथन पर व्यवस्था आती है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- आपकी आपत्ति क्या है ? मेरी बात सुन लीजिए । प्रतिवेदन में संसदीय सचिव का फोटो नहीं हो सकता, यही कहना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह नहीं कहा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- तो और क्या कहना है ? उसी के बारे में बात हो रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं फिर से सुना देता हूं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- यही तो बात हो रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं फिर से सुना देता हूं, मैंने यह नहीं कहा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप यह कह रहे हैं न । आप कौन से नियम के तहत कह रहे हैं ? आप कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं कि संसदीय सचिव का फोटो नहीं हो सकता । मैं कहता हूं कि हो सकता है । अब आप नियम बताईए, नियम लाईए । आप नियम लाओ न, बहस हो जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी बात सुन लीजिए न । पहली बात मैंने यह कहा कि संसदीय सचिव के अधिकार कर्तव्य के बारे में इस सदन में बहुत चर्चा हुई, उसमें व्यवस्था सुरक्षित है, सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि इसके क्या अधिकार और दायित्व हैं ? तो अभी तक वह परिभाषित नहीं हुई । जो नियम और व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसमें आपने विभाग का वितरण किया है, मैंने यह कहा । मेरी मुख्य बात यह थी कि विभाग का वितरण आज की प्रचलित व्यवस्था जो है और सरकार के अब तक के जो वक्तव्य हैं, उसके तहत आप संसदीय सचिव को विभाग नहीं दे सकते । मैंने यह कहा कि आपने विभाग छापा है । आप उसका ले गए, अधिकारियों की फोटो छपी है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, एक । दूसरी बात, मैं आसंदी की व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि संसदीय सचिव की व्यवस्था कॉल

शकधर हो, हमारी नियम प्रक्रिया हो, न्यायालय की व्यवस्था हो, यदि हम दूसरे राज्यों के नियम को स्वीकार करते हैं तो उनके तहत यदि यह जायज है कि उनको विभाग बांटे गए हैं तो आप कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आसंदी की व्यवस्था या आपके कथन पर मैं व्यवस्था चाहता हूं । नियम प्रक्रिया कॉल शकधर या न्यायालय या कोर्ट में किसी भी स्तर पर संसदीय सचिव के बारे में कहा, यह मैंने आसंदी से आग्रह किया था ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, वह विभाग मंत्री जी के पास है, संसदीय सचिव का विभाग थोड़ी न है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उपाध्यक्ष जी, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है ? उस परम्परा को लेकर हमको करना है । छत्तीसगढ़ का संदर्भ अलग है । छत्तीसगढ़ में यह विषय माननीय उच्च न्यायालय में गया था । मैं खुद की उच्च न्यायालय गया था और मैंने यह कहा था कि संसदीय सचिव की नियुक्ति गलत है । मैंने वहां तर्क भी प्रस्तुत किये थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने नियुक्ति को उचित माना तो उसके संदर्भ में यह नियुक्ति हुई । अब क्या-क्या अधिकार हैं, क्या नहीं है, वह पूरा विस्तार पूर्वक हाईकोर्ट के आदेश में है, जिसके सारे रिफ्रैंश को मैंने विधान सभा में आपकी उपस्थिति में पढ़कर सुनाया और माननीय अध्यक्ष जी उस समय उपस्थित थे, वह विधान सभा के रिकार्ड में आ गया, आप उसको निकालवाकर पढ़ लीजिए, उसमें क्या समस्या है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर शहर (दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सदन नियम प्रक्रिया के तहत चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। जब सदन नियम प्रक्रिया के अनुसार चलता है, हमारे बिजनेस रूल्स बने हुए हैं, उस बिजनेस रूल्स में सबके अधिकार और कर्तव्य बताये गये हैं। प्रोटोकाल के तहत किस मंत्री को क्या अधिकार होगा, यह बताया गया है। परन्तु बिजनेस रूल्स में या हमारे संविधान में संसदीय सचिवों के बारे में कोई व्यवस्था की नहीं है। शासन ने संसदीय सचिव बनाये गये हैं तो उनके क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, उसके सम्बन्ध में कोई लिखित में आदेश जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ? अगर आदेश जारी होना चाहिए तो आप निर्देशित कर दीजिये। अगर नहीं होना चाहिए तो आप बोल दीजिये कि नहीं होंगे।

व्यवस्था

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जिस पर मैंने विधि मंत्री का भी पक्ष सुना, फिर मेरे द्वारा व्यवस्था दी गई। मैंने मंत्री जी के कथन का उल्लेख नहीं किया। मैंने केवल यह कहा कि माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं अब इसमें और चर्चा की अनुमति नहीं देता।

<u>**पृच्छा**</u>

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी शून्यकाल की सूचना है। किसान पूरे प्रदेश में यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं। आज स्थिति यह बन गई है कि ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- यूरिया खाद कहां से आता है भाई ? आपके मंत्री को यूरिया खाद के लिए बोलो न।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुन तो लो। यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं। बाकी खाद भी नहीं मिल रहा है। यूरिया का गवर्नमेंट सप्लाई होती है। सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में खाद भेजने के बजाय प्रायवेट सेक्टर को उपकृत करने में लगी हुई है और किसानों को डबल-ट्रिपल कीमत पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। उसी प्रकार बीज निगम द्वारा बीज आवंटित किया गया है। बड़ी संख्या में बीज अमानक पाये गये हैं। अमानक बीज होने की रिपोर्ट भी आ गई है। किसान उस बीज को खेत में बो चुका है लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। अब सरकार बोलती है कि हम बीज का पैसा वापस करेंगे। किसान को बीज के अंकुरण नहीं होने से उसको जुताई का खर्च आया, दोबारा बोने के बाद फसल लेट आई, उसका नुकसान कौन देगा ? सरकार अमानक बीज बेचने वालों को संरक्षण दे रही है। सरकार ब्लेक में खाद बेचने वालों को संरक्षण दे रही है। हमारा इस विषय पर स्थगन है, आप स्थगन पर चर्चा कराये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर शहर(दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान पहले खरीफ फसल में परेशान हुए और अब रबी फसल में परेशान हैं। सरकार बोलती है कि केन्द्र सरकार खाद नहीं दे रहा है। सिर्फ यूरिया के मामले में केन्द्र का नियंत्रण है। राज्य सरकार को बाकी खाद को खरीदने का अधिकार है। वह चाहे तो डी.ए.पी. और अन्य खादों को खरीद सकती है। किसानों को पूरे समय बिजली नहीं मिल रही है, आज किसानों को पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। आज किसानों को बीज नहीं मिल रहा है। उनके धान खरीदने के लिए जो कूपन कटे थे, उनका धान नहीं खरीदा गया। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं। हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवायें। क्योंकि यह सत्र महत्वपूर्ण है। इस सत्र में किसानों के मामले में चर्चा होनी चाहिए, आपसे इस बात का आग्रह है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार भंग की सूचना दी थी। मैंने विशेषाधिकार भंग की सूचना सामान्य प्रशासन मंत्री के विरूद्ध दी है। दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ही सामान्य प्रशासन मंत्री हैं। मैं एक शासकीय कार्यक्रम में गया था।

श्री संतराम नेताम :- इसमें दुर्भाग्य की क्या बात है। आप कुछ भी बोलते हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा सुन लो फिर समझ में आ जायेगा।

श्री संतराम नेताम :- सौभाग्य की बात है। फिर दुर्भाग्य मत बोलिये, उसको हटा दीजिये, वापस लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक शासकीय कार्यक्रम हुआ। मुझे बहुत अपमानित महसूस हो रहा है कि मेरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकाल के सारे नियमों का उल्लंघन करके, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रोटोकाल जारी किया है, उस कार्यक्रम में अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी का नाम है। आप छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची में देख लीजिये एक सांसद पूरे देश भर में विधानसभा अध्यक्ष से भी नीचे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष जी का नाम भी उस सांसद के नाम के नीचे लिखा गया। उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं, उनका नाम 17वें नंबर पर कार्ड में लिखा गया था। यह इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है। इसको सामान्य प्रशासन विभाग या उन अधिकारियों ने जानबूझकर किया है। हम मुख्यमंत्री जी का अपमान नहीं सह सकते। इसलिए मेरे विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराई जाये। यह बहुत गंभीर मामला है। एक सांसद के नाम के नीचे मुख्यमंत्री जी का नाम, विधानसभा अध्यक्ष जी का नाम, नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा जाये, यह छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है । कानून का राज है कि नहीं है या तो फिर आप कह दीजिए कि यहां कानून नहीं चलता है । मुख्यमंत्री जो कहें वह कानून है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपके विशेषाधिकार भंग की सूचना माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है । डॉ.बांधी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, । एक मिनट । यह स्थगन से संबंधित है । हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण स्थगन दिया है । पूरे प्रदेश में रबी की फसल, गेहूं की फसल, उसके बाद सरसों, पूरे इस सीजन में आज जो किसान है, खाद की अनुप्लब्धता के कारण प्रभावित हुये हैं । उनको समय पर यूरिया नहीं मिल पाई है, डी.ए.पी. खाद नहीं मिल पाया है । साख सहकारी दुकान में खाद नहीं है । प्रायवेट दुकान में किसान खाद खरीदने को मजबूर हुये । लगभग 600-700 रूपया में किसान यूरिया खरीदे । 15 सौ, 16 सौ, 17 सौ रूपये में डी.ए.पी. खरीदने को मजबूर हुये, किसान के जो फसल प्रभावित हुये हैं, अब उसका भरपाई कौन करेगा । 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है । इस प्रदेश में एक दिन यूरिया की किल्लत नहीं आई है । इसके पहले तीन साल कांग्रेस की सरकार थी तो यूरिया की किल्लत आई, 15 साल किल्लत नहीं आई । जब कांग्रेस की सरकार फिर आई तो फिर यूरिया की किल्लत आई । आखिर ऐसी कौन सी बात है कि कांग्रेस की सरकार है और किसान के साथ में उसका शोषण शुरू हो जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ओला से और पानी से फसल बरबाद हुये, उसका भी अभी तक जो भरपाई किसानों को होना चाहिये, क्षतिपूर्ति की राशि नहीं

मिल पाई है और जिसके लिए किसान परेशान है । ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, धान की खरीदी के लिए, बेचने के लिए, टोकन कटा । उनके धान खरीदी नहीं हुई, आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, आप उस पर चर्चा करायेंगे तो विस्तार से हम लोग तथ्य रखेंगे, इसलिए इसको स्वीकार किया जाना उचित होगा । कृपया इस पर चर्चा करायें ।

उपाध्यक्ष महोदय:- डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- उपाध्यक्ष महोदय, हम खुशहाल किसान की कल्पना करते चले आये हैं, लेकिन किसान परेशान है, जब-जब कोई चीज की जरूरत रहती है, तब-तब किसान परेशान रहता है । खाद की जरूरत पड़ी, खाद सोसायटी में नहीं गया, प्रायवेट सेक्टर में, दुकानों में गया, उपाध्यक्ष महोदय परिणाम यह हुआ कि

600-700 रूपया में किसान धान खरीदने में मजबूर हो गया । स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करेंगे तो वह तथ्य सबके सामने आयेंगे, यह किसानों के हित में होगा, नहीं तो दिल्ली में पत्राचार भेज रहे हैं, वह बोलते हैं कि वह वहां का काम है, वह इधर का काम है, ऐसा कहते हैं उपाध्यक्ष महोदय । किसानों के सामने हम लोग खड़ा नहीं हो पा रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई । मेंरे विधान सभा क्षेत्र का ग्राम है, बड़े सीपत । वहां पर दिनांक 8-3-2022 को दोपहर 2.00 बजे, 1 साल और 9 माह का का एक बच्चा, आयुष साहू पिता अक्षय साहू का किसी मोटर सायकल वालों ने अपहरण कर लिया । शाम को थाने में रिपोर्ट लिखाया गया है, अभी तक अपहरणकर्ता का पता नहीं चला है । यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे का गांवों में अपहरण हो रहा है । मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ । धन्यवाद ।

समय :
12.44 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत)पीठासीन हुये)**

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(1) जांजगीर-चांपा जिले में स्थापित मध्य भारत पेपर मिल द्वारा शासन से लीज पर ली गई भूमि का विक्रय की जाना ।</u>

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- मध्य भारत पेपर मिल ग्राम पिसौद, बिरगहनी, तहसील जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा विगत 03 वर्षों से यह मिल पुरी तरह से बंद है । शासन द्वारा 85 एकड़ जमीन उद्योग लगाने हेतु 1982 में 99 साल की लीज पर प्रदान किया गया था । इसमें कराब 15 एकड़ जमीन आदिवासी भाईयों की है । करीब 250 से अधिक लेबर यहां स्थाई रूप से कार्यरत थे वहीं ठेकेदार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के अंदर 300 लेबर कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक बिना पूर्व सूचना के इस उद्योग के मालिक द्वारा मध्य भारत पेपर मिल को बंद करके एम.ए. एजेंसी कलकत्ता के द्वारा इस उद्योग में लगे सारे मशीनों, उपकरणों एवं इस पेपर मिल को संचालित करने वाले पुर्जों को अनाधिकृत रूप से क्षेत्र के कबाड़ियों को बेचा जा रहा है तथा शासन के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए इस उद्योग के जमीनों को अन्य उद्योगपतियों को बिक्री की जा रही है। शासन द्वारा लीज पर प्राप्त जमीनों की भी गुपचुप तरीके से बिक्री की जा रही है। इसके साथ उक्त उद्योगपतियों द्वारा वहां पर कार्यरत कर्मचारियों व अन्य ठेकेदारों को आज तक उनके द्वारा किये गये कार्य व सामग्री का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिस प्रशासन, विभाग के आला अधिकारियों व शासन को इसकी जानकारी होने के बाद भी उक्त उद्योगपतियों के खिलाफ में इसको लेकर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इन सारे विषय को लेकर वहां पर कार्यरत कर्मचारियों एवं आम नागरिकों में शासन को बिक्री किये जाने एवं लेबरों द्वारा कार्य किये गये राशि का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर शासन व प्रशासन के प्रति भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि जाजगीर-चांपा जिले में मध्य भारत पेपर लिमिटेड ग्राम-पिसौद, बिरगहनी, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित हैं एवं उद्योग विभाग द्वारा उद्योग लगाने हेतु 98.88 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर प्रदान किया गया था। इकाई द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तक का लीज रेन्ट चालान द्वारा जमा किया गया है। उद्योग विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में इकाई के घाटे में चलने की सूचना 22.05.2017, 11.10.2018 एवं 14.05.2019 को दी गई है एवं इकाई का संचालन/उत्पादन कोरोना महामारी के कारण जुलाई 2019 से बंद है। जिसकी सूचना उद्योग विभाग को इकाई द्वारा दिनांक 19.02.2021 को दी गई है। अत: यह कहना सही नहीं है कि अचानक पूर्व सूचना के बिना उद्योग के मालिक द्वारा उद्योग बंद कर दिया गया है एवं उद्योग में लगी सारी मशीनों, उपकरणों एवं पुर्जों को अनाधिकृत रूप से बेचा जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि पुरानी जीर्ण-शीर्ण मशीनों को हटाकर नवीन मशीनों के संस्थापन के संबंध में इकाई द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

कारखाना प्रबंधन द्वारा बिना शासन से वैधानिक अनुमति प्राप्त किये उपक्रम के बंदीकरण किये जाने के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 (ओ.) के अंतर्गत कारखाना प्रबंधक एवं प्रबंध संचालक, मध्य भारत पेपर्स लिमिटेड, बिरगहनी (चांपा) को श्रम विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2021 को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया था एवं दिनांक 22.03.2021 को श्रमायुक्त, छ.ग. शासन, नवा रायपुर को पत्र प्रेषित कर माननीय श्रम न्यायालय में अपराधिक प्रकरण दायकर करने हेतु अनुमति मांगी गई है, जो अप्राप्त है। इसके अतिरिक्त श्रम पदाधिकारी द्वारा प्रबंधन को निर्देशित किया गया था कि औद्योगिक शांति एवं श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल उपक्रम/कारखाना का बन्दीकरण समाप्त कर औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ किया जाए। बंदी के पूर्व इकाई में 148 मजदूर

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

कार्यरत थे, जिनका नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक का मजदूरी भुगतान न करने की शिकायत प्राप्त होने पर श्रम विभाग द्वारा दिनांक 22.04.2020 को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया। प्रबंधन मध्य पेपर मिल लि. बिरगहनी से संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण इकाई के विरूद्ध मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के उल्लंघन पर 10 गुना क्षतिपूर्ति राशि रुपये 10,55,49,059/- (शब्दों में- दस करोड़ पचपन लाख उन्चास हजार उन्सठ रुपये) के प्रदाय हेतु दिनांक 09.10.2020 को माननीय श्रम न्यायालय, जांजगीर-चांपा में दावा प्रकरण दायर किया गया है। मध्य भारत पेपर मिल लि. बिरगहनी (चांपा) एवं छत्तीसगढ़ पेपर मिल श्रमिक संघ (एटक) बिरगहनी चांपा के मध्य समझौता दिनांक 06.01.2022 को कराया गया है कि श्रमिक/कर्मचारियों के वेतन के साथ ही विभिन्न वैधानिक देनदारी जैसे पी.एफ., ग्रेज्यूटी (उपादान), बोनस, ई.एस.आई.सी. आदि मेमर्स मध्यम भारत पेपर्स लि. बिरगहनी कंपनी प्रबंधन द्वारा निर्धारित समयावधि में वैधानिक बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए निरंतर भुगतान करती रहेगी। उक्त समझौता कारखाने में पुन: कार्य उत्पादन प्रारंभ होने तक यह 03 वर्ष तक की अवधि तक रहेगा। दिनांक 06.01.2022 के समझौते के साथ अब तक का बकाया वेतन, बोनस, ओवर टाईम, अर्जित अवकाश की राशि का चेक अदा किया जा रहा है।

लीज में प्रदत्त शासकीय भूमि की बिक्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। श्रमिकों एवं इकाई के मध्य हुए समझौता के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को वेतन/मजदूरी का 50 प्रतिशत नियमित भुगतान होने के कारण शासन व प्रशासन के प्रति कोई रोष व आक्रोष व्याप्त नहीं है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। विगत 3 साल से वह उद्योग बंद है। आपने बताया कि वह जमीन उनको लीज पर दी गयी है, वहां पर जो कार्यरत कमचारी है, वह लोग मजदूर हैं। ठेकेदार के अंडर में काम करने वाले मजदूर है, मिल में काम करने वाले मजदूर है। पिछले 3 साल से वह मिल बंद है और बिना पूर्व सूचना के बंद है क्योंकि हमारे पास मजदूर आये थे और एक बार नहीं कई बार आये थे और 6-8 महीने से उनका कोई भुगतान नहीं हुआ है। उन्हें किसी प्रकार से कोई वेतन नहीं मिला है। जो ठेकेदार के अंदर में काम करते थे, वह ठेकेदार भाग गये। वहां पर जो अधिकारी थे, मिल का मालिका आता नहीं, वह कलकत्ता में बैठा है और इसको ले करके जो आस-पास के जितने गांव वाले हैं, क्योंकि जो मजदूर है वह गांव के लोग हैं, आस-पास के लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो, जो बीमार उद्योग है, क्या उसके लिये सरकार का कोई प्रावधान होगा कि बीमार उद्योग को सरकार क्या सहायता करती है, उसका किस प्रकार से संचालन करती है, उसके लिये कोई नियम होगा, कोई प्रावधान होगा ? दूसरी बात यह है कि उस उद्योग के मालिक की परमीशन से हो रहा है कि अवैध रूप से हो रहा है क्योंकि वहां जितनी मशीनें लगी थी, कबाड़ियों के द्वारा वहां के, जो एक आदमी कलकत्ता से आया है वह उन मशीनों को कबाड़ियों को बेच

रहा है। यह जिला प्रशासन की जानकारी में बेचा जा रहा है, या जिला प्रशासन की भागीदारी है ? यदि जिला प्रशासन की जानकारी में बेचा जा रहा है तो मुझे वह अवगत करा दे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने 3 बार उद्योग बंद करने की जानकारी दी है और मैंने पत्रों का उल्लेख भी किया है। उनको अनुमति नहीं मिली, इसीलिये उनको विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया और जैसा कि मैंने बताया कि जो समझौता कराया गया और उनके ऊपर 10 गुणा चार्ज भी लगाया गया है। दूसरी चीज, जो आप बोल रहे हैं कि जो कबाड़ियों को बेचने की जो बात है, वह हम प्रशासन से पता करवा लेंगे और यदि इस प्रकार की कोई घटना हो रही है तो हम प्रशासन को निर्देशित कर देंगे कि किसी भी प्रकार से सामानों की चोरी न हो, यह इस प्रकार से अवैध तरीके से न बेचा जाये, इस चीज की हम जानकारी दे देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- वह प्रशासन उसमें भागीदारी मत निभाये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चोरी न हो। चोरी तो रोज हो रही है। रात को वहां के कबाड़ियों के द्वारा मशीनों के कलपुर्जों को काट-काट कर ले जाया जा रहा है और इतनी बड़ी फैक्ट्री में प्रतिदिन चोरी हो रही है, आप बोल रहे हैं कि चोरी न हो। वहां प्रतिदिन चोरी हो रही है और आधा से ज्यादा सामान कबाड़ी वाले ले गये हैं और बेचा जा रहा है, जो कि करोड़ों रूपये का है। क्या वहां के थानेदार को, वहां के तहसीलदार को, एस.डी.एम. को, जिला प्रशासन को, उसकी जानकारी नहीं है?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय, क्या यह आपके क्षेत्र का मामला है ?

श्री नारायण चंदेल :- हां।

अध्यक्ष महोदय :- क्या मैं पूछ सकता हूं कि वहां के मशीन को कबाड़ी चोरी कर के ले जा रहे हैं या उसका मालिक जानबूझकर के उसको बेच दिया है ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके जिले का मामला भी है, आपके क्षेत्र का मामला भी है। मुझे जो जानकारी है, मेरे पास जो आस-पास के गांव वाले हैं, जिस गांव में वह फैक्ट्री लगी है। पिसौद है, बिरगहनी है, पिथमपुर है, वहां के गांव वाले आये थे और उन्होंने कहा कि वहां जो मशीनें है, कलपुर्जे हैं, वह प्रतिदिन रात में कबाड़ियों द्वारा ट्रकों में भर-भर कर ले जाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने वही तो पूछा, कि क्या कबाड़ी द्वारा चोरी करके ले जाया जा रहा है, या उसके मालिक द्वारा काटकर ले जाया जा रहा है ? अगर मालिक द्वारा ले जाया जा रहा है तो उसका जी.एस.टी. भी पटाना पड़ेगा, क्या जी.एस.टी. पट रहा है ?

श्री नारायण चंदेल :- जी, मैं उधर ही आ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिजली का बिल है, पानी का बिल है, लीज का भी उनको सालाना पैसा पटाना पड़ता है। अब तक उस पेपर मिल के मालिक के ऊपर में कितनी राशि बकाया है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उद्योग है, वैसे यह उद्योग विभाग में आता है और जो इन्होंने कहा कि कबाड़ियों को बेचा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- जस्ट मिनट। आप उद्योग विभाग के सवाल का जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या आप भार साधक हैं?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में ध्यानाकर्षण का जवाब देने के लिए यह सूचना आयी है, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- अगर यह मूल प्रश्न उद्योग का है तो उद्योग विभाग को जवाब देना चाहिए था।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मूलत: जो दो-तीन चीजें आईं हैं पहला श्रमिकों की बात है एक उद्योग की बात है तो वास्तव में इसमें मेरे विभाग से संबंधित चीजें नहीं हैं तो अब इसमें हम लोग यह एक्जेक्ट आंकड़ा बता पाये कि कितना पैसा बाकी है। जो भी पैसा बाकी है, उसको वसूल किया जायेगा, उसको नोटिस भी दिये गये हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, आप कुछ बतायें आपके पास आंकड़े होंगे, 6 करोड़ बाकी है, 8 करोड़ रूपये बाकी है जी.एस.टी, लीज, पानी, बिजली का बाकी होगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको सभी विभागों से लेकर उपलब्ध करवा दूंगा। जिस-जिस विभाग ..।

श्री नारायण चंदेल :- आपसे प्रश्न करने का आशय यह है..।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें ऑलरेडी उत्तर..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। आपके सरकार के मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेदारी है और संयुक्त जिममेदारी होने के कारण, अगर कोई भी एक मंत्री जवाब देता है तो उनके पास सभी विभागों से जानकारी उपलब्ध होना चाहिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, आपके पास में सभी विभागों की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी कि यह जमीन राजस्व की है, राजस्व ने जमीन पट्टे पर दिया।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं । उद्योग विभाग ने जमीन..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, या खरीदा गया या उद्योग विभाग ने दी। इस जमीन की कीमत कितनी है ? वहां से उनसे टैक्स, पैसा कितना बाकी है ? उनसे कितने पैसे वसूले जाने हैं ? क्या इसको शासन, किसी कंपनी ने या किसी बैंक ने अधिग्रहित कर लिया है अगर अधिग्रहित नहीं किया है तो वह बेच कैसे रहे हैं ? जो मजदूरों के पैसे हैं, वह कैसे चुकाये जाएंगे ? राज्य शासन के माध्यम से यह सब व्यवस्था नियंत्रित की जाती है, इस पर राज्य शासन को निर्णय करना चाहिए कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शासन मजदूरों के पैसे देने के लिए क्या व्यवस्था करेगा ?वहां की जो संपत्ति है, उसको बचाने के लिए क्या व्यवस्था करेगा ? गरीबों की जमीन अधिग्रहण करके, उसको एलॉट की गई थी उनको जमीन वापसी के लिए क्या काम करेगा ? इसके बारे में शासन की जो नीति है और दिशानिर्देश है, वह सदन के पटल पर आना चाहिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण को आप सोमवार के लिए स्थगित कर दीजिए। इसको सोमवार को ले लिया जाये, जिसको भी आप निर्देशित करें, उनके द्वारा। क्योंकि आपने हस्तक्षेप किया है इसलिए इसका उत्तर आना और जरूरी हो गया है। आसंदी बहुत कम मामलों में हस्तक्षेप करती है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो जानना चाह रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आसंदी ने हस्तक्षेप किया है और उत्तर नहीं आ रहा है, यह दूसरे विभाग का बताया जा रहा है तो इसको सोमवार के लिए शिफ्ट कर दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरे विभाग का है, यह नहीं बोला है। मैंने कहा कि इनका जो प्रश्न है ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि यह उद्योग विभाग का है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैं बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ। मैंने बताया कि इसमें उद्योग श्रमिकों की बात, उद्योग से जमीन का संबंधित है फिर आदिवासियों की जमीन भी लिखा हुआ है फिर सामानों को कबाड़ियों का लिखा हुआ है, इसमें अलग-अलग चीजें लिखी हुईं हैं इसलिए मैंने कहा कि इसमें कई विभागों का समावेश है, मैं यह जानकारी दे रहा हूँ। मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। मैंने जवाब देने के लिए मना नहीं किया है। मैंने आपको इसके साथ-साथ बताया कि इसमें श्रम विभाग ने बकायदा मध्यस्थता करके, एटक और आपके प्रबंधन के बीच में समझौता भी कराया है, उसमें 10 गुना सरचार्ज भी लगाया है, पेनाल्टी भी लगाया है तो ऐसी कार्यवाही हुई है।

श्री नारायण चंदेल :- आप राजस्व मंत्री हैं। आबादी जमीन को भी, सरकार के कुछ जमीन लीज पर है बाकी जमीन आबादी जमीन है पी.आई.एल. रोड में उनका जो गेस्ट हाऊस है, उसको भी बेचा जा रहा है उसकी भी सौदेबाजी की जा रही है और आप राजस्व मंत्री हैं कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या यह नियम, प्रावधान में है कि आबादी जमीन को कोई बेच सकता है ? क्या लीज की जमीन का कोई सौदा कर सकता है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए जमीन को कोई गलत तरीके से बेच रहा है तो हम उसको अलग से दिखवा लेंगे। हम कलेक्टर को निर्देशित कर देंगे कि उसको दिखवा लें। उस जमीन को गलत तरीके से नहीं बेचा जाएगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेंगे। यह तो सामान्य भाषा है। सदन की भाषा है। इतना गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- वह जांच करा लेंगे, ऐसा बोल दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच नहीं। सदन से कलेक्टर को निर्देश जाना चाहिए कि इस पूरी प्रापर्टी, उसका लोन, उसका टैक्स मजदूरों का पैसा, इसको सबको देखते हुए और पूरी जानकारी इकट्ठी करके, जब तक सबका निराकरण नहीं होता है वहां से कोई सामान बेचा नहीं जाये, कोई जमीन बेची नहीं जाये, मशीनों की चोरी न हो और सबका जो हित है वह जब तक साल्व नहीं होता है तब तक उसमें किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि संचालित न हो। इस प्रकार के निर्देश मंत्री जी, इस सदन में कलेक्टर को जारी करें जिससे कि वह पूरी रिपोर्ट मंत्री जी के पास आए और उसके बाद शासन का जो भी निर्देश जारी होना है, तब तक सभी गतिविधियों पर, बेचने की गतिविधियों पर, मशीनों को बेचने की गतिविधियों पर, चोरी पर, सबके ऊपर में रोक लगे। ऐसे निर्देश माननीय मंत्री जी की तरफ से जारी होना चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन द्वारा जब तक कड़ाई से निर्देश जारी नहीं होगा, कबाड़ी अपनी चोरी को रोकेंगे नहीं। इसलिए लगातार उनका सौदा हो रहा है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि वर्तमान में इस पूरी प्रक्रिया में जो भी लिप्त हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जिला प्रशासन को जानकारी नहीं है, वहां के तहसीलदार एस.डी.एम. को जानकारी नहीं है, इस प्रक्रिया में जो भी लिप्त हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि सदन की कमेटी से इसकी जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। इसमें बहुत से लोग लपेटे में आएंगे। मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो चिंता जाहिर की...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। माननीय नारायण चंदेल जी ने प्रश्न किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभी लोग एक बार बोल ले, फिर जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आएगा। मैं सभी प्रश्न ले लेता हूं। देखिए, आप बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, सीनियर आदमी हैं, उसका जवाब तो वे देंगे ही। आप चिंता मत करिए। मैं बाकी लोगों का सुन रहा हूं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 विभागों का प्रकरण है, श्रम विभाग, राजस्व विभाग और उद्योग विभाग। अगर कबाड़ी की चोरी हो रही है तो गृह विभाग का भी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- गृहमंत्री जी भी हैं।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी भी हैं, चारों मंत्री हैं। संयुक्त जिम्मेदारी है। आप सदन की कमेटी से जांच का आदेश कर दें। क्योंकि मैं यह स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि जो उद्योगपति

कलकत्ता में बैठे हैं, उसके दिशा निर्देश से यह भ्रामक जानकारी दी जा रही है कि पुरानी मशीनों को स्थापना करने के लिए नई मशीनों को लगाया जा रहा है। जो उद्योगपति कलकत्ता में बैठे हैं, उनके एक कागज की अनुमति से कबाड़ी लोहा ले जाकर बाहर निकाल रहा है। क्या इस पर रोक लगेगी? यह चारों मंत्री का संयुक्त मामला है, एक। नंबर दो, प्रश्न के जवाब में आया है कि श्रम न्यायालय से अनापत्ति, एक तरफ वे बोल रहे हैं कि हम पुनर्स्थापना कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्रम न्यायालय में लेबरों का केस कोर्ट जा रहा है। प्लांट को बंद करके, लोगों के रोजगार पर लात मारकर और उद्योगपति को अनुग्रहित करने का कार्य हो रहा है तो श्रम विभाग की अनापत्ति कब तक आएगी, नंबर दो ? नंबर तीन, माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है, जब तक इस प्रकरण की सदन की कमेटी से जांच नहीं हो जाती, वहां पर किसी भी जमीन की खरीदी, बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। जो भी संपत्ति उनके परिसीमन में आती है, पूरे जांजगीर चापा जिले में जहां पर भी इनके मध्य भारत पेपर में इनकी संपत्ति है, उस पर रोक लगाई जाए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी उद्योग से संबंधित नियम कानून हैं, उसके तहत् कार्रवाई की जाएगी और इसमें श्रमिकों का अहित न हो, इस दिशा में भी काम किया जाएगा और नियमों का पालन किया जाएगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे करोड़ों की कलपुर्जे तो बेच चुके हैं, कबाड़ी ले गये हैं तो उस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उस कबाड़ी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जिसके दिशा निर्देश पर और जिसके संरक्षण में यह हो रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सरकार के संरक्षण में हो रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनका पैसा नहीं मिला है, वे लोग बार-बार NCLT Court जा रहे हैं और NCLT Court से बार-बार तारीख ली जा रही है और तब तक माल निकलता जा रहा है, जमीन का सौदा होता जा रहा है। NCLT Court में जिनके पैसे की उधारी है, वे बार-बार NCLT Court में आवेदन लगाते जा रहे हैं कि साहब इसको NCLT Court में करके रोका जाए। एक तरफ कोर्ट में NCLT Court के जो उद्योगपति हैं वे NCLT Court की तारीखों को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ लोहा निकालकर बेच रहे हैं, जमीन का सौदा कर रहे हैं, जब सारा माल ही बिक जाएगा और उसके बाद NCLT Court और सरकार कार्रवाई करेगी तो क्या मतलब है ? मेरा आपसे आग्रह है, चार विभागों का मामला है, एक संयुक्त कमेटी बैठाई जाए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त कमेटी भी बैठाई जाए और हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। आप एक बार सदन की कमेटी से घोषणा करेंगे तो बाहरी उद्योगों में भी पूरे प्रदेश के उद्योग जिस तरीके से कर रहे हैं, जो इस प्रकार से सभी उद्योगों में चल रहा है, वह भी बंद होगा और सदन की कमेटी बनाएंगे तो पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा। यह

हमारा आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा आप बताईए। श्री बृजमोहन जी कह रहे हैं, उस बारे में क्या कहना है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया न, बृजमोहन जी ने कहा, चंद्राकर जी ने कहा, चंदेल जी ने कहा, सभी की संयुक्त बातें आई है। मैंने बताया कि इसमें नियमानुसार किया जाएगा और नियमों का पालन कराया जाएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक लाईन का आदेश आप कलेक्टर को और एसपी को निर्देश करिये कि जब तक इस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक यथास्थिति बनाकर रखी जाये । कोई सामान बिक्री नहीं हो, कोई चोरी नहीं हो । श्रमिकों के हित को और वहां के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये इस बात की व्यवस्था के लिये आप निर्देश जारी करें । इसमें आपको क्या बड़ी दिक्कत है ? कलेक्टर, एसपी को निर्देश जारी करें ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिक्कत की बात नहीं है । मैंने बताया कि नियमों के अनुसार किया जायेगा । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह मजदूरों का मामला है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट पहले उनको समझने दीजिए । (व्यवधान)

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सुनिए न । एक मिनट सुन लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नियम की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि वहां श्रमिकों के हित में मीटिंग हुई, श्रम विभाग ने मीटिंग करायी । उसमें एटक भी शामिल था, उसमें बकायदा उनको नोटिस दिया गया, बुलाया गया, समझौता हुआ, उसमें 50 तन्ख्वाह की बात हुई है, कुछ दिया जा रहा है और तीन वर्ष तक दिया जायेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जयसिंह जी, तीन साल बाद वह उद्योगपति भाग जायेगा । कल भाग जायेगा, वह कहां से तीन साल देगा ? फिर आप डंडा लेकर उसके पीछे घूमते रहो । आप कलेक्टर और एसपी को यह निर्देश करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप तो दमदार मंत्री हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब तक सभी हितग्राहियों के हित की पूर्ती नहीं हो जाती है तब तक कलेक्टर और एसपी इस बात को तय करें, इस बात निर्णय करें कि वहां कोई संपत्ति की चोरी नहीं हो, उसकी बिक्री नहीं हो । सभी के हितों को जब तक संरक्षित नहीं हो जाये इस बात का निर्देश जारी कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दें । इसमें कोई कानून की बात नहीं है, कोई नियम की बात नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप तो दे सकते हैं । आप कलेक्टर को, एसपी को..(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- 5-6 सालों से तो यहां उद्योगपति ही नहीं आये हैं । वह भगेगा क्या, वह तो वहीं है । (व्यवधान)

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर जिला कलेक्टर, एसपी दोनों को हम जानकारी दे देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- निर्देश दे देंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- निर्देश, सख्त निर्देश ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- चलिये, निर्देश दे देंगे कि किसी प्रकार की कोई चोरी न हो और नियमों का पालन करते हुए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, बिक्री नहीं हो ।

श्री सौरभ सिंह :- यथावत स्थिति । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- बिक्री भी हो रही है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जांच करवाईये । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी बना दीजिये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जयसिंह जी, देखिये मुझे मालूम है कि जांच के निर्देश की बात करेंगे या संसदीय समिति की बात करेंगे तो यह कठिन काम है, यह तो इतना छोटा काम है कि कलेक्टर, एसपी को निर्देशित करना जब तक सभी हितग्राहियों के हितों का संवर्धन नहीं हो जाये तब तक कोई बिक्री नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी, वहां कोई कबाड़ी नहीं ले जायेगा और उस स्थान को सुरक्षित रखा जाये यह छोटा सा निर्देश है । यथास्थिति हो । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यथास्थिति लिखा दिया जाये । एसडीएम को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाये । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यथास्थिति के लिये सरकार किसी अधिकारी को रिसीवर नियुक्त करे न । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सबको धारा-145 में थाने में जब्ती करवा दीजिये और जब तक...।

श्री जय सिंह :- चौकीदार का पैसा कौन देगा ?

श्री अजय चंद्राकर :- वह आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको जब्त करवाईये और जब तक के वहां के लेबर लोगों की प्रॉब्लम साल्व नहीं होगी, उनका देना बाकी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक के उसको प्रशासन अपने कब्जे में रखे । वहां से कबाड़ी को बेचेगा फिर जमीन बेच देगा और फिर आप कलकत्ता में उस उद्योगपति के घर का पता भी नहीं लगा पायेंगे इसलिये हमारे लेबर के पेमेंट के एवज में यह सब चीज सुरक्षित पड़ा रहे, आप यह सुनिश्चित करने के लिये कलेक्टर, एसपी और थानेदार को बोलकर उसको रोक लगवाईये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत हो गया । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- चोरी तो हो ही रही है, आपकी पुलिस कुछ कर नहीं रही है,

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको निर्देश दे दीजिये । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- जमीन बेच रहा है तो क्या मतलब है ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूं । यथास्थिति बनाये रखने के लिये कलेक्टर और पुलिस अधिकारी को आप यहां से निर्देशित कर दीजिये । आप सदन की ओर घोषणा कर दीजिये ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं तो फिर उसका निर्णय कैसे होगा ? मान लीजिये कि यथास्थिति बना दें फिर आखिर उनका निर्णय तो करना पड़ेगा न । मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन की बात कर रहे हैं तो आखिर निर्णय कैसे होगा ? निर्णय करने के लिये नियम-कानून का ही पालन करना होगा । अगर आज हम बोल देंगे कि उस पर रोक लगा दिये तो वह पड़ा रहेगा और वह जर्जर हो जायेगा, खराब हो जायेगा ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, पहले तो चोरी रूके न । जो कबाड़ी चोरी कर रहे हैं, कलपुर्जों को काटकर ले जा रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यथास्थिति संपत्ति की बनाये रखना है । यथास्थिति स्थायी संपत्ति की, अस्थायी संपत्ति की बनाये रखना है । बाकी जिनके-जिनके हित हैं उसको वह पूरा करते जाये और जिस दिन वह पूरे हो जायेंगे उस दिन वह बेच सकेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये । उसने 3 बार सूचना दी है । उसने उद्योग बंद करने की बार-बार सूचना दी है । अनुमति नहीं मिली, अनुमति नहीं मिलने के कारण उसके ऊपर बकायदा फाईन भी लगाया गया, 10 गुना पैनाल्टी लगायी गयी । श्रमिकों का नुकसान न हो, उसके लिए भी श्रम विभाग ने मीटिंग करके तय किया है। मेरा बोलना है कि सिर्फ रोक लगाने से तो होगा नहीं या तो फिर उसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाये या उसमें सोमवार को चर्चा कर लीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक बार उसमें विभागों से चर्चा कर लूंगा। उसमें या तो सोमवार को इस पर फाइनल चर्चा कर लें या फिर कोई कमेटी बनाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, चर्चा हो चुकी है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इस प्रकार से जवाब दे रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माने सरकार का इस प्रकार से जवाब आये कि असहाय टाइप का कि क्या करें, कैसे करे।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनिए। आप सभी विभागों से जानकारी ले लीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- कि किसका कितना बकाया, किसका कितना बकाया, किसका कितना बकाया और किस तरह से उनके पैसे वापस दिये जा सकते हैं ? इसके होते तक किसी प्रकार की संपत्ति का सौदा न हो। आप मुझे सोमवार नहीं, मंगलवार को लिखित में उत्तर दे दीजिए। मैं उसके बाद निर्णय करूंगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- चलिए, ठीक है। जब तक आपका पूरा जवाब ले लेते हैं..।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बोल रहे हैं कि इसमें पूरी जांच करा लें।

अध्यक्ष महोदय :- जांच कराने में टाइम लगेगा। मैं तो सोमवार को मांग रहा हूं।

श्री नारायण चंदेल :- ठीक है, आप सोमवार को मांग लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देश अच्छे हैं। मंत्री जी, एक छोटी सी जानकारी है कि जब किसी संपत्ति में विवाद होता है तो धारा 145 के अंतर्गत एस.डी.एम. उसे अपने कब्जे में ले लेता है, परंतु उसके दायित्व का निर्वहन उसका मालिक होता है, वह करता है। बिजली बिल भी वही पटायेगा। पानी का बिल भी वही पटायेगा। चौकीदार का पैसा भी वही देगा। सरकार नहीं देगी, परंतु धारा 145 के अंतर्गत किसी भी संपत्ति को जो विवादास्पद है, उस संपत्ति को एस.डी.एम. अपने कब्जे में ले लेता है और बाद में उसका निराकरण होता है। बहुत छोटा सा मामला राजस्व में होता है। आप सभी संपत्तियों में देखते होंगे। बहुत सामान्य बात है और जो माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिये हैं, उसका पालन करते हुए इस दिशा में काम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि उसका निराकरण हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बता दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप ही बता दीजिए। आपका भी जिला है। आपका पुराना विधान सभा क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा जिला है, इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे माननीय आसंदी का निर्देश आ चुका है कि परसों पूरी जानकारी दे दी जायेगी और उसके बाद भी धारा 145 की या जो भी आप कार्यवाही चाहते हैं तो वह सोमवार के बाद भी हो सकता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- करेक्ट।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हम सोमवार तक जानकारी ले लेते हैं।

समय :
1:12 बजे

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी की ओर से की जा रही है। माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारगणों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें। दलेश्वर साहू जी।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव एवं खैरागढ़ संभाव द्वारा श्रम विभाग के निर्देशों का पालन नहीं होना।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

श्रम कल्याण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समस्त नियोजन अधिभोगी सार्वजनिक उपकरण आदि विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों/श्रमिक आवश्यक सुविधायें प्रदान करने संदर्भित सचिव सह श्रमायुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षक छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग पत्र क्र./2020/श्र.अ./2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21/09/2020 के परिपालन में विभागीय पत्र क्र. संचा/2020/152-166, दिनांक 19/03/2020 एवं क्र. 32-33/2020/श्रम दिनांक 19/03/2020 में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक स्थाई-अस्थाई स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन-भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु क्रमांक 1 से लेकर 5 तक निम्नानुसार निर्देश जारी में क्रमांक 5 वर्तमान असाधारण परिस्थिति में विभाग (संस्थान) में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त/छटनी/सर्विस ब्रेक न किया जाये और न ही किसी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई कटौती किया जाये, परन्तु लोक निर्माण राजनांदगांव एवं खैरागढ़ संभाग में वर्षों से काम करते आ रहे कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक को बैठा दिया गया है तथा उनको मिलने वाले वेतन में कटौती भी किया जा रहा है। संबंधित कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों से फरियाद करने के बावजूद भी उक्त नियम का पालन नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किया जा रहा है, जिससे उक्त कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मरने की स्थिति पैदा हो गई है। जिससे कर्मचारियों में भारी रोष-आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के पत्र क्रमांक 2021, दिनांक 31.03.2020 के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देश में कोविड-19 के कारण असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य में कार्यरत स्थायी अथवा अस्थायी अथवा ठेका श्रमिक आदि के स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में सहुलियत के हिसाब से कार्य लिये जाने अथवा उनके निवास से ही कार्य करने हेतु व्यवस्था किये जाने तथा इस बीमारी से पीड़ित हो तो स्वास्थ्य लाभ हेतु आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने तथा यदि श्रमिक आदि के परिवार के सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हों तो परिवार के सदस्य के साथ उपचार हेतु कर्मकार को आवश्यक सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने तथा असाधारण परिस्थिति में संस्थान में कार्यरत कर्मचारी/श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त/ छटनी/सर्विस ब्रेक न किये जाने के साथ न ही किसी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक के वेतन अथवा देय भत्तों में कोई कटौती किये जाने के निर्देश हैं ।

छत्तीसगढ़ शासन के इस निर्देश के परिपालन में कोविड-19 के दौरान इन श्रमिकों की किसी प्रकार की कोई छटनी नहीं की गई है। लोक निर्माण विभाग संभाग राजनांदगांव अंतर्गत कार्यरत श्रमिक जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है रामरतन सिन्हा, बाबूलाल, भोजलाल एवं टाकेश्वर अस्थायी श्रमिक आवश्यकतानुसार अभी भी अस्थायी मस्टर रोल पर कार्यरत हैं । विकास तिरपुड़े निवासी कुमरदा, कोमल नारायण निवासी जोगीमार, भुवन साहू निवासी राजनांदगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में अस्थायी मस्टर रोल पर रखे गये थे । वर्तमान में मेडिकल कॉलेज का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य में इन मजदूरों की आवश्यकता नहीं होने पर मेडिकल कॉलेज साईट से बंद करा दिया गया है ।

विभाग में आकस्मिक कार्य हेतु अस्थायी श्रमिक मस्टर रोल पर रखे जाते हैं। इसी अनुरूप ही इन 3 श्रमिकों को अस्थायी रूप से कार्य पर रखे गये थे तथा मेडिकल कॉलेज का कार्य पूर्ण होने के पश्चात बंद करा दिया गया है । चूंकि ये श्रमिक अस्थायी रूप से मस्टर रोल पर कार्यरत थे तथा वर्तमान में कार्य की आवश्यकता नहीं होने पर सामान्य परिस्थिति में कार्य से बंद करा दिया गया है ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद् ज्ञापित करूंगा । मेरे ध्यानाकर्षण के साथ ही मेरा आग्रह भी हुआ और उन 7 लोगों में से 4 लोगों की किस्मत जाग गई यानी उनका भविष्य अंधकार में था, वह ठीक हो गया । इसलिए भी धन्यवाद् ज्ञापित करूंगा कि जैसे ही ध्यानाकर्षण लगा तो उनको बुलाया गया और विधिवत् उस नौकरी में रख लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद् ।

श्री दलेश्वर साहू :- ध्यानाकर्षण की एक मर्यादा है, मैंने उदाहरण के तौर पर राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग का उल्लेख किया था, खैरागढ़ का उल्लेख नहीं किया था । लेकिन उनमें से 2 मजदूर आज भी बचे हुए हैं, पहला पुरूषोत्तम पटेल भेखलाल और देवाराम उर्बी । क्या उनको भी वापस ले लिया जाएगा या समय-समय पर उनको काम पर रखेंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है उसमें राजनांदगांव, खैरागढ़ दोनों संभाग का उल्लेख किया है, इसलिए मैंने दोनों का उत्तर दिया । दूसरा, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि 4 को वापस बुला लिया गया । ऐसा नहीं है, उनको हटाया ही नहीं गया है । अध्यक्ष जी, जुलाई 2016 से वे चारों कार्यरत् हैं । उनका वेतन बराबर भुगतान किया गया है, कहीं कोई कटौती नहीं की गई है । मात्र 3 श्रमिक हैं जिनको राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में निगरानी के लिए रखा गया था, चूंकि मेडिकल कॉलेज हैंडओवर हो गया है इसलिए उन तीनों को हटाया गया है, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैंने उदाहरण के रूप में राजनांदगांव संभाग के मजदूरों का नाम लिया था और खैरागढ़ संभाग को भी जोड़ा था, आपने इतनी कृपा दृष्टि कर दी है तो लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि कर दे या मंत्री जी बोलने में अगर संकोच कर रहे होंगे तो अध्यक्ष महोदय, आप निर्देशित कर दें। दो लोगों का और भला हो जायेगा। मैं इतना ही चाहता हूं। आज मेरे द्वारा उनको लगाने से उनके जीवन-यापन में यदि सुधार हो जाता है तो इससे बढ़कर पुण्य का काम और क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय जी, आप निर्देशित कर दीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, जिन तीन लोगों को हटाया गया है, वह नाम आप बता रहे हैं क्या?

श्री दलेश्वर साहू :- मैं बता रहा हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- कौन से नाम, बताईये।

अध्यक्ष महोदय :- वे आपके कक्ष में जा कर आपको तीनों के नाम बता देंगे। आप उन तीनों को daily wages के काम में लगा दीजियेगा।

श्री दलेश्वर साहू :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :
1.22 बजे

नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

1. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
2. श्री धरम लाल कौशिक
3. श्री संतराम नेताम
4. श्री सौरभ सिंह
5. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

सदन की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

समय :
1.24 बजे

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय :- अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर चर्चा प्रारंभ होगी। श्री धनेन्द्र साहू जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है। मेरे और माननीय चंदेल जी के बीच का कांच निकलवा दीजिये। इतनी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। यह कांच बीच वाला निकलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- कहां-कहां का कांच निकालना है, बता दीजिए। मैंने कहा कहां-कहां का कांच निकलना है, बता दीजिए।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- भैया, कांच लगा है तो आप दोनों नियंत्रित हो। आप दोनों आपस में बात करके बोलोगे न तो कल आप दोनों ने किन-किन शब्दों का इस्तेमाल किये हो। अगर चंदेल जी का सलाह कहीं आपको मिल गया न तो आप जो बोलोगो वह हम सुन नहीं पायेंगे ऐसा शब्द।

श्री गुलाम कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त वर्ष 2022-23 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यदि आप बीच का कांच निकलवा देंगे तो मुझे लगता है कि और अच्छी तरीके से सदन में ज्वलंतता बनी रहेगी।

श्री अजय चंद्राकर :- जोरदार गपशप हो गया।

श्री नारायण चंदेल :- इसके बारे में भी कमेटी बना दी जाये, उसका रिपोर्ट आ जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन का नहीं निकलता तो मेरे और भांजे के बीच का निकला दीजिए। वो मिश्री भैया का भी निकलवा दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- तुम लोग तो कांच में छेद भी कर डाले हो, आप लोग बात कैसे करते हो।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- क्यों?

श्री अरूण वोरा :- कि तीन दिन हो गये हैं। हमारे अजय चंद्राकर जी लगातार इतने उत्तेजित, इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- कोई उत्तेजना की दवाई आती है? कोई खाते होंगे उसको?

श्री शैलेष पाण्डेय :- इसका प्रभाव वोरा जी को पड़ जाता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरूण वोरा जी दु:खी इस बात से हैं कि वे उत्तेजना से ज्यादा उत्तेजित होते हैं और उनमें उत्तेजना आती ही नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- यह तो साईंस का नियम है कि एक उत्तेजक होता है तो दूसरा तेजी से उत्तेजित होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- न उनमें उत्तेजना आती ही नहीं है। आप उसकी व्यवस्था करवाईये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, अरूण वोरा जी ने पूरे सदन में स्वीकार किया कि मैं उत्तेजित होता हूं। तो बृजमोहन जी ने कृषि मंत्री जी को कहा कि आप इसकी जांच कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय मंत्री जी, अजय चंद्राकर जी ज्यादा उत्तेजित होते हैं और अरूण वोरा में उत्तेजना आती ही नहीं है तो उसकी व्यवस्था तो करिए आप।

श्री अरूण वोरा :- आप कैसे जान गऐ कि उनमें उत्तेजना नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- आप थोड़ा अजय जी से उधर उधार ले ले।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, गुलाब कमरो जी।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी तरु से कुछ व्यवस्था आ जाये। आप भी विशेषज्ञ हैं। (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- बृजमोहन जी आपने मेरे बारे में क्या बोला। मैंने सुना नहीं। मैं जवाब देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अच्छी बात नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, उनको जानकारी नहीं है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, अच्छी बात नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आजकल उनकी उम्र खेदकूद करने की बंद हो गई। तो कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि मंत्री जी उन्हीं के जिले के हैं कि अरूण वोरा जी के लिए खेलकूद की व्यवस्था हो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। छत्तीसगढ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' के परिकल्पना पर आधारित प्रदेश की जनता के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सम्मान से परिपूर्ण है। यह बजट किसान, कर्मचारी, युवा, महिलाओं, मजदूरों एवं छात्राओं के हित में है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए इस बार की तुलना में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी बम्फर हुई है। जिस तरह से बापू जी की राह में छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बढे। इस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू किया है। अगर हम किसानों का धान खरीदेंगे तो उससे इंकम होगा। गौठानों में अगर हम गोबर खरीदेंगे तो हमारा इंकम होगा। गांव के गौठानों में महिला समूह अगर वहां पर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करेंगे, तो उससे इंकम होगा। हमारे ग्रामीण आदिवासी भाई तेंदूपत्ता तोड़ेंगे, तो उस पारिश्रमिक से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। इस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। साथ ही युवाओं को बढ़ाने के लिए 'राजीव युवा मितना' क्लब का गठन किया गया है जिसमें प्रदेश के 13 हजार से अधिक युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए, पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को बढ़ाने के लिए प्रदेश के 27 जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाया है। प्रदेश के 146 विकासखण्डों के जनपद अध्यक्षों का, उपाध्यक्षों का, माननीय सदस्यों का, इसके अलावा प्रदेश के 11 हजार से अधिक हमारे पंच, सरपंच भाई हैं, उनका मानदेय बढ़ाया है। उनका वित्तीय अधिकार भी बढ़ाया है। हमारी प्रदेश की सरकार यह काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कल विपक्ष के हमारे आदरणीय साथी कह रहे थे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्व के अधिकारियों का रेड बना हुआ है। मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण मे बताना चाहता हूं कि भूपेश सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार किस दिशा में काम कर रही है। राजस्व के मामले में आपके बताना चाहूंगा। महोदय, भरतपुर विधानसभा नंबर-1 से शुरू होता है जो मध्यप्रदेश के सीमा से लगा हुआ है। मैं राजस्व का बताना चाहूंगा । जो हमारे कल सम्माननीय विपक्ष के साथी कह रहे थे कि राजस्व के अधिकारियों का रेड बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा और हमारे पास प्रमाण है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर बात है कि जब बजट की सामान्य चर्चा हो रही है। आप जरा देख लें।

अध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्यमंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, सामान्य चर्चा इसमें सभी विभागों की चर्चा होती है और सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात तो यह है कि जो अधिकारी दीर्घा है अधिकारी दीर्घा में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित नहीं हैं। क्या अधिकारियों पर से सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है ? यहां पर सदस्य किसलिए बोलते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बैठे रहो भाई, खड़े मत हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदस्य किस काम के लिए बोलते हैं ? क्या सदन की कार्यवाही स्थगित करे ? आप यह निर्देशित करे कि सामान्य बजट की चर्चा में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें। सभी मंत्री उपस्थित रहें।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- सभी मंत्री उपस्थित हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि आपके नेतृत्व में इस सदन का...।

श्री संतराम नेताम :- देखिये साहब आ गये, सिंग साहब आ गये और पूरे अधिकारी भी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलिये मुख्यमंत्री जी आ गये, उनको धन्यवाद। परंतु जो अधिकारी दीर्घा है, अगर सामान्य बजट की चर्चा में भी विभागों के अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे तो माननीय सदस्यों की भावनाएं क्या हैं ? उनका सुझाव क्या है ? उसके बारे में निर्णय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चाहिए ? क्या अधिकारी सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं ? अधिकारी उपस्थित क्यों नहीं रहते हैं ? यह दुर्भाग्यजनक है। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी सदन की परंपरा रही है, इस सदन की परंपरा रही है।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आदरणीय, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। इतने लोग उपस्थित हैं आप तो देख रहे हो। चीफ सेक्रेटरी हर समय उपस्थित रहे, यह संभव है क्या ? आप बताइये। उनको और भी काम है। आपकी बातों का नोट कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं कि सदन की सामान्य परंपरा रही है कि जब विभागों की चर्चा होती है तो विभाग के सचिव और प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बैठे हैं न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- परंतु सामान्य बजट की चर्चा में क्योंकि राज्यपाल जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों के बारे में बात कही जाती है और यह सामान्य बजट की चर्चा है। सामान्य बजट की चर्चा में तो सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं जिससे माननीय सदस्य जिन विषयों को कहते हैं उसके बारे में वह नोट कर के कुछ न कुछ कार्रवाई होती है और इसलिए सदन में सदस्य बोलते हैं। क्योंकि अब तो आप सामान्य बजट की चर्चा जल्दी समाप्त करेंगे तो आप सदस्यों को बोलेंगे कि अपने क्षेत्र की बात कहें। जल्दी समाप्त करें। उनके क्षेत्र की बात को कोई सुनने वाला होगा, कोई उसको नोट करेगा, तब तो उसमें कुछ कार्रवाई होगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अरे भैय्या सुन रहे हैं। निज सचिव खुद बैठी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय प्लीज। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, मैं आपको बैठे-बैठे बोलने की अनुमति देता हूं। आप बैठे-बैठे कुछ बात कह दीजिए और संबंधित मंत्रियों के अलावा आपके अधिकारियों को भी निर्देशित कर दीजिए।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप बैठ के बात करिये। आप खड़े मत होइये। चलिये।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल विपक्ष के साथी जैसे कह रहे थे कि राजस्व में अधिकारी का रेट इतना है। मैं आपको बता रहा हूं भरतपुर विधानसभा से जो शुरूआत हो रही है। किसानों के जीवन और उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव आया, उस दिशा में माननीय भूपेश बघेल जी ने काम किया । जिस तरह से गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, उसी दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, धरातल में काम हो रहा है । पिछले 15 साल की सरकार सिर्फ कागजों में काम करती थी । विपक्ष के साथी जब सरकार में थे तो गाय, बैल बांट दिए, टार्च ले लो, छाता ले लो, रेडियो ले लो, पर गांव में काम की बात मत करना, यह कहते थे, लेकिन हमारी भूपेश सरकार गांव में काम कर रही है । गांव में रहने वालों को एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. का जाति प्रमाण-पत्र चाहिए, वनाधिकार का पट्टा चाहिए, सामाजिक दावा में पट्टा चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में कैम्प लगाकर 30 हजार एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. का जाति प्रमाण-पत्र बनाया गया । न हमने फार्म का पैसा लिया, न हमने फोटो कॉपी का पैसा लिया, न एक भी गांव के लोगों को हमने एस.डी.एम. के पास भेजा, न हमने तहसीलदार के पास भेजा, न किसी अधिकारी के पास भेजा । हमने गांव वालों से पूछा कि पिछली सरकार के समय में जाति प्रमाण-पत्र बनवाने में कितना खर्च लगता था तो बोले कि पहले हमें पटवारी घूमाता था, फिर आर.आई. घूमाता था, फिर एस.डी.एम. घूमाता था, लेकिन हमारी सरकार के समय में जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आम जनता का एक रूपए भी खर्च नहीं हुआ । पिछली सरकार के समय 30 हजार लोगों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने का आंकलन करें तो 19 करोड़ रूपए खर्च होते । यह भूपेश सरकार और कांग्रेस की सरकार है । इसके लिए हमारी सरकार धरातल में काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल विपक्ष के साथी डी.एम.एफ. की बात कर रहे थे कि इस राशि का उपयोग बड़े-बड़े उद्योगों के लिए हो रहा है । मैं कोरिया जिले की बात बताना चाहूंगा कि डी.एम.एफ. का पैसा वहां के रहने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए हो रहा है । मुझे बहुत दुःख होता है कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 1 से शुरू होता है । अध्यक्ष महोदय, आपकी भी कृपा मुझ पर बनी रहती है। मुझे बड़ा दुख होता है कि अस्पताल में एक भी शव वाहन नहीं था, आजादी के बाद से वहां पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होता था, लेकिन भूपेश सरकार के समय में सीजर के 10 ऑपरेशन हो चुके हैं, यह है भूपेश सरकार । इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य से वहां बिजली नहीं जाती थी, वहां मध्यप्रदेश से बिजली आती थी, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ राज्य से वहां बिजली जा रही है। यह हमारी सरकार ने काम किया है । इसके साथ ही मैं डी.एम.एफ. की बात बता रहा था । आज वहां के अस्पतालों में सोनोग्राफी, सिटी स्केन की व्यवस्था हो गई है। पहले डी.एम.एफ. में इनके साथी, इनके प्रतिनिधि होते थे । मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे घाट कटिंग करते थे । विपक्ष के समय में मैं चिल्ला-चिल्ला के थक गया कि घाट कटिंग कहां हुआ ? मेरा एरिया वनांचल क्षेत्र है, मुझे मोटर साईकिल से देखने जाना पड़ा कि घाट कटिंग कहां हुआ, पर आजतक मुझे घाट कटिंग नहीं मिला । यह इनकी सरकार में होता था । लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आये, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है । इसलिए किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमने धान खरीदी की शुरूआत की । जिसके पास एक इंच भी जमीन नहीं है, उसके लिए हमारी सरकार ने राजीव भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लाये हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए 7 हजार रूपए का करने का काम किया है, इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही राजस्व विभाग में लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रदेश में 71 तहसील बने हैं, जिसमें आपके संरक्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के 71 में से दो तहसील हमारे क्षेत्र में मिला है, जहां लोग 190 किमी0 दूर से आते थे, वहां एक तहसील की सौगात मिली है, दूसरी तहसील पिछले साल मिली थी । हमारे यहां पांच अनुभाग हुआ करते थे, पांच अनुभाग में व्यवस्था भी चल रही थी, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, अधिकृत रूप से हमको अनुभाग मिला है, यह हमारी सरकार कर रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमार सरकार ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है । उसमें वह बच्चे जो फीस नहीं दे पाते थे, मेरे क्षेत्र में बैगा जनजाति के लोग रहते थे, पहले तो उनको कह दिया जाता था कि आपके पास 50 साल का रिकार्ड नहीं है, आपका जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनेगा । लेकिन आज आप जाकर देखेंगे, वहां काम तुरंत हो रहा है । हमारे विपक्ष के साथी बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे कि सिर्फ बजट पुस्तिका में छप जाता है और राशि स्वीकृत नहीं होती है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा भरतपुर पूरा वनांचल क्षेत्र है, वहां बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, चेरवा समाज के लोग रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वनांचल क्षेत्र जो कटा था, पहुंचविहीन क्षेत्र था, वहां 10-10 लाख के पुल और पूरे प्रदेश में 300 करोड़ रूपए के सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं, यह हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ जो काम किया है, उससे हमारे किसान भाई, आदिवासी भाई बहुत खुश हैं और जिस तरह से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की गई है, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक था, शिक्षक की नौकरी

छोड़कर राजनीति में आया हूं तो कर्मचारियो की दर्द और पीड़ा को मैं जानता हूं इसलिए पूरे प्रदेश के तीन लाख कर्मचारियों के परिवार में पुरानी पेंशन लागू करने की जो खुशी है, जिस तरह से वनांचल क्षेत्र कोटाडोल में कल तहसील की भी खुशी मना रहे थे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन की बहाली की है, उसकी भी खुशी मना रहे हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के लिए तेजी से धरातल पर काम कर रही है। हमारे विपक्ष के साथी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम हो रहा है, वह पूरे देश के लिए एक माडल है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। कोरिया जिले का भरतपुर विधानसभा सौभाग्यशाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर लेकर गया था, वहां हमारे यहां 44 नये ग्राम पंचायत बने हैं, वह वहां भी जाकर देखे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी हमारे गौठान का मजाक बनाते हैं। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के घुघरा गौठान में चले, मैं दिखाऊंगा कि गौठान किसको कहते हैं। कोरया में कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, वहां चले और देखे कि वहां कैसे काम चल रहा है। मैं हमारे कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे कोरिया जिले का गौठान और कोरिया जिले के के.व्ही. का नाम देश में चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा के सन्दर्भ में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 2022-23 का जो बजट है, यह मुख्यत: भ्रामक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नये विधायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। उनको इसके लिए बधाई।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, बधाई तो तो गुलाब कमरो जी को भी है। गुलाब कमरो जी ने अच्छे शानदार ढंग से बात रखी। मैं धन्यवाद तो बांधी जी को भी देना चाहता हूं कि ये बजट का विरोध करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। यह बजट के सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- पर, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी आपको एक बधाई देना चाहता हूं। कल के रिजल्ट के बाद कांग्रेस की राजनीति में आपका कद बढ़ा है। एक की कमी हो रही है। निश्चित रूप से आपकी पूछपरख बढ़ेगी। तो कल के रिजल्ट के बाद आपका जो कद बढ़ा है, आपको उसके लिए बधाई।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता का जनादेश है, वह सबको स्वीकार्य है। लेकिन ये लोग छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में रात भर चिंतन किए हैं कि हंटर वाली आयेगी तो क्या जवाब देंगे। इस कारण से ये लोग दुबले होते जा रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- चिंतन किए कि दो सीट कितने की पड़ी ? एक सीट 5 सौ करोड़ की, छत्तीसगढ़ का 1 हजार करोड़ गया, चिंतन हमारा इस विषय पर था।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, उस हिसाब से करेंगे तो आपका 268 सीट मिला है और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना करोड़ खर्च किए हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप 84 की बात किए हो, खर्च लगा लो।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या है कि आमदनी कुछ नहीं, खर्चा रूपैय्या ज्यादा हुआ, चिंता इस बात की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो बजट है, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो परिकल्पना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि एक सीट कितने की पड़ी ? और जो बांधी जी ने कहा आमदनी अठ्ठनी और खर्चा रूपैय्या।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह उतना ही पड़ा, जितना पंजाब में इनको पड़ा। वहां भी इनकी 2 ही सीट आई है। आप मत भूले। वहां प्रधानमंत्री जी गये थे और खतरा है कहकर वापस आये थे। दोबारा गये, शाह साहब गये, पूरे मंत्रिमण्डल के लोग गये। पूरे केन्द्रीय मंत्रिमण्डल पंजाब गये। 2 सीट जीते हैं। तो पूछ लीजियेगा कि कितने का पड़ा, उतना ही इधर भी पड़ा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बता दीजिये, हम तो मुख्यमंत्री जी से जानकारी चाहते हैं कि उत्तरप्रदेश की एक सीट कितने की पड़ी ? क्योंकि उसका लोड छत्तीसगढ़ पर आया है। इसलिए हम जानना चाहते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- बृजमोहन जी, यह उतना ही लोड पड़ा, जितना आप सत्ता में थे। जितना लोड पड़ा था, उतना ही लोड पड़ा। उससे ज्यादा लोड नहीं पड़ा।

श्री शिवरतन शर्मा :- पर आपका जो कद बढ़ेगा, यह तो तय है न ?

श्री भूपेश बघेल :- शिवरतन जी, आप तो बाय रोड गय थे न ? आप भी उत्तरप्रदेश बाय रोड जाते थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, अभी नहीं गया। इस चुनाव में नहीं गया।

श्री भूपेश बघेल :- जब सत्ता में थे, तब तो आपको भेजा था।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं हमेशा जाता था।

श्री भूपेश बघेल :- बस, उतना ही पड़ा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, नहीं। परन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि आपका कद बढ़ा। अब आप गुजरात के भी प्रभारी बने, आपको शुभकामना है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वहां पार्टी है। पार्टी के प्रभारी है, संगठन है। मुझे आबर्जवर बनाया गया था। ये जबर्दस्ती किधर ले जा रहे हैं। इनको तो हर चीज में डाउट रहता है। वह आप बाहर के भाषण में बोला करें, कम से कम यहां तो मत बोले।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करिये। जल्दी समाप्त करना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह हम नहीं बोल रहे हैं। आपके एक नेता 16 तारीख तक छुट्टी मांगकर गये हैं। वह सदन में आ ही नहीं रहे हैं। पिछले डेढ़ महीने से वे दिल्ली में बैठे हुये हैं । वह इस बात को बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, आप के ही लोग बोल रहे हैं ।

समय :

1.40 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुये।)**

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, फिर गलतबयानी कर रहे हैं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आप थे, उसके बाद उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वहां गये हैं।

श्री कवासी लखमा :- बृजमोहन अग्रवाल का तो ड्यूटी लगता नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरी पीलीभीत ड्यूटी थी, वहां चारों के चारों सीट जीतकर आये । जहां मेरी ड्यूटी थी, वहां चारों के चारों जीत कर आये ।

श्री कवासी लखमा :- प्रतिपक्ष को चलने नहीं देता है । घेर देता है, इसलिए भाग गया ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, इस बजट से छत्तीसगढ़ का भविष्य बनने वाला नहीं है, छत्तीसगढ़ का जो हम स्वर्णिम कल्पना करते हैं, उस पर आधारित नहीं है । यह बजट केवल भ्रामक है । भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया बजट है । सभापति महोदय, इस बजट से छत्तीसगढ़ को पूर्ण लाभ नहीं मिलने वाला है । छत्तीसगढ़ 21 वीं सदी की ओर बढ़ रहा है । हम जो छत्तीसगढ़ की कल्पना तय करके रखे हुये हैं, हम कर्ज के बोझ से दबे हुये हैं । कर्ज के बोझ से दबे रहने पर छत्तीसगढ़ के भविष्य पर ही एक प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है । सभापति महोदय, हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की बात करते हैं, अगर हम पूरे बजट को देखें तो गरूवा और गोबर पर आधारित है । हमारा जो बजट है, गुड़-गोबर हो गया है । एक अच्छी चीज की कल्पना गोबर में गिर रहा है । इसके कारण न तो हमारे औद्योगिक विकास हो पा रहे हैं, न तो कृषि उन्नत हो रही है, न शैक्षणिक क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं और न तो युवाओं के क्षेत्र में प्रगति हो रही है । सभापति महोदय, सरकार जो राजस्व प्राप्ति की बात करती है कि हमें 44,500 करोड़ रूपये मिलेंगे । अन्ततः वह राजस्व प्राप्त नहीं हो पाती है । परिणाम हम कर्ज के बोझ से दब जाते हैं । सभापति महोदय, कर्ज से बोझ बढ़ता जा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहा है । हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के कैरियर की बात है, रोजगार का सवाल है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, हमने इसके बजाय राजीव युवा मितान क्लब बनाया है । इसके लिए हमने 75 करोड़ का प्रावधान किया है । आप कल्पना करिये कि प्रायमरी स्कूलों में भवन बनाने के लिए केवल 50 करोड़ रूपया है । इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि हमारा जो प्रायमरी एजूकेशन है, जिस एजूकेशन में हम 50 करोड़ खर्च कर रहे हैं, वह सोचने का विषय है । मितान क्लब के लिए 75 करोड़ और भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ दे रहे हैं । इन विसंगतियों के चलते जो हम छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना कर रहे हैं, 21 वीं सदी की कल्पना कर रहे हैं, उसे हम पूरा नहीं कर सकते । इसलिए यह बजट भावनात्मक और भ्रम फैलाने वाला है ।

सभापति महोदय, दूसरा विषय है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है । क्या इस बजट प्रावधानों में यह कल्पना की गई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान करने के लिए यह राशि पर्याप्त है ? सभापति महोदय, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल की सीट को हम बढ़ायें, पोस्ट मैट्रिक ग्रेजुएशन, क्या हमने पी.जी. हॉस्टल की संख्या को इस बजट में बढ़ाया है, जबकि छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ रही है । हमने उनके लिए प्रावधान नहीं किया है और हम कहते हैं कि 12,000 करोड़ अनुसूचित जाति के मद में खर्च होंगे । हमारे शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कितना बजट रखा गया है, केवल 50 करोड़ रूपया । इस 50 करोड़ के बजट में भवनविहीन छात्रावासों को बनाना है, पी.जी. के हॉस्टल के लिए कोई प्रावधान नहीं है । पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल की सीट की संख्या बढ़नी चाहिए, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान है। 12 हजार करोड रुपये में 50 करोड़ रुपये की बातचीत करते हैं। हम 21वीं सदी में कैसे शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं। पूरे प्रदेश में 11 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में बदल रहे हैं, जबकि पूर्व माध्यमिक शालाओं की संख्या ज्यादा है। जो हमारा प्रायमरी एजुकेशन का क्षेत्र है, उसमें तो हमने खर्च ही नहीं किया है। उसके भवन बनाने के लिए खर्च ही नहीं किया है। 12 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल में बदलने का प्रयास किया गया है, जबकि इसकी संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन हमने इसमें ध्यान नहीं दिया। क्योकि हमारा भावनात्मक, भ्रमात्मक बजट है। इसलिए छत्तीसगढ़ के हितों को कम ध्यान में रख करके केवल भावनात्मक, भ्रमात्मक विषय में हमने बजट में ज्यादा ध्यान रखा है।

माननीय सभापति महोदय, शैक्षकिक सुविधाओं में एक तरफ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की कल्पना की गई है, यह बहुत अच्छा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कई बार छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग पर, छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा की भी बात किया, उसका बजट में कहीं कोई उल्लेख नही है। हम एक तरफ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी भावना की बात करते हैं और दूसरी तरफ

Uncorrected and unedited/Not for Publication

छत्तीसगढ़ियों के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ियों के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल में छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा देने की बात करनी चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिये, बांधी जी, एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, कृषि की बातचीत कर रहे हैं। कृषि में हम वर्मी कम्पोस्ट खाद का उपयोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक के आर्गेनिक सर्टीफिकेशन केन्द्र स्थापित नहीं करेंगे कि यह प्रोडक्ट आर्गेनिक है, जब तक प्रमाणित नहीं करेंगे तो लोग नकली आर्गेनिक बनाकर बेचेंगे। कोई आर्गेनिक सर्टीफिकेशन केन्द्र नहीं है। उसकी उपयोगिता इसी पर आधारित है कि जब तब कि आर्गेनिक सर्टीफाईड करने का हर जिलों में आर्गेनिक सर्टीफिकेशन केन्द्र नहीं खोलेंगे, laboratory नहीं खोलेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। उसके लिए बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है। जो आर्गेनिक खेती है, हम करना चाह रहे हैं, उसकी उपयोगिता नहीं बन रही है। अभी प्रश्न पूछा जायेगा कि कितने का गोबर खरीदा गया, कितने की खाद बेची गई, आप दोनों के रेट को देखेंगे तो दोनों के रेट में असमान्यता आयेगी। क्योंकि हमने उसको कई प्रकार से विश्लेषण कर डाले हैं। उससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका उद्‌देश्य बहुत अच्छा है लेकिन इसके क्रियान्वयन के जो तरीके अपनाये गये हैं, जो बात करने का तरीका अपनाया गया था, वह कदाचित उचित नहीं है।

सभापति महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त कीजिए। श्री विनय कुमार भगत जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी कुछ और बात रखना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय :- डॉक्टर साहब, कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, मेरे को केवल 2-3 मिनट दे दीजिए। प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे हैं। एस.सी., एस.टी. वर्ग के लोग अनुनय, विनय कर रहे हैं। हम एक तरफ उनके हितों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, कर्मचारी लोगों को प्रमोशन में आरक्षण देने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारी जो अपने ही छत्तीसगढ़ के हित में काम करते हैं, अपने ही छत्तीसगढ़ के लिए बातचीत कर रहे हैं, ऐसे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बजट में कोई बातचीत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने "सुगम सड़क योजना" बहुत अच्छी बनाई है। सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात करके समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने "सुगम सड़क योजना" बनाई। जो वर्ष 2019-2020 में स्वीकृत किया गया था, अब आपकी लचर व्यवस्था, लचर टेंडर की प्रक्रिया के कारण आज तक नहीं हो पाया है। देवरीखुर्द गांव है, उसमें "सुगम सड़क योजना" का 2019-20 में स्वीकृति हुई थी जिसका कई बार टेंडर हो गया, आज भी वह कार्य नहीं हो पाया है, ऐसी आपकी लचर व्यवस्था है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के लिए ग्राम ऊनी में एनीकट के लिए बनाया था उसके लिए आपने बजट में प्रावधानित किया था। लेकिन यह कैसी व्यवस्था है कि बजट में प्रावधानित होने के

बावजूद भी ए.एस. जारी नहीं करते, यह आपकी कार्यक्षमता को दर्शा रहा है। मेरे विधानसभा के ग्राम पचपेड़ी में राजस्व मंत्री जी गये थे।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, यह थोड़ा सा मेरे क्षेत्र का ही विषय है। मेरे विधानसभा के ग्राम पचपेड़ी में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी गये थे। कालेज खोलने की बातचीत आई कि गुरू घासीदास बाबा का कॉलेज खोलकर के आयेंगे। बड़े जोर-शोर से स्वागत-सत्कार हुआ, घोषणा करके आये। न वहां खोला, न जोंधा में, न लोरसी में न खम्हरिया में, न जेवरा में। कहीं कोई कॉलेज की स्थापना नहीं हुई।

श्री अजय चंद्राकर :- वहां गोठान बन गये कि नहीं ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अब तो गोठान का भगवान ही मालिक है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- दूसरा है, राजस्व के एस.डी.एम. से कई बार बात किये। ग्रामीण अंचलों में टुकड़ों में काट-काट कर इतने भू-माफिया बन गये हैं कि हम बोलते हैं कि कम से कम सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, उसका डायवर्सन करने का होगा, उसकी प्रक्रिया करने का होगा। यह सब ताक में रखकर के, बिना किये बेपरवाह हो करके, वह राजस्व के एस.डी.एम. के अधिकारी लोग लगे हैं जिसकी आपको हमने थोड़ी सी जांच करने को कहा है। नगरपालिका में मंत्री जी तो नहीं है, चले गये हैं। आज तक उस नगर पालिका में मां डिंडेश्वरी मंदिर का प्रावधान है, एक भी पैसा उनके द्वारा नहीं किया गया। रोड की मांग भी है, वहां पर कांग्रेस के ही अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सब कुछ है। लेकिन वह लोग मंत्री जी से कई बार आग्रह कर लिये लेकिन उस मल्हार के नगर पंचायत के विकास के लिये, उनके द्वारा कोई योगदान और आर्थिक सहायता डव्हेलेपमेंट के लिये नहीं दी जा रही है।

हमने कन्वर्जेंस के बहुत सारे प्रस्ताव दिये हैं। अब कन्वर्जेंस में कलेक्टर कहता है कि हम उसके अनुसार देते हैं, सी.ओ. कहता है कि हम उनके अनुसार देते हैं, कन्वर्जेंस करने से हमारा डव्हेलेपमेंट का बहुत अच्छा काम बन सकता है, कम पैसे में बहुत अच्छा काम बन सकता है। लेकिन नजरियों के कारण, निर्णय क्षमता नहीं होने के कारण, कई प्रकार की बात-चीत करने के कारण जो कन्वर्जेंस जैसी अच्छी सुविधाजनक जो व्यवस्था है, वह खत्म हो रही है।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :-माननीय सभापति महोदय, सरकार कन्वर्जेंस का मतलब समझती नहीं है। कल मैंने कहा था अभिसरण, जिसको अनुसरण लिखा है। तो जो सरकार अभिसरण या कन्वर्जेंस को समझती नहीं है, वह कैसे करेगी। वह तो अभिसरण का मतलब समझती नहीं है। बजट पुस्तिका में अनुसरण छपा है।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, कृपया बैठिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको अच्छे से दिखवा लीजिये, बहुत ही फायदेमंद चीज है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, बस एक चीज। हमारे प्राधिकरण में ओ.बी.सी. प्राधिकरण पता नहीं क्या सोच के, अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण..। लेकिन एक ही प्राधिकरण है, हम तो उसको धन्यवाद देते हैं, अनुसूचित जाति, एस.सी., प्राधिकरण है, जिससे कुछ-कुछ मिल जाता है। अब सदस्य को भी मिल जाता है, थोड़ा-बहुत मिल जाता है। लेकिन थोड़े बहुत की उम्मीद करते हैं, जो एस.टी. से नहीं मिलता और ओ.बी.सी से भी नहीं मिलता।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल (डोंगरगढ़) :- बांधी भैया, आप हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिये, कि पहली बार किसी विधायक साथी को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। हमारे सी.एम. साहब को धन्यवाद दीजिये।

सभापति महोदय :- श्री विनय कुमार भगत।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हम आपको देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। दूसरे तो सोचते भी नहीं है, हम तो ऐसे भी..।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, कृपया समाप्त करिये।

श्री कवासी लखमा :- बांधी जी, विधायक निधि को 4 करोड़ रूपये किया है, थोड़ा उसके लिये भी बधाई दीजिये । 15 साल में 4 करोड़ नहीं हुआ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, आपसे केवल यही कहना है कि यह बजट केवल भ्रामक है और भावनात्मक है। छत्तीसगढ़ में जो 21वीं सदी की कल्पना कर रहे हैं, उसके अनुरूप नहीं है, इसलिये साहब मैं बजट का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर चर्चा है। अभी इसमें 26 सदस्यों के नाम शेष है। अत: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया संक्षिप्त में 5-5 मिनट में अपनी बात रखें। श्री विनय कुमार भगत।

श्री विनय कुमार भगत (जशपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं 2022-23 के बजट के सामान्य चर्चा में खड़ा हूं। समावेशी विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को आगे बढ़ाते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये जो 1 लाख 4 हजार करोड़ रूपये का बजट प्रस्तुत किया है, उसमें दूरदर्शिता के साथ-साथ संवेदनाएं भी हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बधाई देनी चाहिये, पहला मेंडेट भाषण हो रहा है। आप आसंदी से बधाई दे दीजिये।

सभापति महोदय :- चलिये, भगत जी आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसी परंपरा रही है। पहले भाषण में उनको समर्थन करने की।

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा गरीब, आदिवासी, मजदूर और वन क्षेत्र में कठिन जीवन जी रहे वनवासियों की और पीड़ित लोगों की हमेशा चिंता की है। पिछले 3 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं के हितों को ध्यान में रखते हुये, यह जो कार्य किया है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर गरीब, आदिवासी और मजदूर और वनवासियों का क्षेत्र है। 3 साल पहले तक जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जशपुर का नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तानाशाही के लिये जाना जाता था। लेकिन राजा राजवाड़े ने कभी जशपुर के आदिवासियों और किसानों के विकास के लिये कोई काम नहीं किया। मुझे इस अवसर पर एक गाना याद आ रहा है। " बाना में का दै बाना बेसेरा रे, पिंजरा भी।

(माननीय सदस्य द्वारा गा कर बताने पर)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य श्री विनय कुमार भगत जी आप बोलकर, बता सकते हैं।

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि..।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य आप बोलकर बताईये।

श्री विनय कुमार भगत:- माननीय सभापति महोदय, मैं कोड कर रहा हूँ।

सभापति महोदय :- आपको गाना नहीं है आप बोलकर बताईये।

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय सभापति महोदय, अच्छा मैं बोलकर ही बता रहा हूँ। मैं कोड कर रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा कहने का मतलब है कि पहले हमारी जशपुर की जनता आवाज नहीं उठा पाती थी। यह पिंजड़े में कैद जो तोता था, यह बहुत कुछ कहने के लिए चाहता था, लेकिन वह कह नहीं पाता था। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी लोकल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उससे जशपुर के लोग बहुत खुशहाल हैं। आज वहां की जनता विकास का रास्ता देख रही है। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई है, यह एक क्रांतिकारी योजना साबित हो रही है और जैसे ही सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का कर्ज माफ किया, 2500 रूपये समर्थन मूल्य देकर, किसानों को खुशहाल बनाया। आज किसान खुशहाल भी हैं और लाल भी हो गये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे किसान जो पहले कोदो कुटकी उगाया करते थे तो उनको पहले हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज वहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर भी मिलेट मिशन की शुरूआत की। आज यहां भी हमारे किसान खुशहाल हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र से झारखण्ड की सीमा लगी हुई है । मेरे रिश्ते, नाते झारखण्ड में है जब वहां पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की योजनाओं की बात होती है तो वहां पर हमेशा इसकी बढ़ाई करते हैं। मैं यह सुनते हुए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि

हमारी सरकार ने यहां पर जो गोधन न्याय योजना लागू की है यह हमारे झारखण्ड में भी लागू किया गया है। इसलिए मैं अपने आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज छत्तीसगढ़ ने पूरे देश के सामने गौसेवा और गौसंरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं बहुत सुन्दर जिले से आता हूँ। अभी वहां का जनजीवन, आबोहवा बहुत सुंदर थी, पहले लोग पहले जशपुर को जानते नहीं थे, लेकिन आज जशपुर में चाय की खेती होती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि उन्होंने टी-बोर्ड का गठन करके, हमारे जशपुर का नाम सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में नाम किया है इसलिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद् देना चाहता हूँ। जशपुर बहुत सुन्दर जगह है। पहले लोग पर्यटन के लिए तरसते थे लेकिन आज हमारी सरकार ने पर्यटन की दिशा में जो काम किया है, इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद् देना चाहता हूँ। वहां जशपुर में बहुत सुन्दर रिसोर्ट है मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप जशपुर आईये और वहां का आनंद उठाईये। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जशपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, पहले जिस-जिस जिले में कुछ काम नहीं हुआ था, आज मैं हमारी सरकार को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि आज वहां पुल-पुलिया का जाल बिछ गया है। वहां लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है तो मैं इसका एक ही उत्तर देता हूँ कि भूपेश है तो भरोसा है। वहां आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली बात है कि हम आदिवासियों का जो देवस्थल देवगुड़ी है,आज इसका मान सम्मान बढ़ा हुआ है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद् देना चाहता हूँ। यहां पर जितने भी पुजारी गुनिया है, उसको उन्होंने राजीव गांधी कृषि भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत उनका मान सम्मान दिया है। सबसे पहली बात यह हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार ट्रायबल डांस फेस्टिवल की शुरूआत की गई है, इससे हमारी देश-विदेश में पहचान बढ़ी है। इसमें कहने को बहुत सारी चीजें हैं। यहां मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि पहले मैं हमारे पक्ष और विपक्ष के समस्त विधायकों की ओर से धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि हमारी विधायक निधि की राशि 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर, 4 करोड़ रूपये करने का निर्णय लिया है इससे हम सभी विधायकों को क्षेत्र में जो भी समस्याएं होंगी, उसका त्वरित निराकरण करने में सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद् देना चाहता हूँ। जब ही हम मुख्यमंत्री जी से कुछ मांगना चाहते हैं, वह हमारे कुछ मांगने से पहले दे देते हैं इसलिए मैं उनको बार-बार धन्यवाद् देना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि जो पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा है और निधि बढ़ी है इससे भी गांव का विकास करने में बहुत सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद् देना चाहता हूँ । विशेष रूप से यह जो पुरानी पेंशन योजना लागू करके, इन्होंने बरसों पुरानी मांग को पूरा किया है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि रिटायमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि केवल धन नहीं होती है, वह सम्मान के साथ शेष जीवन गुजारने का आश्वासन होती है। आपके बारे में लोग ठीक ही कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। दूसरी बात यह है कि हमारे गरीब तबके के लोगों को व्यावसायिक परीक्षा मंडल

हुआ, पी.एस.सी. हुआ, यहां पर जितने भी आदिवासी एस.टी.,एस.सी, जो गरीब तपके के लोग हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी। उनको भी समान अवसर मिलेगा। वे भी अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे और उनको पैसा के कारण किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं विशेष रूप से जशपुर की बात करता हूं। जशपुर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता तो पहले से ही थी लेकिन वहां पर अभी स्वामी आत्मांनद स्कूल खुला हुआ है, उसमें लोग एडमिशन लेने के लिए तरशते हैं। क्योंकि वहां का रिजल्ट और पढ़ाई का स्तर बहुत सुंदर है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में मैं राजीव युवा मितान क्लब के गठन के बारे में कहना चाहूंगा। ऐसी योजना की पूरे देश में मिशाल नहीं मिलती, जिसमें कोई सरकार अपनी युवाओं को दिशाहीन होने से बचाने के बारे में सोचती हो। उनकी ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग करने के बारे में सोचती हो। आज उन्हें खेल, संस्कृति, कला और परंपराओं से सांस्कारिक करने के बारे में सोचती हो। युवा मितान क्लब के माध्यम से हमारे युवा साथी रचनात्मक ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे और नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। आज इस अवसर पर हमारे बजट में छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के लाखों अवसर सृजन किए हैं और आने वाले पांच वर्षों में 12 से 15 लाख रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के लिए आपने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत की है। आपकी यह पहल निश्चित ही छत्तीसगढ़ को नई ऊचाईयों पर स्थापित करेगी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ।

सभापति महोदय :- धन्यवाद, भगत जी। श्री रजनीश कुमार सिंह।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम बाद में आने वाला था, जल्दी आ गया। मैं आज 2022-23 का जो बजट है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री संतराम नेताम :- रजनीश जी, चैनल में जो बोलते हैं, यह थोड़ा सा सही सही बोलना। आप चैनल में बहुत विरोध करते हो।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- पूरा कसम खाकर आएं हैं, सही-सही बोलेंगे।

श्री संतराम नेताम :- पूरा कसम खाकर सही बोलना है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- पूरे तथ्य और तर्क के साथ बोलता हूं और यदि मैं गलत बोलता हूं तो आप लोगों को भी बोलता हूं कि आपके पास यदि कोई आंकड़ा हो तो बता दीजिए। आप लोग जो बोले हैं उसको तथ्य के साथ बोलता हूं, उसी को अभी फिर बोल रहा हूं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं, इसी में पूरा बोलेंगे।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आपने जो कहा है, उसी में बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 का जो बजट है, लगभग 1 लाख 4 हजार करोड रूपए का है, इसमें राज्यांश 44 हजार

500 करोड़ है और केन्द्र द्वारा जो विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होगी वह लगभग 45 हजार 574 करोड़ रूपए है। राज्य की जो कुल आय है उससे ज्यादा है। माननीय सभापति महोदय, 2014 के पहले यदि हम देखें तो राज्य से जो कर प्राप्तियां होती थी और केन्द्र से जो कर प्राप्त होती थी, हमेशा कम रहा है। 2014 के बाद लगातार राज्य को जो कर या अन्य संसाधन उनको राशि के रूप में मिल रही है। आप इनका बजट उठाकर लगातार देख लीजिए, केन्द्र सरकार लगातार इनको ज्यादा राशि दे रही है। इसलिए इनका यह कहना है कि केन्द्र सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है। यदि आज यह सरकार कोई काम कर पा रही है तो सिर्फ और सिर्फ केन्द्र सरकार की ही योजनाओं का और उन्हीं के द्वारा दिये गए पैसा के माध्यम से कर पा रही है। सभापति महोदय, लगभग 2014 के आसपास जब 13 वें वित्त की राशि मिलती थी तो 31 प्रतिशत की राशि प्राप्त होती थी। माननीय मोदी जी के आने के बाद 14 वें वित्त और 15 वें वित्त आने के बाद यह राशि 42 प्रतिशत कर दिया गया है, जो सीधे बांटे जाते हैं। इसलिए यह आरोप भी गलत है कि केन्द्र सरकार हमको राशि कम दे रही है। यह सरकार आने के बाद जो राजकोषीय घाटा है, यदि हम 2018 तक देखें, माननीय डॉ. रमन सिंह जी के शासनकाल में 10 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं था और अभी तीन वर्षों में 15 हजार करोड़ रहा है । इस वर्ष 14 हजार 500 करोड़ का अनुमानित है और यह बढ़ भी सकता है तो इस प्रकार यदि हम देखें तो पूंजीगत लगातार कम हो रहा है और इसके कारण विकास प्रभावित हो रहे हैं । जब माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो ऋण पटाने की जो राशि थी वह 3 प्रतिशत से कम रही है जबकि हम अभी जो राशि पटा रहे हैं, जो 7200 करोड़ इस साल पटायेंगे । वर्ष 2022-23 तक ब्याज की राशि 23 हजार 700 करोड़ पटायेंगे । इस वर्ष 7200 करोड़ पटायेंगे जो कि कुल बजट का 8 प्रतिशत है । 15 वर्ष माननीय रमन सिंह जी की सरकार में यह 3 प्रतिशत से अधिक कभी नहीं रहा ।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 के बजट की स्थिति जिसका लेखा हो चुका है और यह सरकार कितनी गंभीर है इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं 3-4 बिंदुओं में दे रहा हूं । जो बजट प्रावधान वर्ष 2020-21 में था उसमें से आवास सेक्टर में केवल आवास सेक्टर में 82 प्रतिशत की राशि कम खर्च की गयी है। सिंचाई और खाद्य में 41 प्रतिशत की कम राशि खर्च की गयी है । ग्रामीण विकास में 17 प्रतिशत की राशि कम खर्च की गयी है, वाटर सप्लाई में स्वच्छता जल आपूर्ति में 14 प्रतिशत की कम राशि खर्च की गयी है यह दिखाता है कि राज्य सरकार विकास और बजट को लेकर कितनी गंभीर है । इस वर्ष जो 16 हजार करोड़ का ऋण ले रहे हैं जिसमें 4 हजार करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा ब्याजमुक्त दिया जा रहा है । यदि हम 4 वर्ष के बजट को देखें तो 23 मार्च तक यह 70 हजार करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार पर इन 4 वर्षों में हो जायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम किसी राज्य के विकास का पैमाना देखें, उस राज्य को जिस कसौटी पर कसा जाता है कि उस राज्य में कुपोषण की दर क्या है ? मातृत्व मृत्युदर क्या है और शिशु मृत्युदर क्या है ? कुपोषण में विधानसभा में जवाब में एक-

बार आता है कि हम तीसवें स्थान पर हैं, मार्च 2021 में विधानसभा का जवाब है कि 15 प्रतिशत कुपोषण है और जुलाई, 2021 में 4 महीने के भीतर ही आता है कि 19 प्रतिशत का कुपोषण है यानी कि 4 महीने में 4 परसेंट बढ़ गया और जो नीति आयोग का सतत् विकास लक्ष्य है वह बताता है कि छत्तीसगढ़ में अभी 40 प्रतिशत के आसपास कुपोषण है । यह हमको दिखाता है कि छत्तीसगढ़ विकास के पैमाने पर कहां जा रहा है ? मातृत्व मृत्युदर में और शिशु मृत्युदर में लगातार वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 2018 के पहले था उससे ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं । प्रतिव्यक्ति आय की जो बात हो रही है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रतिव्यक्ति आय 1 लाख 18 हजार का है । यदि हम वर्ष 2018 में देखें तो वह लगभग 92 हजार प्रतिव्यक्ति था, यदि उस हिसाब से देखें तो हम लोगों को जो प्रतिव्यक्ति आय होनी थी वह और अधिक होनी थी लेकिन चूंकि हम उस राशि को खर्च नहीं कर पा रहे हैं इसलिए प्रतिव्यक्ति आय भी कम हो रही है ।

माननीय सभापति महोदय, बजट में हवाई सेवा का भी जिक्र आया है । यदि कहीं भी हवाई सेवा का विस्तार होता है तो निश्चित रूप से उस राज्य का, उस शहर का विकास में बहुत बड़ा मापदंड होता है और उस शहर और उस राज्य में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, देश के उद्योग आते हैं, धंधे आते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है । हवाई सेवा में छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 4 स्थान शामिल हैं । रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर । हम बजट में जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और बाहर जो बार-बार विषय आता है कि केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं दे रही है जिसके कारण हम हवाईसेवा का विस्तार नहीं कर रहे हैं । वर्ष 2016 में भारत सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी और छत्तीसगढ़ सरकार का एक एमओयू हुआ था । इसमें जो 4 एयरपोर्ट रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर हैं इसके बारे में एमओयू होता है और एमओयू में साफ-साफ लिखा है कि पहले राज्य सरकार को सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराना है चाहे वह हवाई सेवा के लिये जमीन हो, चाहे वहां पर यात्री सुविधा हो । केवल केंद्र सरकार को उसमें एटीएस का जो पार्ट है, जो तकनीकी पार्ट है उसको उपलब्ध करवाना है और वर्ष 2016 के बाद आज यह स्थिति है कि बिलासपुर हवाईअड्डे की बात तो होती है, 28-29 करोड़ रूपये निश्चित रूप से विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी ।

सभापति महोदय :- संक्षिप्त करें।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- बिल्कुल संक्षिप्त में 2-3 छोटे-छोटे विषय लेकर समाप्त करता हूं। हवाई सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार करके इसमें अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि हवाई सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 करोड़ रूपये दिया था, वह एम.ओ.यू. का हिस्सा है। एम.ओ.यू. में लिखा है कि राज्य सरकार को पहले राशि खर्च करना ही पड़ेगा।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, तुम्हन 15 साल में दे हो का एला। 15 साल में नहीं दे हो। हमन दे हन।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- मैं बताथौ न। थोड़ कनी चुप बैठ। माननीय सभापति महोदय, वह राशि बाद में पूरा दिया जाता है। एम.ओ.यू. में लिखा है कि पहले जो राशि एयरपोर्ट में खर्च की जायेगी, राज्य सरकार को खर्च करना है। बाद में वह राशि शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको वापस देती है। आज स्थिति क्या है? बिलासपुर में किसी प्रकार की हवाई सुविधा नहीं है। यात्री लेंडिंग की व्यवस्था नहीं है और इसका यदि किसी को विकास करना है तो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को करना है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, थोड़ा जी.एस.टी. का तो पैसा दिलवा दो।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, रायगढ़ के जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। अंबिकापुर की स्थिति यह है कि जो रन-वे बना है, वह हाइवा और ट्रक बनने के लायक है। एक्सपर्ट लोग आये तो बोले इसमें हवाई जहाज उतर ही नहीं सकता। हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है और रायपुर का भी जो जमीन है, उसका अधिग्रहण नहीं किया है, जिसके कारण वहां कार्गो अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं उतर पा रहा है।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं। इसलिए कहना कि केन्द्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, मैं इसके माध्यम से मांग करता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, तुम्हन छांट-छांट के ले ले हो हवाई अड्डा ला।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, वर्ष 2019 में इस सरकार के आने के बाद भी एक समझौता हुआ है हवाई सेवा के विस्तार को लेकर..।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- 2 करोड़ का 4 करोड़ हो गया। थोड़ा बधाई दे दो भैया।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- दूंगा, दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- दादी जी होली आ रहा है, आप ध्यान रखो।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आपको बधाई देकर समाप्त करूंगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- दादी होली आ रहा है। अपने सब विभाग का और विधायकों का ख्याल रखो।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- वर्ष 2019 में इस सरकार के आने के बाद भी एक समझौता हुआ है, जिसमें हवाई सेवा के विस्तार को लेकर चीफ सेक्रेटरी शामिल थे कि यदि हवाई सेवा का विस्तार राज्य सरकार को करने में दिक्कत है, यदि वह नहीं कर पा रही है तो वह यहां से एन.ओ.सी. दे दे कि हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह काम नहीं कर पा रहे हैं, इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी करे और एयरपोर्ट अथॉरिटी बार-बार इन्हें पत्र लिख रही है, लेकिन ये वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक अभी तक एन.ओ.सी. भी नहीं लिख पाये हैं। चिट्ठी भी नहीं लिख पाये हैं कि हम नहीं कर सकते। एयरपोर्ट अथॉरिटी यहां के चारों एयरपोर्ट का विकास करे, यह इसकी सत्यता है।

श्री कवासी लखमा :- मोदी आकर दुर्ग में घोषणा करके गया था, उसको बताये नहीं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- मैं एक-दो चीज अपने क्षेत्र की बात रख देता हूं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। माननीय मंत्री जी थोड़ा सा नजरें इनायत हो जाये। बिलासपुर नगर-निगम का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है और राशि बिल्कुल नहीं जा रही है। अभी 3 साल के अंदर में लगभग 25 करोड़ की राशि गयी है, उसमें भी पूरी राशि नहीं गयी है।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करें। समय का ख्याल रखें।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- समापति महोदय, मेरा निवेदन है। एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, नगरीय निकाय से बिलासपुर नगर-निगम जो 5 विधान सभा का हो चुका है, उसे अभी बहुत मूलभूत सुविधाओं के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा यहां तक बिजली का जो खंभा है, बल्ब है, स्वच्छता का है, नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय :- समाप्त करें। डॉ. विनय जायसवाल जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, एक मिनट। आप ज्यादा से ज्यादा बिलासपुर नगर-निगम को 200 करोड़ रूपये देंगे तभी हो पायेगा।

सभापति महोदय :- रजनीश सिंह जी बैठिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय लोक निर्माण मंत्री नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के बजट में छोटे-छोटे काम जो बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक है। लखराम, सरवन देवरी और पौनसरा का जो प्राथमिकता मांगी गयी है और उसमें भी पहले और दूसरे नंबर पर है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं। बजटेट है। प्राथमिकता में है। तो दोनों काम को स्वीकृत करें। वह जनता की बहुत बड़ी मांग है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे दोनों काम के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करें। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- डॉ. विनय जायसवाल जी। समय का ध्यान रखेंगे।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत् 2022-23 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अपनी बात की शुरूआत इन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पंक्तियों से करना चाहूंगा कि "ज़िंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जीत जाते हैं वो, जिनकी सोच कुछ बड़ी है ।" छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपनी बड़ी सोच के साथ जो बजट प्रस्तुत् किया है । निश्चित रूप से यह बजट बहुत ज्यादा सराहनीय है, ऐतिहासिक है और लोकप्रिय है । सभापति महोदय, देश में आजादी के बाद कई बजट प्रस्तुत् हुए । लेकिन कहा जाता है कि अर्थशास्त्रियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा पांच बजट को बहुत चर्चित और लोकप्रिय बजट के रूप में मान्यता दी जाती है । एक बजट 1957 में प्रस्तुत हुआ था, उस बजट की खासियत यह थी कि आयात के लिए लायसेंस को अनिवार्य किया गया था। दूसरा, 1973 का बजट है, जिसे ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं, उसमें तत्कालीन वित्तमंत्री ने सामान्य बीमा कंपनियों को भारतीय कॉपर कार्पोरेशन को और कोल माइन्स का, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया था । जिससे देश में बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ था । उस समय ऐसी सोच थी कि देश का मिनरल है, देश का जो अयस्क है, वह यहां के नागरिकों का है न कि उद्योगपतियों का है । तीसरे बजट को गांधी बजट के नाम से जाना जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया था और जो उद्योगपति बहुत ज्यादा लाभ कमाते थे उन पर अंकुश लगाने का काम किया था । 1997 का पी.चिदम्बरम का बजट जो वालेंट्री डिस्क्लोजर, जो उस समय इंकम की स्कीम आई थी, उससे काफी ब्लैकमनी और 18700 करोड़ का राजस्व उस समय आया था और पी.चिदम्बरम जी का 28 फरवरी, 2002 का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसमें नरेगा जैसी योजना देश को दी गई थी, जिससे पूरे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार विकसित हुआ था । सभापति महोदय, अभी माननीय बांधी जी कह रहे थे कि यह बजट भावनात्मक बजट है, इस बजट में कुछ नहीं है, यह केवल भावनात्मक बजट है । सभापति जी, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि यह भावनात्मक बजट है और माननीय मुख्यमंत्री जो किसान के बेटे हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की कमियां हैं, उनका इमोशन्स है । यह इमोशन्स किसके लिए है, इस बजट में ऐसा कौन सा वर्ग है, जो बजट की प्रस्तुति होती है तो हम अपने गोल में किसी रखते हैं, वह प्रदेश का किसान हो, प्रदेश का मजदूर हो, प्रदेश का युवा हो, प्रदेश का व्यापारी हो, हमारे प्रदेश की महिलाएं हों, हमारे प्रदेश के कर्मचारी हों, हमारे प्रदेश के छात्र हों सभी लोगों के लिए इमोशन है और जिसमें भावनाएं होंगी वही इतना अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकता है। सभापति महोदय, आज प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 25 हजार रूपया दिया जा रहा है । पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां अन्नदाताओं का सम्मान किया जा रहा है और केन्द्र सरकार के इतने हर्डल के बाद भी ये माननीय मुख्यमंत्री की भावनाओं और किसानों के प्रति जो इमोशन्स हैं, इसलिए यह बजट प्रस्तुत किया गया है । मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में कितना इमोशन्स है कि 6 हजार की जो योजना थी उसको 7 हजार करने का काम किया है । हमारे भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, इसके साथ हमारे गांव के जो गुनिया हैं, बाबा

हैं, नाई हैं इनको शामिल किया गया है । यह केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का इमोशन्स है। कल बहुत सारी बातें हो रही थीं कि छत्तीसगढ़ राज्य, उड़ता छत्तीसगढ़ बन रहा है । यहां के युवा भटक रहे हैं । यहां नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं । सभापति महोदय, मुझे एक बात बता दीजिए कि पूरे देश में राजीव गांधी युवा मितान क्लब बना है, जो हर वार्ड में एक मितान क्लब बनेगा, हर पंचायत में एक मितान क्लब बनेगा । हमारे युवाओं को, हमारे प्रदेश के युवक युवतियों को हम सांस्कृति गतिविधियों से जोड़ेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डॉ. साहब इसका कौन लोग सदस्य बनेंगे, उसको आप थोड़ा गंभीरता से देखना। अभी उसका सदस्य कौन बनेगा? तत्काल इसका जवाब दीजिए।

सभापति महोदय :- सम्मानित सदस्य, पहले बात कम्पलीट करने दीजिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह बोल रहे हैं कि कौन लोग जुडेंगे। उसमें युवक कांग्रेस के लोग जुड़ जायेंगे, एन.एस.यू.आई. के लोग जुड़ जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहता हूं। इसमें 40 युवा क्लब का गठन हो रहा है, उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। ये खूलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डॉ. साहब, उसको चयन कौन करेगा?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- विभाग नहीं कर पा रहा है क्या? विभाग कमजोर हो गया है क्या?

डॉ. विनय जायसवाल :- चाहे छत्तीसगढ के 150 करोड़ आबकारी राजस्व को 4000 करोड़ रूपये तक पहुंचाने का काम किया है और एक-एक युवाओं को जो नशे के गिरफ्त में थे उससे उनको मुक्ति दिलाने का काम किया है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डॉ. साहब, उसको चयन कौन करेगा?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह बात मैं बोलना चाहता हूं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आपका ब्लाक कांग्रेस कमेटी जो लिखकर देता है उसका चयन होता है।

डॉ. विनय जायसवाल :- तो क्या वे युवा नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- तो सीधा खदानों से निकाल कर बना दिया गाय है?

सभापति महोदय :- संक्षिप्त में अपनी बात रखिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं तीन मिनट में खत्म कर दूंगा। मैंने अपने भाषण के शुरूआत में बोला कि जिस प्रकार से पांच..।

सभापति महोदय :- श्रीमती रेणु अजीत जोगी जी।

डॉ. विनय जायसवाल :- जिस प्रकार से पांच प्रचलित और लोकप्रिय..।

सभापति महोदय :- समाप्त करे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- अटल जी के द्वारा एक एतिहासिक भूल किया गया था। वे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनका जो पुरानी पेंशन योजना थी, उसको बंद करने का काम किया था। माननीय सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक बजट में यशस्वी भूपेश बघेल जी ने हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनको अधिकार देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। कल माननीय चंद्राकर जी ने, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अभी नहीं है, उनको अभी होना चाहिए था। कल वे सवाल खड़ा कर रहे थे आज मैं उनसे सवाल खड़ा करना चाहता हूं। वे बोल रहे थे कि यह जो घोषणा हुई है इससे 35 से 40 के बाद अधिकारी एवं कर्मचारियों को लाभ होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 35 साल के बाद 40 साल के बाद जब हमारे अधिकारी रिटायर होंगे।

सभापति महोदय :- समाप्त करिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- और उनको इसकी सुविधा मिलेगी तो वे उसके हक में नहीं है क्या? आप कर्मचारियों के विरोधी हो।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त कीजिए। डॉ. श्रीमती रेणु जोगी जी।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम बात करके अपनी बात केा समापत करूंगा। मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं। चिरमिरी, कोरिया जिला का बहुत पिछड़ा हुआ शहर है। मैं जब अपनी मेडिकल की तैयारी करने के लिए, जब हम लोग प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करते थे और उसकी परीक्षा देते थे। एक बार में चयन नहीं होता है। उसमें मेरा चयन दो बार में हुआ था। बार-बार जो परीक्षा की फीस, व्यायसायिक शिक्षा मण्डल की जो फीस आज कितनी बड़ी राहत का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) मैं बहुत सराहना करते हुए इस बजट के समर्थन में बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की चार बात करना चाहूंगा। एक एडवेंचर पार्क की जो घोषणा थी, चिरमिरी में जो जल आवर्द्धन का जो काम है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त कीजिए। बैठिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी क्षेत्र की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र की बात बोलने दीजिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, अपने क्षेत्र की बात बोल रहा हूं। मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी के बीच में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा थी, उसको भी पूरा कराने का निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- मनेन्द्रगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए घोषणा करना चाहता हूं और झगराखांड नगर पंचायत है उसमें एक मिनी स्टेडेडियम बनाने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद डॉ. जायसवाल जी। डॉ. श्रीमती रेणु जोगी जी।

डॉ. श्रीमती रेणु जोगी जी (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में बजट 2022-23 के आय-व्ययक पर चर्चा करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मेरे क्षेत्र की समस्या को बोलने के पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सभी शासकीय कर्मचारियों की पेंशन पूर्ववत् 2005 के पहले थी उसको सुधार करके यथावत् कर दिया है। दूसरा उन्होंने सभी सदस्यों विधायकों की विधायक निधि को 4 हजार 4 करोड़ किया है। जो दुगुनी हो गई है। ततीसरा व्यक्तिगत धन्यवाद दूंगी कि अरपा भैंसाझार योजना के लिए उन्होंने 45 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की है। क्योंकि 10 साल से वह बांध बन रहा है। पर अभी तक पूर्णत: की ओर उसकी प्रगति नहीं दिख रही है और उससे 65 हजार एकड़ में सिंचाई होना प्रस्तावित है। मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में 2 मिनट बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। सबसे अधिक आवश्यक है पेंड्रा, गौरेला, मारवाही जिला तो बन गया है। गौरेला में चारों तरफ बायपास है पर पेंड्रा में बीच में बहुत सक्रिय रोड है और वहां के अधिकारियों के द्वारा उसे सुबह 07 बजे से रात के 09 बजे तक बंद किया गया है ताकि जबलपुर, डिंडोरी आदि से आने वाली बसें या अन्य ट्रांसपोर्ट बड़े-बड़े ट्रक आदि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और आगे कोरिया आदि स्थानों में नहीं जा सके तो उसके एवज में एक छोटा-सा डेढ़ किलोमीटर का बायपास बनाया गया था और संयोग से वह जोगी जी का आखिरी काम था। अमरपुर गांव से पदगमा गांव तक, उसके द्वारा बड़े वाहन मारवाही होकर निकल सकते थे मनेन्द्रगढ़ आदि अंबिकापुर के लिए रास्ता था। सड़क बन गई और उसका अच्छा उपयोग हो रहा था क्योंकि रास्ते में मुक्तिधाम भी पड़ता है और दुर्गा विसर्जन सरोवर भी वही है तो पेंड्रा की जनता को सुविधा थी कि फिलहाल एक वैकल्पिक मार्ग बायपास बन गया है, उससे वह आते-जाते थे। अब वहीं के कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जिसकी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, या बात ही देती हूं। श्री पुष्पराज सिंह, जिसको मैंने 15 वर्ष में खुद भी देखा है। उन्होंने आपत्ति लगाकर और वहां पर पदस्थ अधिकारियों पर जोर देकर उस सड़क को उखाड़ने का आदेश शिकायत करके लगभग प्राप्त कर लिया है तो मैं चाहती हूं कि उसकी गुणवत्ता अच्छी है सड़क अच्छी बनी है। सड़क डेढ़ किलोमीटर मात्र है और वह नगर पंचायत पेंड्रा शहर के भी काम आ रही है और बायपास एक वैकल्पिक मार्ग भी है तो उसे जब तक यथावत् रहने दें। 5 साल पूर्व पेंड्रा बायपास भी स्वीकृत हुआ था। प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई थी। वह प्रोजेक्ट 54 लाख करोड़ रूपये का था पर आज दिन तक उसका न टेंडर हुआ, न एक इंच शुरूआत हुई और आप लोग भी मारवाही के चुनाव में गये होंगे तो देखा होगा कि शहर की क्या स्थिति

है और यदि बीच की सड़क भी घण्टे कर दी जाए तो लोगों का आना-जाना बहुत कठिन हो जाता है। इसी तरह रतनपुर बायपास जो रतनपुर से गौरेला-पेंड्रा आने के लिए प्रस्तावित है जिसको माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति पिछले वर्ष दी गई थी। उसकी भी शुरूआत आज दिन तक नहीं हुई है। अभी जो वैश्विक त्रासदी हुई, यूक्रेन और रसिया के युद्ध में, तो देखा है करीब 20 से ऊपर छात्र, मेडिकल छात्र हैं और 30-30 लाख प्रति वर्ष फीस देकर वहां मेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो मैं स्मरण दिलाना चाहूंगी कि जब प्रथम कांग्रेस की सरकार थी तो पी.पी.पी. मॉडल पर श्री वर्षीय मेडिकल कोर्स शुरू किया गया था और आज उनका सौभाग्य है कि सभी डॉक्टर दूरस्थ बस्तर, अंबिकापुर, मेरे इलाके या अन्य पी.एस.सी. में कार्यरत हैं और उन्हें लगभग 50 हजार से ऊपर तन्ख्वाह भी मिल रही है जो शुरूआत में 8 हजार मात्र की संविदा नियुक्ति में थे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि पूर्व में पेड्रा- गौरेला में औद्योगिक पार्क बना था, तब तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लगाएं, पर आज वहां विभिन्न उद्योग चल रहे हैं-जैसे फिनाईल बनाना या सीमेंट के पोल बनाना । वहां एक इंच की जगह भी नहीं बची है और सभी उद्योग प्राफिट में चल रहे हैं और बहुत ही शीघ्र वहां जंक्शन भी बनकर तैयार हो रहा है, जहां गेवरा से पेंड्रा सीधी ट्रेन आएगी और बिलासपुर का जो अतिरिक्त रास्ता है, वह कट जाएगा तो अन्य खाली जगह वहां इतनी ज्यादा है कि वहां कुछ नहीं हो सकता तो उसे भी औद्योगिक पाट बना दें और आदिवासी क्षेत्र को जो मिलने वाली छूट है, वह दिलवा दें तो अपने आप वह ईलाका सम्पन्न हो सकता है । लोगों को मजदूरी भी मिल सकती है और वहां की उन्नति हो सकती है । गौरेला में अंग्रेजों के जमाने का सन् 1923 का एक डेरी फार्म है, जहां कृत्रिम गर्भाधान की ट्रेनिंग पूरे छत्तीसगढ़ के वेटनरी डाक्टर्स को दी जाती है, पर दुर्भाग्य से वहां रहने के लिए कोई स्थान नहीं हैं। किराए से सामान लाते हैं, छोटे-छोटे घरों में या क्वाटर में रखते हैं और उनको एक-एक सप्ताह, दो-दो सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां कम से कम 20 लोगों के लिए एक छात्रावास या हॉस्टल बनाने की व्यवस्था कर दें ।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे कोटा विधान सभा में करीब 10 हजार बैगा हैं और वे पहाड़ों पर रहते हैं तो उनके लिए भी अभी प्रधानमंत्री आवास नहीं बने हैं और न उनके लिए पेयजल की सुविधा है । लोरमी क्षेत्र से भी कुबागांव बसाया गया है, जहां लोगों को विस्थापित किया गया है । वे भी पानी की समस्या से हमेशा त्रस्त रहते हैं तो उनके लिए पानी की व्यवस्था हो और वहां जो भी राशन दुकान चलाता है, वह उनको आधा ही राशन देता है । इस ओर ठीक से निगरानी करके कम से कम जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करें । मैं यह कहना चाहूंगी कि बिलासपुर जिला ही एक मात्र जिला है, जहां 12वीं के बाद उनको प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है । हार्टीकल्चर कालेज और अन्य कॉलेजों में उनके लिए प्रति वर्ष दो-दो सीट आरक्षित है, वे फ्री में पढ़ें, पर जब उनको प्रमाण-पत्र ही नहीं मिलेगा तो कैसे पढाई करेंगे । करीब 15-20 साल हो रहे हैं, अभी तक वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सीटें खाली ही जा रही हैं तो इस सदन से आग्रह करती हूं कि वहां के कलेक्टर या एस.डी.एम. को बोलकर उनके लिए व्यवस्था करवाएं, अभी गुलाब कमरो जी कह रहे थे कि सोनहत, मनेन्द्रगढ़ जिला में बैकुण्ठपुर में उनको जाति प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र मिल रहा है तो हमारे क्षेत्र के लोगों को प्रमाण-पत्र मिल सके । जब माननीय रमन सिंह जी कवर्धा का प्रतिनिधित्व करते थे तो वहां के बैगाओं को भी प्रमाण-पत्र मिलता था । दो-तीन क्षेत्रों में ही बैगा जनजाति के लोग रहते हैं तो बिलासपुर में भी इनकी संख्या करीब 10 हजार है तो उनको भी प्रमाण-पत्र दिलाने की कृपा करें तो यह मेरी अंतिम और आखरी उपलब्धि होगी । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री बृहस्पत सिंह जी । समय का ख्याल रखेंगे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें ।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- जी सभापति महोदय । आपके आदेश का अक्षरश: पालन होगा । छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम लोगों ने कांग्रेस में रहकर तीन साल सरकार चलाया । 15 साल हमारे विपक्ष के साथियों ने सरकार चलायी और फिर सी अभी हम लोग सरकार में हैं और यह चौथा बजट है, आने वाले साल में इस कार्यकाल का अंतिम बजट रहेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसके डर से आवाज कमजोर हो गई है, क्यों भयभीत हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- किसके डर से आवाज कमजोर हो गई।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- गले से आवाज ही नहीं निकल रही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सदस्य शालीनता से बोल रहे हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- थोड़ा बुलन्द आवाज में जोर से बोलो, जैसा हमेशा बोलते हो, क्यों डर रहे हो ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- शिवरतन जी, वह शालीनता से बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मंत्री जी, ओखर चिल्ला-चिल्ला के बोले के आदत पड़ गय हे, ओला शांत नइ सुन सकत हन। आदत पड़ गय हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ओखर तेज आवाज सुने के आदत पड़ गय हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह बजट छत्तीसगढ़ के किसानों का ही नहीं, यह सभी वर्गों के लिए, सरकार पक्ष के लिए ही नहीं, विपक्षों के लिए भी है। यह सरकार बनने के साथ एक का दो और इस बार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दो का चार हो गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमण्डल को बधाई देता हूं।

मानननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, धान-धान कहकर बड़ी चर्चा होती है। आप गूगल में सर्च करके देख लीजिये देश और दुनिया में, कहीं भी चावल से ज्यादा धान महंगा नहीं बिकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है, जहां चावल से ज्यादा महंगा धान बिकता है। जिस देश के हजारों किसान दिल्ली में एक साल तक डेरा डाले रहे कि कम से कम समर्थन मूल्य की गारन्टी हो, सरकार कम से कम साढ़े अठ्ठारह सौ रूपया क्विंटल धान की कीमत की गारन्टी ले, लेकिन भारत सरकार पर जूं नहीं चला। आखिर में चुनाव के कारण झुकना पड़ा और काले कानून को वापस लेना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की अच्छी कीमत मिलने के कारण आज हर गांव में जो किसान नांगर और भैंसे से खेती करते थे, वे लोग आज ट्रेक्टर खरीद रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि ट्रेक्टर बेचने वाले ट्रेक्टर की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। पहले यह होता था कि जब किसानों को पैसे की जरूरत होती थी तो वे लोग शहर में महाजन के पास जाते थे कि हम अनाज देंगे, ये बेचेंगे। लेकिन साहब, पहली बार ऐसा हुआ कि अब पैसा गांव से शहर में आ रहा है। हर किसान के खाते में पैसा दिख रहा है। हर किसान के जेब में पैसा दिख रहा है। जब किसान आर्थिक रूप से सम्पन्न होता है तो अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, घर वालों के लिए अच्छे कपड़े, अपने खेती के लिए नई तकनीक के औजार, ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, कैथविल, रोटावेटर, थ्रेसर, ये सारी चीजें खरीदता है। छत्तीसगढ़ का यह बजट वास्तव में चौकाने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद कर दिया था, इस सरकार ने उसको भी एक साथ पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। इनको क्या दर्द समझ में आयेगा, जो भाई लोग हल्ला करते हैं। आप उनके बारे में सोचिये जो अधिकारी-कर्मचारी जिन्दगी भर सरकार की सेवा करता और जब वह आखिर में रिटायर होता है, उसके बाद घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, मेन्टेन करना मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के लिए जिन्दगी भर एक तोहफा इस सरकार ने दिया है। मैं इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हजारों कर्मचारियों ने खुशी मनाई, जश्न मनाया। बजट के पहले लोग नारेबाजी करते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा सुना कि बिना मांगे मुख्यमंत्री जी ने दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमण्डल को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में गौ माता की खूब राजनीति हुई। छत्तीसगढ़ में भी गौ माता की खूब राजनीति हुई। हमने पिछली सरकार में देखा कि गौशालाओं में कितनी गौ माता की क्या हालत हुई थी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहली बार गौ माता की ही नहीं, गौ माता द्वारा देने वाली गोबर को भी खरीदा है। पहले गांव में गोबर फेंकने की वजह से लड़ाई होती थी कि मेरे घर की तरफ

गोबर क्यों फेका, मेरी साइड क्यों फेंक दिया। लेकिन आज गोबर के लिए इसलिए लड़ाई होती है कि मेरा गोबर क्यों उठा लिए, इस बात की लड़ाई होने लगी है। क्योंकि हमारा गोबर हम खुद बेचेंगे, इस बात की लड़ाई होने लगी है। किसान अब गोबर बेंचकर लाभान्वित हो रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने बजट के दिन देखा कि जैसे कोयले के खदान से हीरा निकलता है, वैसे ही किसानों के गोबर से सोना निकला।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- एक किस्सा सुना दो कि मेरे गांव में एक गौठान है, वहां 5 सौ महिलाएं हैं, उसमें से 3 सौ महिलाओं ने गोबर बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ऐसा कुछ बताओ न, सफलता, सक्सेस रेट बताओ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बता रहा हूं। रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र का, बलरामपुर जिले का गिरवरगंज गौठान है, आप आज भी वहां जाकर देखिये, एक सप्ताह पहले ही वहां की महिलाओं ने सी.एफ.एल. बल्ब बनाना शुरू किया है। सौ रूपये में 3 सी.एफ.एल. बल्ब देते हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बस, कागज में बन रहा है। आप कागज में तो मिसाइल बना सकते हो।

श्री वृहस्पत सिंह :- मैं तो बोलता हूँ कि आप सब लोग तैयार हो जाईये । आने-जाने की व्यवस्था मैं करा दूंगा । आपको वहां से बल्ब भी दिलवाऊंगा । (व्यवधान) (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन सिंह :- वृहस्पत सिंह जी सुनो । मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी और पिछले बजट सत्र में निवेदन किया है कि लॉट निकालों कहां पांच जगह जाना है । (व्यवधान)

श्री वृहस्पत सिंह :- लॉट की बात नहीं, मैं तो नामजद बोल रहा हूँ । नामजद बता रहा हूँ कि बलरामपुर जिले का ...।

सभापति महोदय :- डॉ.साहब आप स्थान ग्रहण करें । व्यवधान न डालें । माननीय सदस्य को बोलने दे ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- सी.एफ.एल. बल्ब लघु उद्योग लगाकर किया है, गोबर से नहीं । आप उसका उदाहरण दे रहे हैं । हमने पूछा गोबर से कितनी आर्थिक स्थिति बदली है । सी.एफ.एल. बल्ब कह रहे हैं ।

श्री वृहस्पत सिंह :- मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ । खोखरा करके गांव है । उस गांव में गोठान में ही गैस बनाया जा रहा है और 12 घर को गैस दिया जा रहा है । सभापति महोदय, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ । कोई राजनीतिक भाषण नहीं है । विपक्ष के सभी साथियों को मैं व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित करता हूँ । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब आपका बल्ब फ्यूज है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री वृहस्पत सिंह :- प्रभारी मंत्री डहरिया साहब वहां से हैं । इसके साथ ही डहरिया साहब को कह रहा हूँ कि सारे विपक्ष के साथी को लेते चलिये । बलरामपुर के जो गिरवरगंज गौठान है, वहां इनको दिखा दीजिए । वहां गाय की गोबर से कैसे खाद बना रहे हैं । जैविक खेती कैसे कर रहे हैं, उनकी सब्जी कैसे बिकती है और फसल कैसे होता है । जो हमारा सेंटेड धान होता है, जवां फूल उसमें कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं । अगर यहां खाना पकता है तो बाहर तक खूशबू जाती है । सभापति महोदय, यह गौ गोठान का कमाल है । वहां पर महिलायें जो बल्ब बना रही है, 100 रूपये में तीन बल्ब बना रहे हैं और तीन महीने की गारण्टी दे रहे हैं । सारे लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आने-जाने का किराया, वहां रहने-खाने की व्यवस्था, सब हम लोग करेंगे । आप देख लीजिए । इसके बाद आप बात करिये ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

श्री वृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, इन लोग छेड़कर समय बरबाद किये हैं, इसलिए उनका समय कटौती किया जाये ।

सभापति महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आप भी बहुत छेड़ते हैं, वृहस्पत सिंह जी ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें, वृहस्पत सिंह जी ।

श्री वृहस्पत सिंह :-आप भी तो सब के बोलने पर खड़ा होकर छेड़ते हो ।

सभापति महोदय :- समय का ध्यान रखें ।

श्री वृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आज सारी बातें सभी लोगों ने कही है । लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब हम लोग पढ़ते थे, या अभी तक सरकार बनने के पहले इंग्लिश मिडियम स्कूल प्रायवेट होता था, टाई, पैंट, बूट पहनकर लड़के जाते थे, बड़े और संपन्न घराने के बच्चे पढ़ पाते थे, जिनके पास संपन्नता होती थी, गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था । भूपेश बघेल की सरकार और उसके मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूँ, आपने सभी जगह इंग्लिश मिडियम स्कूल खोलकर उनके लिए बहुत बड़ा उपकार किया है । आज गरीब का बच्चा भी, मजदूर का बच्चा भी, किसान का बच्चा भी, टाई-कोट, बूट लगाकर इंग्लिश मिडियम स्कूल की पढ़ाई कर रहा है । इसके लिए मंत्रिमंडल को और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, एक मिनट में बोल रहा हूँ । पिछली सरकार बड़ी-बड़ी सेविंग पुल और बिल्डिंग खड़ी कर रहे थे, बस्तर और सरगुजा दूरांचल क्षेत्र में एम.बी.बी.एस. डॉक्टर नहीं हुआ करता था, डी.एम.एफ. के पैसे और बाकी सहयोग से आज हम लोग सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना, ईलाज, ब्लक बैंक, सिटी स्कैन मशीन, डायलिसिस सारी चीजों की समुचित व्यवस्था हमने किये हैं । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करिये ।

श्री वृहस्पत सिंह :- मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चन्द्राकर भईया और सब लोगों को अकबकाहट होता है, इनके जांच के लिए जरूर वहां भेजिये । वहां बहुत अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं । इनका ईलाज सुनिश्चित हो सके । आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी । समय का ख्याल रखेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं वही बात करूंगा जो सत्य है चाहे वह पक्ष में या विपक्ष में हो। सर्वप्रथम तो मैं सदन के सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने की घोषणा की है, इसके लिए मैं उनको हृदय से और सारे विधायकों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने उनके दर्द को समझा, स्थानीय विकास कार्यों को विकसित करने के लिए आपने विधायक निधि को बढ़ाने की घोषणा की। दूसरा बलौदाबाजार विधानसभा में तिल्दा-नेवरा में अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, शासन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। एक सबसे बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्य किया है, सरकार का पहला कोई ऐतिहासिक कार्य होगा, सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करके एक इतिहास रचा है। यह निश्चित रूप से बहुत ही बधाई के पात्र हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- प्रमोद कुमार शर्मा जी, क्या आपके सुर बदल गये हैं ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अभी आहूं ओखर बाद, जो सही बात हे, ओला पहले बोल देथौं, ओखर बाद पूरा भ्रष्टाचार ला भी गिनवाहूं। अब भ्रष्टाचार को गिनाऊंगा लेकिन जो सही किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय भूपेश बघेल जी ने एक नया इतिहास रचा है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- बाकी मन बुराई से अच्छाई की तरफ जाथें लेकिन शर्मा अच्छाई से बुराई की तरफ जाही।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंहा बताहूं कि भ्रष्टाचार का-का होये हे। पुरानी पेंशन योजना को लागू करना निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। वह सरकारी कर्मचारी जो रिटायर होने के बाद जो अपने बेटे के ऊपर या और किसी के ऊपर आश्रित रहते थे, यह पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद वह अपने आप स्वयं में किसी के ऊपर बोझ नहीं रहेगा, स्वयं में उनका एक आदर, सम्मान होगा। यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इसलिए उन सभी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की ओर से बहुत-बहुत बधाई दूंगा। सरकार की जो गलत-गलत नीतियां चल रही हैं, इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार पूरे हिन्दुस्तान में नंबर वन है।

श्री दलेश्वर साहू :- शर्मा जी, उधर चढ़ाते हो और इधर उतारते हो। ऐसे थोड़ी होता है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं जो सही बात है वह बोल रहा हूं। मैं दिल से बोल रहा हूं। जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- सही ला सुने हौ ते गलतौ ला सुनौ कहत हे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- पहली के सरकार मन भ्रष्टाचार नई करिस का गा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सही बात ला स्वीकार करौ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबके कुर्सी में एक-एक live detective machine लगना चाहिए। कई लोग तो यहां पर बैठकर असत्य बोलते हैं। वह मन से नहीं बोलते हैं। यदि गलत बोलेंगे तो मशीन की लाईट जल जायेगी। असत्य पकड़ने वाली मशीन लगनी चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- केन्द्र सरकार को पहले सलाह देना।

सभापति महोदय :- शर्मा जी मूल विषय में आईये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बलौदाबाजार विधानसभा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां डी.एम.एफ. फंड में 80 करोड़ रुपये है और वहां सिर्फ इस राशि का दुरूपयोग, बंदरबाट किया जा रहा है। 9 करोड़ रुपये का बीज कहां पर जाता है किसी को नहीं मालूम। सरकारी आफिस की स्थिति यह है कि 5 लाख के ठेका के लिए अधिकारी यह बोलते हैं कि बंगला से फोन आया है। यह बंगला कहां है ? यह बंगला वाले कौन हैं ? यह अधिकारी असत्य बोलते हैं। डॉबर की गोली जो आठ आने में तीन मिलती है उसके लिए भी बंगला से फोन आता है। सरकार का इतना स्तर गिर चुका है कि दो-दो रुपये के लिए बंगला से फोन आ रहा है। या तो अधिकारी असत्य बोलते हैं या तो सही में फोन आता होगा। ठेकेदारी का खेल है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह बंगला की बात आपत्तिजनक है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- वह बंगला कहां है, कहां से फोन आता है ? अधिकारी बोलते हैं कि बंगला से फोन आ रहा है। 5 लाख के ठेका के लिए इस प्रकार का स्तर है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आपको कौन अधिकारी बोला, उसका नाम बताईये।

सभापति महोदय :- चन्द्रा जी हस्तक्षेप न करें। माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप अधिकारी की बात में क्यों विश्वास कर रहे हैं, आप खुद जांच करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- कौन अधिकारी ऐसा बोला है, उसका जरा नाम तो बताईये। हवा में बात नहीं करने का है। कौन विभाग का कौन अधिकारी बोला है, यह बात भी बताईये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यह बंगला का फोन कहां से आता है, संबंधित लोकल वाले को ठेकेदारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करने के लिए टेंडर फार्म नहीं दिया जाता है। सिर्फ बंगला से फोन आया है, पता नहीं वह बंगला कहां है। कौन फोन करते हैं ? यह सही में है या गलत में है। भ्रष्टाचार की सीमा व्याप्त है। 20-25 प्रतिशत में..।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, चलिये समाप्त कीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मैं तो अभी भ्रष्टाचार के बारे में बताना चालू किया हूं। मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मैं पूरा पुलिन्दा रखा हुआ हूं।

श्री गुलाब कमरो :- शर्मा जी, टेंडर तो फोन से नहीं होता है, टेंडर ऑनलाईन है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- टेंडर के लिए जिला पंचायत में 20 हजार की सहायता 45 हजार में दबाव डालकर दिया जा रहा था। बिना टेंडर के किसने कहने में दे रहे थे ?

श्री शिव कुमार डहरिया :- सभापति महादय, यह शिवरतन शर्मा जी के चक्कर में जाही तो धारो-धार बोहाही।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 हजार का (व्यवधान) 45 हजार में जिला पंचायत में । इतने धड़ल्ले से कौन अधिकारी करा रहा है, भ्रष्टाचार कैसे कर रहे हैं, किसका संरक्षण प्राप्त है ? यह निश्चित रूप से ऊपर में किसी न किसी का हाथ है, इसीलिये अधिकारी इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। यह अधिकारी खुलेआम मनमानी कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ऊपर से संरक्षण प्राप्त है और यह बंगला कहां है, आखिरी तक यही जानना चाहेंगे, कि बंगला का फोन कहां से आता है। बिहान योजना के तहत पैरा कटिंग की मशीन, जो 1 लाख से 1.5 लाख रूपये तक की जिसकी कीमत है, वह बिना टेंडर के 4-4 लाख रूपये का बिल पास हो रहा है। महोदय, यह कहां से हो रहा है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, संक्षिप्त करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, उनको बोलने दीजिये, एक तो नये हैं। आपकी वजह से मोहन मरकाम जी के टाईम में शांत बैठे थे, थोड़ा बोलने दीजिये। मैं आपके संरक्षण के लिये बहुत अनुभवी आदमी हूं।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, चलिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यहां भ्रष्टाचार का भयंकर पूरा पुलिंदा है, पुलिंदा। पूरा पुलिंदा बैठा हुआ है और पूरी भ्रष्ट सरकार है। एक बात और कहना चाहूंगा, अभी माननीय डॉ. साहब बोल रहे थे। राजीव क्लब मितान से हम लोग यह पैसा देंगे, वह पैसा देंगे। "राजीव क्लब मितान" गठन करने का नियम क्या है ? जनपद पंचायत से एक सदस्य लेना है, विधायक के द्वारा एक सदस्य लेना है, सरपंच से एक सदस्य लेना है, लेकिन नहीं। आप देखिये कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से सिर्फ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ऐसा बनाकर दे दिया जा रहा है और सिर्फ युवा कांग्रेस को "राजीव क्लब मितान" का पैसा डायरेक्ट दिया जा रहा है।(शेम-शेम की आवाज) हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकारी खजाने का पैसा अपने कार्यकर्ता को डायरेक्ट दिया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है।

श्री बृहस्पत सिंह :- (व्यवधान) जनपद पंचायत से लिस्ट आ रहा है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नियम के तहत ? यह लिस्ट है, आप मिला लीजिये। जैसे गांव में गोठान का चयन किये।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- शर्मा जी, आप "राजीव गांधी क्लब मितान" योजना की नियमावली पढ़े नहीं हो लग रहा है। पढ़े हो कि नहीं पढ़ हो ?

श्री प्रमोद मुमार शर्मा :- हां, पढ़ा हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- उसमें कितनी नियमावली है, वह भी शासन की गाइडलाईन है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- गाइडलाईन के हिसाब से नहीं हो रहा है, वही तो बता रहा हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- इतने आसान तरीके से शासन के पैसे को खाना संभव नहीं है। आप कुछ भी बोल रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- तो उसको कांग्रेस कमेटी वाले उसका बनायेंगे। यह देखिये कांग्रेस कमेटी वाले बना-बना कर दे रहे हैं।(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ऑनलाईन दिये हैं..।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे।

श्री सौरभ सिंह :- और यह बोल रहे हैं कि गाइडलाईन को फॉलो करो, आप नियम को फॉलो करो।(व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- नियम का फॉलो होगा।(व्यवधान) जो नियम है, नियमत: होगा।(व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- सरकार यह पैसा सीधे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को नहीं दे सकती। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शर्मा जी, आप अपनी बात रखिये। साहू जी, बृहस्पत सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर बैठे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो रही थी, युवाओं को लोकल में रोजगार देने की बात हो रही थी, नौकरी देने की बात हो रही थी, भत्ता देने की बात कह रही थी, सरकार कहां है ? लोकल लोगों को नौकरी में 90 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हो रही थी, सरकार कहां है ? पूरी सरकार सिर्फ पैसा कमाने में, भ्रष्टाचार में, यह सरकार लिप्त है और मैं आखिरी में जाते-जाते यह बता देता हूं कि यह सरकार की यही कहानी है।

सभापति महोदय :- चलिये, संक्षिप्त करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- साहब, कहां जा रहे हो। आपको यहां अभी और आना है, जाते-जाते नहीं, आपको एक बार और आना है। यह जाते जाते बता देता हूं बोल रहे हैं, कहीं नहीं जाना है, आपको यहां और आना है।(व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- शर्मा जी, शर्मा जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- दादी, अभी होली आ रही है, आप तो उधर के सब सदस्यों का ख्याल रखो। आप ध्यान नहीं देते हो, सब नाराज है।(हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- दादी, आप खाली शर्मा जी का ध्यान रख रहे हैं।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, जल्दी समाप्त करिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, बस एक लास्ट में और दोहा कहकर समाप्त करूंगा। "लूट सके तो लूट, दू बछर बाचे हे, सत्ता जाही छूट"। दूए साल बचे हे, जतका लूट सकथे लूट लो। एकर बाद आप मन हा इहिच कोति आहु । सरकार के यह गति होने वाला है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- डबल आहु, डबल।

श्री दलेश्वर साहू :- शर्मा जी, जे सरकार संस्कृति अऊ धर्म ला लेकर चलथे न, ओकर कोई बाल बाका नी उखाड़ सके, इतना याद कर।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, समाप्त करे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ये सरकार हा भ्रष्टाचार मा डूबे हे।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज जी, राम नाम का लूट है, लूट सकै तो लूट। ते मन के हरे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सरकार मन हा पूरा भ्रष्टाचार मा डूबे हे, छत्तीसगढ़िया ला सिर्फ लूटे के काम करथे और सिर्फ एक ठोक किसान का मुखौटा लगा के सिर्फ दिखावा के काम होवथे। बाकी जितना भ्रष्ट प्रकार के काम हे, माननीय के आगे-पीछे वाले मन ला सिर्फ ठेकेदारी करना है, अऊ ठेका ला लूट-लूट के काम करना है, कमिशन कमाना हे, इही बस चलथे अऊ बाकी कुछू नहीं चलथे। ये आखिरी साल हे, लूट लो इस साल तक के। दू साल बाद, ऐ सरकार जाही छूट। मैं ये बजट के पूरा विरोध करथो। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। श्री प्रकाश शक्राजीत नायक।

श्री सौरभ सिंह :- अभी आप होली वाले प्रस्ताव में मान नहीं रहे हो।(व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- दादी जी, होली में पैकेज निकालिये, पैकेज।(व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय दादी जी, आप होली में होली पैकेज निकालिए।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा में सरकार के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। हमारी सरकार का यह बजट 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं, विश्वास का बजट है। इस बजट के द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

परिकल्पना साकार होगी। प्रदेश के यशस्वी एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट में छत्तीसढ़ राज्य के विकास का मिल का पत्थर साबित होगा और इस बजट में हमारी सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है, चाहे वह किसान, मजदूर, युवा और कर्मचारी हों या अधिकारी हों या व्यापारी हों। हमारे इस सदन में अधिकांश सदस्य किसान हैं और छत्तीसगढ़ में 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और सभी खेती पर आधारित हैं। हमारी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए, वर्ष 2022-23 के बजट में 20 हजार 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से 1424 करोड़ रूपये अधिक है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमारी सरकार यही नहीं रूकी, इस वर्ष 173 नवीन धान खरीदी केन्द्र खोले जिससे किसानों को धान विक्रय करने में सुविधा हुई। विगत 3 वर्षों में 9 लाख 77 हजार नये किसानों का पंजीयन एवं उपार्जित धान की मात्रा में 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इस वर्ष रिकॉर्ड 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10 हजार की आदान सहायता देने की व्यवस्था की गई है और विगत 2 वर्षों में 10 हजार 152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इस योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान है। इसे वर्ष यह रखा गया है। किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों को भी राजीव गांध किसान न्याय योजना का लाभ निरंतर मिल रहा है। प्रदेश में धान, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, चना के अलावा रागी, कोदो, कुटकी जैसे..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय प्रकाश जी, यह हम सब लोग पढ़ लिये। कुछ नई बात है तो आप बोलिए।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय भईया मैं बोलना सीख रहा हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- सवा 3 साल हो गये, आप आज भी सीख रहे हो। आप प्रमोद जी से सीखिये। माननीय प्रमोद जी के पास बोलने की ट्रेनिंग लीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- हमन सही ला सिखथन, गलत ला नई सिखन।

सभापति महोदय :- प्रकाश जी, आप संक्षिप्त में करें।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय सभापति महोदय, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। मैंने अभी अपना भाषण शुरू किया है। आपने 5 मिनट का समय दिया है। अभी एक मिनट हुआ है और आप बोल रहे हैं कि संक्षिप्त करें। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं बोलना शुरू किया हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं कुछ-कुछ तैयारी करके लाया हूँ उसको मुझे पढ़ने दीजिए। अभी छत्तीसगढ़ में लगातार यूरिया की कमी हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के विपक्ष के विधायक, सांसदों ने छत्तीसगढ़ को यूरिया की आपूर्ति कराने में कोई पहल नहीं की है, यह बहुत ही निन्दा का विषय है। किसानों की आय दुगुनी कर, सत्ता हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने किसानों की आय दुगुनी तो नहीं की, परन्तु

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खाद, कीटनाशक, डीजल, पेट्रोल की कीमत दुगुनी कर किसानों की कमर तोड़ दी। हमारी सरकार ने किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 2500 रूपये समर्थन मूल्य नहीं दिया होता तो आज किसान कर्ज में डूब जाता। हमारी सरकार ने 17 लाख 96 हजार किसानों का 8 हजार 744 करोड़ रूपये का कृषि ऋण माफ किया है।

माननीय सभापति महोदय, गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसमें हमारे गोबर विक्रेता, जो हमारे पशु पालक हैं लगातार इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। इनको 127 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। हमारी सरकार लगातार उद्यानिकी को बढ़ावा दे रही है और दुर्ग जिले के ग्राम सांकरा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, इसका शिलान्यास 2 अक्टूबर 2020 को किया गया है एवं उद्यानिकी से संबद्ध किसानों के कल्याण के लिए छ.ग. में शाकम्भरी बोर्ड का गठन किया गया है। हमारी सरकार लगातार शैक्षणिक सुविधाओं में विस्तार कर रही है। गरीब परिवार के बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षा दिलाने हेतु 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन चालू किया है जिसमें 1 लाख 35 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इस वर्ष से हिन्दी माध्यम के भी 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवास-आश्रमों हेतु 106 भवनों का निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मैं हमारी सरकार से मांग करता हूँ कि केसरिया का जो हायर सेकेण्डरी स्कूल है वह बहुत जर्जर हो गया है, वहां पर नवीन भवन स्वीकृत करें। लोक निर्माण विभाग में लगातार काम हो रहे हैं। मैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहूंगा।

समय :
3:00 बजे

रायगढ़ जिले में उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया हुआ है, रायगढ़ जिले में लगभग 600 करोड़ रूपए की ऊपर की राशि सड़कों के लिए दिया है। मैं विकासखंड पुरसौर से ग्राम पड़ीगांव से नवापाली तक रोड निर्माण हो गया है, परंतु नवापाली से डिपरापारा तक लगभग 1.5 किलोमीटर रोड छूट गया है, उसको बजट में शामिल करने के लिए मांग करता हूं। पुरसौर ब्लाक का सेनेगाल गांव पक्की सड़क से पहुंचविहीन है, उसको भी मैं जोड़ने की मांग करता हूं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बिजली बिल हाफ योजना का लाभ हो रहा है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 के इस बजट में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने अवसर दिया, धन्यवाद। मैं इस बजट का विरोध इसलिए

करता हूं क्योंकि मैं जब बजट का एनालिसिस कर रहा था और इस बजट के बारे में, इस सरकार की उपलब्धि के बारे में कुछ मुद्दे ढूंढ रहा था कि मैं क्या पाजिटिव बोल सकता हूं। मगर मुझे एक रिपार्ट हाथ में लगी, उस रिपार्ट के आधार पर मैं कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ बजट एनालिसिस पी.आर.एस. एजेंसी ने एक रिपोर्ट बारीकी से अध्ययन करके एनालिसिस करके रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है और उस रिपोर्ट का आधार यह है कि पिछले साल बजट में जो राशि रखी गयी थी या उसके पहले हम बजट में जो प्रावधान रखते हैं, उसका कितना उपयोग हुआ ? सवाल यह है कि 1 लाख 4 हजार करोड़ का बजट है। उसमें 14 से 15 प्रतिशत डेव्हलपमेंट के लिए रखा गया है, मगर उसको यदि एनालिसिस करने को देखा जाए और बारीकी से अध्ययन किया जाए तो सरकार की कलाई खुल जाती है और वह सारे डेव्हलपमेंट के आंकड़े जो कागज में दिखते हैं, वह कागज में रह जाते हैं। मैं उस एनालिसिस को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज बजट की क्या स्थिति है और बजट में क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी किस प्रकार की है जो क्रियान्वयन करने में असफल हुई है। सेक्टर वाईस जो वर्ष 2020-21 का बजट है, एक्चुअल में बजट का एलोकेशन कितना था, एक्चुअल एलोकेशन कितना गया और यूटिलाईजेशन कितना हुआ ? मैं जब सेक्टर वाईस इसका एनालिसिस करता हूं तो मैं हाऊसिंग सेक्टर का देख रहा था, 1,905 करोड़ हाऊसिंग सेक्टर में बजट था और बजट का जो एक्चुअल खर्च हुआ, वह 347 करोड़ है। यानी हाऊसिंग सेक्टर में माईनस 82 प्रतिशत यूटिलाईजेशन रहा है, यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आवास बने ही नहीं, मैं बाद में आंकड़ों से साबित करूंगा कि हाऊसिंग सेक्टर कैसे पूरे छत्तीसगढ़ में कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने का मतलब यह दिखा रहा है कि 80 प्रतिशत माईनस है। यानी केन्द्र और राज्य सरकार की योजना और गरीबों के लिए आवास शहरी आवास बाकी योजना में इस सेक्टर में जो नुकसान हुआ है। दूसरा, Irrigation और fluid कंट्रोल जो बड़ी-बड़ी बातें बोधघाट परियोजना और इसकी कल्पना करते थे, 2,846 करोड़ एक्चुअल बजट में रखा गया था और जो खर्च हुआ है वह 1,679 करोड़ है, माईनस 41 प्रतिशत है, Irrigation और fluid कंट्रोल जैसे विभाग में माईनस 42 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप बजट कितना भी रख दो। बजट का उपयोग कितना हो रहा है, आप 46 प्रतिशत में आ गए। इसके साथ-साथ एस.टी. एस.सी. ओ.बी.सी. मायनॉरिटी के लिए 875 करोड़ है। अब इस वर्ग के लिए जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वर्ग है, 42, 45 प्रतिशत है और सब मिला दें तो 85 प्रतिशत वेलफेयर स्किम के लिए है, इसमें तो 100 प्रतिशत होना चाहिए। पिछले साल जो बजट रखा गया है, उसको इस साल खर्च करने में क्या दिक्कत होती है ? मगर एस.टी. एस.सी. ओ.बी.सी. मायनॉरिटी के लिए आश्चर्य होता है कि एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के बॉनर्टी के लिये 875 करोड़ के बजट में 36 परसेंट माईनस इसका मतलब यह हुआ कि 36 प्रतिशत राशि बिना खर्च किये रह गया । यानी अलग-अलग आंकड़े देखने में आश्चर्य होता है कि ट्रांसपोर्ट, रोड, ब्रिज इसके लिये खर्च 6482 करोड़ के अगेंस्ट में 4410 करोड़ माइनस 32 परसेंट वर्क्स डिपार्टमेंट, डेव्हलपमेंट

के लिये जो छोटे-मोटे काम हो रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत बजट मिल जाता है उसमें भी माईनस 32 परसेंट तक पहुंच जाते हैं । यह स्थिति बनती जा रही है और इसके साथ-साथ एजुकेशन, स्पोर्टस, कल्चर में 18719 करोड के अगेंस्ट में 14608 करोड़ माईनस 22 परसेंट बजट में खर्च हुआ । मैं ये पूरे आंकड़े पढ़ने की जरूरत नहीं समझता लेकिन यह सरकार की सच्चाई को दिखाता है और सरकार के क्रियान्वयन के लिये कि बजट में आपने पैसा तो रख दिया लेकिन उस बजट को साल भर खर्च करने में सरकार असफल हो जाती है, यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि एजेंसी कितनी निष्क्रिय है । यह सरकार की स्थिति और इस सरकार की वित्तीय स्थिति और जो दिवालियापन है उस दिवालियापन की आज आम चर्चा में सड़क में, होटल में, रूम में, पानठेले में चर्चा होने लगी । बैंक कर्ज न चुका पाने की वजह से नया रायपुर की संपत्ति को कब्जे में लेकर नोटिस दे रही है और एक दिन ऐसा आयेगा कि जब हमारे मंत्रालय की बिल्डिंग, विधानसभा की बिल्डिंग इन सबको गिरवी रखने की स्थिति न आ जाये । निगम मण्डल में इमरएजेंसी के लिये जो जमा राशि रहती है, मैं यह धरातल की सच्चाई बता रहा हूं । हम जो पेपर में भी पढ़ते हैं और जानकारी भी आती है । निगम मण्डल में ईमरजेंसी राशि के-डिपाजिट में जमा किया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि के-डिपाजिट का भी उपयोग किया जा रहा है । निगमों के पास वेतन देने के लिये पैसे नहीं हैं, सरपंच का भुगतान नहीं हो रहा है, गौठान बन गये हैं उसका पेमेंट 3-3 साल से रूका हुआ है । यह पूरी स्थिति कुप्रबंधन की वजह से है और यही कुप्रबंधन रहा तो आने वाले समय में वेतन देने की स्थिति भी छत्तीसगढ़ में नहीं होगी । केवल बड़ी-बड़ी बातें और बड़ी-बड़ी घोषणायें करने से नहीं होता ।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार पूरी तरह से आत्ममुग्ध होकर चल रही है, यह सरकार पूरी तरह से अदूरदर्शी है और अव्यवस्था के साथ-साथ यह पूरी सरकार चूंकि मुझे लगता है कि एक विजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए । उस सोच का सर्वथा अभाव इस सरकार के पास है, कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं और सोच एवं विजन न होने की वजह से आज पूरी तरीके से सरकार और सरकार की स्थिति यह है कि कर्ज के बोझ से डूबती जा रही है और इस कर्ज की बोझ की वजह से मैं यह कहना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ में यदि हम आंकड़ों की बात करें। छत्तीसगढ़ के एक-एक व्यक्ति के ऊपर इस सरकार के बजट का क्या असर हो रहा है यदि उसको एनालिसिस करने का काम करें तो छत्तीसगढ में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अर्थात् पैदा होते ही बच्चे के सिर में 35 हजार करोड़ रूपये का कर्जा होता है । छत्तीसगढ़ में 35 हजार करोड़ की कर्जे की स्थिति में बच्चा पैदा होता है, आज इस स्थिति में यह छत्तीसगढ़ पहुंच गया है क्योंकि अभी बाजार ऋण की स्थिति 66 हजार 882 करोड़ और इस बजट को शामिल करें 10 हजार करोड़ तो यह 80 हजार करोड़ तक पहुंच गया । मैं इन सब बातों को शुरूआत में ही इसलिये बताना चाहता हूं, आधार बनाना चाहता हूं क्योंकि जब वर्ष 2003 में हमारी सरकार बनी थी तो हमको 8600 करोड़ का विरासत में कर्जा मिला था ।

माननीय सभापति महोदय, हमने भी 15 सालों तक सरकार चलायी है । 15 सालों तक मुख्यमंत्री के नाते हमने काम किया है और वित्तीय प्रबंधन को देखा है । उन 15 सालों के अंदर हमने पूरा मिलाकर 33 हजार करोड़ का कर्ज लिया, मैं 15 सालों की बात कर रहा हूं । 15 सालों में 33 हजार करोड़, आप कम्पेयर करिये कि 3 साल आते-आते यह कर्ज जो है बढ़ते-बढ़ते 66 हजार और अब 86 हजार करोड़ रूपये हो गया है इसका मतलब यह हुआ कि हम हर साल 2 हजार 200 करोड़ रूपये का कर्ज लेते थे और ये हर साल 15300 करोड़ रूपये का कर्ज ले रहे हैं इस वित्तीय स्थिति में छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है और प्रतिव्यक्ति कर्ज की स्थिति यह बन गयी है कि प्रतिव्यक्ति 35 हजार करोड़ रूपये का कर्ज हर व्यक्ति के सिर पर पड़ा हुआ है और व्यक्ति डूबा हुआ है । उसके बाद भी यह कुप्रबंधन का नतीजा है, सरकार के अनयूटिलाईज बजट की वजह से है कि पंडो जाति के लोग कुपोषण से मर रहे हैं, 5000 आदिवासी कुपोषित होकर और साथ ही बच्चे भी मर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आर्थिक प्रबंधन चरमरा गया है । मैं वित्तीय स्थिति के बारे में बाद में चर्चा भी करूंगा, मगर आज पूरे छत्तीसगढ़ में कोल माफिया, शराब माफिया, सैंड माफिया और ये पूरे तरीके से मुझे लगता है कि इतनी बड़ी ताकत बन गयी है। यह हम बिहार में सुनते थे। ये हम उत्तरप्रदेश में सुनते थे कि क्या किस प्रकार से सैंड माफिया गुण्डागर्दी करते हैं। यहां अधिकारी पीट रहे हैं। नेता पीट रहे हैं और तो और विधायक ने यदि थोड़ी बहुत हिम्मत कर दी तो उसके पति पर एट्रोसिटी लगाया जा रहा है। ये हालत यदि किसी राज्य में हो, इस राज्य की स्थिति क्या हो सकती है कि इस प्रबंधन में कहा जाता है कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ कमजोर है। हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं। आर्थिक संसाधन का उपाय मैं बता देता हूं। बहुत सरल उपाय है। सरकार जो काम करवा रही है, सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस प्रकार गब्बर सिंह टैक्स कोरबा में लिया जा रहा है। प्रति टन 25 रूपया, उस पैसे को यदि शासकीय खजाने में जमा कर दिया जाये तो राज्य की स्थिति में सुधार आ जायेगा। शराब और रेत में जो लूट हो रही है, उस राशि को यदि सरकार के खाते में जमा कर दिया जाये तो करोड़ों अरबों की स्थिति रातों-रात बदल जायेगी। मगर यह पूरे का पूरा भ्रष्टाचार में जा रहा है। उत्तरप्रदेश और असम के चुनाव में खर्च हो रहा है। यदि ऐसी अराजकता की स्थिति बनी और यही छत्तीसगढ़ का मॉडल है। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है कि सरकार के खिलाफ जो पत्रकार आवाज उठाये, उसे जेल के अंदर ठूस दिया जाये। कोई पत्रकार यदि सरकार के खिलाफ लिखना चाहे तो उसके खिलाफ एट्रोसिटी लगा दिया जाये। राजनीतिक दृष्टि से आंदोलन करने वालों के खिलाफ एट्रोसिटी लगा दिया जाये। यदि ये स्थिति बनती जा रही है तो इसका कारण यह है कि सरकार की निराश दिखती है। जब-जब सरकार निराश होती है, हताश होती है, परेशान होती है तो इस प्रकार से पुलिस से दमन चक्र चलाने का काम करती है और इसका नतीजा क्या होता है, यह आने वाले समय में भी दिखेगा और ये 4 राज्यों के चुनाव में भी हमने देखा कि किस प्रकार से स्थिति में परिवर्तन आया। मैं एक विषय का जिक्र करना चाहता हूं। खासतौर से सरकार के

और सरकार के योजनाओं के बारे में कुछ बिंदु जो सरकार की असफलता रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल जो कहा जाता है, 1 लाख 4 हजार करोड़ के कुल प्राप्ति के बजट में मैं शुरूआत कर रहा हूं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित छत्तीसगढ़ मॉडल बजट जो कहा गया है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट 2021-22 में 8 हजार 827 करोड़ रूपये के बराबर है। यानी ग्रामीण विकास विभाग के बजट में बिना किसी वृद्धि के छत्तीसगढ़ मॉडल बनाने की कल्पना हो रही है। पिछले साल और इस साल के बजट में कोई फर्क नहीं है। वह जितना बजट पिछले साल था, इस साल भी वही बजट दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग श्रम विभाग है। मेहनतकश श्रमिक मजदूरों के कल्याण के लिए आश्चर्य करेंगे कि इन विभाग के बजट में श्रम विभाग के बजट में वर्ष 2021-22 में 215 करोड़ रूपये था, जो खिसक कर 156 करोड़ रूपये आ गया। यह अजीब बात है कि बजट में श्रम विभाग जैसे मजदूरों के लिए, श्रम ब्यूरो के लिए जो पसीना बहाते हैं, जिनकी मेहनत से आज छत्तीसगढ़ के बड़े-बड़े हवेलियां टिकी हुई हैं, उनके लिए बजट 215 करोड़ रूपये से घटकर 115 करोड़ रूपये आ गया। 59 करोड़ रूपये की कमी आ गयी। यह छत्तीसगढ़ का मॉडल बजट है। तीसरा महत्वपूर्ण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिसके बजट में कोई वृद्धि नहीं की गयी। कोविड के बाद की स्थिति जो छत्तीसगढ़ में बनी, निराशा का जो भाव छत्तीसगढ़ में बना, इस भाव के साथ शराब पर 10 रूपये सेस लगाया गया। हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारी जायेगी। आज जिले हॉस्पिटल की क्या हालत है? पी.एच.सी., सी.एच.सी. की क्या हालत है? मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है और तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा मिला, 3 मेडिकल कॉलेजों के लिए 300 करोड़ रूपये दिये गये। वे 3 मेडिकल कॉलेज कागज में बने हुए हैं और कागज से उतर नहीं रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलजों के लिए हम बजट में कितना प्रावधान करते हैं, 300 करोड़ रूपये का सेन्द्रल शेयर तो मिल गया, पर स्टेट उस मेडिकल कॉलेज के डेव्हलपमेंट के लिए कितना पैसा रखता है, बजट में उसे कहीं चिन्हांकित नहीं किया गया है। मेडिकल बनता है, जब तक उनके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, जब तक 200-300 करोड़ रूपये मेडिकल कॉलेज में आने वाले 3 साल में खर्च नहीं करेंगे, तब तक ये सारी की सारी योजनाएं धरी रह जायेंगी और यह छत्तीसगढ़ मॉडल है। यदि मेडिकल कॉलेज खोलने की बात होती है तो एक बंद पड़े मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण में प्राथमिकता हो सकती है, उसके लिए 185 करोड़ रूपये खर्च हो सकता है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज केन्द्र सरकार बस्तर से लेकर सरगुजा तक ग़रीबों के लिए बनाना चाहती है, वह इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है । यह छत्तीसगढ़ मॉडल है, इस छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम कर रहे हैं । चौथा महत्वपूर्ण विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है । सरकार का दावा है कि कुपोषण कम हो रहा है, सरकार का दावा है कि स्व-सहायता समूह का कर्जा माफ कर दिया, बजट 2021-22 में देखिए 2262 करोड़ से मात्र 27 करोड़ बनाकर 2279 करोड़ हुआ है, जबकि इस विभाग के बारे में कहा जाए तो यह पूरा बजट, सारी की सारी योजनाएं केन्द्र सरकार के आई.सी.डी.एस. और पूरक पोषण आहार, 1528 करोड़ की राशि में 85 प्रतिशत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

केन्द्र का अंश होता है, 85 परसेंट, और उसके बाद भी इन योजनाओं को बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है । ये इस प्रकार की स्थिति महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट की है । जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं उसमें बताना चाहूंगा ।

सभापति महोदय :- माननीय डॉक्टर साहब, आप और कितना समय लेंगे ?

डॉ. रमन सिंह :- मैं तो अभी एबीसीडी शुरू नहीं किया हूं भाई । पहली लाईन ही बोला हूं । आप कहेंगे तो मैं यहीं बैठ जाउंगा ।

श्री अनूप नाग :- सभापति महोदय, हम लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए । पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं ।

सभापति महोदय :- जारी रखिए ।

डॉ. रमन सिंह :- सुपोषण अभियान के बारे में महिला एवं बाल विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और सुपोषण अभियान के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के दम पर दावा किया जा रहा है जबकि मैं हकीकत बताना चाहता हूं कि सुपोषण अभियान कैसे कुपोषित हो गया । नेश्नल फैमिली हेल्थ सर्वे की तीसरी सर्वे की रिपोर्ट 2004 और 05 में आई है । सर्वे की चौथी रिपोर्ट 2015-16 में आई । आप जानते हैं कि तीनों सर्वे की रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वह बताती है कि छत्तीसगढ़ अंधकार की ओर जा रहा है, काले युग की ओर जा रहा है । आप जो सुपोषण की बात करते हैं उसका पैमाना एनीमिया होता है । उसके कुछ आंकड़े रिपोर्ट के आधार पर बताना चाहता हूं । जो नेश्नल फैमिली हेल्थ सर्वे ने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर बताना चाहता हूं । सभी प्रकार के एनीमिया में प्रदेश की स्थिति 2004-05 में 6 माह से 11 महीने के शिशु के लिए 85 परसेंट था, रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में हमारे कार्यकाल में 85 से घटकर 56 प्रतिशत हो गया । यह लगातार प्रयास का असर होता है । आज जो 2019 और 2021 में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि वह बढ़कर फिर से 80 प्रतिशत के आसपास हो गया, यह कैसा विकास है । एनीमिया बढ़ रहा है, सड़क न बने, बिजली न मिले, पानी न हो लेकिन कुपोषण को तो समाप्त करना होगा । माताओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने वाली दूसरी रिपोर्ट जिसमें ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ।

समय :
3.16 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2004-05 में महिलाओं में एनीमिया की दर 55 प्रतिशत से अधिक थी । हम सबके प्रयास से यह 2015-16 आते-आते 45 प्रतिशत हो गई, लेकिन आपके इन 3 वर्षों में महिलाओं की एनीमिया की दर फिर से 45 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिश्त हो गई, यह कैसा सुपोषण अभियान है ? उसके बाद भी आप महिलाओं की रोजी रोटी छीनकर 20 हजार महिलाओं को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बेरोजगार कर रहे हैं । बड़े बड़े करोड़पति लोगों को रेडी-टू-ईट का काम दे रहे हैं । कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषित महिलाएं हैं इस प्रकार की स्थिति यदि छत्तीसगढ़ में बनी तो क्या छत्तीसगढ़ का क्या होगा, यह छत्तीसगढ़ मॉडल का नमूना आप लोगों ने कुपोषण और सुपोषण के लिए बताया है, मैं उसका छोटा सा उदाहरण दे रहा था । उसके साथ ही साथ पांचवा विभाग पशुपालन का है, 2021-22 में इसका बजट 591 करोड़ था, अभी घटकर 581 करोड़ हो गया । नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, फ्लैगशिप स्कीम, बड़े-बड़े पोस्टर और उसके बाद जब बजट को झांककर देखे तो बजट कम हो गया । जबकि शराब से भी उसी गौठान के लिए शुल्क किया जा रहा हे । आज गाय की और गोबर की क्या स्थित है, गोधन योजना कहां पहुंची है, बहुत बड़े बड़े पेपर छपते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सम्मान मिल रहा है। गोधन न्याय योजना में कितनी आमदनी हुई है? सच्चाई को देखिये आप। सच्चाई यह है कि गोधन न्याय योजना की शुरूआत 20 जुलाई, 2020 से हुई। 19 महीने में 97 हजार ग्रामीण गोबर विक्रेताओं से 63.89 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई जिसके एवज में 127 करोड़ विक्रेताओं के खाते में डाल दिया। ठीक है। यह पेपर रोज पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हैं। यह पैसा का डिस्ट्रीब्यूट करें और यह देखें कि पैसा जाता कहां है। बड़े-बड़े गौ-पालक, जिनकी बड़ी-बड़ी डेयरियां है, वे हजारों रूपये के गोबर बेच देते हैं और इनसे ही ज्यादा से ज्यादा गोबर कलेक्ट होता है। ये पूरे के पूरे 97 हजार ग्रामीणों से जो गोबर खरीदते हैं, उसका मैंने एवरेज अनुमान लगाया तो 19 महीने गोबर बेचने वाले को 13 हजार 174 रूपये मिले। इसका मतलब है कि हर महीने में इनकी गणना करें तो 693 रूपये और प्रतिदिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति को गोबर के हिसाब से यदि पैसा 97 हजार ग्रामीण को इस राशि को मल्टीप्लाई करे, घटा दे, जोड़ दे तो 23 रूपये, 22 रूपये प्रति व्यक्ति होता है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोबर बेचने वाला स्कूटर लेता है। क्या 30 रूपये में डिजल भरायेगा, पेट्रोल भरायेगा, स्कूटर खरीदेगा? 23 रूपये एवरेज आमदनी आ रही है, गोबर से और उस गोबर की स्थिति यह बनी हुई है कि ये यदि बड़े-बड़े जो गोबर के कलेक्ट करने वाले हैं उनको यदि हटा दिया जाये तो राशि 18 रूपये, 12 रूपये से कम आएगी। दूसरा इनका स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पेपर में बड़े-बड़े करोड़ों रूपये के एड चलते हैं। गोबर के बनाये उत्पादों को बेचने से आमदनी बढ़ रही है। कितनी आमदनी बढ़ रही है? उसका एनालिसिस जारी आंकड़े के अनुसार 11 हजार 474 स्व-सहायता समूहों से 77 हजार महिलाओं को 91.36 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई। अध्यक्ष जी, 51.36 करोड़, इसका मतलब प्रति स्व-सहायता समूह 44 हजार 750 रूपये की एवरेज आमदनी हुई। मासिक गणना करें तो 2,355 रूपया आता है। प्रति महिला यदि गणना करें तो उनका औसत महीने में 6,600 रूपये और इसी महिला का रोज की आमदनी की गणना करें तो उसका प्रति दिन की आमदनी 11 रूपये होता है। वे मनरेगा में काम करेगा या गोबर बिनेगी। 11 रूपये एवरेज, मैं पूरे के पूरे आंकड़े के आधार बता रहा हूं कि यह स्थिति बनी हुई है कि इनके पूरे के पूरे पैसे और पूरे ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- सर, उनको आधा घंटा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- और कितना समय लगेगा?

डॉ. रमन सिंह :- अभी तो मैंने शुरू किया है सर। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा फास्ट कर दीजिए ।

डॉ. रमन सिंह :- छत्तीसगढ़ की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो खासतौर से छत्तीसगढ़ के लिए है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि नरवा, गरूआ, घुरूवा, बाड़ी में जो बजट था उस बजट को कम न करके उसको बढ़ाया जाता तो बेहतर होता। सरकार कर्मचारियों के प्रति कितनी सहानुभूति है और कितना कुछ करना चाहते हैं, बड़ी बाते हो गई कि हमने अंशदायी पेंशन दे दिया। लेकिन अन्य 13 राज्यों ने 31 प्रतिशत महंभाई भत्ता देने के लिए जैसी सहानुभूति दिखाई है। यदि 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे देते तो उनका 3 हजार करोड़ रूपये कर्मचारियों के पास चला जाता। 14 प्रतिशत का गेप हो गया और 14 प्रतिशत गेप होने से आज पूरे के पूरे आर्थिक रूप से कर्मचारी परेशान भी हैं, आंदोलनरत भी हैं। मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों ने 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे दिया और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का मॉडल क्या है यह उनको देने की जरूरत नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के कुछ विशेष आय-व्यय के ब्यौरे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जी.एस.डी.पी. की वृद्धि की बात और बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गई जी.एस.डी.पी. के बारे में। और उसमें इंडस्ट्रीयल खेत्र के विकास दर को राष्ट्रीय दर से 3.6 प्रतिशत ज्यादा वृद्धि दिखाया। लेकिन यह नहीं बताया गया कि केवल खनिल के संसाधानों के आय के कारण यह वृद्धि हुई। कोई औद्योगिक गतिविधि या निवेश के कारण यह वृद्धि नहीं हुई। इसका एक पोरसन देखा, दूसरा पोरसन देखा जाए कि इसकी वृद्धि का कारण क्या है तो समझ में आएगा कि माइनिंग एक्टिविटी बढ़ी है इसके लिए हुआ। दूसरा सबसे चिंताजनक विषय कृषि और किसान की बहुत बड़ी-बड़ी बात होती है किसानी की बात होती है। किसानों के लिए हमने यह किया-यह किया। मगर जन घोषणा पत्र में आपने जो जारी किया था, 2 साल का बोनस किसानों का गायब है। जन घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया दिया। युवकों के लिए ढाई हजार रूपये देने की बात है उसका भी पता नहीं। वृद्धावस्था विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन की बात नहीं है। जो जन घोषणा पत्र में लिखकर वायदा किया था उसको तो आप पूरा करते। उसके साथ ही मैं कृषि क्षेत्र का बता रहा था। कृषि क्षेत्र में विकास दर बीते साल में 5.48 प्रतिशत की तुलना में। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 5.48 की प्रतिशत से इस वर्ष 3.88 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इंडस्ट्रीयल में थोड़ा ग्रोथ दिखा दिया, पर एग्रीकल्चर सेक्टर में 5.48 से घटकर 3.88 हो गया। यह एक्चुअल में दिखाता है धरातल पर क्या सच्चाई है। जो कृषि-कृषि की बात करते हैं और आज यथार्थ स्थिति क्या है ? बजट में दूसरा पोर्सन या जो बजट की आत्मा जो होती है वह पूंजीगत व्यय होती है। पूंजीगत व्यय यानी पूरे बजट का स्ट्रक्चर को यदि देखा जाए तो

डेवलपमेंट के लिए सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल निर्माण कार्यों के लिए कितना खर्च होता है और बाकी पेंशन-वेंशन, तन्ख्वाह-वन्ख्वाह, दूसरे कामों के लिए खर्च हो जाता है। तो किसी बजट का उपयोग और बजट की उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पूंजीगत व्यय कितना खर्च हुआ ? तीन वर्ष में पूंजीगत व्यय की जानकारी एक प्रश्न के उत्तर में इस विधानसभा में आया। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में पूंजीगत व्यय रखा गया। ठीक है, कभी 14 प्रतिशत पूंजीगत व्यय दिखाया गया, कभी 13.5 प्रतिशत रखा गया, कभी 14 प्रतिशत रखा गया। यह बजट में तीन साल का व्यय रखा गया । मगर एक्चुअल में आश्चर्य करेंगे। मैं तीनों साल के आंकड़े निकाला तो 70 प्रतिशत यानि 10,000, 9,800, 9,600 रूपया। अब यदि एक लाख के बजट में 9,800 रूपया ही खर्च होता है फिर इस बजट का मतलब ही क्या हो गया ? पूरा बजट दिखावा है। 9,800 करोड़ रूपये का ही खर्चा हो रहा है, बाकी पेंशन में जा रहा है, तन्ख्वाह में जा रहा है, दूसरे कामों में जा रहा है। इस सरकार के आने के बाद बजट का साइज कहीं भी पहुंचे। मगर आपके ही विधानसभा में जो जवाब आया वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में वास्तविक व्यय जो होता है वह पूंजीगत व्यय का जो सबसे बड़ा बजट का, बजट पर यदि बाकी बहस न करे, सिर्फ पूंजीगत व्यय में ही बहस कर ले तो इस बहस में जो टोटल होता है 15 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान रख दिया है। 70 प्रतिशत, 65 प्रतिशत खर्च हुआ। टोटल बजट का यूटिलाइजेशन 70 परसेंट हो रहा है। निर्माण कार्य, विकास कार्य में 70 प्रितशत, 30 प्रतिशत पैसा बजट में दिखता है खर्च नहीं होता है। तो यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो छत्तीसगढ़ का क्या होगा और छत्तीसगढ़ में हम किस प्रकार इसका उपयोग करेंगे? इसके साथ ही बजट में वित्तीय घाटा 3.3 प्रतिशत जी.एस.डी.पी. के रखा गया है। विगत 3 वर्षों में। ऐसा ही रखा जाता है? वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में यह लगातार जी.एस.डी.पी. के 5-4 से 5 प्रतिशत से अधिक रहा है। अध्यक्ष जी, रखा कुछ भी जाता है मगर है 425 परसेंट, एक्चुअल जो होता है। यह बजट की सच्चाई है। यह बजट की ईमानदारी की बात है और यह रेवेन्यू सरप्लस दिखाया जा रहा है। यह कमाल का खेल होता है। यह राइट साइड में जितने बाजीगर बैठे हैं वह चमत्कार करते हैं। वह चमत्कार यह हुआ कि 701 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस दिखा दिया। मैं वर्ष 2017-18 की बात बता दूं। अध्यक्ष जी, वास्तविक रूप से वर्ष 2017-18 में 3 हजार 400 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था । इस सरकार के आने के बाद वर्ष 2021-22 में रेवेन्यू डेफीसीट में चला गया और यह धीरे-धीरे वर्ष 2021-22 में 3 हजार 700 करोड़ का डेफीसीट में चला गया। राजस्व बढ़ाकर कर कैसे दिखा दिये ? रेवेन्यू सरप्लस कैसे दिखा दिया ? राजस्व में एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहता हूं । वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्ति 63 हजार करोड़ था, इस साल में बजट में 89 हजार करोड़ आ गया । एक झटके में 26 हजार करोड़ के राजस्व की वृद्धि हो गई । राज्य का हिस्सा बढ़कर 44 हजार करोड़ हो गया । क्या खेल है ? इसमें कारपोरेट टैक्स में वृद्धि के आधार पर पुनरीक्षित अनुमान को 3 हजार करोड़ रूपए दिखाने का काम किया गया है । कैसे दिखाया है ? निगम और निगम कर से विंड कर को मिलाकर यदि

व्यय दिखाया जाये तो 2017-18 दोनों में 11 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था । मैं 2017-18 से शुरू कर रहा हूं, ताकि ईज़ी हो जाएगा और इससे वास्तविक 11600 करोड़ से 200 करोड़ अधिक की आय हुई है । वर्ष 2005 के बाद 500 या हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी होती रही । इस सरकार में काल्पनिक प्रस्ताव का एक उदाहरण मैं देता हूं । 2019 और 2020 में निगम के कर का अनुमान लगाया गया था कि 15 हजार करोड़ रूपए मिलेंगे, पर 12 हजार करोड़ मिले । 3 हजार करोड़ का खेल हो गया । ये है कमाल, ये है कमाल की बातें कि किस प्रकार राशि का उपयोग होता है और किस प्रकार राशि का दुरूपयोग होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण योजना, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि बजट की क्या स्थिति है ? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में 800 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है । इस 800 करोड़ रूपए के प्रावधान में मैं यह देख रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, यानि सरकार ने सबसे बड़ा अपराध यदि कोई किया है तो छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए किया है । छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना **सबसे लिए आवास 2022** तक छत्तीसगढ़ में हम 22 लाख आवास निर्माण का काम करेंगे । 22 लाख आवास छत्तीसगढ़ में बनने थे । भारत सरकार से 60 प्रतिशत और राज्य सरकार से 40 प्रतिशत कांट्रीब्यूट करना था । इस प्रकार के आने का बाकी नुकसान मैं नहीं जानता, मगर 22 लाख गरीब परिवारों को छत नहीं मिलेगा, इससे बड़ा अपराध यह सरकार कभी नहीं कर सकती या कोई सरकार नहीं कर सकती । मैं आंकड़े बता रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं । भारत सरकार का जो Circular है, उस Circular से मैं जानकारी लेकर आपको बताना चाहता हूं कि अपराध कैसे होता है । Allocation of Target under Pradhanmantri awas yojna for the financial year 2020-2021 base on the permanent waiting list on the Pradhanmantri awas yojna । यह सूची जारी हुई है । यह सूची 2020 में जारी हुई है और इस सूची में जारी करके कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के 6 लाख, 18 हजार आवास के लिए हमने स्वीकृति दे दी, अब इसका निर्माण कार्य शुरू करें । एक साल निकल गया, दो साल निकल गया। अंत में दिल्ली की सरकार थक गई । 22 लाख आवास का टारगेट तो भूल जाईए, अंत में भारत सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस देना पड़ा । In view of abab with the approval of the component authority the target of 7 lakhs 81999 allocation of state Chhattisgath withdraw with the immediate effect. क्यों withdraw किया ? 3 साल से एक भी आवास नहीं बना । यदि आवास बने होते तो 22 लाख आवास के लिए अभी तक पैसा मिल गया होता । छत्तीसगढ़ में 26 हजार करोड़ रूपये की राशि आ जाती । 10 हजार करोड़ राज्यांश और 16 हजार करोड़ भारत सरकार की राशि आ जाती । 26 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में 30-40 लाख आवास बन गए । वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा जनता को भोगना पड़ता है, बड़े लोगों को नहीं भोगना पड़ता । गरीब जनता को इसकी पीड़ा और तकलीफ झेलनी पड़ रही है और गरीबों के हाथ से 7 लाख 80 हजार मकान पूरी तरीके

से निकल गए और 22 लाख मकान नहीं बन पाये । यह छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा मैं शुरू कर रहा हूं ।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ employment monthly data में बताना चाहता हूं कि बहुत बार रोजगार की बात होती है । मैं छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं, जो Central for Monitoring indian economy के आंकड़े पब्लिश किया है । मैं उस आंकड़े की बात कर रहा हूं, अपने मन से एक भी शब्द नहीं बोल रहा हूं, न कोई शब्द जोड़ा हूं, न कोई शब्द घटाया हूं । जो भी आंकड़ें आये हैं, वह भारत सरकार के आंकड़े हैं, उनके सेंशस के आंकड़े हैं, सरकारी कागज है, उससे निकालकर बोल रहा हूं । रोजगार के लिए बोला जाता है कि हमने चमत्कार कर दिया, ये कर दिया। जनवरी, 2016 से शुरू करके जनवरी, 2017, 2018 यानि 1 साल, 2 साल और 3 साल के आकड़ें हर महीने पब्लिश होते हैं। कभी रोजगार 2.4 प्रतिशत रहता है, 3.8 रहता है, कभी 4.8 रहता है। जनवरी, 2018 में एक बार 22 प्रतिशत चला गया था। इसके लिए 4-4 मंत्रीगण प्रेस कान्फ्रेस लेने के लिए पहुंच गये और बताया कि उस समय 22 प्रतिशत था, हमारा तो क्या है 4 प्रतिशत है, 3 प्रतिशत है। तब मैंने एवरेज निकालकर देखा, भारतीय जनता पार्टी के समय की सरकार के कांग्रेस की सरकार के 2019, 2020 और 2021 का 2016, 2017 और 2018 से कम्पेयर किया। ये बेरोजगारी में एवरेज दर कांग्रेस के शासनकाल में 5.9 प्रतिशत था और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4.54 प्रतिशत था। यह मैं एक तुलनात्मक अध्ययन बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

डॉ. रमन सिंह :- क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने कहा धन्यवाद, आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं।

डॉ. रमन सिंह :- मैं जानकारी देते जा रहा हूं। अभी बहुत सारी जानकारी है। मैं तो जानकारी शुरू ही किया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सर, आधा घंटा हो गया है।

डॉ. रमन सिंह :- मैं छोटी-छोटी बातों को बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दूसरी बातें, तथ्यात्मक बातें बोल रहा हूं। इस विधानसभा में हमको बार-बार कहा जाता है कि 15 साल, 15 साल, 15 साल। मैं 5 मिनट में 15 साल का बोल देता हूं, ताकि यह मालूम रहे कि सरकार ने 15 साल में क्या बड़े निर्णय लिये, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ की इकानॉमी और देश की इकानॉमी में पड़ा। मैं देश की इकानॉमी बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा निर्णय 1 रूपया किलो में चावल देने की योजना का लिया था, हमने नि:शुल्क नमक और चरण पादुका देने की योजना शुरू की थी। (प्रतिपक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) यह देश में लागू हो गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा का अधिकार दिया और 86 प्रतिशत जनसंख्या को कव्हर करने वाला देश का पहला राज्य है। (प्रतिपक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) ये 15 साल की उपलब्धि है। राशन दुकानों को निजी हाथों से हटाकर सरकारीकरण करने का काम किया। कौशल उन्नयन को अधिकार बनाया। 27 जिलों में बिल्डिग्स बनाई, ट्रेनिंग का इन्स्टीट्यूशन लगाया, हजारो नवयुवकों को नौकरी मिला, लाइवलीवुड कालेज की स्थापना करने वाला देश का छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना। 15 लाख मजदूरों को असंगठित क्षेत्र के 4 दर्जन योजनाओं से जोड़ा। किसानों के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर में सहकारी बैंक से कर्ज देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना, जो आज भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए यह योजना पत्थर है, जिसको कोई नहीं मिटा सकता। 58 लाख परिवारों के लिए स्मार्ट कार्ड में 50 हजार के नि:शुल्क चिकित्सा की व्यवस्था किया। शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देना। ये बस्तर और सरगुजा के सारे विधायकगण बैठे हैं। बस्तर और सरगुजा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनयरिंग कालेज , लाइवलीवुड कालेज, वहां एजुकेशन हब, पावर कनेक्टिविटी में 2 हजार किलोमीटर तक लाईन बिछाना, उस पूर गांव को इलेक्ट्रिफाई करना, एक-एक गांव तक विद्युत पहुंचाना, इन सारी योजनाओं का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं डॉ. रमन सिंह का नाम नहीं लेता हूं। इसमें सबका पूरा मिला-जुला प्रयास रहता है। यदि आज बस्तर और सरगुजा में कनेक्टिविटी है, यदि वहां टेलीफोन चल रहा है, नेट चल रहा है, स्काई योजना, बस्तर नेट, भारत नेट 8,838 किलोमीटर नेट बिछाने का काम हुआ और गांव-गांव में कनेक्टिविटी हुई। आज नक्सल प्रभावित आखिरी कैम्प में भी रात को टेलीफोन करने की व्यवस्था बनी है। इन योजनाओं का असर हुआ है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ 2-3 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो 15 साल के बारे में बोलते हैं तो कम से कम इन आंकड़ों को याद तो रखें। बजट 9 हजार करोड़ से 94 हजार करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 94 तहसील से 150 तहसील का निर्माण, 16 जिले से 27 जिले का निर्माण, विद्युत उत्पादन 4,700 मेगावाट से 22,000 मेगावाट तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 525 यूनिट से बढ़ाकर 1,747 यूनिट करने का काम किया। पम्प कनेक्शन 72 हजार थे, 4 लाख 70 हजार पम्प कनेक्शन किया। एकल बत्ती 7 लाख से बढ़ाकर 16 लाख किया। इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण योजना है। जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भाई जो सड़कें बन गई है, 1,072 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थीं, ये आंकड़ें मेरे नहीं है। मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मड़वा, आंख फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड यह सब छूट गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर ये सब काम होता तो 14 सीट क्यों आया ?

डॉ. रमन सिंह :- मैं वही बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जब हम लोग सरकार में आये तब 1,072 किलोमीटर सड़क थी, जब हम लोग सरकार में आये । सरकार छोड़ें तो 22 हजार किलोमीटर सड़कें थी । डामरीकृत सड़कें और कुल सड़कों को मिलाकर 31 हजार से दोगुनी होकर 60 हजार डामरीकृत सड़क का निर्माण, पुल-पुलिया का निर्माण, कम से कम इसका मैंटेनेंस तो कर दो । नया सड़क मत बनाओ । एनुअल रिपेयर के लिए फण्ड रखो नहीं तो ह बरबाद हो जायेंगे । शानदार इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बनकर खड़े हुये हैं, वह सब निपट जायेंगे । 206 महाविद्यालय से 482 महाविद्यालय, 1 नर्सिंग कॉलेज से 84 नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की 100 सीट से 1100 सीट, इंजिनियरिंग कॉलेज 14 से 50 हो गये, आई.आई.टी. होगया, एन.आई.टी. हो गया, मेडिकल इंन्स्टिट्यूट बन गये, कूपोषण के दर में कमी आई, कूपोषण 52 से 30 प्रतिशत हो गया । आई.आई.एम.आर. मॉल न्यूट्रिशन में गिरावट आई, इसकी तुलना करिये । मेरे पास बोलने के बहुत सारे विषय है, मैं जानता हूँ किऔर बहुत लोगों को बात करनी है, मगर और अवसर आयेगा, विभागीय बजट में बोलूंगा । आपने पर्याप्त समय दिया, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय गृहमंत्री जी आपको बाहर जाना है, आप वक्तव्य दे सकते हैं ।

समय :
3.41 बजे

<u>वक्तव्य</u>

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती छन्नी चंदू साहू, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र खुज्जी द्वारा दिनांक 10.03.2022 की सदन में चर्चा उठाई गई, जिस पर आपके निर्देश के पालन में श्रीमती छन्नी चंदू साहू एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है-

प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय विधायक श्रीमती छन्नी साहू के विरूद्ध न तो कोई प्रकरण पंजीबद्ध है और न ही कोई कार्यवाही की गई है ।

दिनांक 7/12/2021 को प्रार्थी वीर सिंह उईके ने थाना छुरिया में एक लिखित आवेदन पेश किया कि वह स्वराज माजदा वाहन में रेत लोड़ कर वापस छुरिया आ रहा था, रास्ते में फारेस्ट नाका छुरिया के पास श्री चन्दू लाल साहू (पति-श्रीमती छन्नी चन्दू साहू, माननीय विधायक) ने जाति सूचक अश्लीत गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई । शिकायत संज्ञेयअपराध के संबंध में होने के कारण दिनांक 08/12/2021 को अपराध क्रमांक 0/21 धारा 294, 506 भादवि 3 (1)द ध एट्रोसिटी एक्ट कायम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया गया, जिस पर थाना अजाक में नंबरी अपराध क्रमांक 09/2021 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । दिनांक 5/12/2022 के 15.45 बजे आरोपी चन्दू साहू के स्वयं उपस्थित होने पर उन्हें गिरफ्तार कर माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जो वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर है । प्रकारण विवेचनाधीन है ।

सुरक्षा मापदण्डों के अनुरूप माननीय विधायक श्रीमती छन्नी साहू को "y" श्रेणी सुरक्षा जिसके अंतर्गत 3 पीएसओ तथा निवास पर 1+4 का सशस्त्र गार्ड उपलब्ध था । दिनांक 05-02-2022 को माननीय विधायक द्वारा स्वयं उनकी सुरक्षा में तैनात सभी 03 पीएसओ वापस कर दिये गये थे । दिनांक 1003-2022 के निर्देशानुसार पूर्व में पदस्थ 03 पीएसओ के साथ 03 अतिरिक्त पीएसओ सुरक्षा में कर्त्तव्यस्थ कर दिये गये हैं । इस प्रकार वर्तमान में उन्हें 06 पीएसओ एवं 1+4 सुरक्षागार्ड की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है ।

दिनांक 16/02/2022 को जिला बलौदाबाजार भाटापारा के ग्राम ढनढनी में दिनांक 16/02/2022 को "मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड" के ग्राम रिसदा एवं कुकूरदी द्वारा क्षमता विस्तार के लिए पर्यवरणीय स्वीकृति एवं लोक सुनवाई के दौरान माननीय विधायक श्री प्रमोद शर्मा तथा उनके साथियों द्वारा कानूनी रूप से अनिवार्य कार्य के दौरान बाधा, लोक सेवक से दुर्व्यवहार एवं सम्पत्ति की क्षति कारित करने की सूचना पर थाना कोतवाली बलौदाबाजार में अपराध क्रमांक-119/2022 धारा 294, 506, 186, 353, 332, 427, 34 भादवि कायम किया गया । वर्तमान में उक्त प्रकरण में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है । प्रकरण की विवेचना जारी है ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार विपक्ष को है । यह सदन के दो सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- विपक्ष के नेता कोई है । मेरी पूरी बात तो सुनिये । किसी भी वक्तव्य पर ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, कल हमने आपसे आग्रह किया था कि विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को अब लोकसेवक मान लिया गया है। जब लोकसेवकों के विरूद्ध कोई जुर्म दर्ज होता है तो शासन से परमीशन की आवश्यकता होती है। कोई विधायक के विरूद्ध भी जुर्म दर्ज करने के पहले विधानसभा अध्यक्ष से परमीशन की आवश्यकता हो, ऐसे निर्देश आपको जारी करना चाहिए। हम उसके ऊपर में बहुत बहस नहीं करना चाहते।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया। आपसे आग्रह है कि जब हमको

लोकसेवकों की श्रेणी में ले लिया गया है और जब लोकसेवक की श्रेणी में आ गये हैं। आप हमारे प्रमुख हैं तो किसी भी विधायक के खिलाफ जुर्म दर्ज करने के पहले आपकी अनुमति ली जाये।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, यहां चर्चा थोड़ी होगी।

अध्यक्ष महोदय :- आपके पक्ष में ही बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दे रहा हूं। आपके माध्यम से लोकसेवक, विधायक के विरूद्ध कोई जुर्म दर्ज करना है तो आपकी परमीशन लगे। ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। इस बात का आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता प्रतिक्रिया दें लेकिन विपक्ष की ओर से कोई भी वक्तव्य में प्रतिक्रिया दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

श्री अनूप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमें भी अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय :- आपको भाषण में अवसर देना है, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। आप बैठ जाईए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हमारे माननीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो यहां पर बातें रखीं गईं और आसंदी के द्वारा उसमें व्यवस्था देने की बात कही गई थी और गृहमंत्री जी को निर्देशित किया गया कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व वक्तव्य आना चाहिए। गृहमंत्री जी के द्वारा यहां पर वक्तव्य दिया गया है। वास्तविक में जो गंभीर चिंता का विषय है। आज जिस प्रकार से प्रदेश में..।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये न, कल आप लोगों ने बड़ी चिंता व्यक्त की थी इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी को कह दिया था कि आप मुझे जानकारी से अवगत करा दें और उनने जानकारी से अवगत करा दिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने उसका उल्लेख किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उसमें यह कहना है कि आज इस प्रकार से यदि विधायक के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर किसी आवाज उठाने वाले की रिपोर्ट पर यदि विधायक के ऊपर, विधायक के परिवार के ऊपर कार्यवाई हो जाये, आज जिस प्रकार से अशांति का वातावरण निर्मित है, जिस प्रकार से यहां पर माफिया अवैध उत्खनन से ले करके बाकी चीजों में कार्य कर रहे हैं। यदि उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाये तो जनप्रतिनिधि के ऊपर एफ.आई.आर. उनके कहने पर हो जाये, यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस बात का उल्लेख किया कि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ में एफ.आई.आर. हो तो आपकी जानकारी में बात आनी चाहिए। उसके बाद में उसके ऊपर एफ.आई.आर. हो, इसका आग्रह आपसे किया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया है। लेकिन मैं आगे ये कहता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर, पक्ष या विपक्ष से मतलब नहीं है, सभी हमारे सम्माननीय सदस्य हैं, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की भी है और आपकी भी है। लेकिन यहां पर अवैध कार्य करने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है और वह मजबूत हो गये हैं। वह जनप्रतिनिधि को कुछ समझते नहीं हैं और उनकी परवाह भी नहीं करते हैं और उसी की ये उपज है। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इस बात का ध्यान रखा जाये। दूसरा जो अवैध काम करने वाले लोग हैं, वह कम से कम यह सुनिश्चित तो हो, जब उनकी इच्छा आये जो जिनके खिलाफ में रिपोर्ट लिखा दें और थानेदार उसके कहने से रिपोर्ट लिख दे तो ऐसे में हम काम कैसे करेंगे। यह संरक्षण आपका चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। अनूप नाग जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, कल जब चर्चा हो रही थी तब ये बात सामने आई थी कि एट्रोसिटी एक्ट लगाने के पहले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने समर्पण कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। तो क्या एट्रोसिटी एक्ट के पहले पुलिस ने जांच की या नहीं की ? यह वक्तव्य आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ? क्या एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ? कल ये बात भी सामने आई कि जो ड्राइवर है, जिसने रिपोर्ट लिखाई है, उसके पास लाईसेन्स नहीं थी। अगर वह बिना लाईसेन्स के ट्रक चला रहा था तो वह पहले अपराधी हो गया और अपराधी के द्वारा विधायक के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाई जा रही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- लाईसेन्स का मुद्दा नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसके ऊपर में कार्यवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ? कल यहीं मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे थे कि एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच के जुर्म दर्ज नहीं हो सकता। यहीं मंत्री जी ने खड़े होकर कहा था। तो बिना जांच के जुर्म दर्ज कैसे हो गया ? अभी माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में बोल रहे हैं कि तफ्तीश हो रही है। जब तफ्तीश पूरी नहीं हुई तो जुर्म दर्ज कैसे हो गया ? जब तफ्तीश हो रही है तो जुर्म दर्ज कैसे हो गया, गिरफ्तारी कैसे हो गई ?

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन अग्रवाल जी सब जगह राजनीति करना चाहते हैं। जब आप बार-बार आदेश दिये हैं तो आपके आदेश का सबको पालन करना चाहिए। यह आसंदी के निर्देशानुसार विधानसभा चलती है। इनके कहने से विधानसभा नहीं चलेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया, इसमें चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री महोदय, जब विवेचना जारी है तो गिरफ्तारी कैसे हो गई ? विवेचना के बाद ही गिरफ्तारी होगी

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- गिरफ्तारी कैसे हो गई ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अब इसमें चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सदन के सदस्य की गरिमा का विषय है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब विवेचना जारी है तो गिरफ्तारी कैसे हो गई ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री जी का वक्तव्य है कि विवेचना जारी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट शिवरतन जी, जो वक्तव्य, मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं।

श्री अनूप नाग (अंतागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के माननीय सदस्यों के द्वारा लगातार ऐसी बाधित करते रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बजट में जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है उसके संबंध में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- जो वक्तव्य माननीय गृहमंत्री जी ने दिया, उस पर चर्चा हो गयी थी, हमको उतना मालूम है।आपने जो मनसा व्यक्त की थी कि जांच के पड़ताल में कि किन परिस्थितियों में यह सारी चीजें हुई और ऐसा क्यों करना पड़ा कि जिस बात का(व्यवधान) ? और जब वक्तव्य में नहीं आया (व्यवधान) और विधायक के पक्ष में नहीं है। प्रशासन ने जो कुछ किया उसको बता दिये, वह तो पहले ही बता दिये थे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं बाकी उसको देख लूंगा। आप बैठिये, प्लीज।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं गरीमा की रक्षा करूंगा। उनके वक्तव्य से तो हम लोग...।(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो वक्तव्य आया, उन्होंने उस वक्तव्य में कहा कि तफ्तीश जारी है, विवेचना जारी है। जब विवेचना जारी है, तो विधायक के पति के खिलाफ में एफ.आई.आर. कैसे दर्ज हो गया, जुर्म कैसे दर्ज हो गया ? और जब विधायकों को बिना विवेचना के, उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज हो सकता है तो आम जनता का तो भगवान मालिक है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं देख रहा हूं । (व्यवधान)

श्री अनूप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये जो बजट पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं, इस बजट से मैं इतना खुश हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों की गरीमा का सम्मान .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, हो गया।

श्री अनूप नाग :- जनता इतनी खुश है, मैं इतना अभिभूत हूं। यदि आज मैं बजट के संबंध में नहीं बोल पाया तो मुझे बड़ा अफसोस भी होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- विवेचना पूर्ण करने के बाद गिरफ्तारी होगी, पहले कैसे हो गयी ?(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बोलते जाओ, बोलते जाओ।

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का पूरा-पूरा अवसर दिया जाये। जिस दिन बजट पेश किया गया, उसी दिन।

श्री अजय चंद्राकर :- रूक जाओ। (माननीय सदस्य श्री अनुप नाग की ओर इशारा करते हुये)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी ने वक्तव्य दिया, कि विवेचना जारी है तो बिना विवेचना के गिरफ्तारी कैसे हो गयी ? विवेचना जारी है, तो बिना विवेचना के एफ.आई.आर. कैसे हो गयी ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, यह लेजिस्लेटिव असेंबलि है, यह संविधान के हिसाब से चलती है। यह सी.आर.पी.सी., आई.पी.सी. के तहत नहीं चलती (व्यवधान) जब विवेचना पूरी नहीं हुई तो गिरफ्तारी कैसे हो गयी ?

श्री अनूप नाग :- नहीं, नहीं। कम से कम 30 से 32 साल हमने भी पुलिस विभाग में सेवा की है, आपके शासन काल में हमने भी देखा है, क्या आपके द्वारा सत्कार किया जाता था, आपमें से कोई भी मुझसे ज्यादा नहीं बता सकता। मैं अगर बोलना चालू करूंगा तो आपको बड़ा खराब लगेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- जब विधायक के पति के साथ ऐसा हो रहा है तो सामान्य लोगों के साथ कैसा होना चाहिये ? इसको व्यक्त कीजिये। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधायक के पति के साथ यह स्थिति है, तो सामान्य लोगों के साथ जनता क्या करती होगी ?

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का मौका मिलना चाहिये। जिस दिन बजट पेश किया गया, उसी दिन पूरे प्रदेश की जनता के साथ-साथ, पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि, किसान, युवा साथी, पंचायत के चुने हुये प्रतिनिधि, व्यापारी बंधुओं के अलावा सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका..।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप लोगों ने उनका वक्तव्य सुना है ? एक मिनट, क्या आपने उनका वक्तव्य सुना है ? उनके वक्तव्य में यह लिखा हुआ है कि आरोपी चंदू साहू के स्वयं उपस्थित होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब विवेचना नहीं हुई तो गिरफ्तार कैसे किया गया ?

श्री अजय चंद्राकर :- क्यों किया गया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं उनसे बाकी बातें कर लूंगा, आप शांत तो रहिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब विवेचना नहीं हुई तो गिरफ्तारी कैसे हो गयी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू (खुज्जी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन ने यह बोला था कि मैडम आप सहयोग करिये। मैं वहां अपने पति को सरेंडर करवाने के लिये नहीं ले गयी थी, मैं अपने पति को पुलिस प्रशासन के पास इसलिये ले गयी कि आपको क्या सहयोग चाहिये ? वह सहयोग बोले तो मैंने कहा कि क्या सहयोग चाहिये ? पूरे दस्तावेज, पूरा साक्ष्य होने के बाद भी अगर सदन में एक सदस्य को न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे जैसे एक सदस्य के लिये इससे दुर्भाग्य नहीं हो सकता। (शेम-शेम की आवाज)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो सदस्य ने बोल दिया, इसके बाद क्या बचा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदस्य को सुरक्षा नहीं दे सकते। यह सत्ता के सदस्य को सुरक्षा नहीं दे सकते।(व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है और यह विधायिका का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- वह करेंगे इसके लिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अगर इस सदन में सदस्य की गरीमा की रक्षा नहीं होगी, इससे ज्यादा गंभीर कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। सदस्य की गरीमा की रक्षा तो होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बात सुन ली। उसकी बात आ गई आप लोग बैठ जाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। हमको सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। आपके माध्यम से इस सदन के सदस्यों की गरीमा की, गौरव की, सम्मान की रक्षा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी बात सुन ली। मैं उस पर जो मुझे करना है, मैं करूंगा। आप शांति से बैठ जाइये। प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- जब विधायक के पति के साथ यह स्थिति है तो सामान्य जनता के साथ क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, प्लीज। अनुप नाग जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अभी दो सदस्यों का मामला आया, हम आपकी जानकारी में दो सदस्यों का मामला और डाल चुके हैं। तो आप इसके बारे में निर्णय कब लेंगे, क्या जब और सदस्यों के साथ में ऐसा होगा, क्या तब निर्णय होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं विचार कर रहा हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री, आपसे, आपसे सबसे कल बात करूंगा। अनूप नाग जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अनूप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया गया, उसी दिन पूरे प्रदेश की जनता के साथ-साथ, प्रदेश के जनप्रतिनिधि, किसान, युवा साथी, पंचायत के चुने हुये जनप्रतिनिधि, व्यापारी बंधु, शासकीय योजनाओं को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, हमारे अधिकारी कर्मचारी के द्वारा हमारी सरकार को माननीय भूपेश बघेल जी को, समाचार पत्रों के माध्यक से आभार व्यक्त किये हैं। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि यह बजट छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने वाली है। हम सब के लिये यह सौभाग्य की बात है कि इस बजट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिये रायपुर सेवा ग्राम की स्थापना हेतु 100 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। उसकी स्थापना से हमें महात्मा गांधी जी के संघर्ष एवं आदर्श को देखने, समझने का अवसर, प्राप्त होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर जैसे संवेदनशील आरक्षित क्षेत्र से आता हूँ। हमारे वनवासी भाईयों की जमीन का कोई हिसाब-किताब नहीं था, वह खेती बाड़ी तो करते थे, परन्तु उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी जमीन कहां कितनी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी योजना के तहत वनवासियों को 30 हजार 439 हेक्टेयर राजस्व भूमि को मर्ज कर, पट्टे प्रदान किये हैं। पूर्व की बी.जे.पी. की सरकार ने हमारे वनवासियों के साथ छलावा ही करते आये। विशेष पर्व जैसे जगदलपुर के दशहरा पर्व में उनकी पूछ-परख की जाती थी, परन्तु हमारी सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अनुसूचित क्षेत्र के देवस्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, मांझी, पुजारी को आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था बजट में की गई है। एक समय था जब हमारे वनस्थल क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी, वह झिरिया का लाल पानी पीकर काल कल्वित हो जाते थे, हमारी सरकार ने स्वच्छ पेयजल जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हेतु 1 हजार करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। हमारे विपक्ष के आदरणीय साथी बड़े जोर-शोर से डी.एम.एफ की चर्चा कर रहे थे, वह बंदरबांट, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे सदन में जितने सम्माननीय सदस्य बैठे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में मेटाबोदली माईंन खदान है पिछली बार के विधान सभा में वहां के विकास, पर्यावरण के लिए मैंने विधान सभा में प्रश्न किया था। उसका जवाब आया कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 3 करोड़ रूपये का वृक्षारोपण प्रभावित गांवों में किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज चलकर हमारे विपक्ष के आदरणीय साथी देखना चाहे तो मैं चलकर दिखाना चाहता हूँ कि वहां पर एक बेशरम की झाड़ी विद्यमान नहीं है, न लगायी गई है। यह भ्रष्टाचार और बंदरबांट की बात करते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। आपको धन्यवाद्।

श्री अनूपनाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भवन विहीन छात्रावास-आश्रमों हेतु 106 भवनों का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। मैं विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास की स्थापना हेतु 2 करोड, 30 लाख रूपये बजट में रखा गया है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहूं तो मेरे सुदूर अंचल में उपस्वास्थ्य केन्द्र जहां नर्स और कम्पाउण्डर के भरोसे ही चला करते थे। विगत 2 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य विभाग में 2 हजार 409 पदों पर भर्ती की गई है। अंबिकापुर एवं कांकेर के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ तथा रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोवेस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के सृजन हेतु नवीन मद में प्रावधान है। बस्तर संभाग में रहने वाले वनवासी जंगलों के वनोपज पर आश्रित रहते हैं। जंगलों में पाये जाने वाले वनोपज से जीवनशैली सुदृढ़ होती है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान में 65 वनोपज का क्रय किया जा रहा है, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। इससे हमारे वनवासी युवा जुड़ रहे हैं और प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। 11 हजार, 664 करोड़ रूपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रखा है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनूपनाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूर्व में कोई भी सरकार रही हो, अपने मानदेय, सुविधा बढ़ाने की बात जरूर करते थे पंचायत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सुध लेने वाला कोई नहीं थे, हमारी सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने पंचायत के पंच से लेकर जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय सम्मानजनक बढ़ा कर, उनका मान बढ़ाया है। मैं समयाभाव के कारण उनके आंकड़ों को नहीं बता सकता हूँ। मगर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के विकास के लिए आवागमन हेतु सड़क का महत्वपूर्ण योगदान होता है । हमारे क्षेत्र में जहां सड़क बनाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, वहीं आज संवेदनशील क्षेत्र बीजापुर, सुकमा, कोंटा, नारायणपुर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहाड़ है और वह संवेदनशील क्षेत्र है जहां विषम परिस्थिति में भी पुल-पुलिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है इस हेतु बजट में 16 हजार करोड़ से अधिक की राशि के कार्य चलाये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में भी सुनने का अवसर मिला। ओला वृष्टि से...

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। अभिभाषण में नहीं, आप बजट पर बोलिए।

श्री अनूपनाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों को 9 करोड़ रूपये सहायता राशि प्रदान की है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। आप पहली बार बोल रहे हैं।

समय :
4:00 बजे

श्री अनूप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें से मैं बताना चाहूंगा 6 करोड़ रूपए मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को प्रदान किया गया है। मेरे क्षेत्र के किसान बहुत खुश हैं। मैं हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए। आपको भी धन्यवाद बैठ जाईए।

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस बजट से गांव का एवं अंतिम व्यक्ति का विकास होगा। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी। मैं प्रदेश एवं मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि-कोटि बधाई व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। धरमलाल कौशिक जी, जल्दी समापन करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत इस सामान्य बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कंडिका दो में विकास की इस छत्तीसगढ़ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मैं यहीं से शुरू करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही चुनाव का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद इस छत्तीसगढ़ मॉडल को कितनी स्वीकारिता मिली, इस बात को सिद्ध कर दिया है और इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल के बजाय इसे भूपेश मॉडल कहा जाए तो ठीक है। पंजाब ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। मैं बाकी जगह की बात नहीं करता। इसलिए केवल हम विज्ञापन के माध्यम से यदि मॉडल का प्रचार करेंगे और जमीनी हकीकत नहीं होगी तो उस मॉडल का यही हश्र होगा। कल जो चुनाव में रिजल्ट आएं हैं, इस बात को बता रही है कि आपके छत्तीसगढ़ मॉडल का क्या हुआ। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में जब हमारे यहां माननीय जोगी जी के बाद डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने तो उस समय 8 हजार करोड़ रूपए का बजट और 9 हजार करोड़ रूपए का कर्ज था। इसके बाद 15 साल डॉ. साहब मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 95 हजार करोड़ रूपए का बजट और 41 हजार रूपए का कर्ज उनके शासनकाल के बाद में वर्तमान मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बीच में 51 हजार करोड़ रूपए का कर्ज है। हम यदि इस बात को देखें कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। जितना बजट आपने दिया और उतना

कर्ज डॉ. रमन सिंह जी को प्राप्त हुआ। उसके बाद आज यदि हम बात कर रहे हैं तो लगभग हम वहीं पर खड़े हुए हैं कि जो टोटल बजट है, उसका कर्ज 80 प्रतिशत है, यहां पर हम खड़े हुए हैं। मतलब यह है कि हम 18 साल पीछे चले गये हैं। हम जिस विकास की गाथा की बात कर रहे हैं। उस दिन प्रति व्यक्ति आय की बात हुई, 1 लाख 5 हजार से 1 लाख 18 हजार हुई है, मतलब 13 हजार रूपए की वृद्धि हुई है। इसके साथ उस कर्ज में जो वृद्धि हुई, वह 35 हजार रूपए पर व्यक्ति के ऊपर वृद्धि हुई है। यह तीन साल के अंदर में पर व्यक्ति के ऊपर कर्ज 35 हजार रूपए से ऊपर बढ़ गई। यदि आपका 13 हजार रूपए बढ़ा है तो उससे ज्यादा का कर्ज इस तीन साल में प्रति व्यक्ति के ऊपर में कर्ज का बोझ लादा गया है और प्रति व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में जन्म लेगा उसका 35 हजार से ऊपर में उसका जन्म हो रहा है। 4 वर्षों में यदि हम देखेंगे तो लगभग 70 हजार करोड़ रूपए कर्ज है। उसको मैंने 80 प्रतिशत के बराबर कहा। इसमें 23 हजार करोड़ रूपए ब्याज में चुकाया गया है और उसके बाद अभी 16 प्रतिशत से अधिक राशि ऋण और ब्याज पटाने में जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2017-18 के मध्य देखेंगे तो औसत रूप से यह राशि 5 प्रतिशत रही है । आज यह राशि बढ़ गयी है और 16 प्रतिशत से अधिक राशि जो कि कर्ज और ब्याज में जा रही है तो एक प्रकार से आपके विकास की जो एक बहुत बड़ी राशि केवल कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी में जा रही है । हम यह कह सकते हैं कि उस समय का आर्थिक प्रबंधन इसका एक बहुत अच्छा जो कारण रहा है और जो आर्थिक कुप्रबंधन है वह आज इस बात को दर्शा रहा है और आज उसी के कारण यह परिणाम आपके सामने दिखायी दे रहे हैं । जो बहुत सारे आंकड़े दिये गये हैं, मैं सभी आंकड़ों पर नहीं जाना चाह रहा हूं लेकिन कुल मिलाकर उस समय वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 की यदि हम तुलना करते हैं तो लगभग-लगभग उद्योग के क्षेत्र में माईनस, सेवा के क्षेत्र में माईनस, उत्पाद और सब्सिडी के क्षेत्र में माईनस और जब हम कृषि दर की बात करते हैं तो उसमें भी माईनस । जब आप सारी चीजों में माईनस जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आर्थिक रूप से कहीं न कहीं जो विकास की गति है उसमें आपको इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से रूकावट दिखाई दे रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो जिस प्रकार से हमारा जो प्रतिशत है, विकास दर और उसके लिये पूंजीगत व्यय तो जो पूंजीगत व्यय है वह लगभग 15 परसेंट है उसी में सारे प्रदेश के विकास की संभावनाएं दिखायी गयी है । उस पूंजीगत व्यय में जो विकास की संभावनाएं दिखायी गयी है तो सिंचाई में जो नवीन मद अभी यहां पर रखे गये हैं । 1705 नवीन कार्यों के लिये 300 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही प्रश्न लगा था और आज के प्रश्न में जवाब भी आया है कि सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कितनी मिली ? प्रश्न क्रमांक- 833 में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि 1834 सिंचाई परियोजनाओं हेतु बजट प्रावधान किया गया और उसमें से केवल 327 को ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी ।

समय :

4.07 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए ।)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 1834 सिंचाई परियोजनाओं में से अभी केवल 327 को ही प्रशासकीय स्वीकृति मिली है मतलब आपका बजट दिखाने के लिये है । जब तक आपको प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलेगी उसका कार्य आगे नहीं होगा तो यदि आज हम केवल इस बात को दिखा दें अर्थात् नवीन मद में हम यहां 1705 नवीन कार्यों को यदि पुस्तक के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करें तो वास्तव में धरातल में नहीं बल्कि एक काल्पनिक कह सकते हैं कि आपकी जो विकास की योजनाएं हैं, केवल कागजों पर है इसलिये बजट में जो राशि का प्रावधान रखा गया है उस राशि को जो खर्च होना चाहिए और खर्च होकर जो काम आना चाहिए वह राशि आपकी खर्च नहीं हो रही है तो आपके ऐसे विकास से छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है और न ही यहां के किसानों को कोई लाभ मिलने की संभावना है । इसी प्रकार से पी.डब्ल्यू.डी. के बजट में जो आवंटन दिये गये हैं । यदि हम पिछले 2-3 सालों का देखें तो वर्ष 2019 से हम लगातार देख रहे हैं कि जो बजट में आया है अर्थात् बजट की पुस्तिका में जो रखा हुआ है लेकिन बजट पुस्तिका के बाद उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं आ रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण बताना चाहूंगा कि जो उसमें शामिल किया गया था यह चौथा बजट प्रस्तुत होने के बाद में केवल 2-2 किलोमीटर की दो सड़कों का आया है । आप प्रदेश में अंदाजा लगा सकते हैं, आप 16 हजार करोड़ रूपये की बात कर रहे हैं कि सड़कों के निर्माण में हम खर्च करेंगे लेकिन जब तक आपकी प्रशासकीय स्वीकृति यदि जारी नहीं हो रही है इसका मतलब यह है कि आपकी जो बजट की राशि है, उस राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो आप जब बजट की बात करते हैं कि हम 15 प्रतिशत पूंजीगत व्यय करेंगे तो एक तो आपका पूंजीगत व्यय कम है। 14 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और जो व्यय रखा गया है, उसमें भी आपकी पूरी राशि खर्च नहीं हो रही है और नहीं होने के कारण हमें बजट पुस्तक केवल दिखाने के लिए और देखने के लिए है और इसलिए इसका छत्तीसगढ़ में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, उस समय चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क हो, चाहे हमारे राज्य के राजमार्ग हों या हमारे डिस्ट्रिक्ट के मार्ग हों, जो सड़कों का निर्माण हुआ है और होने के बाद में नयी सड़क की बात तो नहीं करता, लेकिन उन सड़कों के मरम्मत के लिए भी राशि इस सरकार के पास नहीं है और नहीं होने के कारण जो सड़कें हैं, वे उखड़ती जा रही हैं। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रावधान किये हैं, उसके अंतर्गत आप सड़कों का निर्माण कर सकते हैं और यदि इस वर्ष नहीं करेंगे तो आपकी पूरी सड़कें खत्म हो

जायेंगी। जितना उसमें मेहनत किया गया है, प्रयास किया गया है, आपके वे सारे प्रयास असफल हो जायेंगे। मैं तो आपको यह बता रहा हूं। मैं अभी जशपुर गया था। जब हम उड़ीसा से छत्तीसगढ़ प्रवेश किये तो बिना देखे हमें पता लग गया कि हम छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लिये हैं। जब आप उड़ीसा से झाड़सुगुड़ा से जायेंगे तो छत्तीसगढ़ की जहां सीमा है, उसके बाद में आपकी गाड़ी हिलना डूलना शुरू हो जायेगी। ये आपके विकास को दर्शा रहा है, चाहे वह सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. का हो। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उस योजना के अंतर्गत पेयजल की जो व्यवस्था की गई है, आज टेंडर लगने के बाद में वह कैंसिल हो रही है। मुख्यमंत्री जी, उसमें वर्ष 2023 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मार्च चल रहा है। अप्रैल, मई और जून ये आपके पास ढाई महीने का समय है। 15 जून के बाद वैसे ही आपके कार्य बंद हो जायेंगे और उसके बाद अक्टूबर के बाद आपके काम शुरू होंगे, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मालूम लेकिन जिस गति से आपके काम होने चाहिए, वह नहीं हो रहे हैं। उसमें टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद में काम शुरू हो जाना है, टेंडर लेने के बाद में ठेकेदार टेंडर में काम नहीं कर रहे हैं। वे काम छोड़कर भाग रहे हैं। आखिर इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वह करप्शन है। जल मिशन के अंतर्गत इतनी बड़ी राशि केन्द्र के द्वारा दी गई है और राज्य के द्वारा जो उपबंध किया गया है तो केवल उपबंध की व्यवस्था आपके पास है, लेकिन उस राशि का उपयोग नहीं करके जो जनहित में कार्य होने चाहिए, वह संभव दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जी नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी की बात करते हैं। कुल मिलाकर आपकी जो योजना है और उस योजना के अंतर्गत आपने गोबर खरीदने की बात कही है। अभी तक उस योजना के शुरूआत होने के बाद में लगभग 127 करोड़ रूपये का गोबर खरीदा गया है। मुझे लगता है कि उसके प्रचार-प्रसार के लिए उससे ज्यादा उसके विज्ञापन जारी किये गये हैं, लेकिन 127 करोड़ में कितना पैसा मिल रहा है, यह डॉ. साहब ने बताया है। मैं इसमें दूसरी बात करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप इस योजना को लेकर इतना चिंतित हैं और ये आपके लोकप्रिय योजना हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। आप 127 करोड़ में आकर आप अटक गये हैं और दूसरी बात जो यहां के महिलाओं को जो पहले से काम कर रहे हैं, 1 हजार करोड़ रूपये सालाना उसमें खर्च हो रहा है। रेडी-टू.ईट योजना, इस रेडी-टू-ईट योजना में 1 हजार करोड़ रूपये जो प्रत्येक वर्ष खर्च होना है, आखिर जब यहां के गोबर खरीदी के माध्यम से आप समेकित विकास करना चाहते हैं, महिलाएं जो काम कर रही हैं, उन्हें वंचित करने का काम क्यों किया जा रहा है ? बल्कि आप उन्हें प्रोत्साहित करें। उसमें हाइजेनिक फूड आया है। इसके लिए उसमें उसका निर्माण करें और यदि महिला स्वसहायता समूहों के पास में संसाधन नहीं है तो उन्हें आप लोन और उपकरण की व्यवस्था करें फिर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप प्रोडक्शन करें फिर उसको बांटे । ऐसा क्यों है कि केवल एक कंपनी वाले, केवल हरियाणा वाले ही काम कर सकते हैं । छत्तीसगढ़ की महिलाएं क्यों काम नहीं कर सकतीं ? जब आपने लोन की व्यवस्था की है तो उस लोन को बढ़ा दीजिए । अगर आप लोन बढ़ाते हैं तो मैं ऐसा समझता

हूं कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं अनुभवी हैं, इतने वर्षों से काम कर रही हैं । अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद् करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुरूप निर्माण करके वे अपने पैर पर खड़ी होंगी, उन्हें उससे वंचित करने का काम नहीं होना चाहिए । हम गौधन योजना की कितनी भी बात करें लेकिन अगर सरकार यहां की महिलाओं के साथ इस प्रकार का काम करेगी तो मुझे नहीं लगता कि गौधन योजना अंतर्गत रोजगार सृजन करने में आप सफल होंगे । जिनके हाथ में रोजगार है यदि हम उसे वंचित करेंगे तो उसकी सार्थकता खत्म हो जाएगी । उन महिलाओं के लिए आपने महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 12 करोड़ ऋण माफी की बात की है । लेकिन पंचायत आजीविका मिशन के अंतर्गत जो महिलाएं काम कर रही हैं, वन विभाग में समितियों के अंतर्गत जो महिलाएं काम कर रही हैं । ऐसी महिलाओं के लगभग 1500 करोड़ के कर्ज है । ऐसे कालातीत कर्ज पर यदि सरकार निर्णय ले और उसके लिए प्रावधान करे तो उन महिलाओं के आने वाले भविष्य के लिए ठीक होगा । आपने घोषणा पत्र में भी इस बात को जोरशोर से कहा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम महिला स्व-सहायता समूह के कर्ज माफ करेंगे । केवल महिला एवं बाल विकास विभाग की बात नहीं है, प्रदेश में कार्य कर रहे समस्त स्व-सहायता समूहों के कर्ज को माफ करेंगे तो घोषणा के अनुरूप कार्य होगा अन्यथा आप 1200 करोड़ रूपए देकर क्या बताना चाहते हैं ? इस 1200 करोड़ रूपए से महिलाओं का कोई कल्याण नहीं होने वाला है । इसलिए उस राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और उस राशि को बढ़ाने का प्रावधान करें और उन महिलाओं के कर्ज को माफ करें तो यह उन महिलाओं के हित में होगा और छत्तीसगढ़ की महिलाओं का सम्मान भी होगा ।

समय :
4.17 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डा. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास की बात आई है । वास्तव में बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं, माइनस 82 परसेंट । कितना काम हुआ आपका, यदि माइनस 82 परसेंट का बजट है, यह दर्शाता है कि आप कहां पर काम कर रहे हैं । आज प्रदेश में जहां जाएंगे, लगातार यह बात आती है कि प्रधानमंत्री आवास चाहिए । केन्द्र सरकार से निर्धारित होने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 2-3 सालों से, छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होना था, इससे यहां के लोगों को वंचित किया गया है, यह एक गंभीर विषय है । मैं समझता हूं कि इस विषय में जो बातें आई थी, मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 2023-24 तक इस योजना की समयावधि बढ़ाई गई है । यदि समयावधि बढ़ाई गई है तो छत्तीसगढ़ के लिए शुरू से जितने आवास स्वीकृत किये गये हैं, यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया है तो 2023-24 तक के लिए राशि का प्रावधान करके, उस योजना को विस्तारित करें तो, जैसा कि इस योजना के लेप्स हो जाने की बात आती है, या वंचित होने की बात आती है तो मुझे लगता है कि

बजट में 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है । शुरूआत हुई है लेकिन 800 करोड़ काफी नहीं है, बल्कि इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । अभी आपके पास अलग से सप्लीमेंट्री बनेगी, उसमें आप इसको जोड़ेंगे, लेकिन यदि केन्द्र सरकार के द्वारा 2023-24 तक समयावधि बढ़ाई गई है तो उसका पूरा लाभ छत्तीसगढ़ के आवासहीन गरीबों को मिले, इसके लिए मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार बजट में वृद्धि करे । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात आई है। आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आत्मानंद स्कूल बनाने के बाद में क्या हुआ? आज पूरे प्रदेश में जो छात्र हैं, वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहां पढ़ेंगे? उनको बता दिया गया है कि आप यहां टी.सी. ले ले और टी.सी. ले करके आने वाले समय में आपकी एडमीशन नहीं होगी। उसके बाद में छात्र आंदोलन में बैठे हुए हैं। आपके बिलासपुर, सरगुजा से ले करके बस्तर तक के छात्र सड़कों पर बैठे हैं। आखिर ये जो छात्र सड़कों पर बैठे हुए हैं तो आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल जो खोले हैं, एक तरफ कुछ लोगों को पढ़ाने के लिए, दूसरे तरफ बहुत से छोत्रों को यदि स्कूल से निकाल देंगे तो उसके भविष्य का क्या होगा? क्योंकि शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं। इसलिए मैं इस बात को और भी कहना चाहता हूं कि आपने डी.एम.एफ. के अंतर्गत राशि स्वीकृत किया। राशि स्वीकृत करके आपने राशि स्वामी आत्मानंद स्कल में दिया। लेकिन आपने कौन से स्कूल में दिया, जो पस्कूल पहले से संचालित हैं। जितने करोड़ की राशि दी गई है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। उतनी राशि में आप नई बिल्डिंग बना सकते हैं। नये बिल्डिंग बना करके आप वहां स्वामी आत्मानंद जी के नाम से वहां आप अलग से स्कूल खोल सकते हैं। आपको पुराने बिल्डिंग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप टेम्पोरेरी ले ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी वही स्थिति बन रही है कि जो नये बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए, उसके बजाय में आप डी.एम.एफ. की राशि को लेकर के उस पुराने बिल्डिंग को चुना लगाने का काम कर रहे हैं, रंगाई का काम कर रहे हैं, पुताई का काम कर रहे हैं। मुझे तो एक जगह का जानकारी आया कि मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन किये और उद्घाटन करने के बाद में उसका जो छज्जा है, वह छज्जा गिरने लगा। तो आप डी.एम.एफ.के पैसे का इस प्रकार से नुकसान क्यों करना चाहते हैं? आप उस स्कूल को चलाईये, अच्छी बात है। आप चला रहे हैं तो नये बिल्डिंग बनाईये। आज उसका सेटअप नहीं है। आपके हिंदी स्कूल के जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को ले जाकर वहां पर प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। प्रतिनियुक्ति करके जो हिंदी स्कूल के जो बच्चे हैं, वहां पर वह शिक्षक विहीन हो गये। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बोले कि हम स्कूल दो पाली में चला देंगे। चलिये आप दो पाली में चला दीजिए। लेकिन हिंदी स्कूल के बच्चों को, शिक्षकों को आप यदि स्वामी आत्मानंद स्कूल में ले जायेंगे तो उनके विषय को कौन पढ़ायेंगे? उन विषयों को लेने वाले कौन होंगे? और उस स्कूल में जो पहले से हैं, वहां कहां से लाकर आप भरेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें बनाये तो नई बिल्डिंग के साथ में करें, नये सेटअप के साथ में करें। आप जितना स्कूल खोल सकते हैं, खोलें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता

हूं कि आज जो बहुत सारे जो बच्चे हैं। आप सभी जगह स्वामी आत्मानंद स्कूल नहीं खोल सकते। आपको समय लगेगा। लेकिन आप जो सुविधाएं हम स्वमी आत्मानंद स्कूल में दे रहे हैं, वह सुविधाएं हमारे हिंदी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? उन बच्चों के लिए भी आपको स्वीहकार करना चाहिए। आज उन छात्रों के मन में यह बात आ गई है कि उनकी प्राथमिकता है और हम दो नंबर पर हैं जो वर्षों से पढ़ रहे हैं। तो उनको जो सुविधाएं मिल रही है, वह सुविधाएं हमारे हिंदी के स्कूल में नहीं है। उनको अभी भी फीस देना पढ़ रहा है, अभी भी उनको लगा रहा है। और इसलिए जो सुविधाएं दी जा रही है, मैं ऐसा समझता हूं कि बाकी हिंदी स्कूल के जो बच्चे हैं, वह सुविधाएं आप देंगे तो उन छात्रों के मन में यह जो भेदभाव की स्थिति निर्मित हो रही है, यह जो असमानता की स्थिति निर्मित हो रही है और ये उनको लग रहा है कि उनको प्राथमिकता है, हमको नहीं है, यह जो भाव जग रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय के लिए वह ठीक नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और उसको करें। मैं देख रहा था कि दो-तीन साल के बाद में स्कूलों का उन्नयन हुआ। आपने कितने स्कूलों का उन्नय किया? तो आपने कुल 12 हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया। आपके प्रदेश में कुल 32-34 जिले हो गये हैं। मतलब एक भी जिले में देने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ भवन के लिए कुछ राशि जो बजट में रखी गई है। पिछले समय जब डॉ. साहब जब मुख्यमंत्री थे, उस समय मीडिल स्कूल से हाई स्कूल से उननयन हुआ, हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी का जो उन्नयन हुआ, ऐसे स्कूल जो भवन विहीन हैं, उनको चिन्हांकित करना चाहिये। आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल हैं जो पूरे भवन विहीन हैं? और इन भवन विहीन स्कूलों के लिए बजट में आप राशि रखिये और दूसरी बात, जब डी.एम.एफ. से स्वामी आत्मानंद में आप राशि दे सकते हैं तो डी.एम.एफ. से आप स्कूल भवन के लिए, हिंदी भवन के लिए राशि क्यों नहीं दे सकते ? क्योंकि डी.एम.एफ. के बारे में अभी जो बदनामी चल रही है और जिस प्रकार से उसकी राशि का दुरूपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से उसका भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए उस राशि का जो उपयोग करना है तो उस राशि का उपयोग एक बार में जितने हमारे भवन विहीन स्कूल हैं इसके लिए यदि आप उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि अभी छत्तीसगढ़ में इतनी राशि है कि आपके अधिकांश जो भवन विहीन स्कूल संचालित हैं उन स्कूलों के लिए आपकी राशि की व्यवस्था हो जाएगी और उस राशि से उन स्कूलों का निर्माण भी हो जाएगा। जो कमी है उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। नहीं तो आज तो इसी बात को लेकर लड़ाई चल रही है और इसलिए यह जो राशि का दुरूपयोग हो रहा है इसको रोकने की आवश्यकता है क्योंकि एक तरफ हम लगातार कर्जे में जा रहे हैं। लेकिन जो राशि हमारे पास में है उस राशि का मिस यूज न हो, दुरूपयोग न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- और बच गया आपका? और कुछ बचा है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी तो बहुत बचा है।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- डॉ. साहब के समय बस्तर में जो 4-5 सौ स्कूल बंद होए रीहिसे, ओखरो बारे में बता दे।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसको भी खोल दीजिए। (हंसी) जितने स्कूल बंद हुए हैं, उनको खोल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके दिख रहे हैं कि आप कितने स्कूल खोलेंगे। आपका सामर्थ्य बता रहा है। आप 3 साल में 12 स्कूल नहीं खोल पाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने इस हाऊस के अंदर में एक बड़ी बात जो कही थी, बोधघाट परियोजना। इस बोधघाट परियोजना को लेकर के हमारे सिंचाई मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस प्रोजेक्ट को लेकर के जो बड़ी-बड़ी बातें कहीं गई, आज वर्ष 2022 हो गया, आप बजट को खोलकर देख लीजिए कि आपने लोगों को सपना दिखाने का काम किया। आप उनको सपना दिखाये कि आपकी 2-3 लाख एकड़ में सिंचाई हो जाएगी। लेकिन आज के ही प्रश्न के जवाब में है कि आपका अभी डी.पी.आर. नहीं बना है और जिस दिन मुख्यमंत्री जी इस बात को यहां पर बोल रहे थे, उस दिन डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा इस बात को यही पर रखा गया कि आप सिंचाई की बात तो छोड़ दीजिए, बोले आप डी.पी.आर. बनाकर के बता दो, तो मैं कहूंगा कि आप कुछ तो आगे बढ़े हो। वह हकीकत है उसकी सच्चाई है कि आज तक उसका डी.पी.आर. नहीं बना है। अभी सर्वे हो रहाहै। सर्वे के लिए जो-जो आवश्यकता है, जो जरूरी है जो उसकी अनुमति चाहिए, वह अनुमति भी अभी प्राप्त नहीं किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2023 का जो आपका बजट है। वर्ष 2022 का और उसके बाद में एक बजट आपका वर्ष 2023 में आएगा। वर्ष 2022 के बजट का ही आपकी उपयोगिता है। यदि इसके पहले आपका डी.पी.आर. नहीं बना और आप नहीं बना सके तो आज यह बात सिद्ध हो रहा है कि डॉ. रमन सिंह जी ने यहां पर इस हाऊस के अंदर में जिस बात का उल्लेख किया है कि आप केवल प्रोपोगंडा करना चाहते हैं। आप केवल वोट के लिए राजनीति करना चाहते हैं और यदि आप वोट के लिए राजनीति नहीं करते, यदि किसानों के लिए आपके मन में पीड़ा होती और उनको सिंचाई के साधन उपलबध कराना है तो तेजी के साथ में उसमें कार्य होते। लेकिन आज भी जो प्रश्न आये कि केवल सर्वे का काम कब तक पूरा हो जाएगा ? सरकार की तरफ से जवाब आया है कि समय-सीमा बताना संभव नहीं है कि सर्वे का काम कब होगा और जब आप सर्वे नहीं बता सकते हैं तब आप उसको क्या आगे बढ़ाएंगे ? आपके डी.पी.आर. क्या बनेंगे ? और डी.पी.आर. नहीं बनेंगे तो आप टेंडर की तो बात छोड़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कैम्पा मद की बात कर रहा था कि कैम्पा मद की राशि का कैसे दुरूपयोग किया जाता है। इसमें दिया हुआ है कि जो वनों की सुरक्षा, वन क्षेत्र में भू-जल संरक्षण के कार्य स्वीकृत किये जाएंगे। इसलिए अभी बजट में प्रावधान भी रखे हैं। यह कैम्पा मद की राशि का विशुद्ध रूप से दुरूपयोग किया जा रहा है। पिछले समय यह आपका कटघोरा

और कटघोरा के अंतर्गत में जडगा है, गरियाबंद है, आपका मारवाही है यहां पर जो कैम्पा के द्वारा जल संरक्षण के कार्य, इस जल संरक्षण के कार्य में आपके मारवाही में वह आपका स्टाफ डेम भी नहीं बना है लेकिन उसका भुगतान हो गया। जडगा वाला मामला अभी भी विवादित है उसकी जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई। गरियाबंद, इसी प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश में है कि कम से कम आप जब भू-जल को संरक्षित करने की बात करते हैं तो वहां पर कार्य तो होने चाहिए । लेकिन कार्य हो रहे हैं तो आपके जो स्टापडेम हैं, वह एक बरसात के पानी में बह जा रहा है । नहीं तो आपके बिना बनाए आप उसका जिस प्रकार से दुरूपयोग कर रहे हैं तो कैम्पा की राशि का भी यहां पर बड़ा दुरूपयोग हो रहा है । यदि इस प्रदेश में इसी प्रकार चलता रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थिति और खराब होगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रीटमेंट प्लांट की बात आई है कि कोरबा, दंतेवाड़ा, सक्ति, शिवरीनारायण, चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है । हम लोगों के समय में बिलासपुर में सीवरजे प्लांट शुरू हुआ था, लेकिन शुरू होने के बाद वह आजतक पूर्ण नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक शहर, जो आपके सामने में है, जब प्रथम सत्र हुआ तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दो आदेश किये । एक आदेश रायपुर के स्काई वॉक के लिए ऑर दूसरा आदेश बिलासपुर के सीवरेज प्लांट के लिए किया था । लेकिन बिलासपुर के सीवरेज के बाद में अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है कि उसका क्या होगा ? या उस काम को वहीं पर रखेंगे, वह पूर्णता की दिशा में जाएगी, काम अपूर्ण रहेगा । 2022 तक उसका निर्णय नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, कोरबा और बाकी जगह सीवरेज प्लांट लगाने की बात हो रही है । कोरबा भी बड़ा शहर है, बिलासपुर को आपने देख लिया है । मेरी सोच यह है और मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से बिलासपुर का कार्य अपूर्ण है, उसकी पूर्णता पहले हो जाये और उसके पूर्ण होने के बाद में जो बाकी अन्य शहरें हैं, यदि उन पर कार्य करें तो मुझे लगता है कि उचित होगा । और नहीं करेंगे तो जो स्थिति अभी सीवरेज की है, उस स्थिति में उसको पूर्ण करने की आवश्यकता है इसलिए इन बाकी कार्यों को अभी प्रारंभ न करें । एक बार उसे पूर्ण कर लिया जाये और उसके बाद में उसकी सफलता को देख लें कि उसमें कितने प्रतिशत सफलता मिली है । यदि उसमें लगता है कि कुछ काम करने की आवश्यकता है तो उसको पूरा करने की जरूरत है । यदि हम बाकी शहरों में इसी प्रकार से करेंगे तो यह बाद में दिक्कत आएगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं, पर उन घोषणाओं पर अमल नहीं होता, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे और उन्होंने निर्णय में कहा था कि हमको पंचायत को मजबूत करना है । पंचायत को मजबूत करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वहां जो रेत घाट है, उस रेत घाट को पंचायतों को दे दिया था, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद में कहा गया कि पंचायतों ने राजस्व की प्राप्ति कर ली है इसलिए रेत घाट को पंचायत से हमको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निकालना है और पंचायतों से निकालकर उसमें पहले तो बात हुई थी कि हम अलग से उसका निगम बनाएंगे, कारपोरेशन बनाएंगे, बाद में फिर टेण्डर हुआ और आज मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि उनको पंचायतों को पुन: दिया जाये, इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छा निर्णय लिया है कि आप पंचायत को दीजिए, लेकिन आपने निर्णय केवल अधिसूचित क्षेत्र में लिया है । अधिसूचित क्षेत्र की बजाय पूरे प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्र के बाहर जो पंचायतें हैं, उनके लिए भी यदि आप निर्णय कर लें या यहां घोषणा कर लें, बाद में उसको जोड़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि उन पंचायतों की जो आज स्थिति है, वह सुधर जाएगी । अध्यक्ष महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप भी जानते हैं कि क्या स्थिति बनती है ? यह किसी से छिपी हुई नहीं है इसलिए कम से कम हमारे पंचायतों की स्थिति सुदृढ़ होगी और उसके लिए यह प्रयास करने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एयरपोर्ट की बात आती है । अभी कुछ दिन पहले हमारे विमानन मंत्री जी रायपुर आये थे । हम लोगों ने उनसे कुछ बिलासपुर के लिए, कुछ रायपुर के लिए कारगो की बात की, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की बात की और बिलासपुर में जो मुख्य समस्या है कि आप एक बार में दो जहाज नहीं उतार सकते, आपके पास में जगह नहीं है । वहां भी जो फ्लाईट चल रही है, वह via है कि आप बिलासपुर से या तो इलाहाबाद जाएंगे और इलाहाबाद से दिल्ली जाएंगे । या बिलासपुर से जबलपुर जाएंगे और जबलपुर से दिल्ली जाएंगे । आप वहां पर बोईंग विमान नहीं उतार सकते हैं। वहां पर बोईंग विमान नहीं उतरने का प्रमुख कारण वहां के स्ट्रीप का छोटा होना है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और स्ट्रीप बढ़ाने के लिए जमीन की आवश्यकता है। यहां से उस जमीन के लिए प्रयास होना चाहिए। अभी वह जमीन सेना के पास है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार यहां से प्रयास करे तो वह जमीन मिल जायेगी। उसका दो विकल्प है। या तो उस जमीन के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार प्रयास करे ताकि जमीन मिल जाये नहीं तो आप एयरपोर्ट अथारिटी के नाम से परिवर्तित कर दें, जो सरकार के पास है, उसे एयरपोर्ट अथारिटी को दे दें। एयरपोर्ट अथारिटी उसकी मांग करें और उसका विस्तार करें। जब तक बिलासपुर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तक सीधी हवाई सेवा नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में यह विलासिता की सेवा नहीं रह गई है। सामान्य लोग भी हवाई यात्रा करते हैं। वहां हाईकोर्ट है, एन.टी.पी.सी. है, कोरबा है, बाल्को है। यदि आप बाहर के किसी वकील से भी बात करेंगे तो बात करने पर यह बताते हैं कि पहले रायपुर जाना है और फिर बिलासपुर जाना है। यदि कोई उद्योगपति बिलासपुर आना चाहता है तो वह पहले रायपुर आयेगा, फिर बिलासपुर आयेगा। बिलासपुर में जब तक सीधी हवाई सेवा शुरू नहीं होगी, विकास में अवरोध होगा। बिलासपुर का जो विकास होना चाहिए, यह विकास में अवरोध है। इसलिए इसका 2 विकल्प है। या तो राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करें यदि नहीं तो जमीन को एयरपोर्ट अथारिटी को दे दें, विमानन विभाग की जो अथारिटी है, वह उस जमीन की मांग करें, तो मुझे लगता है कि बिलासपुर की जो एक समस्या है, उस समस्या का निदान होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सब बातें तो आ गई महाराज।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, क्या है कि मुख्य बजट में नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव जी का पौने तीन घंटे बोलने का रिकार्ड है। इनका तो अभी आधा घंटा हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष जी, उनको बोलने दिया। क्योंकि डाक्टर साहब जो 15 साल का रिकार्ड बता रहे थे, उसकी सब कमजोरी को बताते जा रहे हैं। चकरभाटा का एयरपोर्ट नहीं बढ़ा पाये, सडकें नहीं बन पाई, गड्ढे हैं, स्कूल बंद है, वह धीरे-धीरे सब बता रहे हैं। आजकल डॉ. साहब और कौशिक जी का ठीक नहीं बन रहा है।

श्री कवासी लखमा :- डाक्टर साहब बोले कि सब बना दिया, कौशिक जी बोल रहे हैं कि नहीं बना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा-पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन 2005 के प्रावधान का जो प्रकटीकरण है, मैं उसको पढ़कर बताना चाहता हूं। राजस्व व्यय में एक बड़ा हिस्सा वेतन पर होने वाले व्यय के रूप में होता है। राज्य शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों तथा नियमित नियुक्ति के स्थान पर संविदा नियुक्ति, रिक्त पदों पर अतिशेष कर्मचारियों की नियुक्ति, नवीन पदों के आवश्यकता के आकलन के आधार पर सहमति के फलस्वरूप राज्य सरकार का वेतन पर होने वाला व्यय सीमित है। मतलब इन्होंने तय कर लिया है और इसे देखने तो यही लगा है कि जो अनियमित कर्मचारी है, उनको नियमित करने वाले नहीं हैं। यदि आपके पास पद भी है तो उन पदों को अतिशेष कर्मचारियों के नियुक्ति के माध्यम से फीलअप करेंगे। आपने एक प्रकार से यहां के लाखों ऐसे कर्मचारी हैं, सभी विभाग में हैं, उनको धोखा देने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.ए. की बात आ गई, मैं कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार के द्वारा बातें कही गई है, आपने शराबबंदी की बात कही। आपने फिर प्रावधान रखा है कि 5,500 करोड़ राजस्व आने संभावना है। मैं लगातार इस बात को देख रहा हूं कि वह राशि 5 हजार करोड़ से आगे नहीं बढ़ रही है। पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। शराब बंद करने वाली यह सरकार, प्रीमियम शराब की दुकानें लगातार खोल रही हैं और उसके बाद गांव-गांव में सप्लाई हो रही है। लेकिन आपका जो बजट है, उसमें आबकारी से होने वाली आय 5 हजार करोड़ से आगे नहीं बढ़ रही है। आखिर इतने पीने वाले हैं तो पैसा कहां जा रहा है ? दारू में एक नंबर के बजाय अवैध रूप से कितनी राशि आ रही है। जब पीने वालों की संख्या है तो स्वाभाविक रूप से राशि आ रही है । उसमें रेट भी बढ़ा है । पहले जो दर थी, वह दर में वृद्धि की गई है । दर में जो वृद्धि की गई है तो कम से कम 10 हजार करोड़ रूपया आनी चाहिये । लेकिन आज भी 5000 करोड़ में अटकी हुई है । आनी चाहिये, मैं बोल रहा हूँ । पीने वाले की जो संख्या है, आप प्रीमियम दुकान खोल रहे हैं, आखिर यह राशि कहां जा रही है । यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राशि भ्रष्ट्राचार की भेंट चढ़ रही है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसकी घोषणा होना चाहिये । आपने कहा है, हमने नहीं कहा है कि शराबबंदी होनी चाहिये । 5000 करोड़ की व्यवस्था आप दूसरी जगह से करे, व्यवस्था करनी चाहिये ..।

अध्यक्ष महोदय:- अगले भाषण के लिए छोड़ दीजिए । आपको बोलते हुये, डॉ.साहब से ज्यादा समय हो गया । डॉ.साहब का आपने रिकार्ड तोड़ दिया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटा । छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 से 2017-18 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद का बजट घाटा यदि देखेंगे तो हम एकाध-दो साल को छोड़ दे, लगभग 3 प्रतिशत से ऊपर नहीं रहा है । आज जो सरकार है और इस सरकार में वर्ष 2018-2019 लगभग 6 प्रतिशत, वर्ष 2019-2020 में 5.2 प्रतिशत, वर्ष 2020-2021 4.5 प्रतिशत, अभी 3.81 प्रतिशत, माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 हजार करोड़ से ऊपर का बजट घाटा लगातार कांग्रेस की सरकार आने के बाद में हो रही है, डॉ.साहब के समय में इसको लिमिट करके रखा गया था । राजस्व जो घाटा है, वर्ष 2019-2020 में 9500 करोड़ रूपये, वर्ष 2020-2021 में लगभग 7 हजार करोड़ रूपये, वर्ष 2021-2022 में लगभग 1000 करोड़ रूपये । अभी जो बातें आई है, 501 करोड़ का आधिक्य । लगातार घाटे के बाद आधिक्य बताई गई है । उसमें आंकड़ों को कैसे रखा गया है और किस माध्यम से इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है, यह बातें आई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम केन्द्र सरकार की लगातार आलोचना करते हैं कि केन्द्र सरकार मदद नहीं करती । हम आज पूरी योजना को देखें, डीमैट की बात करें, 15 वें वित्त आयोग की बात करें या हम हमारे हिस्से के बजट के राशि की बात करें, हमेशा राज्य से ज्यादा केन्द्र की भागीदारी रही है । अध्यक्ष महोदय, हम आलोचना करते हैं । मैं तो यह कह सकता हूँ कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरूवा घुरवा बारी की बात करें, हम चाहें अन्य योजना की बात करें, आपके मनरेगा से लेकर इन सारी योजनाओं के अंतर्गत संचालित हो रही है । वास्तव में राजकीय बजट को देखेंगे, जितना पूंजीगत व्यय होना है, यदि उस आधार पर हम जायेंगे, मुझे लगता है कि आपके जो विकास कार्य है, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, सारे कार्य जो आपके दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बजट का यदि प्रावधान किये हैं तो बजट का उपयोग होना चाहिये, खर्च होनी चाहिये, यदि नहीं हो रहा है तो यह आपकी अदूरदर्शिता है । आपके दृष्टिकोण में कमी है । आपकी दिशा में कमी है, जिस लाईन में हमारी बजट जानी चाहिये, जो विकास होनी चाहिये, मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एक परिचित परिवार है, उस परिवार के दो बेटे हैं, उन दोनों बेटों का भी परिवार है, जो बड़ा बेटा है, उसका परिवार बहुत अच्छा है और उनके पास आज के भौतिक साधन सब उपलब्ध हैं। जो छोटा बेटा है उनका भी अच्छा परिवार है, उनका भी अच्छा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जो छोटा बेटा है और उनके जो पुत्र हैं, उनको नई-नई गाडियों का शौक, सोने का शौक है और आज के भौतिक रूप से जो

संसाधन हैं, उनको उन्होंने बहुत शौक किया। इसके देख करके जो बड़े बेटे के पुत्र हैं उन्होंने कहा कि पापा क्या आपकी उनसे ज्यादा आमदनी है ? वह हमसे ज्यादा अच्छा खर्च करते हैं, वह नई-नई चीजें ले करके आते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सही दिशा में जाना है और हमको रुपये का सही इस्तेमाल करना है और यह करके आज भी वह परिवार सुखी है। उनके जीवन में कोई तनाव नहीं है। लेकिन जो अपने बेटों की जिद पर उनके नये-नये शौक पूरा करने के लिए वह रुपये देते रहे और कुछ दिनों के बाद में एक दिन अचानक वह घर से गायब हो गया। गायब होने के बाद में उसको ढूंढने लगे कि वह कहां है। कुछ दिनों के बाद में कुछ लोग उनके पास में आये और आ करके कहा कि यह जो गाड़ी आप चढ़ रहे हैं न, उसके लिए मैं कर्ज दिया हूं। यह राशि आपसे वसूलनी है। या तो आप राशि लौटा दें नहीं तो मुझे आपकी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, उसको बेचनी पड़ेगी। ऐसा करते-करते उसके घर की जमीन बिक गई, सामान बिक गया और जिस बाप को वह बहुत अच्छा बोल रहे थे, उस बाप को वह जगह-जगह जाकर कोसने लगे और कोस करके उन्होंने कहा कि इन्होंने इतना कर्ज लिया और कर्ज लेकर के हमारे ऊपर छोड़ दिया और वह परिवार कंगाल हो गया। लगभग यही स्थिति छत्तीसगढ़ की है। आप कर्ज तो लेते जायेंगे लेकिन आपकी पटाने की स्थिति नहीं है और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ करके जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, जो आप लोगों ने अपने शासनकाल में कर्ज लिया था, उसको भी हम लोग ही पटा रहे हैं।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी ओर से माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। लाबी स्थित कक्ष में पत्रकारों के लिए, प्रथम तल पर माननीय सदस्यों के लिए व्यवस्था की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी।

<u>वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बजट आया है इस बजट के बारे में गालिब ने कहा है-

कोई इज्जत ढकता है, फटे चिथड़ो से गालिब,
कोई नंगा होकर महफिलें लूटने की कोशिश करता है।

अध्यक्ष महोदय :- वाह-वाह। चलिये माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन नहीं

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री मोहन मरकाम जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री शैलेश पांडे जी, श्री सौरभ सिंह जी, श्री अरूण वोरा जी, श्री केशव प्रसाद चन्द्रा जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, श्रीमती इंदु बंजारे जी, श्री गुलाब कमरो जी, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री विनय कुमार भगत जी, श्री रजनीश कुमार सिंह जी, डॉ. विनय जायसवाल जी, डॉ. रेणु जोगी जी, श्री बृहस्पत सिंह जी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, श्री प्रकाश शक्राजीत नायक जी, डॉ. रमन सिंह जी, श्री अनूप नाग जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धरमलाल कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन की आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया, मैं ह्दय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था तो उसके पहले हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि उस दिन तो कहा था आपने खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आज क्या निकलेगा, आपने आसंदी से कहा था कि हाथी निकलेगा। पूरे बजट के दौरान मैं सभी विपक्ष के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि एक बार भी हमारे सदन के सदस्यों ने टोकाटाकी नहीं की। यह इस बजट की सफलता है। किसी भी विपक्ष के साथी ने चाहे मुख्य विपक्षी दल हो, जनता जोगी कांग्रेस के हों, बहुजन समाज पार्टी के साथी हों, किसी ने टोकाटाकी नहीं की। अजय चन्द्राकर जी जैसे सदस्य भी पूरी गंभीरता से सुनते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे तो माननीय अजय जी किसी दूसरी मुद्रा में थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- योग निद्रा में थे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी दूसरी मुद्रा में थे, मैं वही तो बोल रहा हूं। निद्रा योग में थे, योग निद्रा में थे। अभी जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे और डॉ. रमन सिंह जी का इसके पहले भाषण हुआ तो डॉ. साहब ने कहा कि जितने मैंने सड़क बनवाई है, उसकी कम से कम रिपेयरिंग करवा दीजिये और हमने इतना काम किया, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हुये, उन्होंने कहा कि आप जैसे ही जशपुर जाओगे और आप उड़ीसा से जैसे ही छत्तीसगढ़ की सीमा में पहुंचोगे तो पता चल जाता है कि हम छत्तीसगढ़ आ गये , जशपुर पहुंच गये। तो डॉ. इसका मतलब यह है कि आपके बनाये हुये नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि इनका समर्थन है ही नहीं।

श्री धरम लाल कौशिक :- यह 3 साल का है।

श्री भूपेश बघेल :- मतलब इतनी पतली, इतनी खराब सड़क बनाये कि 3 साल में उखड़ गया।

श्री धरम लाल कौशिक :- क्योंकि आपने आने के बाद में 3 साल में कुछ किया ही नहीं, यह उसका परिणाम है। बरसात के पहले..।

श्री भूपेश बघेल :- मतबल डॉ. साहब, इतनी खराब सड़क बनाये थे, देखिये। कितना भ्रष्टाचार हुआ कि 3 साल भी नहीं टिका और सारी सड़के बह गयी। (शेम-शेम की आवाज) विकास की गंगा इतनी बही कि पूरा उखड़ गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्कूल के बारे में बोला। आपने आदिवासी क्षेत्रों में 3000 स्कूल बंद कराये थे। आज स्कूल का हिसाब पूछ रहे हैं। आप कितने स्कूल खोले, 12 का उन्नयन करें। जहां नये हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी की आवश्यकता है, वहां खोला जा रहा है। लेकिन आप तो जो पुरानी संचालित स्कूल है, उनको बंद कर दिये थे, आपकी 15 साल की यह उपलब्धियां हैं। डॉ. साहब, आपकी उपलब्धि यह है कि यह जो छत्तीसगढ़ है यह नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। सदन का कोई सत्र, कोई सप्ताह नहीं जाता था जिसमें नक्सलियों की चर्चा नहीं होती थी और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की उतनी चर्चा नहीं होती जो आपके शासनकाल में होती थी (मेजों की थपथपाहट) । घटनाओं में कमी आयी है। आपकी ही उपलब्धि है कि बस्तर के 600 गांव उजड़ गये, 3000 स्कूल बंद हो गये, यह है आपकी उपलब्धि। तेलंगाना में, यदि आप उनके रोजी रोटी , रोजगार की व्यवस्था किये होते, यदि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किये होते, जिसके बारे में आप बहुत चर्चा करते हैं तो आज वह हमारे आदिवासी भाई यहां होते, वहां पलायन करने के लिये बाध्य नहीं होते। आप बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, आपने डॉ. साहब कहते हैं 2 साल का बोनस, कुछ तो शर्म कीजिये डॉ. साहब। आप खुद नहीं दे सके, उसको बोलते हो कि हमको दो, क्या गजब करते हो। एक तो आपने बोनस नहीं दिया, चुनाव के साल में बोनस दे देते थे उसके बाद में कोनस। अब कहते हो कि वह भी दो, मैंने नहीं दे पाया, आप खुद ही अपनी बात का खंडन कर रहे हैं कि आपकी क्या उपलब्धि है। आपके शासन काल में किसान आत्महत्या करते थे, कर्ज में डूबे हुये थे। जिसको कभी आप शराबी कहते थे, कभी आप पति-पत्नी का झगड़ा बताते थे। कभी और कुछ बताते थे। किसानों की माली हालत खराब। आप ही कह रहे हैं कि 22 लाख लोगों को मकान मिलता। आप नहीं दे रहे हैं। सेंट्रल का पैसा है। हमारी सरकार जब यू.पी.ए. थी तो 90-10, 75-25 का होता था। आपके समय में ऐसी कोई योजना नहीं है जो 90-10, 75-25 की हो। सारी योजनाएं 60-40 की, अब तो 50-50 हो गया। और फिर 22 लाख, अब एक हिसाब बता देता हूं आप आंकड़े बहुत करते हैं, मुझे आंकड़ा वगैरह नहीं आता। 48 लाख हाऊस होल्ड है, जब ग्रामीण क्षेत्र में आते थे तो। 22 लाख लोग को मकान की दरकार है, मतलब 15 साल में गांव के लोगों को आपने इतना त्रस्त कर दिया, इतना दबाया, आपने इतना पैसा से खाली कर दिया, वह मकान भी नहीं बना पाये। यह आपकी उपलब्धि है। यदि आपने कुछ काम किया होता तो वह अपने पैसे से मकान बना लेते। हमने किया, किसानों का कर्ज माफ किया, 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदा। आज हजारों लाखों लोग अपना मकान बना रहे हैं, बढ़िया मकान बना रहे हैं, अपनी पसंद का मकान बना रहे हैं। फिर सेन्ट्रल का पैसा और कितना है, क्या है, वह मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ों में बता देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके स्थिर भाव में देश की जी.डी.पी. और राज्य की जी.एस.डी.पी. वृद्धि की तुलना मैं कर देता हूँ। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार का 6.5 था, राज्य सरकार का 6.65 था, यह लगभग बराबर था, वर्ष 2018-19 में भारत सरकार का 7.2 और छत्तीसगढ़ का 6.08 था। वर्ष 2019-20 में भारत सरकार का 6.9 था और राज्य सरकार का 5.32 था। इसमें कमी आयी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में देखेंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी जी.डी.पी. भारत सरकार की माईनस 7.7 था। लेकिन यह हमारे साथी सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ की जो जी.एस.डी.पी. है उसको -1.7 में रोकने में हमको सफलता मिली। आप तो -7.7 थे तो हमने -1.7 में रोक दिया। यह हमारी सफलता है। इस साल वर्ष 2021-22 की बात करेंगे तो भारत सरकार का 9.2 है और छत्तीसगढ़ का 11.54 है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सड़कों की बात करें तो मेरे पास भारत सरकार के आंकड़े हैं। मैं आपको उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे द्वारा तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनायी गई सड़कों की गुणवत्ता परीक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा करवाया गया, जिसमें 99.75 कार्यों को संतोषप्रद पाया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप बजट में भारत सरकार से तुलना कर रहे हैं तो अगली बार से हम लोग भारत सरकार के बजट में ही बोलेंगे। छत्तीसगढ़ के बजट में बात ही नहीं करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी क्या है कि आपको 15 सालों की तुलना भी बर्दाश्त नहीं होती है। आप सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :-नहीं-नहीं।

श्री भूपेश बघेल :- आपको 15 सालों की तुलना भी बर्दाश्त नहीं होती है, दिल्ली की भी तुलना बर्दाश्त नहीं होती। अर्थव्यवस्था में आप भारत सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना में आप कहां खड़े हो, दूसरे राज्यों की तुलना में आप कहां खड़े हो, यही तो बताओगे। मैं दूसरे राज्यों का भी बता दूंगा। आप 70 सालों के बारे में पूछते हैं तो हमको खराब नहीं लगता है। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनसे सवाल करते हैं तो जवाब लेने के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा। आप गजब करते हैं और मैं पिछले 15 सालों का पूछ देता हूँ तो आप बुरा मान जाते है। आप बुरा मत मानिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम भारत के बजट में बोलेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- आप बिल्कुल बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ कि 99.75 प्रतिशत कार्य संतोषप्रद पाये और ई-मार्ग पोर्टल बनाकर, निर्माण और भुगतान की मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ 85 प्रतिशत उपलब्धि पाकर देश में सड़क निर्माण में प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार ने इस विशिष्ट कार्य के लिए हमको 221 करोड़ रूपये का पुरस्कृत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया, जो प्रथम स्थान पर आये हैं। अब आप कहते हैं सड़कों के रिपेयरिंग की बात कहते हैं। मैं वह भी बता देता हूँ। माननीय डॉक्टर साहब ने रिपेयरिंग की बात कही। वर्ष 2021-22 में 6 हजार किलोमीटर की सड़क के नवीनीकरण की निविदा की थी, जिसमें से 3342 किलोमीटर की स्वीकृति दे चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है और रख-रखाव के लिए हमारे प्रयास का फल है। हम 6 हजार किलोमीटर की सड़क का टेण्डर किये हैं, जिसमें 3342 किलोमीटर की स्वीकृति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप राज्यों की तुलना से घबरा गये। केन्द्र की तुलना से घबरा गये। अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि बजट में केन्द्र का हिस्सा किसी राज्य में ज्यादा होता है और राज्य का हिस्सा कम होता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं आपको आंकड़े सहित बता देता हूँ।

समय :
5:00 बजे

आप वर्ष 2003-04 से करेंगे तो भारत सरकार का 49 प्रतिशत रहा, वर्ष 2005 में 41 प्रतिशत रहा, वर्ष 2006 में 41 प्रतिशत रहा, वर्ष 2007 में 42 प्रतिशत रहा, वर्ष 2008 में 42 प्रतिशत रहा और उसके बाद आप देखेंगे, वर्ष 2013-14 में 43 प्रतिशत, वर्ष 2014-15 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 में 52 प्रतिशत और उसके बाद वर्ष 2017-18 में 53 प्रतिशत रहा और वर्ष 2019-20 में 60 प्रतिशत तक रहा। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि केन्द्र का जो केन्द्रीय कर और अनुदान है और छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है, दोनों बराबर है। 44,500 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार का है, 44,700 करोड़ भारत सरकार का है तो केन्द्र और राज्य सरकार का बराबर का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि इसीलिए मैं कहता हूं, मैं आंकड़ें सहित बोलता हूं। भारत सरकार हमको अनुदान भी कम दे रही है और केन्द्रीय कर का हिस्सा भी कम दे रही है। हम हमारे राज्य के राजस्व से लगातार वृद्धि कर रहे हैं। डॉ. साहब, आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, राज्य गठन के समय 1 ही मेडिकल कॉलेज था, जब छत्तीसगढ़ बना, हम लोग सत्ता में आए तो बिलासपुर का मेडिकल कॉलेज और बना। दो मेडिकल कॉलेज हो गए। डॉ. साहब, उसके बाद आपने 15 साल में राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज खोले। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे तीन साल के कार्यकाल में कोरबा, कांकेर, महासमुंद और दुर्ग इनकी स्वीकृति मिल गयी है और ऐसा नहीं है कि तुरंत काम शुरू हो जाए, स्वीकृति मिल गई है तो हमारे कार्यकाल में काम होगा। (मेजों की थपथपाहट) आपने तो 15 साल में चार मेडिकल कॉलेज खोला। हमारा तो पांच साल में चार मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। (हंसी) इसमें हंसने की क्या बात है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हंसने की बात इसलिए है कि भारत सरकार हर संसदीय क्षेत्र में खोल रही है। आपने एक ही की मान्यता ली, दो कॉलेजों की मान्यता आपकी लापरवाही के कारण नहीं मिली।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाना सीखना हो तो चंद्राकर जी से सीखिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बजट का 80 प्रतिशत कर्ज लिए हैं, आप बहुत हल्ला कर रहे थे। मैं आपके पास आंकड़े पढ़ देता हूं, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल 80 प्रतिशत है। लेकिन आपके उत्तरप्रदेश में 92 प्रतिशत है, गुजरात में 146 प्रतिशत है, आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मध्यप्रदेश में 125 प्रतिशत है, हरियाणा में 180 प्रतिशत है और कर्नाटक में 126 प्रतिशत है। आप बोल रहे हैं न, अभी कहानी किस्सा बता रहे थे तो फिर नेता जी, जो हम लोगों की हालत है, वह 80 प्रतिशत में ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, चाहे कर्नाटक हो, मध्यप्रदेश हो, उत्तप्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा है, यहां तो 100 संचुरी है, हरियाणा तो डबल संचुरी के करीब है। 180 प्रतिशत में है। कम से कम आप जब यह बताते हैं तो इस बात को भी ध्यान रखें। आपके पड़ोसी मध्यप्रदेश से अलग हुए थे, हम 80 प्रतिशत में हैं, वे 125 प्रतिशत में हैं। मैंने बजट में पहले भी कहा है कि यहां के किसानों के, मजदूरों के हित में हमें कर्ज लेना पड़े तो हम और कर्ज लेंगे लेकिन अन्नदाताओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, धोखा नहीं होने देंगे, जैसे आपने दिया। (मेजों की थपथपाहट) आप लगातार 15 सालों तक धोखा देते रहे। आपने भोले-भाले किसानों के साथ छल किया। हम धोखा नहीं करेंगे, आपने रोकने की कोशिश की, भारत सरकार ने लगातार हमको रोकने की कोशिश की। आप समर्थन मूल्य से एक रूपए भी अधिक बोनस देंगे तो आपका चावल एफ.सी.आई. में जमा नहीं करेंगे। हमने 2500 रूपए बोला है, एक रूपए भी कम नहीं होने देंगे। (मेजों की थपथपाहट) और इस साल 2540 रूपए क्विंटल पड़ा है, यदि समर्थन मूल्य 100 रूपए बढ़ता है तो अगले साल 2640 रूपए हो जाएगा और चुनाव आते-आते कहीं बढ़ गया, जैसे पिछले समय 200 रूपए ब़ढ़ा था तो आप हिसाब लगा लो कितना रूपए पहुंचेगा। (मेजों की थपथपाहट) नौ हजार रूपए प्रति एकड़ जो इनपुट सब्सिडी हम दे रहे हैं, उसमें एक पैसा कम नहीं करेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि 15 प्रतिशत केपिटल एक्सपेंडिचर है, डॉ. साहब, इसका आंकड़ा भी पढ़ देता हूं। वर्ष 2014-15 में 15 प्रतिशत था, वर्ष 2013-15 में 16 प्रतिशत था, आप भी तो 15,16,17 के करीब रहे हैं। हमारा स्थापना व्यय बढ़ा है। क्योंकि हमने नौकरी दी है तभी स्थापना व्यय बढ़ेगा और कहां से स्थापना व्यय बढ़ेगा? किस बात का बढ़ेगा ? आपके समय में 24 परसेंट तो हमारे समय में 26 परसेंट है । क्यों? क्योंकि लगातार हम भर्ती कर रहे हैं । आपके समय में एक साल के एवरेज में 5000 होता था और हमारे समय में हर साल 13000 हो रहा है । भर्ती हम कर रहे हैं तभी तो स्थापना व्यय बढ़ रहा है । आप यह तो बताईये कि ओल्ड पेंशन

स्कीम का आप समर्थन करते हैं या विरोध कर रहे हैं ? किसी ने भी उस पर एक भी शब्द नहीं बोला। धर्मजीत जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं । आप तो कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपके पेंशन के बारे में भी बोला । मैंने आपके मुख्यमंत्री सुगम सड़क के बारे में भी बोला । मैंने आपके आत्मानंद स्कूल के बारे में भी बोला, जो अच्छी चीज है उसके लिये बोलने में किसी की अनुमति और किसी से डर की जरूरत नहीं है वह तो हम खुलेआम बोलते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- धर्मजीत भैया, मैं आपको तो बोल ही नहीं रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने यह कहा कि पेंशन स्कीम को यदि कर्मचारी पसंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है ।

श्री भूपेश बघेल :- धर्मजीत जी, मैं आपको तो बोल ही नहीं रहा हूं । मैं तो इन लोगों को बोल रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- देश में पेंशन की यह स्कीम तो कब से चल रही है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- जो माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय में बंद हुआ था, हमने शुरू किया है उसका आपने एक-बार भी जिक्र नहीं किया ।

श्री दलेश्वर साहू :- चंद्राकर जी, पहली बार शहरों में होर्डिंग्स लग रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- जगदलपुर में बोधघाट के भी होर्डिंग्स लगे थे ।

श्री भूपेश बघेल :- चिंता मत करें, हम उसमें भी बात करेंगे । ऐसा नहीं है कि केवल 15 परसेंट...।

श्री अजय चंद्राकर :- 4 लाख 65 हजार को नौकरी देने के भी होर्डिंग्स लगे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- ऐसा है अजय चंद्राकर जी कि अब माता सरस्वती भी आपका साथ नहीं दे रही हैं । वह कंठ में विराजती हैं । आप लगातार झूठ बोलते हैं और चीख-चीखकर बोलते हैं तो माता भी नाराज हो गयीं इस कारण से आपका गला भी फट रहा है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा आप अपने आपको विश्राम दें ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, तो आप कुछ भी बोलें उसको हम सुनें ।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं भई, मैं कहां ऐसा बोल रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जितनी अविश्वसनीय बातें इस सदन में 3 सालों में कही हैं । जब अवसर आयेगा तो मैं बताउंगा कि आपने इन 3 सालों में सदन में कितनी बार असत्य बातें कही हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 5 लाख लोगों को तो नौकरी देने की होर्डिंग्स दसों जगह लगी हैं । आपके भाषण में है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- उसमें भी बात कर लेंगे, आप चिंता मत करिये ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- 2 करोड़ का क्या हुआ ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले हम छत्तीसगढ़ की तो बात कर लें ।

श्री भूपेश बघेल :- 2 करोड़ का भी हिसाब मांग लेते हैं ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- 15-15 लाख का क्या हुआ ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी से इतने असत्य कथन की उम्मीद नहीं थी । उन्होंने राष्ट्रीय सर्वे एजेंसी, एन.एफ.एच.एस. फोर-फाइव की बात कही थी । छत्तीसगढ़ में एन.एफ.एच.एस. फोर में 37.6 था तो भारत में 38.4 है । वर्ष 2019-20 में 34.4 है और भारत सरकार का 35.5 है तो हमारा घटा ही है बढ़ा नहीं है । 3 परसेंट की कमी ही आयी है, आप चिल्ड्रन अंडर फाईव इयर की बात बोल रहे हैं । आप एन.एफ.एच.एस. फोर की बात करेंगे तो 23.1 था, इण्डिया का 21 और वर्ष 2019-20 का देखें तो 18.9 और भारत का 19.2 तो इस प्रकार से माईनस 4.2 की कमी आयी है । आप कुपोषण की बात कह रहे थे । वर्ष 2016-17, 18-19 मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं । उसमें भी कम ही हुआ है । वर्ष 2016 में 30 परसेंट था, वर्ष 2017 में 26, वर्ष 2019 में 23 और अब वर्ष 2022 में घटकर 19.86 है । अब पता नहीं आपने कौन सा निकालकर लाया वह आप जानें । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ आंकड़ेगत जानकारी जो नेता प्रतिपक्ष जी ने, डॉ. रमन सिंह जी ने, श्री अजय जी ने जो बात कही उसका जवाब देने की मैंने कोशिश की । अभी डॉ. साहब 1 रूपये किलो चावल की बात कर रहे थे । आप केवल बीपीएल परिवारों को देते थे और उसको घटाकर आपने 5 किलो कर दिया था । हमारी सरकार है जो बी.पी.एल. के भी कार्डधारी न हो, गरीब परिवार हैं तो उन्हें भी 35 किलो चावल दे रहे हैं। जो बेरियर था उसे घटाया और 35 किलो हर परिवार को दे रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- हिन्दुस्तान की पहली सरकार है।

श्री भूपेश बघेल :- उसमें भी हमने सबको आधारकार्ड से लिंक किया और आज हमने लगभग 68 लाख राशनकार्ड किया। आपने ए.पी.एल.,बी.पी.एल. का काट ही दिया था। हम तो ए.पी.एल. कार्ड भी बनाये हैं, उसमें भी लोगों को राशन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो योजनाएं अच्छी थीं, हमने आगे बढ़ाया, लेकिन वह आपकी योजना नहीं थी। भारत सरकार आपको 3 रूपये 20 पैसे में देता था, आप 2 रूपये मिलाकर चाउर वाले बाबा बन गये थे। उसमें भी क्या-क्या हुआ ? उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। उसके बारे में सदन में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है। चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक योजना की बात हो, कैसे आम लोगों के जेब में पैसा पहुंचे, यह हमारी चिंता रही है और हम इसमें सफल रहे हैं। साथ ही इन लोगों ने गोबर का खूब मजाक उड़ाया। प्रतीक चिन्ह बनाने की बात किये। आज भी

इन्हें नहीं पच रहा है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि पूरे देश में लागू करेंगे। भारत सरकार की पूरी टीम बार-बार आ रही है। लोकसभा की टीम यहां देखने आ रही है। सरकारी टीम यहां आ रही है। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये हिसाब लगा रहे हैं। कितना पैसा मिलेगा? डॉ. साहब बता रहे हैं कि 600 रूपये महीना मिलेगा। भैया, 300 रूपया तो आपको पेंशन मिलता है, 600 रूपये तो उससे ज्यादा ही है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये 3000 से लेकर 30000 तक। चरवाहा की बात अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। उसकी चर्चा होनी चाहिए। बड़े-बड़े लोगों का नाम आया। हमारी कोशिश यह है कि सब वर्ग को इस पवित्र सदन से जो बजट प्रस्तुत हो, सबको लाभ मिले। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वन का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, हम सबमें कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आज 2 लाख लोग गोबर विक्रय कर रहे हैं, उसमें डॉ. साहब बोल रहे हैं कि जो बड़े डेयरी वाले हैं। तो बड़े डेयरी वाले हमारे दुश्मन हैं क्या? वही लोग तो डेयरी चला रहे हैं तब हमें दूध मिलता है और यदि आपकी 15 साल की उपलब्धि होती, आज पूरे प्रदेश में 2 लाख 85 हजार लीटर दूध की आवश्यकता है और उत्पादन केवल 75 हजार लीटर होता है। तो आप 15 साल में उसे मीट-आउट भी नहीं कर पाये। यदि उस क्षेत्र में काम किये होते, आपकी यदि आदिवासियों को गाय बांटने वाली योजना सफल होती तो आज दूध की नदियां बह रही होतीं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं थी। आपने तो आदिवासियों को गाय तक नहीं दिया। बाद में बैल भी दिये, वह न जोतने के काम आया और न किसी काम का आया।

श्री बृहस्पत सिंह :- भैया, वह मामा-भांचा था। जो बैल बंटा था, मामा भांचा था एक छोटा था और एक बड़ा ऐसा था।

श्री भूपेश बघेल :- आप बता दीजिए कि आपकी कौन सी योजना सफल रही है? गोधन न्याय योजना, आपके ही कारण से गोधन न्याय योजना लागू करना पड़ा। जो आपके साथी सड़क पर गाय, बैल बेचने वाले थे, जो मवेशी विक्रेता थे, उन्हें पकड़ पकड़ कर पीटते थे। खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी। पूरे देश में कहीं कोई पशु मेला नहीं लगता, बाजार नहीं लगता, कोई खरीददार नहीं, कोई विक्रेता नहीं है। ये स्थिति हो गई है। ये बगल में बाराडेरा हमारा सबसे बड़ा बाजार था। दुर्ग जिले में उतई सबसे बड़ा बाजार है। अब कौन खरीदता है? कौन बेचता है? बंद ही हो गया। कौन अपने प्राण देगा? सब जगह बंद। ये आपके केवल वोट की राजनीति के चलते आपने पूरे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया।

(माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर के खड़े होने पर)

आप कितनी बार उठेंगे। एकाध बार उठ जाओ तो समझ में आता है। आप फिर बोल ही लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप घर में आजकल नांगर फांदते हैं क्या, ये बता दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- क्यों नहीं फांदते? कितने लोग फादते हैं। पूरे आदिवासी क्षेत्र में नांगर फांदते हैं। बड़े किसान फांदते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको पूछ रहा हूं।

श्री मोहन मरकाम :- फांदते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- किसान मन बाजार में बेचथे पशु ला। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- किसान लोग इतना धान बो कर रहे हैं कि वे लोग ट्रेक्टर खरीदने लगे हैं। इतना धान का पैसा मिलने लगा कि गांव में ट्रेक्टर खरीदने लगे हैं भैसा, बैल जोतने वाले लोग।

श्री दलेश्वर साहू :- हम तो आज तक भ्रमित थे कि आप किसान होंगे, आज पहली बार पता चला रहा है कि आप आऊट ऑफ स्टेशन हो गए हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- बियासी कामा होथे, बताओ ।

श्री रामकुमार यादव :- किसान मन बाजार में जाकर बेचथे पशु ला ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आठ आना में बियासी बंद कर दे हे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो आठ आना में तो हे ना ।

श्री भूपेश बघेल :- 50 परसेंट तो बोता ही है । ठीक है, कुछ लोग नहीं करते लेकिन अधिकांश लोग तो करते हैं । पूरे राजनांदगांव में, डॉक्टर साहब के जिले में यही स्थिति है । जो असिंचित एरिया है वे बियासी ही रखते हैं । जिस किसान के हाथ में पानी है वही रोपाई रखता है । अब स्थिति यह है कि इस योजना के चलते लोगों का ध्यान पशुपालन की तरफ बढ़ा है, डेयरी की तरफ बढ़ा है, गौ-माता की सेवा भी हो रही है, लोगों को पैसा भी मिल रहा है, खेत की सुरक्षा भी हो रही है और डॉक्टर बांधी कह रहे थे कि आप वर्मी कम्पोस्ट उपयोग कर रहे हैं तो उसका सर्टीफिकेशन होना चाहिए । बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो जागरूक किसान हैं वे उस दिशा में काम कर रहे हैं । धीरे-धीरे लोग इस चीज को समझ रहे हैं । एक समय था जब बड़े बाड़ी वाले हैं वो मल्चिंग करते थ, ड्रिप इरीगेशन करते थे, दवाई और खाद देने की व्यवस्था करते थे । कम्प्यूटराइज्ड था, लेकिन अब हमारी बाड़ी योजना के चलते गांव-गांव में वही बाड़ी योजना है, वह डिमॉस्ट्रेशन बन गया है, उसी के आधार पर अब गांव-गांव के लोग भी छोटी बाड़ी जिन्होंने में घर में रखा है वे भी इस प्रकार से मल्चिंग कर रहे हैं ड्रिप भी कर रहे हैं और नए तरीके से सब्जी उगा रहे हैं । हमने इससे 3 लाख बाड़ियों का सुधार किया है । हमारी निगाह आम लोगों के, गरीब लोगों के जीवन में कैसे सुधार हो, उस पर है । इसलिए हम लगातर ऐसी योजनाओं को लागू कर रहे हैं । आपकी प्राथमिकता रही होगी स्काइ वॉक, बड़े-बड़े पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिनका उल्लेख आपने किया ।

अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बारे में बात हुई । स्थिति यह थी कि आपने 15 सालों में एक भी ऐसी स्कूल नहीं बनाई जिसमें आपके आई.ए.एस., आई.पी.एस. और नेताओं के बच्चे

बढ़ सकें, एडमीशन ले सकें । ऐसा कोई हॉस्पीटल आपने नहीं बनाया जिसमें ये लोग इलाज करा सकें । अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है आप बस्तर चल दीजिए, बलरामपुर चल दीजिए, हॉस्पीटल में सारे डॉक्टर, सारे इक्यूपमेंट्स, सारी दवाईयां, सारी सुविधाएं दे रहे हैं । बस्तर का, सरगुजा का कोई एक विधायक मेरे पास इस बात के लिए नहीं आता कि मेरे पास डॉक्टर नहीं है पदस्थ करा दीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इसीलिए मैंने चन्द्राकर जी को सलाह दिया है कि बलरामपुर जाकर जरूर चेक करा लें आप ।

श्री भूपेश बघेल :- भारत सरकार ने जो 65 स्कूल दिया था उसको भी निजी । जबकि हमने क्या किया, हमारे पुरखों ने आर.डी.तिवारी स्कूल बनाया था, शहीद स्मारक स्कूल बनाया था, पुजारी स्कूल बनाया था, बिलासपुर की बहुत बड़ी स्कूल है। शहर के बीचोंबीच, कई एकड़ में बना हुआ, बड़ी बिल्डिंग, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा लेकिन वहां कितने बच्चे पढ़ते थे ? वहां जितने टीचर पदस्थ थे उससे कम बच्चे पढ़ाई कर रहे थे । आदरणीय बृजमोहन जी आर.डी.तिवारी स्कूल के बारे में बोल रहे थे । कितने बच्चे थे, मैं गया, मैंने पता किया, वहां 54 या 56 बच्चे थे । शहीद स्मारक स्कूल में, कहां हैं हमारे सरदार जी ? वहां भी हालत खराब, जबकि स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है । हमने उसको रिन्यूवेट किया । सारे लोगों की भर्ती की, आज स्थिति यह है कि वहां एडमीशन के लिए लाईन लगी है, लोग एप्रोच लगाते हैं कि मेरे बच्चे का एडमीशन करा दीजिए (मेजो की थपथपाहट) । एक दो नहीं, ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी भाठागांव की बिन्नी बाई स्कूल में 720 बच्चे हैं और वहां के सब टीचर्स को ट्रान्सफर कर दिया ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, उसको भी करेंगे और उसकी व्यवस्था भी देख लेंगे । मान लीजिए कोई थोड़ी बहुत विसंगति है तो उसको दूर कर लेंगे । आपने बताया उसके लिए धन्यवाद् । यह सदन होता ही इसलिए है सदन के माध्यम से यदि आप शासन को जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन्यवाद् । हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे । काम कर रहे हैं, हो सकता है कहीं चूक हो जाए । लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है । हिंदी स्कूलों के बारे में कहा गया, मैंने इसी बजट में कहा 32 हिंदी माध्यम स्कूल हम खोलेंगे, हर जिले में कम से कम एक स्कूल होगा जो हिंदी माध्यम से स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम सकूल होगा । जिसमें उच्च श्रेणी की पढ़ाई होगी, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो । हमारी कोशिश तो यह है कि शिक्षा बढ़िया हो, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया हो और रोजगार के अवसर भी मिलें । आपके शासनकाल में कितने लघु वनोपज खरीदे जाते थे । केवल सात और कितने का खरीदे थे, तीन करोड़। हमारे एक साल में 153 करोड़ की खरीदी हुआ। (मेजों की थपथपाहट) कोरोना काल में सारे दुकानें, परिसर बंद थी, लॉकडाउन था। महुआ का सीजन था, इमली का सीजन था, तेंदूपत्ता का सीजन रहा। इन स्व-सहायता समूहों के माध्यम से वन विभाग के हमारे अधिकारी, कर्मचारी सारे लोग लगे। तेंदूपत्ता का तोड़ाई भी हुआ, संग्रहण भी हुआ, विक्रिय भी हुआ और अमली भी हम समर्थन मूल्य में

खरीदे। महुआ जो 1700 रूपये जो भारत सरकार ने तय किया था उसको हमने 30 रूपये में खरीदे। (मेजो की थपथपाहट) यह है हमारी उपलब्धि है। आदिवासियों के जेब में कैसे पैसा जाये। लगातार हमारा ध्यान आर्थिक रूप से लोगों को संपन्न बनाने की है। उसके साथ-साथ उस वर्ग जो हमारे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हैं, आपने बंद कर दिया था। जब हमारे अटल बिहारी बाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने बंद कर दिया और लोग परेशान थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार हमारे पास मांग आती रही। old pension scheme लागू करना है तो उन लाखों कर्मचारी, अधिकारियों के भविष्य सुरक्षित करते हुए old pension scheme हमने लागू किया है, इसकी पूरी प्रशंसा हो रही है। (मेजों की थपथपाहट) इसके बारे में आप एक शब्द भी नहीं बोले।

अध्यक्ष महोदय, शराब के बारे में लगातार चर्चा होती रही। धर्मजीत जी, आप इसमें बोले हैं। इसके बजट के बारे में भी चर्चा होती रही। हमने तो नाका लगा दिया कि कोरोना काल में हरियाणा से गाड़ी चली आई, रायपुर में पकड़ाया। मध्यप्रदेश से गाड़ी आ रही, कवर्धा में पकड़ा जा रहा है, कभी महासमुंद में पकड़ा जा रहा है। वहीं हाल गांजा का है। गांजा निकल कर आ रहा है उड़ीसा से। क्विंटल, क्विंटल ट्रेक्टर मेटाडोर में और बेलोरो में गांजा भरकर आ रहा है। हमारे पुलिस के लोग रोक रहे हैं। क्विंटल-क्विंटल आ रहे हैं कोई 10 ग्राम, 20 ग्राम नहीं। कहां जा रहा था? सब एम.पी. और यू.पी. जा रहा था। शराब कहां से आ रहे हैं? हरियाणा और मध्यप्रदेश से आ रहा है। किसकी सरकार है चारों जगह? अध्यक्ष महोदय, आज शराब बंदी के बाद बिल्कुल सीधी बात है। शराब तो पहले ठेकेदार लोग बेचते थे। शासकीयकरण करने का काम तो आपने किया। हमने किया है इसको? शासकीयकरण करने की क्या जरूरत थी? आपने किया, उसमें फिर डॉ. रमन सिंह जी का बयान आया था। अब फिर से ठेका शुरू होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। आप नहीं चाहते कि शासकीयकरण चलने दे। अब शासकीयकरण चल रहा है तब आपको तकलीफ है। लेकिन आज दो राज्यों में शराबबंदी हैं। एक गुजरात, दूसरा बिहार। गुजारात में एक साल का रिकार्ड है, ढाई सौ करोड़ का अवैध शराब पकड़े गये। वहां पान ठेला, होटल, चौक-चौराहे, सभी में घर पहुंच सेवा है। शराब बंदी है। खुलेआम बिक रहा है। बिहार की स्थिति क्या है। वहा अवैध शराब बिका रहा है, दर्जनों लोगों की मौत हो रही है। गांव-गांव में अवैध शराब बिक रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिहार गया था। वहां के जो गरीब आदिवासी लोग, अनुसूचित जाति के लोग, दलित लोग हैं, ऐसा कड़ा कानून बनाया है कि वे जेल से छूट ही नहीं पा रहे हैं। वे जेल में सड़ रहे हें बेचारे। यह सब बहुत सारी चीजें है, जिसको ध्यान में रख कर हमको निर्णय लेना पड़ेगा। यह पहले ही बोल रहे हैं सामाजिक बुराई है। लेकिन इसको सबको मिलकर करना होगा। आप लोगों ने तो कहा था, भले ही मैं हार जाऊंगा लेकिन शराबबंदी हो कर रहेगा। फिर आपकी क्या मजबूरी थी डॉ. साहब? बड़े-बड़े पेपर में हम लोगों ने भी पढ़े थे। फिर आपने एक बार भी साहस नहीं किया। कर देते तो तो हम लेाग भी उस रास्ते पर चलते। तो यह आप क्यों नहीं कर पाये। आप बता दे तो हम लोग भी उसको जोड़ ले। बंद हम

लोग करना चाहते हैं लेकिन बताये तो। आप क्यों नहीं कर पाये। आपको नहीं पूछ रहा हूं मैं तो इधर पूछ रहा हूं। आप तो बोलते रहते हैं। तो यह स्थिति क्या है? अजय चंद्राकर जी के बारे में मैं सोच रहा हूं कि कुछ बोलूं। और आज उनके बारे में बोलूंगा भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रम-6 तक का कार्य पूर्ण होते तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं और वैसे भी मैं समाप्त करने वाला था। आप नहीं कहते तो वैसे भी मैं बहुत जल्दी समाप्त कर देता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यही पर है कि हमारे प्रदेश में 43-44 प्रतिशत भू-भाग जंगल का है। जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी, परंपरागत निवासी, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए। उनको वनाधिकार पट्टा कैसे मिले, वह जमीन के मालिक कैसे बने, उसकी उपज की खरीदी की व्यवस्था कैसे हो, निरंतर हम लोगों में वह चिंतन चलता रहा है चाहे वह धान का हो। पिछले साल हमने 32 हजार किसानों का धान खरीदा था। अभी आंकड़े निकालेंगे तो फिर कृषि मंत्री जी या सहकारिता मंत्री जी उसके बारे में बताएंगे कि हम कितना धान खरीदे, जब अनुदान मांग पर चर्चा होगी। जो वनाधिकार पट्टा लिये हैं हम लोग उसकी भी धान खरीदे हैं। कोदो, कुटकी, रागी और उसका भी समर्थन मूल्य घोषित किये। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ताकि उनकी अर्थव्यवस्था सुधरे। लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिये, मछलीपालन को कृषि का दर्जा दिया ताकि यह जो वर्ग हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आये। तो लगातर हमारी कोशिश है कि उनकी आय बढ़े। उनके जीवन स्तर में बदलाव आये। कुपोषण दूर हो। जो अशिक्षा है, वह दूर हो। रोजगार की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। यह जो मूलभूत काम है, इसको हम लोग कर रहे हैं। जो आप 15 सालों में नहीं किये, उसको हम लोग सुधार कर काम कर रहे हैं। यदि आप इसको 15 साल पहले किये होते, आप इन सब चीजों पर ध्यान दिये होते और आप जो यह नयी राजधानी बना दिये न, जिसकी आपा चर्चा कर रहे हैं। कर्जा में डूबा हुआ है। भैय्या, आपने ऐसा बनाया है आप उसमें एकाध दिन चर्चा ही मांग लो। उस दिन उस पर चर्चा कर लेंगे। हमारे आवास मंत्री जी उस पर चर्चा कर लेंगे। उसका कंट्रक्शन कॉस्ट कितना है और शहर क्यों नहीं बस रहा है ? यह दूसरा गांधी नगर बनाने वाले हैं। आपने बना तो दिया लेकिन कोई रहता ही नहीं है। खिड़की अलग निकल रहा है। गेट अलग निकल रहा है। मंत्रालय में जाओ तो एक हवा चले तो फड़-फड़ ऐसा बजता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपने ऐसा बना दिया है। ठीक है सड़क अच्छी बनी है, आपने पेड़-पौधे अच्छे लगा दिये हैं लेकिन आप तो मकानों को सिगरेट के डब्बा जैसे बना दिये हैं और इतना कॉस्ट कर दिये है कि कोई खरीद ही नहीं सकता। आपने इतना महंगा बना दिया है। अब हमारी कोशिक यह है कि हम उसमें कैसे लोगों को बसाये ? आपने तो बना दिया है । हाऊसिंग बोर्ड का इतना मकान बना दिये हैं उसका कर्जा हम ही पटा

रहे हैं। आर.डी.ए. को इतना बना दिये हैं। कमल विहार को इतना बना दिये हैं। जब यह नई राजधानी बनाना था तो आप कमल विहार क्यों बना दिये ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आगे-पीछे भी देखना है न।

श्री भूपेश बघेल :- जब आप नई राजधानी बना ही रहे थे तो कमल विहार बनाने का आपका क्या औचित्य था ? न लोग कमल विहार में बस रहे हैं न नई राजधानी में बस रहे हैं। सबको अटका-अटका कर रखे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे मालूम नहीं है कि आपकी जानकारी में है कि नहीं है एक नया रायपुर नंबर-2 बसाने की योजना बन रही है और वह योजना जो है वह आपके लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी, रायपुर के लोगों के लिए भी उपयुक्त नहीं होगी। वह जो योजना बनाई जा रही है वह कमल विहार की तर्ज पर बनाई जा रही है। उसको जनता के बीच में आउट नहीं किया गया है। उसकी सभी प्रकार की स्वीकृति उसकी ले ली गई है। एयरपोर्ट के सामने की 4-5 हजार हेक्टेयर जमीन वहां पर कमल विहार की तर्ज पर एक बड़े भ्रष्टाचार कर खेल खेला जाने वाला है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- अब किसान आंदोलन करने आये थे, उनकी मेरे से बात हुई, वहां हम ही लोगों की जमीन ले लिये, इधर वालों की जमीन क्यों नहीं लिये ? वह सब लोग नाम ले-लेकर बोले। उनकी जमीन क्यों नहीं लिये ? मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ये सारी बातें हुईं। अध्यक्ष महोदय, शहर को बसाना है तो यह जो पुराना शहर है उसी को तो आप आगे बढ़ाओगे। जब तक कि आप यहां से सेरीखेड़ी से इस सड़क से आगे जाते हैं तो उधर से जब तक कि आप खोलेंगे नहीं तो उधर बसते जाएगा। तभी तो बसेगा शहर। आप अचानक गेप देकर वहां लोगों को बसाना चाहेंगे तो कोई नहीं बसेगा और पिछली सरकार से यही गलती हुई है। सब रोक लगा दिये। सारी रजिस्ट्री में रोक लगा दिये। तो स्थिति यह है कि आप हमारे लिए सारी समस्याओं को छोड़कर गये हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आप सब माननीय सदस्यों का हृद्य से धन्यवाद देते हुए जिन लोगों ने भाग लिया, बहुत अच्छे सुझाव आये, विपक्ष के साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जहां हमसे चूक हो रही है, गलती हो रही है वहां उंगली रखते चल रहे हैं। हम लोग उसको सुझाव के रूप में ले रहे हैं। उसे हमारे अधिकारी नोट भी कर रहे हैं। बृजमोहन जी, अजय जी बार-बार हमारे अधिकारी दीर्घा पर टिप्पणी करते हैं। भैय्या, जब आप थे, तब आप इन्हीं लोगों से सहयोग लेते थे। आज जब वह आपके सम्मान में दिखते नहीं हैं तो आपको थोड़ी-सी तकलीफ तो होगी। लेकिन धमकी-वमकी मत दिया करो यार। अच्छा नहीं लगता है। मैंने सुना कि कल धमकी की भाषा में हमारी सरकार आएगी तो हम कर लेंगे। नहीं आनी वाली है। यह किसान आपकी सरकार नहीं आने देगी। यह मजदूर, यह आदिवासी आपकी सरकार नहीं आने देंगे। (मेजों की थपथपाहट) यहां के कर्मचारी-अधिकारी आपकी सरकार नहीं आने देंगे, वे जानते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो किसानों को

25 सौ रूपए नहीं मिलने वाला है । मजदूरों को यह पता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो जो 7 हजार रूपए मिल रहा है, वह नहीं मिलेगा । कर्मचारियों को मालूम है कि अगर आप लोग सरकार में आ जाएंगे तो पुराना पेंशन फिर समाप्त हो जाएगा । इसलिए आप लोग आने के बारे में सोचो ही मत।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका यही कथन उत्तरप्रदेश में भी था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारी सरकार लाने के लिए आप अकेले काफी हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका यही कथन उत्तरप्रदेश में भी था, आसाम में भी आपका यही कथन था तो मुंगेरी लाल का सपना देखते रहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, हां, आपने उत्तरप्रदेश जीता है, आपको बधाई । बुल्डोजर चलाए, आपको बधाई, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि आपका एक कम हो गया । आपके वहां तीन विधायक थे, वह दो हो गए ।

श्री भूपेश बघेल :- प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता जो जनादेश दे, वह स्वीकार है । हमने प्रयास किया, हम अपनी बात लेकर जनता के बीच में गए । जनता ने अस्वीकार कर दिया, कोई बात नहीं । हम फिर प्रयास करेंगे । हम प्रयास करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी । हम चुप बैठने वाले नहीं हैं । आप 15 साल सत्ता में थे । किसी के नाम से आप बार-बार सत्ता में आ जाते थे, लेकिन हमने प्रयास छोड़ा क्या? आखिर में आपको पटकनी दिये या नहीं दिए ? (मेजों की थपथपाहट) 15 साल बाद आपको 14 सीट में ले आये । अब आप 15 साल भूल जाईए । मुझे याद है, जब 2018 में आखरी सत्र हुआ था तो रमन सिंह जी ऐसे ऊंगली घूमाकर बोले थे कि यहीं तक सीमित रह जाओगे । आज स्थिति यही है । आज दो लाईन में ही रह गए, उसमें भी कुछ दूसरे दल के हैं, तब जाकर दो लाईन पूरा हो रहा है । हम लोगों को बोले थे कि यहीं तक सीमित हो जाओगे । आज आप खुद सीमित हो गए । जो मुख्य बजट है, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में सभी सदस्यों ने भाग लिया । आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर दो लाईन कहना चाहता हूं :-

इन्हें वहम है कि लोगों को झूठ समझ में नहीं आता ।
लोग खामोशी से देख रहे हैं कि उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए ।।

श्री भूपेश बघेल :- यह केन्द्र सरकार के लिए है । क्योंकि मोदी जी से इनकी पुरानी दोस्ती है । मोदी जी और बृजमोहन जी की पुरानी दोस्ती है इसलिए वे बोल रहे हैं ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बृजमोहन जी से कुछ कहना चाहता हूं :-

ये नरम मिजाजी हैं

ये नरम मिजाजी हैं कि फूल कुछ कहते नहीं
वरना कभी दिखलाईए कांटों का मसलकर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वोरा जी मोबाईल देख कर बोल रहे हैं, मोबाईल की अनुमति है तो मैं फिर एक से बढ़कर एक शायरी निकालता हूं ।

समय :
5:34 बजे

अशासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021)

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं ।

समय :
5:34 बजे

अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि "प्रदेश की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा व परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य सरकार विचार करे" ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, सदन का यह मत है कि प्रदेश की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा व परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य सरकार विचार करे ।

अध्यक्ष महोदय, सदन इस बात से सहमत है कि छत्तीसगढ़ में विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को केन्द्र व राज्य शासन के योजनांतर्गत पेंशन दी जाती है । उसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन की शर्त अनिवार्य है । वर्तमान में प्रदेश में लगभग हजारों विधवा, परित्यक्ता महिलाएं हैं, जिन्हें पेंशन की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आवश्यकता है, मगर गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन न करने के कारण पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है व उन्हें भारी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है । अत: इस सदन का मत है कि जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा व परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य सरकार विचार करे ।

समय :
5.30 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा कुछ योजना अन्तर्गत पेंशन दी जा रही है और केन्द्र सरकार द्वारा भी पेंशन दी जा रही है। लेकिन उसमें यह अनिवार्यता है कि सन् 2011 की जनगणना सूची में नाम हो, गरीबी रेखा में नाम हो और ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग क्षेत्र मे जाते हैं, गांवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो वहां अनेक ऐसी महिलाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। इस कारण परिवार और सामाजिक स्तर पर ऐसे लोग अपने आपको थोड़ा असहाय महसूस करते हैं। क्योंकि उनको सहारा नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही उसे अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जब इस सम्बन्ध में अधिकारी से बात करते हैं तो वह एक लाईन कहते हैं कि चूंकि इनका नाम गरीबी रेखा सूची में नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। जब पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं तो यही बात रखते हैं। इसके कारण वे पेंशन से वंचित हो जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। समाज में अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं। यह जरूर है कि उनका नाम गरीबी रेखा सूची में नहीं है, उनका नाम सर्वे सूची में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि प्रदेश में ऐसी स्थिति में एकाध लाख ऐसे लोग निकलेंगे, जिनके बारे में विचार करना आवश्यक है। यदि हम उनको पेंशन देते हैं तो बहुत ज्यादा राशि की आवश्यकता भी नहीं पडेगी। जो दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसी महिलाओं को सम्मान मिल सकें, उनको आर्थिक लाभ मिल सके। इसलिए मेरे द्वारा यह अशासकीय संकल्प लाया गया है। इस अशासकीय संकल्प को सरकार स्वीकार करें और राज्य शासन के द्वारा स्वीकार किया जाये, जिनसे उनका सम्मान बढ़ाया जा सके। पेंशन नहीं मिलने के कारण ऐसे लोग परिवार में, समाज में, अवसाद का शिकार होती हैं बल्कि ऐसे लोगों को खुद मन से स्वस्थ होना चाहिए। आप देखेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा जो पेंशन दी जा रही है, उसमें जो शर्तें लगाई गई है, वह उन शर्तों को पूरा करने में अक्षम है। केन्द्र के द्वारा पेंशन योजना के अन्तर्गत राशि दी जा रही है, लेकिन जो केन्द्र की गाईडलाईन है, उन लोग उस गाईडलाईन से बाहर है। जो मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, उस मुख्यमंत्री पेंशन योजना की जो गाईडलाईन है, उस गाइडलाईन से बाहर है। इस कारण वे लोग वंचित हो रहे हैं। उपाध्यक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महोदय, इसलिए इस अशासकीय संकल्प पर सभी पक्ष विचार करें और सदन में सर्वसम्मति से पारित करें, जिससे इससे वंचित, असहाय पीड़ित महिला है, जो शोषित है, उनको सम्मान मिल सके। इसलिए इस अशासकीय संकल्प को लाया गया है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि जब वह भी गांव में जा रहे हैं तो उन्हें भी समस्या आ रही है। इसलिए इसको सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाये और ऐसे वंचितों के प्रति सरकार विचार करके उनको सम्मान दे सकें, ऐसा आग्रह करने के लिए अशासकीय संकल्प लाया हूं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिंहावा) :- (अनुपस्थित)

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें एक लाईन है विधवा और परित्यक्ता, उनके पेंशन स्कीम में बी.पी.एल. की जो शर्त है, वह बी.पी.एल. की शर्त हटा लें। सन् 2011 की जनगणना में बी.पी.एल. सूची में उनका नाम होना आवश्यक है। सन् 2017 में एक बार निर्णय हुआ था, नये नाम जुड़ गये थे। लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो गया था । बाद में फिर बी.पी.एल. की शर्त जोड़ दी गई, इसके चलते बहुत से पेंशन वालों का नाम कट गया

और हम सब परिचित हैं कि महिला विधवा हो जाती है या परित्यक्तता हो जाती है तो उसकी समाज में क्या स्थिति होती है । सहानुभूतिपूर्वक विचार करके बी.पी.एल. की शर्त से उनको छूट प्रदान करो, ऐसे लोगों को पेंशन मिले और सर्वसम्मति से पास हो जाये । यह अच्छा प्रस्ताव होगा। धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि प्रदेश की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य सरकार विचार करे ।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्यों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी व दिव्यांगता के मामले में तथा अवांछित कमी के अन्य मामलों में राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में रहकर अपने नागरिकों को जन सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश हैं, इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनान्तर्गत पेंशन योजना संचालित है । छत्तीसगढ़ नवगठित राज्य है, अपने सीमित आर्थिक संसाधनों से सभी वर्गों के लिए योजनायें संचालित कर रहा है । छत्तीसगढ़ राज्य में विधवा एवं परित्यक्तता महिलाओं के लिए तीन योजनायें संचालित है, जिसमें दो योजनायें सुखद सहारा योजनायें, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, राज्य सरकार द्वारा संचालित है जिसमें विध्वा एवं परित्यक्त महिलायें दोनों लाभान्वित हो रही है तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से सिर्फ विधवा हितग्राही लाभान्वित हो रही है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वर्ष 2014 में पात्रता संशोधन के पूर्व से स्वीकृत विधवा एवं परित्यक्ता हितग्राही यथावत लाभान्वित हो रही है । सुखद सहारा योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना की पात्रता गरीबी

रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सर्वे सूची में नाम होना है । ऐसे विधवा एवं परित्यक्त महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की सर्वे सूची में नहीं है । उनके लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना संचालित है । जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना वर्ष 2011 की सर्वेक्षण सूची को पात्रता हेतु आधार बनाया गया है । फलस्वरूप प्रदेश के कोई भी जरूरतमंद विधवा एवं परित्यक्त महिलायें पेंशन से वंचित नहीं हो रही है । वर्तमान में 5 लाख 85 हजार 256 विधवा तथा 1 लाख 30 हजार 271 परित्यक्त महिला हितग्राही विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रही है । इस प्रकार राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से राज्य की विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए दो पेंशन योजनायें संचालित कर रही है । केन्द्र सरकार की भी एक योजना संचालित है । वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश की विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए पृथक से पेंशन प्रदान करने का विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है अर्थात नेता प्रतिपक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि अशासकीय संकल्प वापस लें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये कि पूरे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 के बाद जो महिलायें परित्यक्ता हुई है या विधवा हुई है और जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष की है, ऐसी महिलाओं की संख्या 1 लाख होगी । आपने अपने घोषणा पत्र में 1000रूपये पेंशन, 1500 सौ रूपये पेंशन देने की बात की है । हम अभी उस बात को नहीं कहेंगे । अगर 1 लाख महिलाओं को यह पेंशन 350 रूपये के हिसाब से दी जाती है, आप देखिये कितना खर्च आयेगा । एक साल से यदि खर्च होगा तो मुश्किल से 50 करोड़ रूपया खर्च होगा । 50 करोड़ रूपया 1 लाख महिलाओं को जो नारकीय जीवन जी रही है, समाज से उनको कोई सम्मान नहीं मिलता । ऐसे समय पर बजट में इसको जोडा जा सकता है । बजट में इसको जोड़कर इसकी व्यवस्था की जा सकती है । आपके बचत के पैसे हैं, उससे आप पेंशन दे सकते हैं । मुझे लगता है कि आपको इसे स्वीकार करना चाहिये । अभी हमने तीन दिन पहले महिला दिवस मनाया है, महिलाओं के सम्मान में जो महिलायें, निरीह है, परित्यक्ता हैं, विधवा हैं,ऐसी महिलाओं को जिनका वर्ष 2011 में नाम नहीं है । पंचायत की जो सामान्य सभा होती है, उस सामान्य सभा से हम नाम ले लें और सामान्य सभा से नाम लेकर हम उनको ये पेंशन दे दें तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम होगा और मुझे लगता है कि हमारे बजट सत्र में किया गया उत्कृष्ट काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो उठकर चले गये, आप बैठी हुई हैं। हमारे मोहम्मद अकबर जी भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि इस संकल्प को आप स्वीकार भी न करें, विचार करने का आश्वासन दे दें।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आदरणीय अग्रवाल भईया, हम लोग इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भी भेजेंगे। क्योंकि यह पुरानी नीति और नियम है तो अभी स्वीकार नहीं है, बाद में इसमें आप सब बैठकर विचार कर लेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह प्रदेश सरकार का काम है। अकबर साहब, आज आप बैठे हुए हैं, इसमें आप कुछ बोलिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नियम तो आप ही लोगों ने बनाया है। इसमें आप सब बैठेंगे, तब तो विचार होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। समाज में विधवा, परित्यक्ता की क्या स्थिति होती है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसको सर्वसम्मति से पारित कर दो। इसमें कोई राजनीति नहीं है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैं तो बोल रही हूं कि इसमें सब बैठकर विचार कर लेंगे, उसमें क्या है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सर्वसम्मति से विचार के लिए स्वीकृत कर लीजिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- इसको वापिस ले लीजिए, बाद में देख लेंगे।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि यदि आप अभी पूरा नहीं कर सकते तो विचार करने का आश्वासन दे दीजिए। आप ही ने कहा। वह बोल रहीं हैं कि ठीक है, हम विचार करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- विचार करेंगे, उसमें क्या आयेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी "विचार करे" शब्द का उपयोग किया गया है तो इसको सर्वसम्मति से पारित कर दें।

श्री धरमलाल कौशिक :- सर्वसम्मति से पारित कर दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बाद में विचार करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस अशासकीय संकल्प में "पारित करें" शब्द का उपयोग किया गया है और माननीय वरिष्ठ मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि हम विचार करेंगे। इसको पारित कर दीजिए। इसमें दिया जाये नहीं लिखा है, विचार करें लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष क्या आप संकल्प वापस लेने हेतु सहमत हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ने विचार करने के लिए कहा न, हमारा प्रस्ताव ही है कि इस पर विचार करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, विचार करें, दिया जाये, ऐसा नहीं है। माननीय

मंत्री जी ने कहा कि हम विचार करने को तैयार हैं, इसको पारित कर दीजिए। इसको सर्वसम्मति से पारित कर दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने जिस प्रकार से बात रखी, उन्होंने कहा कि हम विचार करने को तैयार हैं, इसमें पारित करने वाली क्या बात है ? हम विचार करने को तैयार हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- इतना ही पारित करना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- यही तो प्रस्ताव है।

श्री मोहम्मद अकबर :- पारित वाले मामले में करना है, नहीं करना है, उसका पारित होता है, क्या कोई विचार का ऐसा अशासकीय संकल्प पारित होता है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अकबर भैया, आप इसका शब्द सुन लीजिए। सदन का यह मत है कि "प्रदेश की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा व परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य सरकार विचार करे।" हमने आपसे निवेदन ही विचार करने का किया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- उन्होंने आपको इस बात का आश्वासन दे रही हैं कि ठीक है हम विचार करेंगे। इसमें पारित वाली क्या बात है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- जब आश्वासन दे रही हैं तो फिर पारित कर दो।

श्री मोहम्मद अकबर :- यह तो रिकार्ड में आ रहा है न कि हम विचार करेंगे। इसमें पारित वाली क्या बात है?

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा कहना है कि अशासकीय संकल्प है, जब आप सहमत हैं तो पारित कर दीजिए, उसमें क्या है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पारित करने की जरूरत ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पारित करना और विचार करना दोनों अलग-अलग चीज है।

श्री शिवरतन शर्मा :- दोनों अलग हैं, जब आप सहमत हैं तो आप पारित कर दो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- छत्तीसगढ़ ने 9 सांसद दिये हैं, उन लोग भी वहां से थोड़ा प्रयास करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर आप सहमत हैं तो आप पारित कर दो।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि -"प्रदेश की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा व परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य सरकार विचार करे।" जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हों, कृपया हॉ कहें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आप चेयर पर बैठे हैं। माननीय वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने कहा कि हम विचार करेंगे। हमने यही बात का उल्लेख किया। दिया जाये, ऐसा नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम स्पष्ट कर देते हैं कि सदन के बाहर विचार करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन के बाहर विचार क्यों करेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सदन की अवमानना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मंत्री कुछ बोल रहे हैं, दूसरे मंत्री कुछ बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का विषय आया है और माननीय मंत्रीगण विचार करेंगे, इसके ऊपर आश्वासन दे रहे हैं तो विचार करे जैसे शब्द का उपयोग का जो संकल्प है उसको पारित किया जाना उपयुक्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :-

जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हों वो कृपया हां कहें।

जो माननीय सदस्य संकल्प के विपक्ष में हों वो कृपया न कहें।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अकबर साहब, यह स्पष्ट हो गया न कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। तभी तो यह संकल्प अस्वीकार हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि पुलिस मंत्री को खोजवा लीजिए। उसके बाद मैं बोलूंगा। पुलिस मंत्री को खुद किसी पुलिस से खोजवा लीजिए। मेरे संकल्प को कौन सुनेगा?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या आप अपने संकल्प को वापिस ले रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- तोला काये के डर यार, फिर मोला 3 से 5 में फंसा देबे।

श्री कवासी लखमा :- फिर काहे के लिये प्रसन्न होते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान) पी.डब्लयू.डी मंत्री जी कहां है ?

श्री अरूण वोरा :- अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो बोल रहा हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री कहां है?(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- भई, आपके भाटो है तो आप जानो कि आप कहां भेजे हो।

एक माननीय सदस्य :- अधिकृत करके गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं जब कल बोला..।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा बता दीजिये, हम आप लोगों की दुविधा देख रहे हैं। अगर पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री ने अधिकृत किया है तो आप, जो मंत्री जवाब देने वाले हैं, उसको पकड़ो।

श्री अजय चंद्राकर :- यह सरकार की गंभीरता है। क्या आपको कोई पत्र मिला है, कि अनुपस्थित रहूंगा, ? मैं तब आपकी सुनू।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आपके पास अधिकृत पत्र है तो आप बता दीजिये। नहीं तो इसको अगले शुक्रवार को ले ले। क्योंकि अधिकृत नहीं किया तो।

श्री अजय चंद्राकर :- पी.डब्ल्यू.डी मंत्री ने अधिकृत नहीं किया था।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये अगले शुक्रवार को।

श्री अजय चंद्राकर :- अगले शुक्रवार को होगा कि नहीं होगा, मंत्री लापता है।

श्री अरूण वोरा :- होगा, होगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि अगले शुक्रवार को लो। आपने मांग की न।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- खुद ही मांग कर रहे हैं, आपने बोला न कि अगले शुक्रवार को लो।

श्री कवासी लखमा :- अभी करना है तो अभी कर ले।

श्री मोहम्मद अकबर :- अभी तो आपने कहा कि अगले शुक्रवार को ले लो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने बोला और आपके मित्र ने समर्थन किया।

श्री अजय चंद्राकर :- वह विद्वान है, आप ।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह बात सामान्य बात नहीं है कि माननीय सदस्य का संकल्प प्रस्तुत हुआ है और आपने, आसंदी ने उसको स्वीकार किया है और जो मंत्री है, वह अनुपस्थित है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप अगले सप्ताह के लिये मंत्री की लापरवाही के लिये टाल रहे हैं। मेरे स्भाविक अधिकार को छीना जा रहा है कि मंत्री अनुपस्थित है तो अगले शुक्रवार को जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपके कहने पर ही अगले शुक्रवार की बात हुई थी।

श्री अजय चंद्राकर :- कोई दूसरा मंत्री होता तो बात अलग थी, कुछ कारण होता तो अलग बात थी, आपको कोई सूचना होती तो अलग बात थी। मेरे स्वाभाविक अधिकार को ..।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको तो मंत्री को प्रताड़ित करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी आसंदी से।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का मामला है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी (व्यवधान) का संयुक्त जवाबदारी बनती है। बाकी इसमें जवाब दे रहे हैं, आप चिंता मत करिये। संयुक्त मंत्रिमण्डल की जवाबदारी होती है, प्रभारी मंत्री जवाब देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आप यह बताईये कि मंत्री जी क्यों अनुपस्थित है, जब उनकी जवाब है और बिना अधिकृत किये। जैसे आपने आसंदी से उल्लेख किया कि राजा साहब 16 तारीख तक नहीं रहेंगे। तो यह माननीय मंत्री जी कहां है ? और उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है, आप बताईये ?

श्री नारायण चंदेल :- अब वह संसदीय कार्यमंत्री बतायेंगे।

श्री अरूण वोरा :- संसदीय कार्यमंत्री आ गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- कि अगले शुक्रवार को होगा, आप पहले बताईये।

श्री सौरभ सिंह :- यह घोर आपत्तिजनक है। मंत्री जी यहां से गायब हो गये हैं।

श्री शिवकुमार डहरिया :- भैया, क्या तोला खाली झगड़ना करना है ? तोर काम खाली झगड़ा करने का है, कोई दूसरा काम नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- कोई (व्यवधान) मंत्री जी का और वहां पुन्नी मेला चले गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- उधर नहीं, इधर देखों।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर बात है कि विधानसभा में किसी मंत्री का संकल्प है और उन्होंने बिना अधिकृत किये, दूसरे मंत्री।

श्री शिवकुमार डहरिया :- अधिकृत किया है। आप (व्यवधान) कीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- देखिये, हम मोहम्मद अकबर जी को जिम्मेदार मंत्री मानते हैं, मोहम्मद अकबर जी ने झोंक, झोंक में बोल दिया कि अधिकृत हूं। हमें मालूम है उन्होंने अधिकृत नहीं किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप स्थगित कीजिये, व्यवस्था दीजिये। मुख्यमंत्री बन गये थे। आप सीनियर आदमी हो, आप गलत बात का समर्थन मत करो।

श्री मोहम्मद अकबर :- मौखिक में कहा, मौखिक।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं मौखिक, नहीं। आप याद करिये, अभी एक प्रश्नकाल में भसीन जी के प्रश्न पर माननीय धरम लाल कौशिक जी प्रश्न पूछ रहे थे तो उनको आसंदी ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा।

श्री अजय चंद्राकर :- सवाल ही पैदा नहीं होता, मंत्री जी है कहां, किसको अधिकृत किये ? आप चिट्ठी दिखाईये।

श्री शिवकुमार डहरिया :- चिट्ठी की क्या जरूरत है, पूरे समूह की जवाबदारी है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।(व्यवधान) समूह की जवाबदारी है, मंत्री जी नहीं है तो समूह की जवाबदारी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भैया, तो हर चीज में जवाब। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- समर्थन मत करो, यह सदन की अवमानना है। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- आप यह जो 50 हजार टन की बात कर रहे हैं, ये तीन साल पहले क्यों नहीं कर लिये ? आपको अभी याद आ रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सदन की अवमानना है और इस प्रकार से सदन की अवमानना कि बिना अधिकृत किये, कोई भी मंत्री जवाब दे। हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। अभी जैसे दादी का आता तो इग्नोर कर देते है।

श्री सौरभ सिंह :- उनकी दूध-भात है।

श्री अजय चंद्राकर :- हमने उस दिन कुछ नहीं कहा। हम मदद करते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो हर किसी को, सदन के प्रति इस प्रकार की भावना, यह उचित नहीं है और मुझे लगता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई निर्णय देकर, कोई निर्देश देकर, उसके बाद में कुछ करे तो फिर हम मंत्री के बारे में कुछ विचार करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- पहले आप मंत्री के बारे में व्यवस्था दीजिये, फिर संकल्प के बारे में व्यवस्था दीजिये। आप क्या गलत-गलत परंपरा के समर्थन में बोलते हो। मैं तो नहीं बैठूंगा, मुझे तो पुकारा गया है। आपको तो नहीं पुकारा गया है।

श्री कवासी लखमा :- (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको आसंदी ने बोला है कि आप बैठकर बोलिये, खड़े होकर नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- और मैं वैसे भी आपको ज्यादा बोलने नहीं देता।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी बोलने देबे का ?

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं अभी नहीं बोलन देव। आसंदी ने मुझको पुकारा है। आप गलत बात का समर्थन मत करिये। तो लगातार आपके कार्यकाल में विधान सभा की परंपरा टूट रही है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं का बोलईया तेला, ते जानथस का।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं। तोला बोले के अनुमतिच नइ दे हे।

श्री नारायण चंदेल :- अइसे झन कर।

श्री अजय चन्द्राकर :- तें तोर पक्ष में बोलथस ना कि तोर घर में नांगर जोतथे कहिके। मैं देखेला जाहूं कि कतका नांगर हे, के जोड़ी बइला हे तेला।

श्री नारायण चंदेल :- सुनना जतखत मत कर।

श्री अजय चन्द्राकर :- के जोड़ी बइला हे, तेला में देखे ला जाहूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नगरीया कहां ले आथे, यहू ला देखे ला लगही।

श्री नारायण चंदेल :- ओला बोलन गोठियान दें। सदन ला जतखत मत करो।

श्री रविन्द्र चौबे :- नेवता हे नेवता।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भले हाऊस ऐसे ही रहे। लेकिन इसमें व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप शुरू करिये। आपका नाम पुकारा गया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं। पहले व्यवस्था आये। माननीय मंत्री जी कहां हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप इधर की बात कर रहे हैं न।

श्री सौरभ सिंह :- वह तो छुट्टी लेकर गये हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने ग्रामीण सड़कों की बात की।

श्री सौरभ सिंह :- वह तो छुट्टी लेकर गये हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- ग्रामीण सड़क का अधिकृत है।

<u>व्यवस्था</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय जी बैठिए। मैं बोल रहा हूँ। मेरी ओर से एक व्यवस्था है। आज की कार्यसूची में श्री अजय चन्द्राकर का अशासकीय संकल्प दर्ज है, लेकिन माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं और न उन्होंने किसी को अधिकृत भी नहीं किया है। यह स्थिति उचित नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री कृपया यह सूचित करें कि कार्यसूची में जिन मंत्रीगण का विषयक शामिल हो, वे सदन में उपस्थित रहें। (शेम-शेम की आवाज) अगले शुक्रवार को होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है। अब व्यवस्था के बाद ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत गंभीर मामला दिखायी दे रहा है। अब तो डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी गवर्नेंस में लम्बा-लम्बा भाषण हो रहा था।

श्री अरूण वोरा :- अब होली मूड में आ गये।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप होली मूड में हो।

श्री अजय चन्द्राकर :-में तोर घर तो नांगर देखे बर जाहूं पहिली तो। तें सुनत हस नहीं। के ठन बइला हे अउ ओकर से बिजली जलथे तेला देखे बर जाहूं। तें हां में हां बहुत मिलाए हस।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

(3) सदन का यह मत है कि "दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जावे।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि सदन का यह मत है कि "दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में 28 राजस्व जिले हैं। 15 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 नये जिले और निर्मित करने की घोषणा की। उनको मिलाकर, अगर छत्तीसगढ़ में 4 जिले अस्तित्व में आते हैं तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 32 हो जाएगी। मैंने अपने संकल्प में भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित करने की मांग की है और भाटापारा को स्वतंत्र जिला बनाने की मांग के पीछे मेरा मुख्य कारण यह है कि आज छत्तीसगढ़ में जो नये 32 जिले कार्यरत रहेंगे। उसमें लगभग 23 जिलों की जिला मुख्यालय की आबादी भाटापारा से कम है। वर्तमान में 19 जिले हैं उनकी आबादी कम है, 4 जिले जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके मुख्यालय की आबादी कम है। 28 जिलों के जिला मुख्यालय की आबादी भाटापारा नगर से कम है। वर्तमान में भाटापारा नगर आबादी की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के 14 वें नंबर का शहर है और छत्तीसगढ़ की भाटापारा नगर पालिका सबसे बड़ी नगर पालिका है। छत्तीसगढ़ कृषि आधारित उद्योग के मामले में छत्तीसगढ़ का हब है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दाल मीलें भाटापारा में है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा राईस मिले भाटापारा में है और पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पोहा का प्रोड्क्शन कहीं होता है वह भाटापारा ब्लॉक में होता है। भाटापारा शहर मुख्य निर्माण से जुड़ा हुआ है और आवागमन की दृष्टि से पूरी तरह से सुविधाजनक है। जब बलौदा बाजार जिला बना, उसके पहले से भाटापारा वालों की मांग थी कि भाटापारा में भाटापारा को जिला मुख्यालय बनना चाहिए। उस समय पूर्व में हमारे सदन के माननीय सदस्य, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंदकुमार पटेल जी का प्रवास हुआ था। स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी ने भाटापारा में उस धरना स्थल में सभा को संबोधित करते हुए, कांग्रेस की सरकार बनने पर भाटापारा को स्वतंत्र जिला बनाने का समर्थन किया था, घोषणा की थी ।

समय :
6:00 बजे

वर्ष 2018 का जन घोषणा पत्र बन रहा था उसके पहले वर्तमान सरकार के मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी का भाटापारा प्रवास हुआ था और भाटापारा में आदरणीय टी.एस.सिंहदेव जी ने भी कांग्रेस की सरकार बनने पर भाटापारा को जिला बनाने की बात कही थी। वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का भी भाटापारा प्रवास हुआ था और भाटापारा प्रवास में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आदरणीय मोहम्मद अकबर जी ने जो दोनों मंत्री हैं, इन लोगों ने भी भाटापारा को जिला बनाने की बात कही थी। अब जो लोग आज सरकार में है और जिनने समस-समय पर भाटापारा वालों को जिला बनाने का आश्वसन दिया था तो आज मैं यह निवेदन करने खड़ा हुआ हूं। हमारे यहां हिंदू संस्कृति में एक कहावत है-

"रघुकुल रीत सदा चली आई।

प्राण जाए पर वचन न जाई"।।

जब माननीय मुख्यमंत्री जी वचन देकर आए हैं। टी.एस. सिंहदेव जी वचन देकर आए हैं।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- शिवरतन जी, सुन तो लीजिए, 15 साल में एक भी नहीं चला। तीन साल में चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हो। भाटापारा में कुछ भी नहीं चला। आप दोनों वहां पर बैठते थे। आप 15 साल में तहसील भी नहीं बनवा पाए।

श्री शिवरतन शर्मा :- लखमा जी, मैं आपको बता रहा हूं, 15 साल में हमारा भतीजा हरीश लखमा आ गया था कि मेरे पापा की चल नहीं रही है, इसको जिला बना दो, तो भतीजे के कहने से भाटापारा को छोड़कर सुकमा को जिला बना दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि "रघुकुल रीत सदा चली आई
प्राण जाए पर वचन न जाई" तो जब मुख्यमंत्री जी वचन दे आए, अकबर साहब वचन दे आए, आदरणीय टी.एस.सिंहदेव साहब वचन दे आए और स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी ने भी भाटापारा में घोषणा की थी, जब इतने लोगों ने कहा है और वास्तविकता में भाटापारा का जिले के लिए हक बनता है। आबादी की दृष्टि से बनता है, औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से बनता है। भाटापारा की कृषि उपज मंडी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा सिर्फ धान नहीं, सभी प्रकार की अनाज, अगर कहीं बिकने आता है तो भाटापारा मंडी में आता है और सब कुछ ऑक्शन में बिकता है। यह सारी बातें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अपने वचन के अनुसार भाटापारा को जिला बनाने की घोषणा करे, आज यह निवेदन मेरा आपसे है।

उपाध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ। सदन का यह मत है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला बलौदाबाजार भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जाए। माननीय मंत्री जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी बोलेंगे न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार लोक लुभावन ..।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, विपक्ष के लोगों ने एक संकल्प लाया है। न प्रतिपक्ष के नेता हैं न पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। इन लोगों की कितनी गुटबाजी आ गयी है, दिख रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार जो है, जहां कोई कुछ भी नहीं है, जिनकी उपयोगिता नहीं है, ऐसे स्थानों को जिला घोषित किया है। आज भाटापारा जिले के मामले में माननीय शिवरतन शर्मा जी ने वहां की खूबियां बताई कि वहां सबसे ज्यादा मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है। वहां पर सबसे ज्यादा राईस मिल है, वहां पर दाल मिल है, वहां पर पोहा मिल है। सरकार को बहुत बड़ी टैक्स की राशि उसके माध्यम से मिलती है। ऐसे स्थान को जब यह सरकार...।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष जी, 15 साल में रमन सिंह जी भूल गये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, ऐसा है, हमने भाटापारा बलौदाबाजार बनाया। भूले नहीं हैं। परंतु जब यह सरकार ऐसे-ऐसे स्थानों को जो ब्लाक भी नहीं है, उसको जिला बना रही है तो फिर....।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बृजमोहन भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चार जिले बनाए हैं, उसमें ऐसा कौन सा जिला है जिसकी उपयोगिता नहीं है और जो जिला बना है। आप बता दीजिए। आप बोल रहे हैं कि उसकी उपयोगिता नहीं है। आप सदन में बोल दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह राजकुमारी जी बताएंगी।

डॉ. विनय जायसवाल :- नहीं, आप बोलिए न। कौन से जिले की उपयोगिता नहीं है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। आप जब यह बोल रहे हैं तो बताईए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके चारों जिले घोषित क्यों नहीं हो रहे हैं।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- आप सारंगढ़ से तुलना कर रहे थे क्या ?

डॉ. विनय जायसवाल :- आप नाम लीजिए। अच्छा यह बताईए कि जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिला बना है, क्या उसकी उपयोगिता नहीं है ? आप बोलिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी । (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- बृजमोहन भैया, जब आपने बोला है न तो आप बोलिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं बोल रहा हूं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- आप बोलिये । अभी [XX][3] उसको बोलिये । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जायसवाल जी कल से बहुत खड़े हो रहे हैं । मुझे लगता है कि वे [XX] वे घर जाकर आ जायें । (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद बोला है कि [XX] यह माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने बोला है । वे विपक्ष के सबसे सीनियर सदस्य हैं और इन्होंने यह

---

[3] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

बोला है कि [XX][4] पूरी जनता देख रही है, सभी सुन रहे हैं, पूरे मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी के लोग सुन रहे हैं कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने बोला है कि [XX] (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बृजमोहन जी ने कहा कि कल से [XX] खाये हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- वे दो दिन से बहुत खड़े हो रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग तो बहुत सीधे-सादे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हंसी-मजाक नहीं है । डॉ. विनय जायसवाल बोल रहे हैं कि बृजमोहन जी बोल रहे हैं कि [XX]। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- उसको घर भेजो । (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- अजय जी, यह मजाक का विषय नहीं है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग बैठिये । अग्रवाल जी आप बोलिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. विनय जायसवाल जी ने जो कहा उसको विलोपित किया जाये । उसको विलोपित कराईये । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिए । विनय जी बैठिये । (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- आपने अपना बयान दिया है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो मैंने कहा ही नहीं उसको मेरे नाम पर थोपा जा रहा है तो उसको आप विलोपित कर दें । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, [XX] उसको विलोपित कर दें । [XX] ऐसे शब्द को विलोपित करा दें ।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विलोपित कराईये न।(व्यवधान)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- जो नये जिले बने हैं उसका विरोध कर रहे हैं । नये जिले बन रहे हैं उसका क्यों विरोध कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब आप बैठिये । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- वह सुदूर अंचल में है, आदिवासी एरिया में बन रहा है उसका आप विरोध कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपायक्ष महोदय, ऐसे समय पर जब भाटापारा....|

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बृजमोहन भैया से केवल यह जानना चाहता हूं कि [XX] क्या बृजमोहन भैया यह बोलना चाह रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब आप बैठिए ।

---

[4] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विनय जी, आप घर जाकर आ जाओ ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरिया जिला हमारे आदिवासी लोगों के लिये बनाया गया है । 15 सालों में ये जो काम नहीं कर पाये वह काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है इसलिये ऐसा बोलना उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- गुलाब जी, बैठिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने के लिये 38 सालों से लोगों ने कम से कम 3-3 महीने जेल में काटा है । धर्मजीत भैया बैठे हुए हैं, इस बात को जानते हैं । वे समर्थन करेंगे, कितने आंदोलन हुए और क्या-क्या नहीं हुआ? उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यही अशासकीय संकल्प पर चर्चा हो रही है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. विनय जायसवाल जो भी बोलेंगे उसको आप विलोपित कर दें कि वे जो भी बोलेंगे वह नहीं आयेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या वक्ता में उनका नाम है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- [XX][5] उसको विलोपित करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोई भी नहीं, जो अधिकृत है उसका तो आयेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX] शब्द को विलोपित कर दिया जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, ठीक बात है कर दीजिये । मैंने बोला ही नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- जो [XX] उसको विलोपित कर दें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाटापारा को जिला बनाये जाने की जो प्रासंगिकता है उस प्रासंगिकता को हमको स्वीकार करके और इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए क्योंकि भाटापारा जिला यदि बनता है तो वह राजधानी से नजदीक है, बाकी कार्यों के लिये वह नजदीक होता है । वह अगर जिला बनेगा तो रायपुर के साथ-साथ भाटापारा का भी विकास होगा और वह एक औद्योगिक केंद्र बनेगा और इसलिये भाटापारा को यदि जिला बनाया जाता है तो सरकार इसको स्वीकार करे, सर्वसम्मति से स्वीकार करे कि आने वाले समय पर जब भी जिले बनाये जायेंगे तब भाटापारा को जिला बनाया जायेगा । इस बात की घोषणा सरकार करे तो मुझे लगता है कि लोगों का अच्छा समर्थन मिलेगा ।

---

[5] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ का जन्म ही गोपाल परमार जी के संकल्प से हुआ । दो साल बाद हुआ, चार साल बाद हुआ, पांच साल बाद हुआ । आज हम अपने पता में छत्तीसगढ़ लिखते हैं उसमें उसका योगदान है । मैं कई बार सदन में बोलता हूं कि गोपाल परमार जी की मूर्ति जिंदा हों तो भी कहीं पर हमको छत्तीसगढ़ में लगवाना चाहिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 सालों तक आपको मूर्ति लगाने की याद नहीं आयी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बने, कल बने, परसों बने । इसमें प्रस्ताव पारित करने में कुछ नहीं है, जिस दिन पुर्नगठन का निर्णय होगा । भाटापारा जिला बन जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, किसी भी जिले का गठन होता है या जिले को भागों में विभाजित करते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों की कई प्रकार की आपत्तियां भी होती हैं। इसलिए कोई नया जिला बनाना या भागों में विभाजित करना स्थानीय लोगों के सर्वाधिक हित में किया जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे वापस ले लें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं केवल माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांगों पर ध्यान रखा जाता है। स्थानीय लोग तो भाटापारा बंद करा चुके। स्थानीय लोग लगातार धरने में बैठ चुके। इस सरकार के मुखिया ने जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वे भाटापारा में आश्वासन देकर आये कि हम जिला बनायेंगे। माननीय स्व. नंदकुमार पटेल जी आश्वासन देकर आये। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब आश्वासन देकर आये और आप बोले तो माननीय अकबर साहब के भाषण की भी क्लिपिंग आपको भेंट कर दूंगा। इन्होंने भी कहा था किच हमारी सरकार बनने दो, हम बनवा देंगे। जब इतने लोग आश्वासन देकर आये और आज सरकार के प्रमुख स्थानों पर बैठे हैं तो आज जिले का प्रस्ताव पास करने में क्या तकलीफ है ? अकबर साहब, मेरे पास क्लिपिंग है, आप बोलेंगे तो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मेरे पास आपके भाषण की क्लिपिंग है। मैं अभी सुना सकता हूं। जब इतने लोग बोल दिये हैं। माननीय भूपेश बघेल जी, स्व. नंदकुमार पटेल जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब, इसमें 3 लोग तो इस सरकार में हैं। एक सरकार के मुखिया हैं और दो वरिष्ठ मंत्री हैं। तो क्या ये लोग भाटापारा गये तो हमेशा झूठा आश्वासन देकर आये। असत्य कथन करके आये। लोगों को धोखा देकर आये, जो आज इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं, यह बता दें।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- भाटापारा-बलौदाबाजार तो जिला है ही ऑलरेडी। मुख्यालय बलौदाबाजार में है न।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने कहा है कि भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जाये। मैंने स्वतंत्र जिला घोषित करने की मांग की है। आप मेरा संकल्प पढ़ लीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने पढ़ लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अगर सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है, मतलब बघेल जी ने और टी.एस. सिंहदेव साहब ने और अकबर साहब ने भाटापारा की जनता के सामने झूठ बोला है। असत्य कथन किया है। फिर तो यह माना जायेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष जी एक मिनट। शर्मा जी ने कहा कि अकबर जी वहां जाकर बोले हैं, आश्वासन दिये हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, जरूर बनायेंगे। तो अकबर जी बता दें कि वे बोले हैं या नहीं बोले हैं? बनायेंगे या नहीं बनायेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि "दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला बलौदाबाजार भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जावे"।

जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें।

जो माननीय सदस्य संकल्प के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन।

श्री शिवरतन शर्मा :- डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन कराना है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि "दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला बलौदाबाजार भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जावे"।

जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें।

जो माननीय सदस्य संकल्प के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें।

श्री शिवरतन शर्मा :- डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब समोदा नगर पंचायत बन सकता है तो भाटापारा जिला क्यों नहीं बन सकता?

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि "दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला बलौदाबाजार भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जावे"।

जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें।

जो माननीय सदस्य संकल्प के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें।

श्री शिवरतन शर्मा :- डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन होना है, मैंने सदन में मांग लिया है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आसंदी की बात सुनिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, डिवीजन होना है। मैंने सदन में मांग लिया है। हम डिवीजन की मांग कर रहे हैं न। उसमें क्या है। ये तो हमारा अधिकार है। डिवीजन मांगना हमारा अधिकार है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मत विभाजन होगा । मत विभाजन के लिए घंटी बजाई जाए और लॉबी को खाली किया जाए ।

(मत विभाजन के लिए घंटी बजाई गई)

समय :
6.16 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- अब मत विभाजन होगा । मत देने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मत देना चाहें वे मेरे दायीं ओर लॉबी में तथा जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देना चाहें बांयी ओर लॉबी में जाएं ।

	ना पक्ष		**हां पक्ष**
01.	श्री गुलाब कमरो	01.	श्री धर्मजीत सिंह
02.	डॉ .विनय जायसवाल	02.	श्री पुन्नूलाल मोहले
03.	श्री पारसनाथ राजवाड़े	03.	श्री धरमलाल कौशिक
04.	डॉ .प्रेमसाय सिंह टेकाम	04.	श्री रजनीश कुमार सिंह
05.	श्री बृहस्पत सिंह	05.	डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
06.	श्री चिन्तामणि महाराज	06.	श्री सौरभ सिंह
07.	श्री विनय कुमार भगत	07.	श्री नारायण चंदेल
08.	श्री यू.डी .मिंज	08.	श्री शिवरतन शर्मा
09.	श्री प्रकाश शक्राजीत नायक	09.	श्री बृजमोहन अग्रवाल
10.	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े	10.	श्री डमरूधर पुजारी
11.	श्री उमेश पटेल	11.	श्री अजय चन्द्राकर
12.	श्री जयसिंह अग्रवाल	12.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
13.	श्री पुरूषोत्तम कंवर		
14.	श्री मोहित राम		
15.	डॉ .के.के .ध्रुव		
16.	डॉ .रश्मि आशिष सिंह		
17.	श्री शैलेश पांडे		
18.	श्री रामकुमार यादव		
19.	श्री किस्मत लाल नंद		
20.	श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह		

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

21. श्री द्वारिकाधीश यादव
22. श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर
23. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
24. श्री विकास उपाध्याय
25. डॉ .शिवकुमार डहरिया
26. डॉ .लक्ष्मी ध्रुव
27. श्रीमती अनिला भेंड़िया
28. श्री कुंवर सिंह निषाद
29. श्री भूपेश बघेल
30. श्री अरूण वोरा
31. श्री देवेन्द्र यादव
32. श्री गुरू रूद्र कुमार
33. श्री रविन्द्र चौबे
34. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
35. श्रीमती ममता चन्द्राकर
36. श्री मोहम्मद अकबर
37. श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल
38. श्री अनूप नाग
39. श्री मनोज सिंह मण्डावी
40. श्री चंदन कश्यप
41. श्री बघेल लखेश्वर
42. श्री रेखचंद जैन
43. श्री राजमन बेंजाम
44. श्रीमती देवती कर्मा
45. श्री कवासी लखमा

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव के पक्ष में 13 मत तथा विपक्ष में 45 मत प्राप्त । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने घोषणा की, वे इस सदन में मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में यहां बैठे हुए हैं और घोषणा करने के बाद इस संकल्प का विरोध कर रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी ? घोषणा करने के बाद पीछे हटना यानी जनता को धोखा देने वाली बात है । इनका यह कृत्य निंदनीय है ।

(4) विगत् दो वर्षों में कोरोनाकाल के कारण भर्ती परीक्षाओं में वंचित हो जाने के कारण बेरोजगारों की अधिकतम् आयु सीमा में दो वर्षों की छूट दी जाय ।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "विगत् दो वर्षों में कोरोनाकाल के कारण भर्ती परीक्षाओं में वंचित हो जाने के कारण बेरोजगारों की अधिकतम् आयु सीमा में दो वर्षों की छूट दी जाय ।"

अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प के संबंध में मेरी मांग है कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण दिनांक 21 मार्च, 2020 से प्रथम लॉक डाउन लगाया गया था तथा दिनांक 12 मई 2021 से दूसरा लॉक डाउन लगाया गया था । इस लॉक डाउन की अवधि में जनजीवन काफी प्रभावित रहा था । इसके अलावा तीसरी लहर में भी पूरे प्रदेश में असर रहा जिसके कारण से राज्य में विगत् दो वर्षों में विभिन्न विभागों में भर्ती की कार्यवाही नहीं हो पाई, भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई जिसके कारण से प्रदेश के सैकड़ों युवा बेरोजगार हैं, जिसके कारण माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को पारित किया जाए और साथ ही दो वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है "विगत् दो वर्षों में कोरोनाकाल के कारण भर्ती परीक्षाओं में वंचित हो जाने के कारण बेरोजगारों की अधिकतम् आयु सीमा में दो वर्षों की छूट दी जाय ।"

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के लिए और छत्तीसगढ़ की चिंता करने के लिए और आपकी संवेदनशीलता के लिए जब हम लोगों ने आपसे बात की तो आपने इस विषय को जितनी सहजता और सहृदयता से लिया, वह एक राजनेता का जो दायित्व होता है, जो भाव होता है, इसको स्वीकार करके वह भाव आपने पहले दिन दिखाया । मैं आपके भावों की और आसंदी के भावों की हृदय से प्रशंसा करने के लायक तो नहीं हूं, आपका कद इतना बड़ा है । लेकिन धन्यवाद् देता हूं कि आपने चर्चा चर्चा में ही इसको स्वीकृत कर दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हर बात के लिए कोरोना को सामने लाती है। मिलिंग नहीं हुआ तो कोरोना के कारण नहीं हुआ, धान नहीं बिका तो कोरोना के कारण नही बिका, आदमी मरे तो कोरोना के कारण मरे, कार्यालय में कम उपस्थिति हैं तो कोरोना के कारण है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है तो कोरोना के कारण है। जो कुछ घटना घटी वह सब कोरोना के

कारण है। हम लोग भी सुनते रहे, कोरोना के कारण ऐसा होता है, वैसा होता है। अब उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। शायद वे संकल्प को लेने वाले हैं। लेकिन मैं अपने बात शुरू करने के पहले एक बात कहूंगा कि आज फिर संसदीय कार्य मंत्री जी ने गलत परंपरा डाल दी है। यदि मुख्यमंत्री जी के भी आज संकल्प में हो और वे परिसर में हो तो वह अधिकृत नहीं करना चाहिए। आपने अधिकृत करवा के परंपरा डाली है वह आपने गलत परंपरा डाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्री परिसर में हो और उसकी जगह में दूसरा उत्तर दे। जितनी परंपराएं टूट रही है। 1920-21 भारत शासन एक्ट जब लागू हुआ होगा, जब से अभिभाषण देना शुरू हुआ होगा और यह प्रक्रिया शुरू हुई, तब से ले करके आज तक भारत के इतिहास में आप से सर्वश्रेष्ठ संसदीय कार्य मंत्री कोई पैदा नहीं हुआ होगा। वो वो आप करवा रहे हो। सारे चीजों का बहाना कोरोना। बोल रहे हैं, मैडम बोल रही है। माननीय मंत्री महोदया ने कहा हमारे संसाधन सीमित है। मुख्यमंत्री जी 5 मिनट पहले बोल रहे हैं कि हम इसके लिए कर्जा लेंगे त लेना भैया कर्जा। हम उसके लिये कर्जा लेंगे। त लेना न भैया कर्जा, तोला कर्जा लेहे बर कोन मना करे हावय। ऐसे चिख-चिख कर बोल रहे थे हम कर्जा लेंगे, कर्जा लेंगे। कर्जा लेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो संकल्प था, उसके लिये भी तो कर्जा ले लो। अब उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। जितनी शासकीय यूनिवर्सिटी हैं, जितनी अशासकीय यूनिवर्सिटी हैं।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, यह अशासकीय संकल्प का विषय है।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसे मंत्री जी, आपके मंत्री जी के ज्येश्चर-क्योश्चन आज मिमिक्री के लिए ही रहीसे। समझ गये। हाव-भाव भाव भंगीमा मिमिक्री करे के लाइक ही रहीसे। यह बता थव। कोई गंभीर बात नई बोलिस होही उत्तर म। रमन सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष जी से बहस नइ कर पाइस। समझ गय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री जी अभी उत्तर देंगे, बतायेंगे कि वार्षिक कैलेंडर अनुमोदित होता था। जब हम लोग थे तो को-ऑरडिनेशन कमेटी में यूनिवर्सिटी का कि ये वार्षिक कैलेंडर होगा। और मैं जब था तो वार्षिक कैलेंडर ऐसा बनना चाहिए कि हमारा रिजल्ट तब तक आ जाय जब तक अखिल भारतीय परिक्षाएं शुरू होती है तब तक रिजल्ट घोषित भी हो जाये। आपकी सरकार में तो नियमित को-ऑरडिनेशन कमेटी की बैठक नहीं होती। अब वे गवर्नर नहीं बुलाते। ऐसे कहेंगे गवर्नर के बारे में तो मैं यहां ऐसा कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो नहीं सकता बोल रहा हूं। अब इसके कारण और जनक कौन है, यह सरकार बताएगी कि शिक्षा के बारे में कितना गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय :- आप विषय पर बोलिये न।

श्री कवासी लखमा :- नेतागिरी मत करो।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह विषय की भूमिका है। अब आप देखिये कि परीक्षाएं कब हुई, कैसे हुई, कितने दिन में हुई, किस तरह हुई? उसको कोई नहीं जानता। कौन से यूनिवर्सिटी का कब हुआ, कौन से कैलेण्डर का एकेडेमिक कैलेण्डर क्या रहा? यह कोई नहीं जानता। अपने-अपने तरीके से

सब करते रहे। किसलिए, कितना समय खराब हुआ और कितना समय और खराब होगा, एकेडेमिक कैलेण्डर का रेगुलाईज होने तक, इसको यह सरकार अभी बता नहीं सकती। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि जो संवेदनशीलता आपने दिखाई है। सरकार अपने आप को छत्तीसगढ़िया सरकार बोलती है। तो यहां के बच्चों के लिए दो साल के कोरोना काल में परीक्षा और विभिन्न परीक्षाओं में रिजल्ट के कारण वे नहीं बैठ पाये।

समय :
06.34 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चंद्राकर :- इसके लिए उनको आयु सीमा में दो साल की छूट देनी चाहिये, यह संकल्प है और इस संकल्प को रख कर। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक लाईन सामान्य प्रशासन मंत्री को बोलना पड़ेगा कि इसको स्वीकार करते हैं। न मुख्यमंत्री जी को चिख-चिखकर बोलना पड़ेगा। आप बोल दीजिए कि यह छत्तीसगढ़ के हित में है। उसको स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल जी।

श्री नारायण चंदेल :- हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने बहुत विस्तार से रखा है और गुलाब कमरो जी ने यह जो संकल्प प्रस्तुत किया है वास्तव में यह छत्तीसगढ़ के हित में है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के हित में है और हमारी सबकी मांग है कि इस संकल्प को सर्व सम्मिति से पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इसका उत्तर दो लाइन में ही देना चाहता था, चूंकि अकेडमिक कलेण्डर की बात कर दी तो उसके बारे में भी दो लाइन मैं बोल दूंगा। अकेडमिक कलेण्डर के बारे में आपने पिछले सत्रों में प्रश्न भी लगाया है। अकेडमिक कलेण्डर के बारे में और उसका उत्तर भी हम लोगों ने दिया है। मैं आज भी कह रहा हूं कि अकेडमिक कलेण्डर बंद नहीं करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है वह उत्तर सुन लिया। बोल दो, चिंता मत करो। वह तो नहीं करना है बोल दिये न।

श्री उमेश पटेल :- अकेडमिक कलेण्डर।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गे न। नहीं करना है तो फिर...।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- नहीं आपने इतना बोला है तो सुनने की बात रखिये न। आपने अपनी...।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने बात बोला है तो सुनने की भी हिम्मत रखो न।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पूरा सुन रहा हूं। मैं तुम्हारी योग्यता की प्रशंसा करता हूं। क्या तुम उत्तर अलग-अलग विभाग का दे रहे हो और तुम्हारे में संभावनाएं हैं लेकिन अभी मुख्यमंत्री बनने लायक इसमें है। समझ रहे हो न, चन्नी में।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको जब निर्देश मिल गया कि नहीं करना है। आपको अकबर जी ढूंढ कर बता दिये तो उस भाषण का क्या औचित्य है? उस भाषण का क्या औचित्य है?

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- बंद करो।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब सरकार का निर्णय भाषण के पहले घोषित हो गया।

श्री उमेश पटेल :- दो चीजें, अकेडमिक कलेण्डर बिल्कुल जारी हुई है और जिन परिस्थितियों में हमने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में परीक्षा आयोजित की है और जिस तरह से अब हम at पार आ चुके हैं within 1 साल के अंदर में हम अपने अकेडमिक कलेण्डर को इस स्तर पर ले आये हैं कि उसको फिर से रेग्यूलर टाइम बेस पर चल रहा है। उनका यह बहुत अच्छे से पता है वह पहले उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वह सारी चीजों को जानते हैं लेकिन चूंकि उनको भाषण देना है। अपनी पार्टी के प्रति करना है तो...।

श्री कवासी लखमा :- नेतागिरी करना है।

श्री उमेश पटेल :- वह सब बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने परीक्षाओं को आयोजित किया, जिस तरह से...।

श्री अजय चन्द्राकर :- गुलाब कमरो, गुलाब कमरो कौन-सी पार्टी का है?

श्री उमेश पटेल :- उनका विषय अलग है आप दूसरे विषय को उठाये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, गुलाब कमरो और मेरा संयुक्त है।

श्री उमेश पटेल :- आप दूसरे विषय को उठाये हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूं। न चंदेल जी के बारे में कहा, न कमरो जी के बारे में कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके निर्देश के बारे में भी बहस हो रही है। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- आपने उच्च शिक्षा विभाग के जिस प्रश्न को उठाया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अकेडमिक कलेण्डर में आज हम पार आ चुके हैं। जिन परिस्थितियों में हायर एजुकेशन ने परीक्षाएं आयोजित की और जिस परिस्थिति में उसको संपूर्ण कराया, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हमने कई राज्यों से बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस परीक्षा को आयोजित किया। परीक्षा का परिणाम निकाला और समय पर निकाला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीजें हैं 35 वर्ष की आयु सीमा है। 35 वर्ष की आयु सीमा में जो हमारे स्थानीय निवासी हैं जो छत्तीसगढ़ के

मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त सीमा दी गई है और यह वर्ष 2019 में सरकार के गठन होने के बाद पत्र क्रमांक-3.2.2015-1-3 के उसमें उसको किया गया है और यह जो नियम है यह 31 दिसम्बर, 2023 तक लागू है। इसके अलावा विशेष वर्ग को 5 वर्ष की छूट और है तो 35 और यह 10 वर्ष की छूट, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो यह ऑलरेडी 45 वर्ष की छूट हो रही है। 45 वर्ष की छूट मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और छूट देने की आवश्यकता है क्योंकि 45 वर्ष बहुत अधिक है। दूसरा, आपने जिस तरह से परीक्षा को इससे रिलेट किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकण्ड सुनिये न।

श्री कवासी लखमा :- उसको पूरा करने दो न।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक तो आपको निर्देश मिल गया है, एक। दूसरी बात यह है कि इन दो वर्षों का किया जाए और उसको उदाहरण न माना जाए, यह कहकर आप उसको स्वीकृत कीजिए। भले आपको बोल दिया गया है लेकिन आप खुद निर्णय लेने में सक्षम हो।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जिस तरह से आप इसको परीक्षा के साथ रिलेट कर रहे हैं परीक्षा देने वाले की उम्र कितनी है? और जो व्यक्ति आज इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहता है उसकी अधिकतम आयु सीमा कितनी है 45 साल और जो परीक्षा दे रहा है उसकी उम्र कितनी है? तो इस तरह से इसको उस चीज से रिलेट मत करिये। 45 वर्ष की सीमा बहुत अधिक सीमा है। अगर इसमें आप कई राज्यों का उदाहरण निकालेंगे तो हम लोग बहुत अधिक छूट दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें और अधिक छूट देने की आवश्यकता है । मैं आदरणीय कमरो जी से यही कहूंगा कि इस संकल्प को वापस ले लें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 45 वर्ष की सीमा है । क्या सभी शासकीय नौकरियों में सभी प्रकार के पदों के लिए जो पीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाती है, जो व्यापक के द्वारा परीक्षा ली जाती है, जो विभागीय परीक्षाएं ली जाती हैं, क्या उन सभी परीक्षाओं में 45 साल की सीमा की छूट है ? सभी परीक्षाओं में छूट नहीं है । अगर सभी सरकारी नौकरियों में 45 साल की सीमा की छूट होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, परन्तु वर्तमान में अलग-अलग परीक्षाओं के लिए, अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग उम्र की छूट है और इसमें आप 10 साल छूट की बात कर रहे हैं, वह सभी पदों में नहीं है और इसलिए हम चाहते हैं जिनमें 45 साल है, उसमें आप छूट मत दीजिए। जिनमें 45 साल से कम है, उसमें आप परीक्षा में दो साल की छूट दे दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 45 साल सभी जगह है, कुछ जगह एक्सेप्शन्स है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं है । लगभग 75 प्रतिशत परीक्षाओं में 45 साल की उम्र में महिलाओं के लिए है, पुरूषों के लिए 45 साल नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, आप गलत बोल रहे हैं । जो विशेष वर्ग हैं, उनके लिए 5 साल है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गलत नहीं है, आप सही नहीं बोल रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- प्लस स्थानीय परीक्षार्थियों को 5 साल अतिरिक्त है तो आप इन दोनों को मिलाएंगे तो 10 वर्ष की अधिकतम सीमा मिलती है, उस कारण से यह 45 साल होता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, 45 साल नहीं होती है ।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, कुछ एक्सेप्शन्स हैं, जैसे गृह विभाग के कुछ एक्सेप्शन्स हैं । कुछ एक्सेप्शन्स को छोड़कर बाकी सब जगह 45 साल है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, आपके उच्च शिक्षा में भी है ।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, हां, 45 वर्ष है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में पी.एस.सी. से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, 45 वर्ष है, 45 वर्ष है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं है न, सभी में नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा क्योंकि आपके पास में रोजगार विभाग भी है ।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उच्च शिक्षा का उदाहरण आपको दिया। मैं उसको जानता हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आप उसको एक बार दिखवा लें ।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, अधिकतम सीमा 45 वर्ष है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आप उसको एक बार बुलवा कर दिखवा लें कि सभी के लिए यहां तक कि स्कूल शिक्षा में भी 45 वर्ष के नौजवानों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं है । इसलिए इसको आप दिखवा लेंगे तो ज्यादा उचित होगा । क्योंकि आप भी सदन में बोल रहे हैं और सदन में बोल रहे हैं तो यह सदन की प्रापर्टी हो गई, फिर यह पूरे प्रदेश में मैसेज जाता है । इसलिए सभी परीक्षाओं के लिए 45 साल की उम्र नहीं है, इस बात का मेरा आग्रह है ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, 35 से 40 वर्ष का जी.ए.डी. का नियम है, उसमें आलरेडी 10 साल की आयु सीमा है इसलिए मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि विगत दो वर्षो में कोरोनाकाल के कारण भर्ती परीक्षाओं में वंचित हो जाने के कारण....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी कहां हुआ है, अभी नहीं हुआ है । अभी तो आप बोलिए न ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुतकर्ता ने वापस ले लिया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी किसी ने सुना ही नहीं है । अभी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी होने दें न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम प्रस्तुतकर्ता सदस्य ने इस संकल्प को वापस ले लिया है । फिर से पूछ लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नियम निकालो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा या किसी के कुछ भी कहने से चलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि विगत दो वर्षो में कोरोनाकाल के कारण भर्ती परीक्षाओं में वंचित हो जाने के कारण बेरोजगारों की अधिकतम आयु सीमा में दो वर्षो की छूट दी जाये ।

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगार माफ नहीं करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(सायं 6 बजकर 44 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022 (फाल्गुन 23, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक 11 मार्च, 2022 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं